अर्पण—

श्रद्धेय स्वर्गवासी पूज्य पिताजी को—

जिनकी कि केवल अब—

पवित्र स्मृति ही—

शेष रह गई है।

मेरी बात

नंदलाल शर्मा

लेखक व प्रकाशक—

आचार्य पं० नंदलाल शर्मा

परामर्शदाता, भूतपूर्व संयुक्त राजस्थान सरकार

चोमू हाउस, रेजीडेंसी रोड

जयपुर

मुद्रक—

श्री सरस्वती प्रिन्टर्स लिमिटेड,

मानसिंह हाईवे,

जयपुर।

प्राक्-कथन



मैं मेरे विषय में कुछ भी न लिखने के पक्ष में ही अब तक रहता आया हूं। कई बार देश के प्रमुख अखबारों के सम्वाददाता एवं कई प्रान्तों के मेरे मित्र मुझ से मेरे जीवन के विषय में कुछ लिखने के लिये समय २ पर आग्रह करते रहे हैं। सन् १९४२ से १९४५ तक मैं जेल में नजरबन्द रह कर जब जेल से बाहर आया तो भारतवर्ष के कई प्रमुख अखबारों जैसे नागपुर के नागपुर टाईम्स, इंडिपेंडेंट, नवभारत, व लोकमत, बंबई के फोरम, बॉम्बे क्रानिकल, फ्री प्रेस जर्नल, विश्वमित्र, कलकत्ता के अमृतबाजार पत्रिका, माडर्नरिव्यू, हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड, दिल्ली के हिन्दुस्तानटाइम्स आदि व मद्रास के हिन्दू व देश के विभिन्न भाषा के डेढ़ सौ अखबारों ने मेरे जेल-जीवन पर अपने कालम के कालम, और किन्हीं अखबारों ने तो कई बार में मिलाकर के कोई दस बीस पेज लिख डाले थे। मेरे वैज्ञानिक अनुसन्धान व प्रयोगों को लेकर भी संसार के सभी प्रमुख देशों के अखबारों ने संसार की सभी प्रमुख भाषाओं में मेरे रिसर्च के विषय में लिखा था। मेरे पास मेरी जीवन की घटनाओं से परिचय पाने के लिये कई लेखक मेरे पास आए लेकिन इस समयतक भी मेरा निश्चित मत है कि इसे, हमारी जीवनी लिखना यथा संभव टालना ही अच्छा है।

इस बार मैं कुछ लिख तो रहा हूँ परन्तु लिख इसीलिये रहा हूँ कि लिखने के लिये बाध्य होगया हूँ। इस समय मुझे जोकुछ कहना है, उसका सिलसिला व वृत्ति समझ में आने के लिये मेरे जीवन की कुछ घटनाएं लिखना आवश्यक होगया था। इस लिये ही केवल मैंने मेरे जीवन की कुछ घटनाओं का उल्लेख किया है। मेरे जीवन की कई घटनाएं व अनुभव मैंने जानबूझ कर नहीं लिखे हैं। मैंने अध्ययन कैसे किया, मेरे वैज्ञानिक निरीक्षण, परीक्षण व प्रयोगों के एवं भ्रमण में आएहुए अनुभव व वंश परिचय नहीं लिखे हैं और मैं नहीं जानता कि भविष्य में मैं इन्हें लिखूंगा भी या नहीं।

मेरा जीवन एक राजनैतिक जीवन भी रहा है, और मुझे गर्व है कि भारतीय स्वतंत्र्य प्राप्ति की लड़ाई में मैंने मेरी मातृभूमि की सेवा करने में मेरे शक्ति अनुसार भरसक प्रयत्न किया है। उस समय केवल एक कर्तव्य बुद्धि से ही हम सेवा करते रहे हैं, स्वराज्य प्राप्त होजाने की निकट भविष्य में मुझे कोई आशा नहीं थी, फिर पदों के तो सपने ही उन दिनों में हमें कैसे आते? मेरी अपनी न तो कोई राजनैतिक महत्वाकांक्षा उस समय थी और न आज ही कोई महत्वाकांक्षा है। केवल न्याय व कर्तव्य की वेदि पर मैं सदाही मेरा सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार रहा हूँ, यहां यह भी साफ बतादूं कि मेरे जीवन का उद्देश एकांत में बैठकर अध्ययन व अध्यापन करते रहना ही है व हो सके तो इसके साथ कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान या भारतीय संस्कृति को लेकर आध्यात्मिक प्रचार इस देश में

या विदेश में करते रहूँ। दिलचस्पी न रहते हुए भी केवल ईश्वर की इच्छा हो ले मैं राजनैतिक कर्तव्य कररहा हूं व राजनैतिक क्षेत्र से मेरा थोड़ा बहुत संबंध बनाही रहता आया है।

मैंने अपने उदिष्ट कार्यों को पूर्ण करके तो कई बार छोड़ दिये है। परन्तु कार्य आरम्भ करके अपूर्ण छोड़ देने का मेरा स्वभाव धर्म नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं दुराग्रह करना चाहता हूं। मैं तो साफ चुनौती के शब्दों में कह देना चाहता हूं कि कोई सरकार मेरी बात को मेरा दुराग्रह सिद्ध करने के लिये सामने आकर प्रयत्न तो करे? फिर ज्ञात हो जायेगा कि सत्य कहां पर कितनी है।

हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारी वर्तमान राजनीति का आधार कुछ व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा ही बनती जारही है। जनता की सेवा का कल्याण का ध्येय मुख्य न रह कर गौण होगया है, आज तो भावी चुनाव में सफलता व दीर्घकाल तक पदों पर अटल आसन बने रहें या प्राप्त करने का उद्देश्य सामने रख कर उसी के आधार पर राजनैतिक चालें सेवा के नाम पर चली जा रही है। और भी कुछ ऐसी ही बातें हैं जो अनिष्ट हैं।

मैंने जब पाया कि पौदों के अन्दर पानी बन सकता है और रेगिस्तान में बिना पानी बाहर से या भूमि से जड़ों द्वारा प्राप्त किए ही पौदे पनप सकते हैं; फसल भी पैदा हो सकती है तो संसार मेरे तरफ

कुछ आकर्षित हुआ मुझे कई सरकारों से सभी प्रकार के सहयोग स्वीकार करने की प्रार्थना की गई। मैंने बीकानेर का सहयोग स्वीकार किया था बीकानेर सरकार ने धोखा दिया।

मैं बीकानेर के पास ही जयपुर में काम करने के लिए आया परन्तु यहां की अनुचित राजनैतिक चाल बाजी का अनुभव करके राजस्थान चला गया जहां कृषि विभाग का काम मेरी योजना के अनुसार करते हुए मेरा वैज्ञानिक अनुसंधान का कार्य व शैक्षणिक उद्देश पूर्ण करने का व बीकानेर सरकार को पाठ पढाने का कार्य आरम्भ किया राजस्थान में राजनीति ने रंग बदले व आज तो न बीकानेर रहा न जयपुर और न संयुक्त राजस्थान ही रहा व महान् राजस्थान बन गया।

अब मेरे सामने प्रश्न यह है कि मैं राजस्थान में ही मेरे काम को पूर्ण करूं या मेरे कार्यों को यहां अपूर्ण छोड़कर अन्य प्रान्तों में जाकर जनता की सेवा करूं। महान् राजस्थान के सुव्यवस्थित हो जाने तक मैं दूसरे प्रांत में सेवा करके एकाद विषय में कुछ आदर्श उपस्थित भी कर सकता था परन्तु अब राजस्थान में सेवा करना चाहूं तो वह आरम्भ करने के पूर्व बहुत कुछ वर्तमान समय तो पूर्व तैयारी में ही व्यतीत करना अनिवार्य सा प्रतीत होता है इसलिए तुरन्त ही यहां सेवा कार्य आरंभ कर रहा हूं।

हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान् के कार्य के लिए तो इस सहायता की प्रार्थना करने के लिये किसी पूंजीपति या सरकार के पास नहीं जाना

चाहते हमने इस विषय की हमारी बातें जनता के सामने रखदी है। हमारा काम हमारी दृष्टि से यहां पर पूर्ण होगया है। प्रत्यक्ष जनता का लाभ या काम में लाने लायक विकास संसार करना चाहे तो करे हमें कुछ नहीं कहना है। हां बीकानेर का मेरा भ्रमण जो अपूर्ण रहा है वह पूर्ण करके व यथा समय आवश्यक डेटा विज्ञान संसार के सामने रख सका तो अवश्य रखूंगा।

अन्न समस्या हल करने का अर्थात् कृषि की उपज बढ़ाने का काम मैंने हाथ में लिया था वही मेरी अपनी योजना मैं राजस्थान में अमल में लाना चाहता हूं। मेरी योजना से इस देश के व विदेश के सभी वैज्ञानिक सहमत है। गांवों के वर्तमान साधनों से ही केवल दो वर्षों में ही व बिना किसी खास खरचे के हमारी खेती की उपज वर्तमान् उपज से ३० फी सदी से अधिक बढ़ सकती है। इस विषय में आगे इस पुस्तक में मैंने सविस्तार लिखा है।

यह एक बड़े ही विनोद का विषय है व जनता की मजाक ही है, कि सरकार बार २ रचनात्मक सुभाव मांगने का ढोंग रचरही है। जनता को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिये।

विद्या प्रचार तो मेरा ध्येय ही है। थोड़े से प्रयत्नों से बिना किसी विशेष खरच के हमारे मिडिल, हाईस्कूल, व कालेजों के विद्यार्थी बहुत कुछ अंशों में स्वावलंबी बनकर व अपने परिवार के लिये अधिक भार

रूपी न रहकर विद्याध्ययन भी कर सकते हैं । अभी का अध्ययन तो निठल्ले भारत का निर्माण कर रहा है । आज कल विद्यालय और विश्व विद्यालय खोले जाते हैं, बड़े बड़े भवन छात्रालय और विद्यालय के लिये निर्माण होते हैं । हमें कहा जाता है कि देशमें शिक्षा का प्रचार होरहा है ? हम पूछते हैं यह भवन किसके खरचे से निर्माण होते हैं ? और इनसे लाभ कौन उठाते हैं ? इनमें तो उन्हीं लोगों के लड़के पढेगें जिनके पास विद्या को मोल लेने के लिये पैसे होंगे । सरकार विद्यालयों के भवन निर्माण तो कराती है, गरीब किसान व मजदूरों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पैसा प्राप्त करके और इन विद्याभवनों से लाभ उठाते हैं वे लोग जो किसान या मजदूर नहीं है । क्या इसी का नाम प्रजातन्त्र है ?

तीसरी बात काला बाजार की या भ्रष्टाचार की है । सभी लोग ऐसे भ्रष्टाचार की निंदा करते है और कहते हैं । कि छोटे २ सरकारी कर्मचारी घूंस खाते हैं व भ्रष्टाचार होता है । हमारा अनुभव है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उच्च सरकारी कर्मचारी घूंस खोर हुए बिना न तो छोटे सरकारी कर्मचारी घूंस ले सकते हैं व न जनता का नैतिक स्तर ही नीचे गिर सकता है । मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि सरकार चाहे तो यह भ्रष्टाचार तुरंत रुक सकता है ।

लेकिन सरकार तो जो भ्रष्टाचार रोकने के प्रयत्न कर रही है वे तो केवल लोगों को बेवकूफ बनाने की व बहलाने की बातें जैसी है । यदि

सरकार योग्य अधिकारों के साथ यह विभाग किसी योग्य व्यक्ति को सोंपने के लिए तैयार हो तो मैं चुनोती के साथ कह सकता हूँ कि यह भ्रष्टाचार व घूंसखोरी एक साल के अन्दर ही ८० फीसदी से अधिक बंद होसकती है।

मैं दूसरे रियासती संघों में या प्रान्तों में या विदेशों में काम करना चाहूँ तो मुझे केन्द्र से या स्थानिक सरकारों का साथ शायद मिल सकता है व अधिक आराम के साथ काम किया भी जासकता है; परन्तु मुझे तो सर्व प्रथम राजस्थान में ही मेरा काम अब पूर्ण करना है।

राजस्थान में कृषि का विकास, स्वावलम्बी विद्याध्ययन की व्यवस्था व भ्रष्टाचार एवं घूंसखोरी को समाप्त करके जनता का नैतिक स्तर हमें ऊपर उठाना है। हमें हमारा काम पूरा करना है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का व कांग्रेस का साथ तो हमें मिल जायेगा यह हमें विश्वास है। हम नहीं कह सकते कि वर्तमान राजस्थान सरकार किस दृष्टि से व कितना साथ हमें दे सकेगी?

मैंने इस पुस्तक को साहित्य का चोला पहनाने का प्रयत्न नहीं किया यह तो केवल मेरे हृदय से निकले हुए भाव हैं; वे जैसे भी शब्दों में प्रकट होते गए, मैं वैसे ही लिख लेगया हूं। इस पुस्तक में शीघ्रता के कारण कई अशुद्धियां भी रहगई है, जिसके लिए मुझे दुःख है। व मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।

—नन्दलाल शर्मा

मैंने कभी अपने विरुद्ध होने वाले अन्याय को तो सहन किया ही नहीं किन्तु मेरी उपस्थिति में किसी निर्बल व्यक्ति पर होने वाले अन्याय का विरोध किये बिना भी शायद कभी रहा हूँ। अन्यायी व्यक्ति कितना ही बलवान क्यों न हो उसकी मैंने कभी कोई परवाह न की। सत्य का विरोध करने वाले को मैंने सदा अपना शत्रु माना है। मेरी इसी मनोवृति के उपलक्ष में मुझे जयपुर राज्य से सदा के लिये निर्वासित भी कर दिया गया था। इतना ही नहीं इससे पूर्व भी मुझे पूरे पंजाब से निर्वासित कर दिया गया था। तथा राजपूताने के प्रवेश पर भी पाबन्दी लगा दी गई थी और वह तब तक लगी रही जब तक कि केन्द्र में कांग्रेस सरकार ने सत्ता न लेली। साम्राज्य वादी सरकार इतने ही से संतुष्ट नहीं हुई, उसने मेरी प्रयोग शालाएं (Laboratories) नष्ट की, मेरे ऊपर अनेकों बार लाठियों संगीनों व गोलियों की बोछारें की। कारागृह तो सदा मेरे घर के समान ही रहा है। यद्यपि कई बार मेरा आर्थिक सर्वनाश तक कर दिया गया तथापि सरकार को ही सदा नतमस्तक होना पड़ा। क्योंकि सत्य का सिर उपर रहा करता है।

मेरी आयु लगभग नो वर्ष की होगी, उस समय मैं मराठी की प्राथमिक पाठशाला में पढ़ने जाया करता था। एक दिन अध्यापकजी ने

कहा कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। मुझे यह बहुत बुरा लगा। मैंने उसी समय अध्यापक जी से साफ कह दिया कि मैं किसी का दास नहीं हो सकता। आप मेरे लिये कदापि ऐसा न कहें। अध्यापक जी ने उस दिन श्री छत्रपति शिवाजी का पाठ हमें पढाया व मुझे समझा दिया कि भारत में अब भी अंग्रेजों का राज्य है। हम अंग्रेजों के दास हैं। हमारी भारत माता स्वतंत्र नहीं है। जब तक कि हमें स्वराज्य नहीं मिलेगा हम दास ही रहेंगे।

उसदिन अध्यापकजी की बातें सुनकर मुझे क्रोध आगया। मेरी आत्मा में स्वराज्य प्राप्ति के लिये तीव्र आन्दोलन सा मचगया अतः मैंने स्वराज्य प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प कर लिया।

मैं अपनी पाठशाला के सभी लड़कों का नेता रहा करता था। कभी मुझे अध्यापकजी ने नेता नहीं बनाया था फिरभी मैं किसी प्रकार नेता बनाही रहता था। मैंने अपनी बाल बुद्धि के अनुसार एक स्वराज्य प्राप्ति का मार्ग निश्चित किया। उनदिनों खामगाँव में साम्प्रदायिक द्वेष बढ़ा हुवाथा। स्थान २ पर सशस्त्र पुलिस खड़ी थी। इस अंग्रेजी शासन की पुलिस के प्रति मेरे हृदय में तीव्र घृणा थी। अतः मैं आज पुलिस के हथियार छीनने का संकल्प कर चुका था। मैंने आठ बच्चों का एक दल तैयार किया तथा उनमें निम्नप्रकार कामबाँट दिया जगन्नाथ व कल्लू सिंह के कुडतों में मिर्च का पाउडर मिली हुई बारीक मिट्टी भर दी गई। मिश्रीलाल व छगनलाल को दूर से पुलिस की आखों पर मिर्च व रंग मिला हुवा पानी डोलचियों व पिचकारियों

द्वारा फेंकने का काम सौंपा गया। हमारा यह बच्चों का दल महाराज छत्रपति शिवाजी, लोकमान्य तिलक आदि की जय बोलते हुए चौराहे पर आकर रुक गया। चौराहा नगर के बीचों बीच था। यहाँ पर सङ्गीनें लगीहुई तीन २ बन्दूकें तीन जगह रखी हुई थी। पन्द्रह पुलिसमैन, दो सब इन्सपेक्टर, एक सर्कल इन्सपेक्टर, सुपरिन्टेण्डेण्ट पुलिस, डी० सी० व अन्य अधिकारी गण खड़े थे। मैं व मेरे अन्य साथी रायफलें लेकर भगने को तैयार हो गये। मैंने मेरे साथियों को घबराते देखा परन्तु वे पीछे न हटे, क्योंकि मेरी आज्ञा थी कि यदि कोई लड़का हमला न करते हुए पीछे हटेगा तो उसे बहुत पीटा जायेगा। हमने हमला बोलदिया। पुलिस हैरान थी। उन्हें कुछ भी समझ में न आया। तब तक मैं हथियारों के पास पहुँच कर रायफल उठाने लगा तो तीनों जुड़ी हुई बन्दूकें मेरे ऊपर गिर पड़ीं। सब लड़के भाग गये पुलिस ने उनका पीछा किया। कुछ देर के लिये मैं भी भाग कर जा छिपा। किन्तु मुझे हमारी पराजय पर ग्लानि उत्पन्न होजाने के कारण मैं अपने साथियों सहित पुलिस के सामने आगया। मैंने सोचा यदि सरकारी नौकरों को मुझे जो दासता का ज्ञान हुआ है वह इन्हें करादूंगा तो वे भी मेरे दल में मिल जावेंगे। मैंने उन्हें सब सत्य कथा बतला दी। अधिकारी गण हमें देखकर हंसने लगे। किन्तु मैं उनके हंसने का कारण न समझपाया। मुझे अपने दल-बल सहित पुलिस के सर्किल इन्सपेक्टर के मकान पर लेजाया गया वहां हम सबको इच्छानुसार खीर, जलेबी, मिठाइयाँ आदि डी. सी. जो कि पक्के आर्यसमाजी थे, उनके व्यय से खिलाया गया। वहाँ हमारी इच्छानुसार

टोपी, कुर्ते आदि कपड़े भी हमें दिये गये। आगे भी मुझे कई बरसों तक उस सर्कल इन्सपेक्टर के यहाँ प्रतिदिन एक समय तो भोजन के लिये बुला लिया जाता था और कभी २ हमारी दासता से कैसे मुक्ति होसकती है यह समझाया जाता था। मैं और तो कुछ नहीं समझा किन्तु मुझे एक अनुभव हुआ कि सभी सरकारी कर्मचारी घृणा के पात्र नहीं हैं।

हमें दासतासे मुक्ति पाने के लिए उसने मुझे लोकमान्य तिलक का केसरी पढ़ते रहने को कहा मैं केसरी पढ़ा तो करता था। परन्तु मैं उस समय कुछ भी नहीं समझ पाता था। उसी समय जलियानवाला बाग का हत्याकांड व महात्मा गांधी का नाम सुनाई दिया, गांधीजी के भाषण व लेख मैं द्वेष बुद्धि से पढ़ता था, क्योंकि ये सशस्त्रक्रांति के विरुद्ध अहिंसक क्रांति का उपदेश देते थे, खादी भी मुझे पसन्द नहीं थी बल्कि मैं तो केवल मैंचेस्टर का बना हुआ ही कपड़ा पहना करता था।

अब मैं यह तो जान ही चुका था कि स्वराज्य प्राप्ति किसी अन्य मार्ग से ही होगी, मेरी माताजी मुझे महाभारत व रामायण की कहानियां सुनाती। मेरी नानीजी के यहां प्रति दिन कोई न कोई पंडित कथाएं आदि कहने के लिए आया करते थे। उनके प्रभाव से मैं ईश्वरभक्त बनगया, मैं बिना स्नान व पूजा किये कभी पानी भी नहीं पीता था प्रति दिन सात आठ घंटे ईश्वर पूजा में व्यतीत होने लगे, सच्चे हृदय से मैं ईश्वर भक्ति कर रहा था, मैं यह जानता भी नहीं था कि संसार में असत्य भी बोला जाता है, मुझे किसी ने कह दिया कि जंगल में जाकर तपश्चर्या

करने से भगवान दर्शन देते हैं, मैंने निश्चय कर बनके लिए प्रस्थान कर दिया, घरवालों ने दो दिन में मुझे खोज निकाला व समझाया कि ईश्वर प्राप्ति तो घर में रहकर भी हो सकती है; जो कोई मुझ से कुछ कह देता उसको मैं पूर्ण सत्य समझ लेता, इसबार मुझ से कह दिया के केवल एक ही देवता की पूजा करनी चाहिए और भगवान शङ्कर ही सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, अब मैंने और सब देवताओं को छोड़ दिया और महादेवजी की पूजा एकाग्रचित्त से आरंभ करदी।

मैंने निश्चय कर लिया कि-मैं शंकरजी को प्रसन्न करके अपने सामने सदेह बुलाकर के ही दम लूंगा, तीन वर्ष इस आग्रह को लेकर बीतगये मैं सारे व्रत, उपवास भी किया करता, महिम्नस्तोत्र के अनेकों बार पाठ पढ़कर महादेवजी को सुनाता रहता। मेरी अपनी जिद थी कि भगवान को मुझे दर्शन देने पड़ेंगे व उस तरफ शिवजी महाराज मौन थे, इस प्रकार चार वर्ष बीत गये।

अन्त में मैंने निश्चय किया कि यदि भगवान दर्शन नहीं देंगे तो मैं चतुर्थ वर्ष के श्रावण के साथ ही अपना अन्त करलूंगा। भगवान महादेवजी को चुनौती दी कि देखता हूं भगवान् भक्त के आगे कैसे नहीं झुकते यदि तुम नहीं झुकते तो-मेरा शरीर निर्जीव होकर तुम्हारे ऊपर गिरेगा, श्रावण के मास में केवल एक समय आहार लेकर विद्यालय जाने के व भोजन, शयन आदि के बाद बचने वाला सारा समय शङ्कर की पूजा में ही व्यतीत होता था। शङ्करजी एक छोटे से

बगीचे के मैदान में एक चबूतरे पर थे जो मेरे घर के पास ही था। कई दिनों से झडी लग रही थी उस झडी में ही कोई पंद्रह बीस रात्रियां मैंने निकाली, पास में एक ठाकुर गंगासिंहजी नाम के पूरब के ठाकुर थे उन्होंने एक अपना तंबू लाकर महादेवजी के ऊपर लगादिया था जिससे मुझे सारी रात भर न भीगना पडे।

एक दिन का प्रसंग है, रात्रि के दो बजे तक तो मैं अकेला बगीचे के अन्दर महादेवजी के स्थान पर बैठा हुआ स्तुति करता रहा, कुछ बातचीत करने को किसी की आहट भी सुनी, कोई व्यक्ति नजर नहीं आया, केवल कुछ अस्पष्ट आवाज थी, आगे का मुझे कुछ ज्ञात नहीं कि जो कुछ देखा वह प्रत्यक्ष था या स्वप्न क्योंकि आंखें खुली तब मैंने अपने आपको बिछौने पर लेटा हुआ पाया, मैंने देखा कि महादेवजी के लिंग में से प्रत्यक्ष महान् तेजस्वी शंकर भगवान प्रगट हुए व मुझे पकड़ कर अपनी गोद में बांयें तरफ बिठा लिया और मुझ से कहा "मांग, जो चाहता है मांग" मैं कुछ चाहता तो था ही नहीं तो भी मुझे कह गये कि तुझे विद्या व स्मरण शक्ति देता हूं, समय पडने पर मैं तेरी सहायता करूंगा व सभाओं में सदा तेरी विजय होगी। मैं इस घटना को तर्क की कसौटी पर या वैज्ञानिक ढंग पर तो कभी नहीं समझ सका परन्तु अनुभव अवश्य आया कि महादेवजी के सभी वाक्य इस समय तक तो सत्य साबित हुए हैं।

एक दिन गरमी की ऋतु में पांच सात मिनट तक पानी की बूंदें गिरी

व आकाश का रंग कुछ विशिष्ट स्वरूप का होगया, मुझे लगा कि ऐसे वातावरण में पौधों को कुछ ऐसी शक्ति प्राप्त होगी कि जिससे पौधे बिना पानी के प्राप्त हुए ही पनप सकेंगे, मैंने कुछ नीम की डालियां सडक के एक किनारे पर लगादी और वे अधिक गर्मी के समय में भी कुम्हलाई नहीं, पश्चात पशुओं ने उनका नाश कर दिया बस इसी दिन से मैंने पौधों के साथ अपनी बालबुद्धि के अनुसार प्रयोग करना आरंभ कर दिया, मेरे इन प्रयत्नोंको लिखने से एक बडा सा ग्रंथ बन सकता है। संसार के रिसर्च स्कालरों को रिसर्च के करने में जो आपत्तियां उठानी पडी हैं, उनमें से किसी से कम आपत्तियां मुझे भी उठानी नहीं पडीं, मेरे अपने संतोष के लिए तो मेरा काम पूरा पूर्ण हुआ परन्तु मानव जाति का अभी तक उससे कोई लाभ नहीं हो सका। क्योंकि उसको मैं अभी तक प्रत्यक्ष व्यवहार के रूप में नहीं रख सका।

अब मेरी आयु १४ साल की थी। मैं संस्कृत के व्याकरण का अभ्यास कर रहा था। अंग्रेजी की पढ़ाई भी चल रही थी। अंग्रेजी अखबार भी कुछ कुछ पढ़ा करता था। इसी बीच मेरा काम कुछ दिनों तक (लवाण) पाटण नामक जयपुर राज्य के एक ग्राम में रहने का पडगया। यहां पर उस समय एक बिना लिखा पढ़ा तालुकदार रहा करता था। जयपुर से कोई आज्ञापत्र आता तो यह तालुकदार उसको आठ मील दौसा भेजकर पढ़वाकर मंगाया करता था। जब इसने सुना कि मैं अंग्रेजी पढ़ाहुआ हूं तो इस तालुकदार ने मेरी बडी इज्जत की और लोगों को कहा बताया कि अंग्रेजी जानने वालेडर्दू के बडे जानकार हुआ करते हैं क्योंकि अंग्रेजी

उर्दू की बडी बहिन है, मेरे दुर्भाग्यवश एक दो दिन के पश्चात् उस तालुकेदार के पास जयपुर से कोई आज्ञापत्र आगया जिसके पढ़ाने के लिए मुझे कचहरी में बुलाया गया, लेकिन मैं उर्दू नहीं जानता था। लोगों में मेरी हंसी हुई मुझे दुःख हुआ कि मैं उर्दू नहीं जानता। फौरन खासगांव वापिस आगया और उर्दू प्राइमरी स्कूल में नाम लिखाया, घटना कुछ ऐसी हुई कि प्रथम दिन में ही मुझे उर्दू का कायदा पूरा जबानी होगया दूसरे दिन मुझे दूसरी कक्षा में दाखिल किया गया व तीसरे दिन तीसरी कक्षा व पांचवें दिन मैं उर्दू की चौथी किताब पढ़ने लगगया। मदरसा के मास्टरों ने मुझे मजाक करने के लिए मदरसे में आया हुआ विद्यार्थी समझा। इस प्रकार मैं ने एक ही सप्ताह में उर्दू की प्रायमरी पास की, परन्तु मुझे उर्दू पर क्रोध आरहा था क्योंकि उर्दू न आने के कारण मेरी हंसी हुई थी, मैं तो उर्दू को जड से खाजाना चाहता था, इसलिए मैंने फारसी पढ़ना चाहा और वह भी एक साथ गुलिस्तां से आरंभ करदी, एक ही वर्ष में मैंने संस्कृत व्याकरण के अतिरिक्त अंग्रेजी स्कूल का अध्ययन व फारसी के गुलिस्तां, बोस्तान्, अनवारे सुहेली, इखलाके मुहोसिनी, शाहनामा पूरा व मशनवी शरीफ, मौलाना रूम पूरी पढडाली अब मैं फारसी, अंग्रेजी व संस्कृत में व्याख्यान भी किसी प्रकार देने का प्रयत्न किया करता था। इसके सिवाय मेरा बिना पानी के पौधे लगाने का प्रयत्न शाम के समय प्रतिदिन अखंड चल ही रहा था।

मुझे किसी ने सत्यार्थ प्रकाश ला कर दे दिया था। मैंने सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन किया व उसके पश्चात् संस्कार विधि व ऋग्वेदादि भाष्य

भूमिका का भी अध्ययन किया। मैं तो सदा सत्य का साथी रहा करता था, मुझे सत्य जंचता सो मैं किया करता था। मैं आर्यसमाज का सदस्य बन गया व वैदिक धर्म का मेरा ज्ञान बढ़ाने की चिंता करने लगा। मैं ने पहिले तो कौमुदी का थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया था अब मैंने फिर से अष्टाध्यायी भी पढ़ना आरंभ किया, कई उपनिषदों का भी अध्ययन किया, यह मेरा अध्ययन विद्यालयों की पढ़ाई के साथ ही साथ कई बरसों तक चलता रहा, इस बीच में मैंने व्याकरण, कुछ काव्यग्रंथ, उपनिषद जैसे श्वेताश्वेत, ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मान्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, आदि का अध्ययन किया। मीमांसा में से भी कुछ पढ़ा व शतपथ एवम् ऐतरेयके साथ ऋग्वेद व यजुर्वेद का भी थोड़ासा अध्ययन किया अब मुझे आर्यसमाज ही सत्य जंचने लगा। मैंने मूर्ति पूजा का भी त्याग कर दिया, मेरा समय मैं आर्यसमाज की सेवा मे देने लगा। हिन्दू सभा की राजनीति व सामाजिक कार्य भी मुझे खूब पसंद आने लगे। ये दिन सांप्रदायिक तनातनी के थे। एक दिन एका-एक समाचार प्राप्त हुए कि हत्यारे अब्दुल रशीद ने हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंदजी की हत्या कर दी, अब क्या था, मैं मुसलमानों का शत्रु बन गया, अब हिन्दू सभा के प्लेट फार्म पर मैंने शुद्धि संगठन का प्रचार करना आरंभ किया अपने हाथ मे अनेकों मुसलमान व ख्रिश्चन लोगों की मैंने शुद्धि करके उन्हें हिन्दू किया, अब इस्लाम व ख्रिश्चन बस्तियों में जाकर मैं आर्य समाज का प्रचार किया करता था। मैंने कुरान (तफसीर हुसैनी) का अध्ययन किया कुछ कुछ अरबी भी पढ़ी।

बायबल के, इंजील व तौरेत अंग्रेजी, मराठी, हिन्दी व उर्दू में पढ़े बायबल के तो कई पारायण गुजराती भाषा में भी किए, मैं तो सत्य का साथी था, जब तक सत्यार्थप्रकाश पर मेरा विश्वास रहा तब तक ठीक था लेकिन जब इस्लाम, इसाई, ज्यू, जैन, व बौद्ध आदि धर्मग्रंथों का मैंने अध्ययन किया तो ऐसा बहा कि यह सब धर्म ढकोसले प्रतीत होने लगे। अब धर्म पर से मेरा विश्वास कम होने लगा इन दिनों सभी प्रकार के अध्ययन में मेरे प्रतिदिन १६ से १८ घंटे तक व्यतीत होते थे। इन्हीं दिनों में सायमन कमीशन भारत में आया था, उसके बहिष्कार के कार्यक्रम में एक स्वयंसेवक के रूप में मैंने भी भाग लिया यह मेरा सर्व प्रथम कांग्रेस के साथ सम्बन्ध आने का अवसर था। सायमन के बहिष्कार के समय लाहौर में हुये लाठी चार्ज के परिणाम स्वरूप हुतात्मा लाला लाजपतराय शहीद होगये। मैं इस घटना के कारण कांग्रेस की राजनीति की तरफ खींच गया। इस समय के पूर्व सेही मीरत केस नाम का मजदूर नेताओं के ऊपर एक केस चल रहा था उसने भी मुझे कुछ आकर्षित किया ही था।

कम्युनिस्ट व समाजवाद की पुस्तकें भी मैं ने पढ़ना आरंभ कर दिया था। कैपिटल व समाजवाद ही क्यों? नामक ग्रंथ मैंने बार बार पढ़े आगे चलकर कुछ अनीश्वरवाद की किताबें भी पढ़ी मैंने ईश्वराराधना छोड़ दी मैं ईश्वर के अस्तित्व के विषय में कुछ नहीं समझ सका, कई धर्म की पुस्तकों ने मेरे मस्तिष्क को किसी निर्णय पर नहीं पहुँचने दिया व आगे चलकर संप्रदायवाद से मैं ऊब उठा, किसी भी धर्मग्रंथ में मेरी श्रद्धा नहीं रही। सभी बातों को मैं तर्क की कसौटी पर कस कर देखने का आदी होगया था।

इन दिनों महात्माजी के लेखों का संकलन गुजराती भाषा में हो रहा था। खादी, सत्याग्रह, अहिंसा, असहकारिता, अस्तेय आदि दस बारह विषयों पर अलग अलग पुस्तिकाएं मुझे प्राप्त हुईं। मैंने प्रथम बार तो सरसरी तौर पर पढ़ा बाद में अध्ययन भी किया व मुझे महात्मा गांधी के विचार बड़े पसंद आये, इन्हीं दिनों दो चार बार मैं उनके दर्शन भी कर चुका था, इसी समय से मैं खादी भक्त बन गया, जब मुझे खादी धारण करना व विदेशी वस्त्र जलाना मुझे अपना कर्तव्य जंचा तो मैंने मेरे सारे विदेशी वस्त्र एकत्र करके जला दिये व जब तक मेरे खादी का कुड़ता सी करके नहीं आया तब तक मैं नंगे बदन ही बैठा रहा, यह सन् १६२६ का जिक्र है। उस समय से मैं खादी भक्त बना जो कि इस समय तक बना हुवा हूं। अब मैं राजनैतिक बातों में दिलचस्पी लेने लग गया। अहिंसा व सत्याग्रह को समझने का मैं प्रयत्न करने लगा, महात्मा गांधी जी के विचार मुझे व्यवहारिक दृष्टि से बड़े अच्छे पसंद आते थे, एक दो अपवाद छोड़ दिये जाए (जब कि मैं सशस्त्र क्रांति व गुप्त समितियों का स्थापन करना आवश्यक समझता था,) तो सदा ही आज तक इन गत बीस वर्षों में मैं महात्मा गांधी जी के बताये मार्ग पर ही चलता रहा हूं।

सन् १६२६ के दिसम्बर में लाहोर में कांग्रेस का अधिवेशन हुवा। मैं भी बरार प्रांत के कांग्रेस का एक प्रतिनिधि बन कर प्रथम बार इस कांग्रेस के अधिवेशन में उपस्थित रहा। पं० जवाहरलालजी नेहरू प्रथम बार इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये थे। आज अर्थात् सन् १६२६

के दिसम्बर को रात्री के बारह बजने के एक मिनिट पश्चात् हम सब कांग्रेस प्रतिनिधियों ने भारत को पूर्ण स्वतंत्र करना (Complete Independence) कांग्रेस का ध्येय घोषित किया व स्वातंत्र्य प्राप्ति की प्रतिज्ञा की। महात्मा गांधीजी हमारे डिक्टेटर चुने गये। मैं बरार में वापिस आया व गांव गांव में घूम घूम कर कांग्रेस के स्वातंत्र्य संदेश का प्रचार करने लगा अनेको विद्यार्थी कालेज छोडकर इस कार्य में जुट गये सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दी। हम लोगों ने कांग्रेस युद्ध समितियां स्थापित कीं। मैं भी मेरे जिले में युद्ध समितो का मंत्री चुना गया हमलोग जबतक नमक कानून भंग करते रहे तबतक तो सरकार नें हमारे विरुद्ध कोई कार्य वाही नहीं की, बादमें हम लोंगो ने जंगल कनून तोडना आरम्भ किया प्रथम सत्याग्रही बापूजी लोक नामक अणे (बिहार के वर्तमान गवर्नर) थे सत्याग्रह के करके श्री अणे गिरफ्तार हुए। आप पर दफा ३७९ अर्थात चोरी का जुर्म लगाकर ६ महीने की सादी सजा दी गई। सभी जंगल कानून भंग करने वाले सत्याग्रहीयों को इसी चोरी की दफा के अन्दर ही सजा दी गई अब सरकार ने धूम धडाके के साथ गिरफ्तारियां करना आरम्भ कर दिया। जनता में खूब उत्साह से अनेक स्थानों पर सैनिक शिविर स्थापित हुए। मैं भी स्वयं सेवकों के जथ्थे लेकर शराब की दुकानों पर परदेशी कपड़ा एवं इगलिस्तान की सभी वस्तुओं की दुकानों पर प्रति दिन निरोधन करने जाया करता था सरकार मेरे साथियों में से कभी कभी किसी को गिरफ्तार कर लेती थी। चार महीने जंगल सत्याग्रह होते रहने के पश्चात स्वयंसेनिकों की संख्या इतनी घट

गई कि आगे आंदोलन चलना असंभव प्रतीत होने लगा हमारे जिन सैनिक शिविरों में सैंकडो स्वयं सैनिक रहते थे वहां संख्या केवल आठ दस पर ही आ पहुँची।

मैं परिस्थिति समझ गया। मैंने गांव २ प्रचार आरम्भ किया क्योंकि जनता पुराने आन्दोलन से अधिक दिलचस्पी नही लेती थी मैंने द्वितीय सरकार (Parallel-Govt) की स्थापना करने की योजना बनाई गांवों २ में कांग्रेस न्याय समितियां, रक्षक स्वयं सैनिकदल, कांग्रेसी कानजी हौद आदि स्थापित किये। व इसके लिए स्वय सैनिकों का संगटन करने का प्रयत्न किया कि में चाहूँ तब २४ घंटे में २०० स्वयं सैनिक सर्वस्व त्याग करने के लिये जिले के किसी भी स्थान पर उपस्थित कर सकूं व ४८ घंटे की अवधी अगर मिल जाय तो ८०० स्वयं सैनिकों की खडी फौज जिस स्थान पर भी आवश्यकता हो पहुँचा सकूं। इस प्रकार संगठन कर लेने के पश्चात, शीघ्र ही मेरी शक्ति के तोलने का समय आगया।

विदेशी कपड़े के दुकानदारों ने हमारे आग्रहवश कहें या हमारे धरना देने से तंग आकर अपनी २ दुकानों में से विदेशी कपड़ा अलग निकालकर गट्ठे बांधकर हमारी कांग्रेस समितियों की—सील लगवाकर व यह कांग्रेस आंदोलन जब तक चलता रहेगा तब तक न बेचने का वचन देकर अलग रख दिया था। परन्तु जब कांग्रेस आंदोलन शिथिलसा प्रतीत होने लगा व जब हमारे स्वयं सैनिक कुछ तो उदासीन होकर घर

चल दिये व कुछ जेलो में चले गये तब हमारे स्वयं सैनिक शिविर खाली देखकर दूकानदारों ने गट्ठों की सीलें तोडकर चोरी छिपके से विदेशी कपड़ा बेचना आरम्भ कर दिया। प्रथम बार एक व्यापारी ने ऐसा साहस किया था तब तो उसको इसका फल बहुत ही बुरी प्रकार से भुगतना पड़ा था सारी जनता ने उसे धिक्कारा था। स्वयंसेनिकों ने दुकान घेरली थी परन्तु इस बार तो कांग्रेस समितिया सरकार से लडते २ दिन २ हानि उठा रही थी व चोट खा रही थी व चोट दे रही थी। कांग्रेस दफ्तर कहीं था ही नहीं जिस किसी मकान को हम कांग्रेस अफिस बनाते उसी मकान को व उसमें जो कुछ सामान होता उसको सरकार कुर्क करके ले जाती थी। छापा खाने हमारे परचे नहीं छापते थे, किसी पेड़ के नीचे कांग्रेस आफिस बना लिया जाता पुलिस आती और हमारी बिछाने की बोरियां कुर्क करके ले जाती। हम सभा भी नहीं करसकते थे सभा की इत्तला नगर में करवाने के कोई साधन हमारे पास पाये जाते तो पुलिस उठा ले जाती मुंह से चिल्ला २ कर जो सभा की इत्तला देने जाता उसे भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता था। ऐसी परिस्थिति देखकर सब कपड़े वालों ने मिलकर अपनी दुकानों पर कांग्रेस की सील व अपनी प्रतिज्ञा तोडकर विदेशी कपड़ा बेचना आरम्भ कर दिया हम लोगों ने दुकानदारों को बडी नम्रता के साथ ऐसा न करने को कहा लेकिन निर्बलों का उपदेश खुशामद कहलाता है। किसी भी दुकानदार ने हमारी बात नहीं मानी। मैंने भी हठ पकड लिया कि विदेशी कपड़ा बिकना बंद करूंगा। मैंने मेरे चार साथी चुन लिये हमारे कपड़े केशरिया रग में रंग लिये गये व

नगर में विद्यार्थियों के जरिये घर २ खबर करवा दी गई कि हम केशरिया करने जा रहे है अर्थात कपड़े के दुकानदारों की दुकानों के सामने धरना देकर आमरण अनशन करने जा रहे हैं। हम जैन उपासरा (जो अब तक कांगेस आफिस रहा था।) के पास से रवाना हुए, जनता की सहानुभूति हमारे साथ थी। सारे नगर में धूम होगई, हाई-स्कूल के विद्यार्थियों ने धूम मचा रखी थी। हमारा जुलूस निकाला गया—हम लोग धरणा देने के लिए जब तक दुकानदारों तक पहुँचे तब तक तो दुकानदार हमारी इच्छानुमार सभी बातें मानने के लिये तैयार हो गये थे।

इस समय कपड़े के दुकानदारों की जो बे इज्जती हुई वह उनको खलती थी इसी बीच कपड़े वालों ने सरकारी अफसरों की सहायता से एक षडयंत्र और रचा। हाजी अली नामक मुस्लिम लीग के नेता की एक कपड़े की दुकान थी उसने खुलम खुला विदेशी कपड़ा बेचना आरम्भ कर दिया। इसी समय एक पिकेटिंग आर्डिनेन्स ने भी जनम ले लिया था अब यदि पिकेटिंग करते हैं तो कपड़े का वह दुकानदार उसे हिंदू मुस्लिम झगड़े का स्वरूप देता है, यह भी संभव है कि सरकार कानूनी कार्यवाही करे, तो बड़ी संख्या में जेल भेजने के लिये भी स्वयं सैनिकों की आवश्यक्ता है व कांग्रेस समिति की बात का भी प्रश्न था। हम सब मित्रों ने मिलकर विचार विमर्श किया व केवल मेरे आग्रह के फलस्वरूप यह कार्य मुझे सौंपदिया गया मेरे पास स्वयं सेवकों की जो शक्ति थी उसकी परीक्षा भी मुझे करनी थी मैंने १२५ स्वयं सेवक गांवों से बुलवाकर रखलिये व उनके अलग अलग छोटे छोटे विभाग करके सारे दिनभर इस तरह परेड करने के

लिए भेजता रहा कि पोलिस अफसर उनकी संख्या किसी तरह ४०० से ५०० समझें। यह मेरी युक्ति सफल होगई सरकारी अफसरों ने सोचाकि इस समय यदि यहां सामना करते हैं तो संभव है हजारों स्वयं सेवकों को जेलमें भेजना पडेगा तो बेहतर यही हैकि इस झगड़े को सांप्रदायिक रूप में ही आने दिया जावे इस तरफ हमने मुसलमानों को समझाया कि हाजी अली तो पूंजीपति है। वह मुसलमानों का साथी नहीं। परंतु पैसे का साथी है। परिणाम भी वही हुवा जो हम चाहते थे। सांप्रदायिकता का डर कम होगया, तोभी पैसे देकर कुछ गुंडे दंगा करवाने के लिये बुलवाही लिए गये, अंतमें एक दिन खूब जोर शोरसे हाजी अली की दूकान पर धरणा आरंभ कर दिया। यह धरणा बारी बारी से दिन रात चला करता था, कुछ हिंसा के प्रयत्न भी हुए परंतु हमलोग शांत थे, अंतमें हाजी अली को केवल तीन दिन में कांग्रेस की शरण आना पडा व विदेशी कपड़ा बेचना बंद करने को विवश होना पड़ा।

हमारे प्रांत में सारे प्रांत की राजनीति में थोड़ा बहुत हाथ रखते हुए अपने अपने जिल्हे के आन्दोलन का संचालन करने वाले जो कार्यकर्ता थे उनमें में सबसे कम आयु का अर्थात् केवल २० बरस की आयु काही था। मुझे जो बात जंच जाती मैं किये बिना नहीं रहता। मैंने खामगांव तहसील में से कोई ५०-६० गांव ऐसे चुने जहां पर कि मैं अंग्रेजी सरकार को समाप्त करके उसके स्थानपर मेरी सरकार स्थापित करना चाहता था। उन गावों में मेरी पुलिस, मेरे पटेल पटवारी आदि रख चुका था, न्यायालय भी गांवों के लोगों में से न्यायाधीश बनाकर

स्थापित कर चुका था, अर्थ व्यवस्था भी कुछ करही ली थी अब इन गांवोंमें कोई मेरी आज्ञा उलङ्घन करे ऐसा नहीं था। सरकारी नौकर हमारे इस राज्य में आना जाना बंद कर चुके थे। इसी बीच एक घटना घटगई हमारी तहसील से लगा हुवा मेहकर तहसील का एक देवल गांव साकरशा नामका चार हजार जन संख्या का एक कसबा था। इस गांवके लोगों ने हमारे साथ रहने का निश्चय करलिया था व प्रारंभ में मुहूर्त पर जंगल सत्याग्रह करके कुछ लोग जेल जाने का निश्चय भी प्रकट करचुके थे। परंतु समय पर सत्याग्रह तो किया ही नहीं। बल्कि हमारी समानान्तर सरकार की योजना के भी विरूद्ध बन गये। अब यदि इन लोगों को सजा न दी जाय तो मेरे अनुशासन में गडबड होने का अंदेशा था। मैंनें सात आठ घरों का बहिष्कार करने का निर्णय जाहिर कर दिया। वे घर कसबा के श्रीमान लोगों से संबंधित थे व श्रीमान लोगों ने मेरी आज्ञा मानने से इनकार करदिया। मैंने श्रीमान् लोगों सहित इन लोगों पर बहिष्कार की आज्ञा देदी। मेरी इस आज्ञा का पालन नहीं हुआ। अंतमें सारे के सारे कसबा के विरूद्ध वरार प्रांत में बहिष्कार करवाने का फैसला करके सभी कांग्रेस समितियों को सूचना भेजदी गई। इस कसबा से सारे संबंध टूट गये। इस कसबा को जाने आने के तमाम मार्गों पर स्वयं सैनिक बैठा दिए गये। यहांके अठवाडा में किसी को भी नहीं जाने दिया गया। इस गांव से कपास की गाड़ियां बिकने के लिए खामगांव गई तो उनके साथ कांग्रेस स्वयंसैनिक टपरे बजाते हुए भेजदिये सब जगह आदेश देदिया गया, के इनका कपास कोई नहीं खरीदे ये कपास की गाड़ियां

खामगांव से सेगांव गई। वहां पर किसीने भी उनका कपास नहीं खरीदा। उन गाड़ियों के पीछे बच्चों का एक गिरोह हमेशा टपरे बजाते रहता। गाडी हांकने वाले तंग आकर रोने बैठ जातेथे। इस प्रकार इस कसबे का माल कहीं भी नहीं बिक सकता था, इसी प्रकार इस गांव को बाहर से माल भी मोल नहीं मिल सकता था। इस कसबे में नमक की कमी हुई तो लोग तंग आगये। अंतमें इस कसबे ने शरणागति इख्तयार की। प्रत्येक जाति से दो दो व्यक्ति मिलकर कुल ४२ आदमी आसपास के सब गावों के पंचों के पैरों में प्रणाम करने गये, तब उनकी प्रार्थना वश होकर इस कसबे को मैंने क्षमा किया।

इसके पूर्व मुझे केवल लड़का समझ कर सरकारी अधिकारी उपेक्षा की दृष्टि से देखने का प्रयत्न करते थे, परन्तु अब वे सतर्क होगए थे। अब मैं जहां जहां जाता था, हजारों की संख्या में जनता एकत्रित हो जाती थी। बीस बीस गांवों के लोग एकत्र होते थे। सुबह शाम तक पांच सात सभाओं में भाषण कर लेता, भोजन तो कई बार चलते चलते ही करना पड़ता था,परन्तु एकबात और थी वह यह कि कुछ स्थानीय पुलिस अफसर कांग्रेस आंदोलन की सफलता की कामनाभी रखतेथे। कभी हमारे दफ्तर या मकानों की तलाशी लेने आते तो खुफिया तौर से यातो हमें पूर्व सूचना करवा देतेथे या ऐसा मौका दे देतेथे कि जिससे हमारे कामकी या आपत्ति जनक चीजें हम इधर उधर कर देते, मुझे अब तक जेल न जाने देते हुए काम करनेका मौका मिलने देनेमें भी ऐसे अफसर ही किसी अंश में कारण भूत रहे हैं। लेकिन अब मेरा नाम प्रतिदिन अखबारों में

आने लग गया था। इसी बीच एक दिन भारत के सभी अखबारों ने बड़े टाईप में मेरा काम तथा नाम छाप दिया। बात ऐसी हुई कि सेगांव नामका एक १५ हजार जन संख्या का नगर खामगांव से १० मील दूरी पर है। यहां पर कई किसानों ने एवम् सत्याग्रहीयों ने सरकारी कर, लगान व दंड देने से इनकार कर दिया था। सरकार ने इनकी जायदाद कुर्क करके बेचना आरम्भ करदिया व सैंकड़ों हजारों रुपयों की जायदाद नाम मात्र के रुपयों में बेची जाती थी। भैंस ६ रुपये में, बैल १० रुपये में व खेत ८ रु० से ४० रु० तक में बेचेगये थे। सेगांव के मुसलमानों ने मौका देखकर पानी के भाव इन लोगों की जायदाद खरीद ली थी व खरीदते जारहे थे। हिंदू लोग तो कॉंग्रेस का आदेश मानकर ऐसी जायदाद की हर्राशी में नहीं जाते थे। लेकिन मुसलमान तो द्वेष बुद्धि से व अन्न लोभ के कारण कॉंग्रेस के विरुद्ध जाकर जायदाद खरीद लेते थे।

जब सेगांव की इस समस्या ने विकट रूप धारण किया तो मैं सेगांव गया। सेगांव में मेरी उपस्थिति में कुछ किसानों की जायदाद नीलाम हुई व मुसलमानों ने खरीद ली, मेरे कहने का कोई असर नहीं हुआ, रात्री को मेरा भाषण रखा गया, हजारों हिन्दू और मुसलमान सभा में आये। मुसलमान दंगा करने के इरादे से लाठी, भाले, बर्छियां, आदि लेकर आये थे, एक ऊंची जगह पर व्यासपीठ बनाया गया था। मैंने भाषण आरंभ किया। मुसलमानों पर पंजाब हत्या कांड के समय व पूर्व में तुर्किस्थान व खिलाफत को लेकर जो अत्याचार अंग्रेजों के द्वारा हुए थे, कह सुनाये। मैं भाषण करही रहा था कि कुछ मुसलमान लाठियां ले

बरछी लेकर मेरी तरफ झपटे तो देखता क्या हूं कि मुझे बचाने के लिए कुछ माली व मराठों के लड़के मेरे पीछे से उन पर झपट पड़े। ठ्याम पीठ पर कुछ हिंदू मुसलमान प्रतिष्ठित व्यक्ति आ पहुँचे। लीगी मुसलमानों ने भी देख लिया कि सामने की शक्ति कम नहीं है। मेरा भाषण इसके पश्चात् कोई तीन घंटे तक चलता रहा। अंग्रेजी राज्य के अत्याचार व उनसे हुई संसार भर के मुसलमानों की नाना प्रकार की हानि मैंने उनको समझाई। परिणाम यह हुआ कि मुसलमानों ने कांग्रेस का आदेश मानकर सेगांव नगर में शराब आदि के लिए आवश्यक स्वयंसेवक- केवल मुसलमानों में से ही देते रहने की व्यवस्था करदी। उपरोक्त किसान व सत्याग्रहियों की सरकारी नीलाम में खरीदी हुई जायदाद वापिस लौटादी। कांग्रेस का आदेश न मानने वाले मुसलमानों को मस्जिद प्रवेश निषिद्ध किया। सेगांव नगर के मुसलमानों ने काँग्रेस द्रोही मुसलमानों को होटल में, कुवे पर व मकान में आने न देने की प्रतिज्ञा की। उस सारी रात मुसलमान मेरा जुलूस निकालते फिरे। अखबार चिल्ला रहे थे, देश द्रोही मुसलमानों को मस्जिद प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया।

प्रतिदिन कई घटनाएं होती और सदा मैं सफल ही होता रहता। इससे मेरा आत्म विश्वास बढ़ गया था। हमारा जिला बुलडाणा था। बुलडाणा एक पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा है। कोई पांच हजार जनसंख्या होगी। जिला केवल अफसरों को व सरकारी नौकरों एवं वकीलों की ही बस्ती है। सरकार ने शराब की दुकानों की ठेकेदारी की हरासी की तारीखें निश्चित कर दीं। सारे जिले के कलाल

शराब की दुकानों का ठेका लेने के लिये बुलडाणा पहुंचने वाले थे। डी. सी. की कोर्ट जो डेढ़ मील के घेरेमें है, उसमें हर्राशी होनेवाली थी। सर-कारी पुलिस का इंतजाम पूरा २ था। परन्तु मैंने यह शराब की हर्राशी न होनेदेने का सङ्कल्प कर लिया था। सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई थी और मैं अपनी बात पर उनके विरोध में अड़ा हुआ था। ज्यों ज्यों तारीखें निकट आती गई मैं तैयारी करने लगा। मैंने पांच सौ स्वयंसैनिक लेकर बुलडाणा पहुँचना निश्चित करलिया था। मुझे सौभाग्य से ऐसे साथी तो मिलगए थे। जो मेरे कहने के साथ ही अपने जीवन का बलिदान कर देते लेकिन मेरे पास द्रव्य नहीं था। पांचसौ आदमियों का बस किराया पांच सौ रुपये व उनका चार पांच रोज का भोजन के प्रबन्ध करने का व्यय आवश्यक था। हर्राशी की तारीखों के बीच में केवल दो दिन बाकी रहगए। मेरे पास कुल दो रुपये कुछ आने थे। सड़क के रास्ते बुलडाणा ४५ मील दूर था किन्तु पहाड़ी रास्ते से ३२ मील था। मैंने पैदल पहुँचना तय कर लिया। बाहर गांव के स्वयंसैनिकों को बुलडाणा पहुँचने का संदेशा देदिया और उपस्थित स्वयंसैनिकों से कहदिया कि मैं पैदल यात्रा करूंगा। मेरे साथ जिन को आना हो वह आवें व मोटर से जो आना चाहते हैं उनके विषय में बाद में सोचा जायगा। मै पैदल रवाना होगया। मेरे साथ अन्य सभी स्वयंसेवक पैदल रवाना होगए। दिसम्बर का महीना था, ठण्ड भूख व थकान को लेकर हम ३२ मील पैदल चलकर दूसरे दिन दोपहर के २-३ बजे बुलडाणा पहुंच गए।

रात्रि तक सभी स्थानों के स्वयंसेवक बुलडाणा आकर पहुँच गये।

कई स्वयं सेवक अपने साथमें अपने अपने घर से कुछ खाने पीने का सामान लायेथे। वह हम लोगोंने बांटकर खाया। किसी किसी के पास पैसे थे वे भी हमने बांटकर खाये। रातभर में मैंने सब स्वयसैनिकों को सैनिक अनुशासन में विभाजित करदिया। बीस बीस के २४ दस्ते हुए जिनमें से रिजर्व फोर्स अलग निकाल कर तीन स्थानों पर सुरक्षित रखदिया। बाकी फोर्स को कई स्थानों पर ऐसा बांटा कि लोग समझने लगे कि हमारी संख्या लगभग १५०० होगी। सारे बुलडाणा के अन्दर बाहर हमारे फौजी बिगुल बजरहे थे। लोग हमें देखने एक तरफ दौड़ते तो हमारा दूसरा एक जत्था दूसरी तरफ व तीसरा जत्था तीसरी तरफ दिखाई देता था। कलाल लोग तिलक सराय में ठहरे हुए थे उस सराय को घेर कर कलालों का हमने आना जाना बन्द कर दिया केवल वे ही कलाल लोग बाहर निकल सकते थे जो बुलडाणा से बाहर जाना चाहते हों। और इस प्रकार कलाल लोगों ने बुलडाणा छोड़कर भागना आरम्भ करदिया। प्रात:काल से पुलिस के जत्थों के बीच में होकर कलालों को डी. सी. की कचहरी की तरफ लेजाया जाता। प्रथम तो वे तिलक सराय से निकल ही बड़ी कठिनाई के साथ पाते। यदि यहां से किसीकदर निकल भी जाते तो आगे हमारे स्वयंसैनिक कई जगह पुलिस के घेरे के बीच में घुसकर उनके आगे धरणा जा देते व किसी कदर डी. सी. के कार्ट तक पहुंच जाते तो हमारे स्वयंसैनिक वहां घेरा डाले खड़े ही पाते। इस प्रकार प्रथम दिन समाप्त हुआ व एक भी कलाल डी.सी. की कचहरी तक नहीं पहुंचने पाया।

संध्या के समय डी. सी. आदि सरकारी अधिकारी अपने मकान पर चले गये। हमें भी भोजन की याद आई तो मैं देखता हूँ कि एक सज्जन चने व मुर मुरे के बोरे भरकर हमारे लिये लाये हैं। औरों के लिए तो चने थे व मेरे लिये कलाकंद था। मैंने भी चने ही लिये व कलाकंद सबों में बांट दिया। शाम को दाल, चांवल, फुलका, लड्डू चिवडा आदि नाना पक्वान्नों का भोजन वहां के नागरिकों की तरफ से हुआ। इसके बाद में प्रतिदिन बुलडाणा के नागरिक हमारे भोजन की बड़ी ही अच्छी व्यवस्था रखते रहे।

दूसरे दिन पुलीस अधिकारियों ने अपनी पूरी ताकत लगादी। हमारी भी अहिंसा की शक्ति थी। हम तो कलालों के आगे धरणा देकर बैठ जाते थे व उनको आगे बढने नहीं देतेथे। आज कुछ कलालों को लेकर हथियार बंद पुलिस आगे बढने लगी। डी० सी० की कचहरी के कंपाउंड के मुख्य दरवाजे पर स्वयंसैनिकों पर लाठी से हमला हुआ। मैं दौडकर वहां पहुचा एक पुलिस ने मेरे सिर में संगिन का हलका सा प्रहार किया, मेरे सिर से खून टपकने लगा। बस क्या था सारा बुलडाणा उलट गया। सारा गांव ही स्वयंसैनिक बन गया। सरकार ने शराब की दुकानों की हर्रासी करना मौकूफ कर दिया। एक भी दूकान की ठेकेदारी सरकार हर्रासी नहीं कर सकी। सरकार ने अपना सारा कार्य दीर्घ समय के लिये स्थागित कर दिया। हमारी बात रह गई।

मेरा आत्म विश्वास बढगया था। सफलता पर सफलता मुझे मिलती जा रही थी। सारे प्रांत के व बंबई आदि के अखबार भी प्रति दिन मेरे

कामों की तारीफ करके मुझे उत्साहित करते ही जाते थे। प्रांत की जनता के हृदय में भी मेरा घरथा, मेरा परिश्रम सफल होता जारहा था। वह दिन निकल चुके थे, जब हम गांव में प्रचार करने जाते थे तो गांवों के लोग अपने गांवमें हमें टिकने नही देते थे। रातको गांव के बाहर हम खेतों में रहकर रात बिताया करते थे। हमें गांव के दुकानदार चने वगैरह भी मोल नहीं देते थे। हम भाषण करते तो लोग हमारा भाषण सुनने के लिए नहीं आते थे व यदि कोई आता भी तो उसे सरकारी नौकर और गांवके पटेल पटवारी तंग करते थे। हमें सभा करनी रहती तो हमको पैदल ही यात्रा करनी पडती। हमको ही बिछायत ले जानी पडती। लोगों के बैठने की जगह भी हम ही झाडते थे व घर २ जाकर लोगों को सभा में आने के लिए भी हम ही कहते फिरते तब कोई सभा में आते तो आते। दो तीन मौके पर तो दिवाल व पत्थरों को संबोधन करके ही मुझे भाषण देने पडेथे। क्योंकि भाषण सुनने भी कोई उपस्थित नहीं हुआ था। अब तो मेरी समानान्तर सरकार गांवों में स्थापित हो चुकी थी। मैं बारडोली सत्याग्रह का सरदार वल्लभभाई का उदाहरण सामने रखकर सरकार को भूमि लगान या किसी भी प्रकार का कर न देने का निश्चित आंदोलन करने का संकल्प कर रहा था। इस लिए हमारे प्रान्त के सप्त संचालकों की एक कमेटी आकोला में विचार विनिमय करने के लिए एकत्र हुई। उस समय के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक मेम्बर व हिन्दुस्तानी सेवादल के जन्मदाता डा० ना० सु० हर्डीकर भी विचार विनिमय करने के लिए हमारी कमेटी में उपस्थित रहे। मेरे आग्रहवश करबंदी आन्दोलन

करने का निश्चय किया गया हमारे मार्ग में क्या विशेष आपत्तियां आयेगी, व प्रान्त तथा देश के कांग्रेस को मेरे लिये क्या करना पड़ेगा, यह जानने के लिए एक कमेटी बनाई गई। मैंने कर बंदी आन्दोलन की प्राथमिक तयारी आरंभ करदी। सरकार सचेत होगई। अब सरकार मेरी गिरफ्तारी का मौका ताकने लगी व मैं हो सके वहां तक बचकर चलने का मार्ग ढूंढने लगा।

अब सरकार ने एक कूटनीति की चाल चलना आरंभ कर दिया। हमारे जिलों के दक्षिण भाग में सरकारी नौकरों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जातीय विद्वेष को पनपाया गया। बरार व दक्षिण भारत में व्याज व लेन देन का काम करने वाले अधिकतर पूंजीपति राजस्थानी ही हैं। वहां पर राजस्थान निवासियों को मारवाड़ी कहा जाता है। मारवाड़ी शब्द का अर्थ वहां पर पूंजीपति एवं किसान व मजदूरों का खून चूसने वाला करते है। इन लोगों की दुकानदारी छोटे २ गांवों में भी खूब चलती है, एक गांव में दो चार घर इन मारवाड़ीयों के होते हैं और अन्य सब वहां के किसान मजदूर आदि मराठे लोगों के होते है। मारवाड़ी लोग अपने पूंजीपती स्वभाव के अनुसार लोगों का शोषण करते है, जनता इनका द्वेष करती रहती है व समय मिलने पर इन लोगों से बदला लेने का मौका ताकती रहती है, सरकारी अफसरों ने इस वृत्ति से लाभ उठाना चाहा, मैं जब करबंदी आंदोलन की तैयारी कर रहा था, तो ठीक उसी समय सारे जिले में खासकर जिले के दक्षिण भागों में गांव २ में मारवाड़ी विरुद्ध अमारवाड़ी दंगा शुरू हो गया। इस समय हम वहां से

पचास साठ मील दूर, जिले के मध्य व उत्तर भाग में थे। गांव २ में इन मारवाड़ी कहे जाने वाले राजस्थानी लोगों के घर जला दिये गये, सम्पत्ति लूटली गई, स्त्रियां भ्रष्ट की गई, कई बच्चे भी मारे गये, शरणार्थी दौड़ दौड़ कर हमारे पास पहुँचे। हर तरफ अफवाह फैल गई के कांग्रेस के लोगों ने यह बलवा कराया है। यदि कोई आपत्तिग्रस्त उस समय किसी सरकारी अफसर के पास, पुलिस या न्याय विभाग के पास भी पहुँचता तो उसे साफ कह दिया जाता कि कांग्रेस को मदद करने का यह फल चखलो। जाओ अब न्याय व सहायता के लिए कांग्रेस के पास जाओ, अर्थात सरकार ने दंगा बढ़ाने में पूरी सहायता की, ऐसी अशांत व गड़बड़ी की परिस्थिति हो जाने के कारण मुझे प्रांतीय कांग्रेस व कांग्रेस हाई कमाण्ड से अपना कर बन्दी आंदोलन कुछसमय के लिए स्थगित कर देने का आदेश प्राप्त हुवा तदनुसार यह कर बंदी आंदोलन स्थागित किया गया।

अब तक के अनुभव से मैंने यह जान लिया था कि एक आश्रम जैसी संस्था स्थापित हो, जिससे लगातार सारे प्रान्त में प्रेरणा मिलती रहे, जिससे जनता में जाति द्वेष व साम्प्रदायिकता न पनपने पावे एवम् विशिष्ट मनोवृत्ति रहते हुए सारे प्रांत को स्वयंसैनिकों में (यथा समय देश के संकट काल में) बदला जा सके, एक दिन फिरते २ मैं पूर्णा व ज्ञान गंगा के संगम स्थान पर पहुँच गया, स्थान पसंद आगया व उसी समय मेरे साथ के एक स्वयंसेवक को वहां बैठा करके " सिद्धेश्वर स्वराज्य आश्रम चेलली " की मैंने स्थापना करदी आस पास से कुछ घास फूस लाकर वहां दो झोंपड़िया बनाली। महादेवजी का एक मन्दिर वहां पहिले से ही था।

आगे चलकर दो बड़े २ तंबू हम को मिल गये वे भी खामगांव से जहां हमारा कांग्रेस युद्ध समिती का कार्यालय था यह आश्रम १८ मील दूर था। मैं प्रति सप्ताह दो या तीन दिन आश्रम में जाकर रहने लगा, बाद में आश्रम में बुनना, कातना आदि धंधे भी शुरु हो गये, यहां से प्रचारक तैयार करके विभिन्न तहसीलों में पहुँचाये जाते थे। मैं यदि कहीं जाता तो अब मेरा लवाजमा तंबू, डेरा आदि सब साथ जाता था, जहां पहुँचते हजारों लोग आकर इकठ्ठे हो जाते, जो इच्छा करते वही काम होता। एक दिन हमारी इच्छा हुई कि आस पास के १०० गांवों को भोजन (जेल का खाना) दिया जावे। आश्रम के पास केवल पांच छै रुपये की पूंजी थी। हमने इसका निश्चय करके गांव २ में एक सप्ताह बाद की तिथी निश्चित करके हमारे इस आश्रम में भोजन करने आने का निमंत्रण दे दिया, जिले के कार्यकर्त्ताओं को व्यवस्था करने के लिए बुलवा लिए, दुसरे जिले से भी लोग आये महात्मा गांधीजी की पुत्रवधु सौ० सुशीला देवी भी आगई प्रथम समस्या तो यही हुई की यह व्यवस्था कैसे पूर्ण हो? आये हुए लोगों को क्या खिलाया जाए। लोग आश्चर्य करने लगे कि मैं हजारों आदमियों को भोजन कैसे दूंगा, मेरे सामने प्रश्न आया तो मैं भी कुछ नहीं समझ सका। अंत में मैंने ईश्वर प्रार्थना की व लोगों को मेरी प्रतिक्षा करने के लिए कहकर कुछ स्वयंसेवकों को साथ लेकर झोलियां लेकर मैं भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। गोलेगाव में मैं सर्व प्रथम गया तो गांव के लोग

मुझे देखकर चकित होगये, मैं मराठी भाषा में श्लोक बोलते हुए घर २ भिक्षा मांग रहा था। स्त्रियां, बच्चे व बूढ़े सभी अनाज ला लाकर हमारे सामने रखने लगे आध घंटे में उस गांव में हमें एक गाडी भर कर अनाज मिल गया। मुझे भिक्षा मांगते सुनकर आस पास के गांव से अनाज ही अनाज आगया। येरली में हरिजन स्त्रियों को छोड़कर अन्य सभी स्त्रियां परदे में रहती है। परंतु मेरे काम के लिये वे सब रोटीयां बनाने आगई। निश्चित तिथी को एक सौ गांवों में से कोई दस हजार लोग वहां पर भोजन करने पधारे। सबों को भोजन कराया गया। पानी का इंतजाम हमने कुछ नही किया था केवल बहती हुई नदी के किनारे लोगों को बैठाकर भोजन करने के पश्चात या बीच में नदी में से हाथों से लेकर पानी पीते रहने को कह दिया गया था। उस रोज आश्रम पर प्रथम बार मेले की कई दुकानें लग गई, वहां मोटर का रास्ता नहीं था परन्तु कई मोटरें आ पहुची व मोटर का अच्छा सा रास्ता भी लोगों ने बना लिया।

इसके पूर्व बुलडाणा में शराब की दुकानों की दर्रासी के विरोध में कियेगए काम का उल्लेख होचुका है। उस समय एक कलाल डी.सी. की कचहरी के कम्पाउण्ड के पास पोष्ट के एक पाखाने में जाकर छिप गया था, उस पाखाने का ताला मेरा एक स्वयंसैनिक बन्द कर आया था इसलिए रातभर उस कलाल को उस पाखाने में ही रहना पड़ा था व मेरे कारण इस प्रकार के अपमान शराब बेचने वालों को भोगने पड़े थे। शराब बिक्री भी कम होकर मेरे ही कारण उनको बहुत अधिक

आर्थिक हानि उठानी पड़ी थी, सो जिले के सब व प्रान्त के कुछ कलाल लोग मेरे विरुद्ध आगबबूला होरहे थे। मौका पाकर मुझे कत्ल करने का सोच रहे थे। इसी बीच एक दिन मोतीलाल कलाल खामगांव आगया। मेरे स्वयंसैनिक व नगर के विद्यार्थी शराब खोर व शराब फरोश कहकर उसकी मोटर के पीछे लग गए। संयोग वश उसकी मोटर फेल होगई, विद्यार्थियों ने उसके पास का पेट्रौल नष्ट करदिया व उसे तंग करनेलगे। वह मेरे पास आया व प्रथम तो मुझे लोभ बता कर मुझे अपना बनाना चाहा बाद में धमकियां दीं इसपर मैंने ऐसा इन्तजाम कर दिया जिससे उसे खामगांव में पेट्रौल उधार या मोल नहीं मिल सका। तब इस कलाल को खामगांव से दूर १३ मील से नांदुरा नामक नगर से पेट्रौल मंगवा कर तब जाना पड़ा। तब तक इसको यहां भोजन भी नहीं मिल सका। मोतीलाल कलाल कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। वह अपनी लाठी के बल से जलगांव नगर की म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन भी बना हुआ था, हमने देखा था कि उसके विरुद्ध अपना मत देने पर म्युनिसिपल कमिश्नर्स पीटे जाते थे व बेइज्जत होते थे, और केवल इसी डर से वे मोतीलाल को मत देकर अपना चेयरमैन बनालेते थे। जलगांव तहसील हमारे जिले के उत्तर भाग में है व इस तहसील का उत्तरी भाग सातपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वह इस जगह की भील आदि वन्य जातियों के द्वारा डाके डलवा कर धन भी कमाया करता था। उसके शराब की कई दूकानें थीं। उस समय के सी. पी. व बरार के गवर्नर तक इसकी पहुंच थी। सारे बड़े बड़े सरकारी अधिकारी इसके

दबाव के अन्दर थे। आदमी भी अपनी धुन का पक्का था। उसने मेरा कत्ल करके अपने अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा की और मैंने उसकी शराब की सभी दूकानें बन्द करवाने की प्रतिज्ञा की। लोग मोतीलाल कलाल के नाम से कांपते थे, घृणा करते हुए भी कोई एक शब्द भी इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। एक दिन एकाएक हमारी उसकी प्रत्यक्ष भिड़न्त होगई। सोमवार का दिन था, मुझे मोतीलाल कलाल का कांग्रेस की शक्ति को चैलैंज देते हुए जिला कांग्रेस के मन्त्री के नाम से एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि कांग्रेस में ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसे उसकी मां ने दूध पिलाया हो! तो वह कल मेरी आसलगांव की शराब की भट्टी पर आकर धरणा देवे। मैं समझ तो गया लेकिन चैलैंज का इनकार कैसे करता। मैंने आह्वान स्वीकार करलिया व मोतीलाल कलाल को सन्देशा भिजवा दिया कि मेरी मां ने दूध पिलाया है, मैं कल ११ बजे तेरी आसलगांव की दूकान पर शराब बिक्री रोकने के लिए पहुँचूंगा। आसलगांव हमारे खामगाँव से २६ मील व मेरे आश्रम से ६ मील था। मैं रातों रात चल कर आश्रम आया, क्यों कि मेरे साथ मरने के लिये तैयार रहने वाले केवल ८ स्वयंसैनिक ही उस समय खामगांव में थे। आश्रम पहुँच कर यहां से ११ स्वयंसैनिक साथ लिये व प्रातःकाल पैदल यात्रा करते हुवे मोतीलाल की शराब की दूकान पर धरणा देने चल दिये। गांव गांव के लोग हम को समझा रहे थे कि हम वहां धरना देने न जावें। वहां की पैशाचिक तैयारी की सूचना भी लोग हमें देरहे थे। हम प्रातः १० बजे

आसलगांव पहुँच गए। रास्ते में जनता ने हमारा दूध आदि पिलाते हुए खूब सत्कार भी किया था। हम फूल मालाओं से लदे हुवे थे, आज हम जनता के लाडले बन रहे थे। हम आसलगांव के बाहर ठहर गए। आज इस गांव का अठवाड़ा था, दो एक हजार जनता भी बाहर गांवो से आई हुई थी। उस तरफ मोतीलाल कलाल बिगुल, ढोलक, बैंड नगारे आदि रण वाद्यों के साथ भील आदि पहाड़ी जातियों के लोग, मुसलमान व सांसीयों आदि एकसौ गुण्डों को शराब पिला कर भाला, कुल्हाड़ी बरछी आदि हाथों में दिये खड़ा था। मोतीलाल कलाल को ही मदद करने के लिए सशस्त्र पुलिस इंस्पेक्टर अपने दल के साथ मौजूद था मैंने परिस्थिति की गम्भीरता देखकर स्वयंसैनिकों को चेतावनी दे दी कि जो आज मातृ-भूमि के लिये मरना चाहे वह ही मेरे साथ रहे दो दो स्वयंसैनिकों की टोली एक के पश्चात् दूसरी भेजना तय किया अब शराब की भट्ठी से कोई १५० गज के फासले पर हम पहुँच चुके थे। हजारों आदमी हमारा धरणा देखने आ इकट्ठे हुए। मोतीलाल कलाल की आंखों से आग की चिनगारियां निकल रही थीं। वह शराब की दूकान से कुछ आगे बढ़ा हाथ में भरी बन्दूक थी, गुण्डे का शराब पिया हुआ दल था। इस तरफ से मैं आगे बढ़ा अहिंसा सत्य मेरा बल था। मैंने श्री बालकिसनजी व श्री पोतदारजी को आगे बढ़ कर शराब बन्दी की घोषणा करते हुए धरणा देनेका आरम्भ करने का आदेश दिया। मोतीलाल कलाल कुछ देरतक तो स्तम्भित सा रह गया, वह नहीं सोच सका था कि उसका भी इस प्रकार कोई मुकाबला

कर सकता है। मोतीलाल ने भी गुण्डों को ललकारा व मेरे स्वयंसैनिकों की कत्ल करने को कहा। उन शराबियों ने इन स्वयंसैनिकों को शराब की दूकान की दीवाल पर दे मारा बादमें उनको इतना पीटा कि श्री पोतदार को मरा जानकर गांव के बाहर एक नाले में फैंक आए व श्री बालकिशन जी को शराब की दूकान के अन्दर एक कोने में डाल दिया। मैंने श्री बंशीलाल जी चांडक व श्री चन्द्रभान जी को आगे बढ़ने का आदेश पुनः दिया वे आगे बढ़े और महात्मा गांधी की जय की गर्जना की ही थी कि उनका भी वही हाल हुआ, इसी समय मोतीलाल कलाल सारे शराबियों को लेकर मुझ पर टूट पड़ा। पुलिस वालों ने भी बहती गङ्गा में हाथ धोलिये। एक कांस्टेबल ने मेरे शिर पर संगीन का प्रहार किया, दूसरे भील ने मेरे शिर पर कुल्हाड़ी मारकर मेरी खोपड़ी कोई डेढ इंच चीर डाली। मुझे पैर पकड़ कर घींसते हुए शराब की दूकान में लेजाकर डाल दिया। शराब की दूकान हम लोगों के खून से लथ-पथ होगई। इस समय मोतीलाल कलाल मुझे मरा समझकर मेरी लाश की बलाते हैं के – दुर्दशा करने को कहरहा था, कि मेरी हत्या के समाचार उस गांव में, आस पास के गांवों में व एकत्रित लोगों में बिजली की तरह पहुँच गये। सारी जनता मोतीलाल कलाल व शराबी लोगों के ऊपर हमला करने के लिये, जिसको जो भी हथियार मिलसका लेकर के आ पहुँची। मोतीलाल कलाल ने जब देखा कि जनता का समुद्र अब क्षुब्ध होगया तो वह तथा अन्य शराबी लोग वहां से छिप कर भाग निकले। पुलिस ने उलटे मेरे ही स्वयं सेवकों को कुछ घण्टों के लिये गिरफ्तार कर

लिया था। मेरी हत्या के समाचार सारे प्रान्त में बिजली की भांति पहुँच गए। सन्ध्या के समय तक खामगांव, अकोला, अमरावती आदि दूर दूर के कांग्रेस कार्यकर्ता व अन्य लोगों के झुण्ड के झुण्ड वहां पहुँच गए। दो घण्टे बाद मुझे होश आगया था। मुझे उस समय यह जान कर प्रसन्नता हुई कि उस दिन मेरी बात ईश्वर ने रख ली थी। आज के दिन से मोतीलाल कलाल का प्रभाव नष्ट होना आरम्भ होगया। अगले सप्ताह में मैंने मोतीलाल कलाल को चैलेंज दिया कि वह आसलगांव में आकर शराब बेचे। दूसरे सप्ताह में अठवाड़ा के दिन कोई ६०० स्वयंसैनिकों ने शराब की दूकान पर धरणा दिया। परन्तु शराब की दूकान तो कभी की बन्द होचुकी थी। अब वहां का बच्चा बच्चा मोतीलाल कलाल का जानी दुश्मन बन चुका था। सरकार ने मोतीलाल की पूरी तरह मदद की परन्तु अन्त में सरकार को ही उसे एक डाके के व कुछ चोरी हत्या आदि के जुर्म में कुछ वर्षों के बाद गिरफ्तार करना पड़ा। जनता पीछे पड़े बाद सत्य को कोई नहीं छिपा सकता। मोतीलाल कलाल पर सरकार को मजबूर होकर मुकदमा चलाना पड़ा। उसे दीर्घ काल की जेल की सजाएं हुईं। एक दिन ऐसा आया कि हम लोग भी राजनैतिक नजरबन्द बन कर जेल गए तो उसी जेलखाने में मोतीलाल कलाल भी अपनी सी क्लास की जेल काट रहा था। वहां पर हमारे बरतन साफ करने वाले व कपड़े धोने वाले जो कैदी आया करते थे उन लोगों में एक मोतीलाल कलाल भी था। मैं ने उसको बुलाकर उस से अपने जूते साफ करवाये व कहा "लाला जी जय रामजी की! शराब व डाके का पैसा तुम्हें नहीं बचा सका!!"

कुछ दिनों के पश्चात् मेरे शिर का जख्म अच्छा होगया । मैं बरा-बर कांग्रेस का काम करता रहा । सरकारी अफसर मुझे प्रायः भयभीत दृष्टि से देखते थे । मेरी गिरफ्तारी का प्रयत्न होने लगा । मैं लगातार गावों में घूम घूम कर काम करता रहा । सरकार से सामना करने के लिए जनघन की शक्ति बराबर बनाये रखने में मैं सदा ही सफल रहा । सरकारी वारंट मेरे पीछे लगगया । सार्वजनिक स्थानों में सरकार मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती थी । गांवों मेंभी सरकार मुझे गिरफ्तार करती तो अशांति का डर था व मैं भी आज अभी इस गांव में तो थोड़ी देर बाद दूसरे गांव में पहुँचने लगा । सारे दिन में कोई पांच सात गावों में पहुँच जाता । गांवों के मुखिया के कांग्रेसी लोगों को मार्ग दर्शन करते रहता, इसी बीच महात्मा गाधीजी व उस समय के भारत के व्हाइसराय लार्ड अर्विन में समझौता होकर कांग्रेस द्वारा सविनय कानून भंग का आंदोलन स्थागित करने का आज्ञापत्र निकल गया व सरकार ने कांग्रेस के विरुद्ध लगाई गई पाब-न्दियां हटाली । हमारे साथी और सभी सत्याग्रही जेल से छोड दिये गये कांग्रेस युद्ध समितियां भंग होगई व उनके स्थान पर कांग्रेस कमेटियां साधारण कार्य करने लगगई, कांग्रेस का अधिवेशन करांची में होना निश्चित हुवा सरदार वल्लभ भाई पटेल सभापति चुनेगये । मैं भी बरार प्रांतीय कांग्रेस की तरफ से एक प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित होने करांची पहुँच गया अधिवेशन के लिए रवाना होकर बंबई पहुँचते ही खबर आई कि सरदार भगतसिंह को फांसी देदी गई, कांग्रेस अधिवेशन के ठीक समय पर सरकार यह जलेपर निमक

छिडक रहीथी, बंबई से समुद्र मार्ग से होकर जहाज द्वारा मैं करांची पहुँचा तो कानपुर में हिंदू मुसलमानों का दंगा भयकर रूप धारण करने की खबर मिली व दूसरे ही दिन श्री गणेशशंकर विद्यार्थी के शहीद होजाने की वार्ता सुनी। यू. पी. कॅपमें शोक सभा हुई। कांग्रेस अधिवेशन के पश्चात् मैं लाहोर, पेशावर, क्वेटा, चमन आदि की तरफ भ्रमण करने चलागया व मौका पाकर हिंदुस्थान की सीमा भी पार करके घूम फिर आया, यहां मैं प्रतिदिन सी. आई. डी. की आंखों में धूल झोंका करता था, चंद महिनों के पश्चात् मैं खामगांव वापिस आगया।

मेरा स्वास्थ्य अब काफी गिरगया था, एक डेढ वर्ष तक तो लगातार प्रतिदिन १६ से १८ घंटे तक मुझे परिश्रम करना पड़ा था। भोजन शायद ही किसी दिन नियमित मिला होगा। किसी किसी दिन तो फाका ही होजाता था, कभी चनों पर ही गुजर करनी पडी थी। मैं विद्यार्थी दशा में था, मेरे अध्ययन की भी काफी हानि होचुकी थी, भविष्य में मैंने मेरे अध्ययन व रिसर्च कार्य की तरफ पूरा ध्यान देने का निश्चय किया। व अध्ययन में से कुछ निश्चित समय बचाकर मैंने आश्रम के संचालन का काम करते रहने का भी संकल्प करलिया। आश्रम का उद्देश सारेप्रांत का स्वयंसैनिकी करण करने का था, जिससे समय आनेपर मैं सारे बरार प्रांत को सैनिक के रूप में बदल कर देश की सेवा में बलिदान कर सकूं, कांग्रेस समितियों के नये चुनावों में मैंने कोई भाग नहीं लिया तोभी कांग्रेस की स्थानीय कार्यकारिणी व कुछ कमेटियों का मैं सदस्य नामजद होगया व बनती सो सेवा करता ही रहा।

ग्राम विभाग के लोग मेरी बात को मानते हुए यदि उनके ऊपर आपत्तियां बरसती तो भी वे सहर्ष आपत्तियां झेललेते थे। लेकिन मेरीबात को टालते नहीं थे, मैं जब प्रथमबार येरली ग्राम में आया था तब ग्राम के लोगोंनें एक होकर मुझे गांव से बाहर भगाने का प्रयत्न किया था। किसीने कोई मकान किराये पर देनेसे या कोई चीज मोल देनेसे भी इनकार करदिया था, मेरी सभा में एकभी आदमी नहीं आता था व लोग अपने मकानों के सामने खड़े होकर हमें बात भी नहीं करने देतेथे। आज परिस्थिती कुछ और थी, करबंदी का आंदोलन स्थागित करदेने पर भी मैंने इस गांव में करबंदी आंदोलन का एक उदाहरण के तौर पर काम करना चाहा मैंनें गांव के लोगों से Land Ravenue—भूमि कर न देने के लिए कहदिया व लोग तैयार होगये। सरकारी अधिकारी साम, दाम भेद आदि प्रयत्न करके तंग आगये आखिर में सशस्त्र पुलिस लेकर पुलिस अफसरों ने गांव को आ घेरा। लोगोंनें अहिंसा व असहकारिता के साथ उनका सामना किया, सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों से लोगोंने बात भी करना बंद करदिया, सरकारी आदमी कुछ भी करें, सब लोग मौन रहते, गांव के पुरुष वर्गनें मौन लेलिया था बिचारे सरकारी नौकर जिसमें फर्स्टक्लास मजिस्ट्रेट भी था, दो दिन व दो रात तक पेड़ों के नीचे पडे रहे। किसीने बात तक नहीं की, अब सरकारी लवाजमा किसानों के घर कुर्क करने चलातो, लोगोंने अपने घर ऐसे बदले कि, जाते एक के घर तो पाते उस घरमें किसी अन्य को, वहां दूसरों के बाल बच्चे रहते देखकर शर्म से वापस लौट जाते।

अन्त में पटेल पटवारियों को धमकाकर किसी कदर कुछ किसानों के घर निश्चित करके उनमें का सामान कुर्क करना निश्चित हुआ। १५ हथियार बंद पुलिस, ३ हेडकॉंस्टेबिल, २ सब इंसपैक्टर १ फर्स्टक्लास मजिस्ट्रेट और १५ के अन्दाज में अन्य कर्मचारियों का दल एक किसान के घर पहुँचा, घर को ताला लगाहुआ था। किसान के लड़के की पत्नी खड़ी थी, प्रथम तो उसने ही किसी सरकारी कर्मचारी को मकान के पास नहीं आने दिया व जब किसी कदर ताला तोड़कर उस घर में पहुँचे तो वहां एक मोटी पेटी के सिवाय कोई सामान नहीं था (हम मकान में सामान भी कैसे रहने देते क्योंकि हमें तो पुलिस की कार्रवाई की सारी खबर पहिले ही प्राप्त हो जाती थी) जब इस पेटी को खोलकर पंचनामा के लिए दूसरे गांव से लाये हुए पंचों सहित पेटी का सामान लिखने बैठे तो—पेटी में से एक से एक अजीब चीजें बाहर आने लगीं, सारे गांव के फटे पुराने बरसों से पड़े हुए व सड़े हुए जूते, मैले कुचैले रोडियों के ऊपर के गंदे चीथड़े आदि को बिचारों को कानून के मुआफिक पचनामा करके कुर्क करके वहां से उठाना पड़ा। सरकार के नाना प्रयत्नों के होते हुए भी इस गांव ने एक पैसा भी कर नहीं दिया। निराश होकर एक रात को पुलिस यहां से निकल भागी। बाद में कांग्रेस के आदेशानुसार गांधी अर्विन समझौते के कारण मेरे कहने से इस बेरली गांव के लोगो ने सारे गांव का कर इकट्ठा करके तहसील में पहुँचा दिया। बड़े पैमाने पर सामूहिक करबंदी का आन्दोलन तो मैं नहीं कर पाया परन्तु एक गांव में नमूने के तौर पर सफलता पूर्वक कर लिया था।

मेरी आयु का अब बाईसवां बरस चल रहा था। मेरे प्रांत के कुछ कार्यकर्ता मुझसे ईर्षा करने लग गये थे। क्योंकि सभी लोग अपने बलिदान की कीमत नेतागिरी के रूप में चाहते थे। जब कोई बलिदान में बराबरी नहीं करता व उसके उपलक्ष में पूरा आदर नहीं पाता है तो दूसरे आदर पाने वाले का आदर कम करवाने की सोचता है, यह पाश्चात्य संस्कृति की भौतिक आधार स्थित राजनीति है। मैंने भी जब देखा कि लोग मुझसे प्रेम करते हैं, बूढे बूढे लोग जिनकी गोदियों में हम खेले थे वे मुझे देखकर उठकर हमारा सम्मान करते हैं व उच्चासन देते हैं तो पहिले तो मैं बड़ा सकुचाया करता था। परन्तु बाद में चलकर मैं अपने आपको महत्व देने लग गया। मैं अभिमानी बनगया। यदि कोई मेरा योग्य आदर नहीं करता तो मैं भी अहंकारवश द्वेष से उसका अपमान करता।

परिणाम यह हुआ कि हमारे आपस में फूट पड़ती गई। मेरे कुछ प्रतिपक्षी इस समय स्थानीय कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारी थे। उन्होंने मेरा आश्रम अपने अधिकार में लेना चाहा। जिला कांग्रेस में सवाल सामने आया कि आश्रम कांग्रेस का है। क्योंकि आश्रम स्थापित किया तब मैं कांग्रेस का मंत्री था। वास्तविक बात यह थी कि मेरी योजनाओं के अनुसार रचनात्मक कार्य करने के लिए यह आश्रम मैंने राजनैतिक आन्दोलन से अलग स्थापित किया था। हमारा आपस का झगड़ा प्रांतीय कांग्रेस में पहुँचा। प्रांतीय कांग्रेस हम में से किसी को नाराज करना नहीं चाहती थी सो प्रांतीय कांग्रेस ने मौन धारण कर लिया। आखिर यह

विवाद लेकर मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी में गया जिसके सभापति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एक और विवाद इस समय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने हमारे साथ आयाहुआ था। अर्थात् बाबू सुभाष बोस भी मेरे ही साथ वर्किंग कमेटी के पास बंगाल प्रांतीय कांग्रेस व उसके सभापति डॉ० सेनगुप्ता के विरुद्ध पहुँचे थे। इन दोनों झगड़ों को निपटाने के लिए श्री एम० एस० अरणे को (जो अभी बिहार के गवर्नर हैं) हमारे पंच नियुक्त किए। श्री, अरणे खामगांव पधारे व हमारी दोनों पार्टी की बातें सुनी व मिसल तैयार करके सरदार वल्लभभाई के सामने रखदी। अन्त में कांग्रेस वर्किंग कमेटी व सरदार वल्लभभाई ने मेरे अनुकूल फैसला किया। सरदार वल्लभभाई ने व कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उस समय मुझे उत्साहित करते हुए रिमार्क दिया था कि एक साहसी, सच्चा देश भक्त व नेक नीयत लड़का। इन शब्दों ने आगे चलकर मुझे अपने सत्य के मार्ग पर दृढ़ रखा।

हमारे आपस में दलबंदियां बढ़गई व देश सेवा के बदले हम मित्र मित्र एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार करने लगगये। मैं राष्ट्र सेवा करता तो था। लेकिन मेरे घरके परिवार के सभी लोग मुझे कांग्रेस आंदोलन में जाने से सदा सेही रोकते थे। मेरे माताजी, पिताजी तथा नानीजी मेरा खूब विरोध करते थे। एक दिन मेरी नानीजी किसी प्रकार का विष हाथ में लेकर बैठगई व मुझसे कहने लगी कि कांग्रेस में जाओगे तो मैं जहर खाउंगी। मैं तो सदा सत्य का पुजारी था व न्यायोचित सत्य मार्ग से जाने में जोभी मूल्य चुकाना पडता चुकाने को तैयार था। मैंने नहीं

माना, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने जहर खालिया बादमें डाक्टर आये व उनको बचालिया। एकबार मेरे पिताजी नें आग्रह किया कि कांग्रेस आंदोलन में मैं भाग न लूं किन्तु न मानने पर उनके हृदय को गहरी चोट पहूंची वे वेहोश होगये। उनकी नाडियां छूटगई। मैं वापस घर लौट आया। डाक्टरों नें उनका उपचार किया तब वे ठीक होगये। माताजी ने तो कईबार उपवास किये। शिर छाती पीटली। परंतु मैंने अपना मार्ग नहीं छोडा मैं बराबर कांग्रेस की आज्ञानुसार चलता ही गया। इसके सिवा मैंने मेरे माता पिता की आज्ञा की कभी भी व किन्चित् भी अवहेलना नहीं की। मैं अपने माता पिता की सेवा करने में कभी कोई कसर नहीं रखता था। लेकिन कर्तव्य व सत्य को मैं सदा सर्वोपरि मानता रहा हूं। मैं अब मेरा अधिकतर समय अध्ययन में लगाया करता था। व थोडा बहुत समय जोभी बचा पाता मेरे आश्रम के कामों में व्यय करता। दुर्भाग्य वश अधिक वर्षा के कारण पूर्णा व ज्ञानगंगा में जिनके संगम पर यह आश्रम था, वाढ आगई व आश्रम बहगया। महादेवजी का मंदिर भी ढहगया व जो समान बचा था सो भी नष्ट प्राय होगया। इस घटना से कार्यकर्ता भी बिखर गये, मैं इसका पुनर्संगठन करने का प्रयत्न करना चाहता ही था कि मेरे स्वास्थ्य ने धोखा देदिया। अबतक किसी कदर स्वास्थ्य कायम रख सका था। परंतु अब तो जो गिरा सो पूरे ८ महिने बिछौने पर काटने पड़े पिछले सारे शारीरिक कष्ट व अनियमितता आदि सबका प्रभाव स्वस्थ्य पर होगया। इसी समय तिबेट, हिमालय व मध्य एशिया के प्रवास की योजनाएं तैय्यार करके एक बजरंदेही प्रवासी

त्तेजक मंडल की स्थापना की थी और कुछ नौजवान इस कार्य के लिए तैयार भी कर लिये थे वह योजना भी रहगई।

लार्ड विलिंगडन भारत के व्हाईसराय बनकर आगये थे उन्होंने गांधी-अर्विन समझौता भंग करके दमन करना प्रारम्भ करदिया था। पं० जवाहिरलालजी आदि नेता जेल भेज दिये गये थे। महात्मा गांधीजी भी विलायत से राउंड टेबल कान्फ्रेन्स से आतेही जेल भेज दिये गये। मैं रुग्ण शय्या पर पड़ा था तोभी मुझपर पुलिस की सख्त निगरानी बैठादी गई। मेरे सभी साथी जेल जा चुके थे। आंदोलन को शिथिल न होने देनेके प्रयत्न मैं कररहा था। जब मुझमें बिस्तरे से उठकर चलने फिरने की शक्ति आई तो मैं भी खामगांव से एकाएक गायब होगया। पुलिस हैरान थी। मैं बरार से लगाहुवा मोगलाई का परभणी नामक जिला है वहां जाकर आंदोलन का सूत्र संचालन करने लगा। लेकिन वहां मुझे पकडकर बिना पूछे ताछे परभणी जेल में बंद करदिया गया व कुछ दिनो बाद यौंही मुझे छोडदिया गया। अब मैंभी शासन को सताने की दृष्टि से या मेरे स्वास्थ्य की दृष्टि से या पंजाब युनिव्हर्सिटी में अध्ययन करने की दृष्टि से कहें, लाहौर आगया। लाहौर में अध्ययन के साथ साथ क्रांतिकारियों की संस्था स्थापित करने के उद्योग में लगगया। बम बनाना सीखना व सिखाने की व्यवस्था भी करने का सोच करके अंग्रेजी राज्य को नाश करने के उपाय ढूंढने लगा। एकदिन एकाएक मुझे गिरफ्तार करके मथुरा लाकर छोडदिया गया। यहांपर पंजाब की पुलिस ने मुझपर वारंट बताया जिसमें मुझे २४ घंटे में पंजाब के बाहर निकल जाने का

व आगे बिना पंजाब सरकार की इजाजत के पंजाब में प्रवेश न करने की आज्ञा थी।

अब मैं जयपुर आगया व मैंने अपने अध्ययन के लिए जयपुर को योग्य स्थान समझकर वहीं रहना आरंभ करदिया। मेरे तो चारों तरफ सी. आइ. डी. का मायाजाल बिछा हुआ था। मेरे छोटे से छोटे कामकी भी सरकार निगराणी रखती यहांपर मैंने सभी मोहल्लों में एकसाथ रहना आरम्भ करदिया। पुरानी बस्ती में श्री विसनदास पंजाबी रहा करते थे वे कपूरथला के निवासी थे वे वहांपर सशस्त्र क्रांतिकारियों के साथ में काम कर चुके थे वे मेरे साथी बनगये। उनका लडका श्री हरिश्चन्द्र महाराजा कालेज में पढता था उसको भी मैंने जा घेरा। पहिली चौपड पर एक श्री राधाकिशन नाई की दुकान थी। यह नाई पहिले खामगांव रहचुका था व मुझे जानता था। इसलिए इस दुकान को भी मेरे प्रचार का एक अड्डा बनालिया, तिसरा अड्डा आर्यसमाज के मंदिर को बनाने का प्रयत्न किया। चौथा अड्डा पानों के दरीबे में श्री बच्चीजी के यहां गया था। पांचवा व महत्व का अड्डा था जौंहरी बाजार में खादी भंडार। यहांपर स्वर्गवासी शेठ कपूरचंदजी पाटणी, स्व० शेठ केशरीमल जी कटारिया, व श्री केशरीमलजी अजमेरा आदि मुझे आवश्यक सहयोग देने लगे। साधारण राष्ट्रीय कार्यों में मुझे इनकी मदद मिल जाया करती थी। लेकिन मेरे गुप्त कार्य स्थानों के विषय में मैंने इनसे कभी कुछ भी नहीं बतलाया था। तो भी यह लोग उसे भांप गये थे व योग्य सहानुभूति भी रखते थे। अध्ययन के साथ ही साथ मैं महाराजा कालेज

के छात्रों में तथा नवजवानों में अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध घृणा फैलाने का काम लगातार करता रहता था। यहां के नौजवानों में कोई राजकीय जागृति नहीं पाई गई। मैं जयपुर की पिछली हड़ताल से जयपुर के लोगों को खूब उत्साही समझ बैठा था। लेकिन इस समय मैंने इनको उदासीन सा पाया।

यहां के विद्यार्थियों में मैं बगावत पसंद पार्टी का बीजारोपण नहीं कर सका था। मेरी गुप्त सभाएं कभी घाट दरवाजे पर तो कभी रामनिवास बाग में हुआ करती थी। यह सभाएं गुप्त रहा करती थीं, बम बनाने की शिक्षा भी हम दिया करते थे। मैं खूब अनुभव प्राप्त करचुका था। हालांकि मैं एकाएक सभी बातों को इस प्रकार प्रकट नहीं करता था कि जिससे मेरी असावधानी से हानि हो जाये तोभी इसबार मैं खूब फंसगया। खादी भंडार के पास से एक गली चौड़ेरास्ते की तरफ जाती है उसमें एक मकान में मुरारीलाल शर्मा बी. ए. बी. एस. सी. रहा करते थे। यह एम. ए. का अध्ययन कर रहे थे। आपने खद्दर भी धारण कर रखा था। आप मेरे मित्र बनगये। इनके जिम्मे मैंने प्रचार का काम देदिया। साईक्लोस्टाइल पर छपे परचे व साहित्य भी मैंने इनके यहां रखदिया आपही कुछ विद्यार्थियों को मेरी सभा में ले आते थे। राजपूताने में किसी की हत्या करने का हमारा विचार नहीं था। हम तो यहां बम फेक्टरियां चलाकर शस्त्रास्त्र निर्माण करना व रखना चाहते थे। हम तो लार्ड विलिग्डन के दमन का प्रत्युत्तर देना चाहते थे। महात्मा गांधी आदि नेताओं पर होने वाले जुल्म देखकर हमारा खून उबला करता था।

सो भी कुछ वरसों तक तो हमें केवल संगठन ही करना था। स्वराज्य प्राप्ति की निकट भविष्य में हमें कोई आशा नहीं थी। फिरभी भारत माता के स्वातंत्र्य के लिए केवल कर्तव्य व धर्म की दृष्टि से ही हम प्रयत्न कररहे थे। हमें तो विश्वास था कि हमारे जीवन में शायद ही भारत स्वतंत्र होगा। हां किसी महा युद्ध की आशा में हम अवश्य थे जिससे हमें मौका मिल जावे।

मेरे अध्ययन के साथ ही साथ मैं राजपूताना में बगावत पसन्द पार्टी के सङ्गठन करने की दृष्टि से राजपूताना के कुछ नगरों का दौरा कर के आज स्टेशन से उतरा ही था। मेरे स्वागत के लिए मुरारीलाल स्टेशन पर तैयार था। उसने मुझे अपने यहां भोजन करने को निमन्त्रण दिया मेरा स्वागत व मेरी अन्य व्यवस्था सदा ही मुरारीलाल किया करता था मैंने उस को घर तैयारी करने को भेज दिया व मेरा एक साथी श्री फकीर-चन्द नाई जिस को मैं खामगांव से ले आया था साथ लेकर उसके घर पहुँचा, वहां पहुँचकर मैंने देखा कि वहां तो भोजन की कोई तैयारी नहीं थी, मुझे शक होगया मैं वहां से एकदम वापिस लौट कर गुम होजाना चाहता था लेकिन कोई पचास कदम ही चला हूँगा कि सी. आई. डी. के गुण्डों ने मुझ पर हमला करदिया और गिरफ्तार करलिया गया। मेरी मुश्कें बांधी गईं जो तलाशी लेने के कुछ समय बाद खोल दी गईं, मुझे व श्री फकीर चन्द को पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट श्री चक्रवर्ती के सामने उपस्थित किया गया। बाद में शहर कोतवाली में लाकर बन्द कर दिया गया। संध्याकाल के समय मुझे पताचला कि मुझे गिरफ्तार करने

के बाद खादी भण्डार पर भी पुलिस का डाका पड़ा था– अर्थात् खादी भण्डार की भी तलाशी लीगई थी। श्री राधाकिसन के यहां से भी पुलिस मेरा सामान उठा लाई थी। परन्तु राधाकिसन ने आपत्ति-जनक साहित्यको मेरी गिरफ्तारी की खबर सुनते ही निकाल कर नष्ट कर दिया था। जो कुछ हथियार थे वे एकान्त में गुप्त स्थान पर रक्खे थे। पत्र व्यवहार नष्ट कर दिया करते थे। इस लिये पुलिस को मेरे पास में कोई आपत्ति जनक सामान नहीं प्राप्त हो सका। मेरी किताबें कपड़े वगैरह अवश्य ही पुलिस के हाथ लग गये। कुछ महत्त्व के कागजात जिन में रेगिस्तान तथा अन्य स्थानों पर वनस्पति के वैज्ञानिक निरीक्षण के मेरे अपने नोट थे, वह पुलिस को मिल गए। किताबों में फारसी के ऐम. ए. की परीक्षा के लिये आवश्यक अध्ययन की किताबें, कुछ योग व तत्वज्ञान की पुस्तकें, व कुछ अन्य पुस्तकें कुल ६० पुस्तकें थीं। हम बरार में एक स्वातंत्र सन्देश नाम का पत्र सायक्लोस्टाइल पर निकाला करते थे। वह पत्र अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध खूब आग उगला करता था सम्पादक का नाम तो किसी का भी लिखदिया करते थे। इस पत्र का छापाखाना व लेखक का पता लगाने का प्रयत्न सरकार की सी. आई. डी. ने पूरी शक्ति से किया था। यह पत्र शहर में ठीक समय पर बंट जाया करता था। लेकिन सरकार इस पत्र के विषय में कोई पता नहीं लगा सकी थी। इस पत्र के जैसा ही अनियमित पत्र यहां के फौजियों में भेज कर प्रचार करने का प्रयत्न मैं आरम्भ कर रहा था वह पत्र पुलिस को मिल गया। इन पत्रों से पुलिस को हमारे विरुद्ध काफी सबूत मिल सकते थे। परन्तु

यह कागज पुलिस इंसपेक्टर श्री फैजुल्ला खां ने हाथ में लिये व भूलकर के बाद में पुलिस के दूसरे कागजों पर रख दिये। दूसरा एक मुन्शी आया और उसने उसपर पुलिस के दफ्तर के बड़े बड़े रजिष्टर रख दिये व बाद में उन कागजों की किसी ने परवाह नहीं की। इस घटना से मैं यहां की पुलिस की योग्यता समझ गया। मुझे लेजाकर पुलिसथाने में नाटानियों की हवेली के एक कमरे में बंद कर दिया। मेरे दूसरे साथी को मुझ से दूर एक अलग कमरे में बन्द कर दिया। पुलिस ने हमें तंग करना शुरू किया लेकिन मैं जयपुर पुलिस को जान गया था मैंने उल्टा पुलिस को तंग करना आरम्भ कर दिया। पुलिस ने मेरे कमरे में एक गन्दे सांशी को लाकर बन्द कर दिया, इस सांशी को सूजाक की बड़ी बुरी बीमारी थी। मैंने पुलिस को मेरे कमरे से उसे हटा देने को कहा, परन्तु पुलिस ऐसे थोड़े ही मान सकती थी? अन्त में मैंने अनशन आरम्भ कर दिया। तब रात को उस सूजाकी सांशी को वहां से हटाया गया। जब थानेदार हमारे जँगलों के पास आता तो मुलजिम लोग खड़े होकर उस को सलाम करते या किसी कदर सम्मान करते थे मैं इस से ठीक विरुद्ध बरताव करता था मैं दीवार से टिक कर आराम से बैठकर थानेदार से बातें करता। पुलिस इंस्पेक्टर चिढ़ तो जाता था लेकिन क्या करता, मामला टेढ़ा था। छोटी छोटी बातों को हम आइ. जी. पी. व अदालत तक लिख भेजते थे। मैं ने थानेदार से कहा "मुलजिम वे हैं जो भारत को गुलाम रखने के लिये चंद चांदी के टुकड़ों में सरकार को बिक चुके हैं, हम वे हैं जो अपनी मातृ भूमि को स्वतन्त्र कराने के लिए लोहे की सीखचों में बन्द

है।" प्रथम २ तो थानेदार नाराज होता लेकिन आगे चलकर हमारे साथ सम्मान का बर्ताव करने लगा जब कभी दफ्तर में जाना पड़ता तो बराबर कुरसी दिया करता था। मुलजिमों को जोर से बोलने की मनाई थी किन्तु मैं जोर जोर से अपने साथी से बातें करता था, यहां पर मुलजिमों को स्नान नहीं कराया करते थे मैंने त्रिकाल स्नान सन्ध्या करना आरम्भ कर दिया था। मैं इन दिनों केवल पुलिस को तंग करने के लिये पूरा सनातनी ढङ्ग रच रहा था। पुलिस कांस्टेबलों को धर्म की हिन्दू मुस्लिम महात्माओं की कथाएं कहा करता था। पुलिस के जवानों में मैं बाबूसाहब बनगया था वे मुझे आवश्यक मदद करने के लिये मेरे पत्र किसी भी जगह लेजाकर पहुँचाने को तैयार थे।

प्रथम तीन दिन तक तो मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरे खिलाफ किस धारा के अन्तर्गत अभियोग लगाया गया है, चौथे दिन मुझे सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में Remand के लियेपेश किया गया। तब मुझे पता चला कि मेरे विरुद्ध दफा १२१ ए. ताजीरात हिन्द (बादशाह की सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करना) लगाई गई है। कलम तो सङ्गीन थी, परन्तु इस में मेरा गौरव भी था।

इस कोतवाली के मुख्य अधिकारी पुलिस इंस्पैक्टर श्री दुर्गादत्त नाम के एक ब्राह्मण सज्जन थे। इनसे केवल एक दो बार कुशल प्रसन्नता पूछने के सिवाय मेरा कोई सम्बन्ध नहीं आया था। दूसरे पुलिस अफसर फैजुल्लाखां व श्री धर्मसिंह थे, इनसे मेरा अच्छा संबंध आया। मुझे एक दिन श्री फैजुल्ला खां के कमरे में बुलवाया गया। श्री फैजुला

खां ने उठकर मुझ से हाथ मिलाया व मेरी बड़ी आवभगत की, कुछ मिठाई व शरबत मंगवा कर मुझे खिलाया पिलाया गया और बड़ी देर तक अखबारी बातें की। इसके दूसरे दिन मुझे फिर बुलाया व मेरी काफी तारीफ की व मुझसे कहा कि श्री. यंग आई. जी. पी. मुझ पर बड़ा प्रसन्न है। मुझे जो कुछ स्मरण है वह अन्दाजे से हमारे भाषण के रूप में लिख रहा हूं। उनके कमरे में प्रवेश करते ही—

श्री फैजुल्लाखां—आईये २, तशरीफ रखिये। कहिये मिजाज तो ठीक है? कोई तकलीफ तो नहीं है?

मैं—तकलीफ की दवा तो तुम्हारे पास होगी ही—

श्री फैजुल्लाखां—वाह, वाह, आप तो बड़े अच्छे मुहूर्त और नक्षत्र से जयपुर आये हो।

मैं—तभी तो सीधे हवालात में आ पहूंचा हूँ।

श्री फैजुल्लाखां—यार बड़े भाग्यवान हो, खुदा देता है तो ऐसे ही देता है। कल शायद आपके पास इतने नोट होंगे कि जिनके मारे आपकी जेबों में जगह ही खाली नहीं बचेगी। यंग साहब, हमारे आई. जी. पी. आप पर बड़े ही प्रसन्न हैं। अजी रीझ ही गये हैं।

मैं—क्या कहा—गप्प मत मारो। यंग साहब मुझे कब से जानने लगे?

श्री फैजुल्लाखां—तो क्या झूंठ कहता हूँ। साहब ! आपकी विद्वता की तारीफ हमारे सुपरिंटेंडेंट साहब चक्रवर्तीजी ने उनके पास बड़ी अच्छी तरह से की है।

मैं—अच्छी बात है तो फिर हमसे पढ़ने आया करो।

श्री फैजुल्लाखा—देखो यह कपुरचंद पाटणी और केशरीमल अजमेरा और कटारिया बड़े चालाक आदमी हैं और यह देशपाण्डे तो बाबा गुरुघंटाल है। ये खादी भंडार वाले सब ऐसे ही हैं। देखिये न आप जैसे भोले भाले विद्वान व्यक्ति को आगे करके जेल भेज दिया। और आप साहुकार बन बैठे हैं। बोलो कहिये आपको जयपुर तो इन्होंने ही बुलाया था ? फिर अब छुडाने के लिए क्यों नहीं आते।

मैं—मुझे इन लोगों ने नहीं बुलाया, न इन्होंने मुझे कुछ करने को ही कहा।

श्री फैजुल्लाखां—यार क्यों छिपाते हो, देखो यंग साहब आप पर प्रसन्न हैं, अगर सच्चे हालात बतला दोगे तो मालामाल होजाओगे। देखो मैं सच कहता हूँ, ये लोग अच्छे नहीं हैं। यार यंग साहब की मेहरबानी से फायदा उठालो।

मैं—मेरी संध्या का समय होने आया है, मुझे अब समय नहीं। कहकर मैं बंगले में आगया। दूसरे दिन श्री धर्मसिंहजी जो यहां एक जाट पुलिस इंसपेक्टर थे मेरे पास बात चीत करने आ पहुँचे। मुझे चाहने

लगे कहने लगे, मेरी ब्राह्मणोंपर बडी भक्ति है, कुछ देर तक मुझे भूदेव बनाकर मेरी तारीफ के पुल बांधने लगे और फिर मुझे घरका आदमी बनाकर श्री फैजुल्लाखां जोकुछ पूछे उन सब बातों का पूरा जवाब देने में मेरा बहुत बडा लाभ बताने लगे। इसके दो चार दिन पश्चात् एक दिन हम सब एक कमरे में एकत्रित हुए, श्री फैजुल्लाखां ने श्री कपुरचंद जी पाटणी, श्री केशरीमल जी अजमेरा व कटारियाजी को फांसने के लिए अपने आप से ही पूछकर मेरे मौन को सम्मति जानकर मेरा बयान तैयार किया व मुझसे दस्तखत करने को कहा, मैंने कहा यह तो फैजुल्लाखां ने जो मनगढंत कहानी कही हैं वह मैंने सुनी है; इसके सिवाय मैं कुछ नहीं जानता। उस दिन पीछे श्री फैजुल्लाखां ने मुझ से बोलना बंद कर दिया।

हवालात में जो भोजन दिया जाता था, उसकी रसीद के नाम पर हवालात का मोदी एक रजिस्टर में दस्तखत कराया करता था। जिनको लिखना नही आता था वे अंगूठे की निशानी कर दिया करते थे। एक दिन मेरे कमरे में तीन मुलजिम लाकर बंद कर दिये गये। एक कोई सीकर की तरफ का सिकलीगर था दूसरा अमीरखां व तीसरा अब्दुला था। अब्दुला के हाथ पर नारायण हिंदी में खुदा हुआ था, कान भी बिंधे हुए थे। आगे चलकर मुझे पता चला कि स्वर्गीय श्री बालजी खवास के किन्हीं भतीजों में से यह नारायण भी था व बाद में कुसंगति से मुसलमान बन गया था। यह तीनों अनपढ़ थे। मैंने इन तीनों में से एक को उर्दू व दो को हिन्दी में दस्तखत

करना सिखा दिया, दीवारों की चूने की पपड़ी व जमीन की फर्श यह हमारे स्लेट पेन्सिल थे। संध्या समय जब मोदी रजिष्टर लेकर आया तो इन लोगों ने अंगूठे की निशानी न करते हुए दस्तखत कर दिये। कुछ देर बाद इस पढ़ाई की घटना का पता सारी कोतवाली में चल गया। उन से रजिष्टर में फिर अंगूठा लिया गया व दस्तखत बिगाड़े गये। अब मुझे अकेला ही रहने को कहा गया, क्योंकि फिर मैं और किसी को न पढ़ा दूँ।

मुझे कुल १८ दिन तक हवालात में रखकर कई दफाएं बदली गईं व अंत में दफा १०८ ताजीरात हिंद में मेरा चालान किया जाकर ता० २८ जून १९३३ को मेरी आयु के २३-२४ वे वर्ष में जयपुर सेंट्रल जेल में अंडर ट्रायल तरीके मेरा प्रवेश कराया गया। मेरे साथी श्री फकीरचंद को छोड़ दिया गया।

जेल में मुझे अन्य कैदियों के समान रखने का प्रयत्न किया गया। मैंने इस पर आपत्ति की जिसके परिणाम स्वरूप मुझे एकांतवास की सजा हुई। जो कि बिना किसी पेशी के जेल के जमादार ने ही देदी। रात भर अकेला एक कोठरी में बंद रखा गया। जून की रात थी, रात को किसी ने मुझे पीने को पानी भी नहीं दिया। प्रातःकाल जेलर श्री अहमदअली आये। मैं उठकर कभी खड़ा होने लगा। उसी दिन सुपरिंटेंडेन्ट के सामने मेरी पेशी हुई। मैंने उनको बता दिया कि मैं राजनैतिक बंदी हूँ मुझ से अगर राजनैतिकता का व्यवहार करेंगे तो

मेरा स्वाभिमान उसे सहन नहीं करेगा। सुप० साहब श्री राजनारायणजी थे। वे समझ गये, उन्होंनें मुझे कोई सजा नहीं दी व जेलर को कुछ हिदायत करदी। मेरे भोजन का भी जेल डाक्टर श्री दामोदरप्रसादजी नें मेरा अलग इंतजाम कर दिया। जुलाई में मुझे एक साल की सजा या एक २ हजार की दो जमानतें व एक हजार का एक मुचलका एक साल तक कोई राजनैतिक कार्य न करनें के विषय में देने की आज्ञा दी। मेरा स्वाभिमान तो मुझे जमानत नहीं देने देता था और यदि गांवों में से कोई मेरी जमानत देने आता तो पुलिस उसे सता सता कर तंग करके वापिस भगा देती थी। अर्थात् सजा ही भोगनी पड़ी। जयपुर नगर से मेरी जमानत देने के लिए कोई आगे नहीं आया। एक बार श्री कपूरचंदजी पाटनी का संदेशा आया था कि वे जमानत देने की व्यवस्था कर रहे है।

मेरी सजा सादी थी। मैं अपनें घर के ही कपड़े पहनता था व मुझे जेल में कोई परिश्रम भी नहीं करना पड़ता था। जेल सुप० श्री राजनारायणजी, डिप्टी सुप० श्री भार्गव जी (आप अभी तक उसी पद पर स्थित हैं) आदि लोग बड़े सज्जन थे। कभी किसी ने मेरे साथ कोई वेकानूनी बरताव नहीं किया। श्री राजनारायण जी तो मुझ से बड़े लाड से बात किया करते थे।

जेल में अपने राजनैतिक दर्जे का मैं नें प्रश्न उठाया। सरकार मुझे अन्य बंदियों से भिन्न मानने को तैयार नहीं थी। मैंनें उपवास

किये, लगातार २६ दिन तक अनशन करने पर जेल अधिकारी मेरे पास आये व मेरी स्वीकृति के बारे में विचार करने का वचन दिया। अनशन समाप्त करके मुझे जेल अस्पताल लेजाया गया। वहां कुछ दिन रखकर मुझे हमेशा दूध आदि देने का लालच देकर किसी राजनैतिक दर्जे का जिक्र न करने को कहा। परिणाम स्वरूप मुझे फिर से उपवास करना पड़ा व ६ दिनके उपवास के पश्चात् जयपुर सरकार के कौंसिल ने मेरा अलग दर्जा स्वीकार किया। व मेरे लिये दाल, चावल, गेहूँ की रोटी, शाक, भाजी, दूध आदिका इंतजाम कर दिया। अब मैं राजनैतिक बंदी माना जाने लगा, इससे जेल में मेरी धाक भी जमगई थी।

जयपुर राज्य के मुसलमानो में कुछ सांप्रदायिकता का जहर भारत के अन्य भागों से कुछ अधिक ही रहता आया है। जेल में भी इसका बोल बाला था। एक बहलोल खां नामका हिंदुओं का परम् द्वेषी कैदी वहां था। अंग्रेजी आई. जी. जेल ने उसका खास इंतजाम रखवाया था। जेलर अहमदअली भी उसे मदद किया करता था। इसके सिवाय वैसे भी जयपुर सैंट्रल जेल में वर्षों से हिन्दुओं को मुसलमान बनाने का काम चला करता था। इसका परिचय वहां मुझे पुराने कैदियों ने कराया। मैंने वहां कैदियों में संगठन पैदा किया। श्री शिवदत्त नामक एक ब्राह्मण कैदी को जो आर्यसमाजी था-उसको वहां शुद्धि कार्य करने की जिम्मेदारी दी, एक अन्याय विध्वंसक मंडल को जेल में संगठित किया। प्रथम शुद्धि तो हमने पीछे उल्लेख किये हुवे

अब्दुल्लाकी करके उसको फिर से नारायण बनाया। दूसरी शुद्धि भूरेखां कयामखानी की करके भूरेसिंह बनाया इस प्रकार प्रति महिने में एक शुद्धि तो करही लेते थे। इसके पूर्व जब कोई हिन्दू मुसलमान कर लिया जाता था तब उसकी शिकायत कोई करता तो जेल अधिकारी नहीं सुना करते थे। एक बार इस किस्म की शिकायत श्री शिवदत्त ने सुप० साहब से की तो उन्होंने कहा बताते हैं के आप हिन्दू क्यो नहीं बनाते। अब हमारे विरुद्ध शिकायते जेल अधिकारियों के पास जाने लगी। एक दिन जेल का बाड़ा नं० ५ में हम अब्दुला की शुद्धि कर रहे थे। हवन हो रहा था। कैइ लोग कहीं से घी, आटा, चीनी आदि ले आये थे, हलवा का प्रसाद बन रहा था। दुपहर का समय था। एक दम जेलर आ निकला, पूछने लगा यह क्या है? हमने उसे सत्य सत्य बता दिया, जलकर खाक होगया। क्या करता। शिकायते हुई, सरकार ने इस विषय में कोई अधिक छेड छाड नही की। जेलर ने मुझसे बोलना ही बंद करदिया। मेरे तरफ सारे कैदी तो सहानुभूति व आदर से देखते ही थे। परन्तु जेल में अध्यापन के लिए आने वाले मास्टर साहब भी मुझे आवश्यक जेल किताबें देने में कभी आनाकानी नहीं करते थे। जेल अस्पताल में श्री सावंतसिंह जन्म कैदी (फौजी) थे। वे मुझे खूब मदद करते थे। राजपूत कैदी तो हमेशा मेरा साथ देते थे। जेल में मेरा ही एक प्रकार का राज्य था। जेल के क्लर्क भी मेरे पास कभी कभी मिलने आते थे। वार्डर तो मेरी सलाह पूछने व कई शिकायत करने व दरख्वास्त लिखाने आया करते थे। मैं जेल में कई कर्मचारियों को व कैदियों को पढ़ाया भी करता था।

मैंने मेरे मुकदमे की अपील सेशन में की थी। श्री जयदेवसिंहजी सेशन जज के सामने मेरा केस निकला था। सिटी मेजिस्ट्रेट व सेशन कोर्ट में जयपुर के श्री चिरंजीलालजी वकील साहब मेरा केस चलाते थे, वे बड़ी ही लगन से व बगैर किसी प्रकार की फीस लिये ही मेरा काम चला रहे थे। सेशन में भी मेरी अपील नामंजूर होगई। अब मैंने रिव्हीजन हाईकोर्ट में किया था। चीफ जस्टिस श्री शीतलाप्रसादजी वाजपेयी, श्री रावतजी सामोदवाला आदि की पेशी में मैं उपस्थित हुआ। एक दिन फैसला जेल में आगया। २६ जनवरी सन् १६३४ को रात्री के आठ बजे मुझे हाईकोर्ट से निर्दोष करार देने का हुक्म मिला व जेलने मुझे जेल दरवाजे के अन्दर ही जेलमुक्त कर दिया। हाईकोर्ट मुझे छोड़ना चाहती थी लेकिन जयपुर सरकार छोड़ने के लिए कहां तैयार थी। दरवाजे में ही पुलिस खड़ी थी, सी. आई. डी. सुपरिंटेंडेंट खड़े थे। पुलिस ने मुझे फिर से तुरंत ही अपने हिरासत में लेलिया इस प्रकार का जयपुर सरकार के एक्जिक्यूटिव कौंसिल के हुक्म का कागज मुझे बताया गया। फिर मैं तांगे पर सवार होकर चारों तरफ पुलिस लवाजमा से घिरा हुआ चांद की चांदणी रात में सामने के जेल सुपरिंटेंडेंट साहब श्री राजनारायण जी के बंगले पहुँचा, वहां पर उनके सामने मुझे जयपुर कौंसिल के हुक्म का कागज पढ़ कर बताया व दिया। जिसमें लिखा था, "२४ घंटे के भीतर जयपुर राज्य से बाहर चले जाओ और आयंदा जयपुर राज्य में जयपुर सरकार की आज्ञा प्राप्त किये बिना प्रवेश न करो" यह आजन्म देश निकाले की सजा थी, जयपुर राज से बाहर जाने को

मुझे स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया। यहां से कार पर मुझे सवार कराकर शहर की एक पुलिस चौकी पर पहुँचाया गया। जहां भोजन आदि कराकर के बाद में हम बेगार के तांगे पर बैठकर रेल्वे स्टेशन के थाने पर पहुँचे व वहां से श्री फैजुल्लाखां व दो कान्स्टेबेल मेरे साथ रेल में बैठकर मुझे अजमेर पहुँचा कर अजमेर पुलिस को बता आये। यहां पर एक हुक्म और मुझ पर बजाया गया कि बिना पोलिटिकल एजंट को इत्तिला किये मैं राजपूताने में प्रवेश न करूं, और यहां की पुलिस मुझे खंडवा तक लेजा कर सी. पी. में पहुंचा आई।

जयपुर में मेरे साथ हर परिस्थिति में अति मधुर व अतिकटु बरताव हुए थे, जयपुर जेल का मधुर स्मरण मुझे सदा रहेगा। जयपुर जेल के कैदियों से मेरा पत्र व्यवहार बहुत काल तक चलता रहा। जयपुर जेल में मेरे द्वारा स्थापित अन्याय विध्वंसक मंडल व शुद्धि कार्य दीर्घ समय तक चलते रहे, मुझे भी चोरी छीपे जिसे जेल की दुनियां में तिकडम् कहते है, सूचना बराबर पहुँच जाती थी व मैं भी इन कार्यों का संचालन इस जेल से सात सौ मील दूर बैठ कर करता रहा। जयपुर जेल तो मेरे परिवार के समान था। जयपुर जेल के क्या कैदी और क्या कर्मचारी सब मेरे परिवार के लोगों की भांति बन गये थे। जयपुर पुलिस का अप्रत्यक्ष बरताव काफी अन्याय का एवम कटु रहा, अनेक प्रांतों में से व बरसों तक घूम फिर कर जो मेरे वनस्पतियों के वैज्ञानिक परीक्षण के उद्धरण (नोट्स्) वगैरा जो मेरे पास तैयार किये हुए थे वे और मेरे प्रयागों के नोट एवम् ऐसे ही अन्य कागजात पुलिस ने बिलकुल नष्ट

भ्रष्ट कर दिये थे। क्योंकि वे कागजात पढने व समझने में जयपुर पुलिस सफल नहीं हो सकी थी। या कोई अन्य कारण होंगे। मेरी पुस्तकें भी ऐसे ही नष्ट होगई। मेरे बरतन भांडों में से भी एक भी बरतन मुझे वापिस नहीं मिला।

इस समय मैं पूरे पंजाब एवं राजपूताना से निर्वासित हो चुका था। अब फिर मुझे सोचना पडा कि मैं किस प्रान्त में रहूँ, जिससे मुझसे देश सेवा भी हो सके व मेरा अध्ययन भी होता रहे। यू० पी० में तो कार्यकर्ता पर्याप्त प्रमाण में थे। यह प्रांत भारत के अन्य भागो से कांग्रेस कार्य की दृष्टि से आगे ही था। बिहार में भी यही बात थी। बंगाल में प्रांतीयवाद विशेष था। वहां ग्रामों में बंगाली को छोड़कर अन्य व्यक्ति का काम करना कठिन काम था। मद्रास व ओरिसा में भी प्रांतीयवाद था, मैं अपने परिवार से दूर भी नहीं रहना चाहता था। इन सब कारणों से मैंने मध्य प्रांत, बरार व निजाम राज्य को अपना कार्य क्षेत्र चुन लिया। अपितु कुछ दिन शांति के साथ अध्ययन एवं निरीक्षण में बिताना आरम्भ किया। मेरा सन् १९३४ व सन् १९३८ का बीस महीने का समय तो अध्ययन में ही व्यतीत हुआ। समय २ पर प्रति सप्ताह या प्रति दिन कुछ घंटे कांग्रेस के रचनात्मक कार्य में अवश्य ही व्यतीत करता था।

कुछ महिने मनुष्य बस्ती से दूर निजाम स्टेट की सरहद पर कासर-शिंगी के जंगल में योग साधना में भी बिताये। कई महिनों तक जंगल

में जो कच्चे पक्के कंद मूल या फल मिल जाते खाकर आनन्द से जहां भी आसरा मिल जाता उसमें समय काटता रहा। कभी झाडों के ऊपर तो कभी झाडों की डोल में रह जाता, तो कभी मेरे हाथ से बनाई हुई घास की छाया में भी रहता। साग के पानों की लंगोटी व छत्री ही मेरे वस्त्र थे। मैं इन दिनों किसी प्रकार का वस्त्र भी नहीं पहना करता था। इस दशा में मुझे काफी शांती मिली। मैंने शुद्ध मन से खूब सोचा और अपना कर्तव्य निश्चित करके फिर मैदान में आगया।

एक दिन मैं एक योजना बनाकर उस को कार्य रूप में परिणत करने के लिये घर छोड़ कर चलदिया। अभीतक सारे ही देश में शिक्षा एवम् विद्यालय का आधार द्रव्य पर रक्खाजाता है। जब तक विद्याप्रचार का आधार पूंजी रहेगी तबतक विद्यालयों में सरस्वती का वास नहीं हो सकता। लक्ष्मी तो भोग वासना एवम् सत्ता प्राप्ति को ही अपना ध्येय समझती है, जब कि सरस्वती त्याग, संयम व शुद्ध चारित्र्य को अपना ध्येय बनाये हुवे है, लोग सोचते हैं, विद्यालय चलाने के लिये पूंजीपतियों की आवश्यकता है, विद्यालय स्थापित करने के पहिले धन एकत्रित किया जाता है और कभी कभी तो कई धनवान् भी केवल धन के बल पर विद्यालय स्थापित करवाने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे विद्यालय व सरकारी नौकरों से केवल नौकरी देकर चलवाए जाने वाले विद्यालय तो द्रव्य के गुलाम एवम् सरकारी नौकरी को सर्वस्व समझने वाले एवम् चारित्र्य की कमी वाले व जिनका नैतिक स्तर गिरा हुआ है ऐसे विद्यार्थी पैदा करने के कारखाने मात्र हैं। ऐसे विद्यार्थी तो संसार के अन्दर अनर्थ के मूल

होते हैं। पाश्चात्य जगत की व अब हमारे देश की जो हानि हुई है और जो होरही है व भविष्य में भी होने का जो अन्देशा है उसका मूल कारण विद्यालयों का एवं विद्या प्रचार का यह आधार है जो निम्न प्रकार की मनोवृत्ति के विद्यार्थी बनाकर निकालता है और यही विद्यार्थी आगे चल कर मनुष्य जाति का नैतिक स्तर गिरा देते हैं। विद्यालयों का आधार तो चरित्रवान, निर्भीक व संयमी विद्वानों का त्याग ही होना चाहिये व ऐसे ही विद्यालयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी योग्य हो सकते हैं। विद्यालय या छात्रालय स्थापित करने के लिये प्रथम आवश्यकता है त्यागी, निर्भीक व सदाचारी विद्वानों की जिन के आधार पर विद्यालय या छात्रालय होने चाहिये, दूसरी आवश्यकता विद्यार्थियों की है। बस यही दोनों मुख्य आवश्यकताएं हैं। यह दोनो बातें प्रचुर मात्रा में मिल जावें तो आगे की आवश्यकताएं पूरी होजायेंगी। धन की आवश्यकता तो रहेगी ही लेकिन यह विषय गौण है। क्योंकि द्रव्य तो साधारण जनता भी दे सकती है, व योग्य, निरपेक्ष दानी भी मिल सकते हैं। मुख्य तो विद्यार्थी योग्य परिश्रमी एवम् स्वावलम्बी होने चाहिये विद्या बिकी तो महापाप है ही परन्तु योग्य आयु के विद्यार्थी का पूर्ण परावलम्बी रहना भी अपराध है। इस प्रकार के विद्यालय स्थापित करने की इच्छा से मैं घर छोड़ कर चल दिया। साथ में साइकिल व कुछ रुपये ले लिये थे। साइकिल से कोई पांच सौ माइल मैं घूमता फिर हूंगा, लेकिन इस प्रकार के विद्यालय के लिये किसी भी जगह मुझे विद्यार्थी देने को कोई तैयार नहीं हुआ। एक बार असफल होकर वापिस

लौट आया। मुझे विद्यार्थी न मिलने का एक कारण मेरे खादी के वस्त्र भी थे। लोगों को मेरा कांग्रेसी होने का व जेल गये हुए होने का जब पता चल जाता तो मेरी सङ्गति में आना या अपने ग्राम में मेरा निवास होने देना कोई पसन्द नहीं करता था, फिर पुलिस भी लोगों को डरा दिया करती थी।

दूसरी बार मैंने पैदल ही प्रस्थान करदिया। मेरे ओढ़ने बिछाने के कपड़ो की एक गठरी और केवल छे आने के पैसे मेरे पास थे। बस इसी पूंजी के भरोसे अपरिचित लोगोंमें मैं एक विशेष विद्यालय स्थापित करने जा रहा था। किसी के भी नाम का परिचय पत्र मैंने अपने साथ नहीं लिया था। मैं उन गांवों को जानता भी नहीं था, और इस के पहिले के अनुभव भी काफी कटु थे। पहिले जब मैं सायकल से प्रवास करने गया था तब एक दिन मैं केनवड़ नाम के ग्राम से शाम को ७ बजे आगे के लिये रवाना हुआ। आकाश बादलों से घिरा हुवा सा दिखने लगा। थोड़ी देर बाद वर्षा आरम्भ हुई, अमावस्या की रात्रि थी, ओले पड़ने लगे किसी प्रकार एक बबूल के पेड़ के साइकिल टेक कर उस पर मेरी धोती डाल कर आसरा कर के बैठ गया। ओलों की मार से तो थोड़ा बहुत बच भी गया था परन्तु ठण्ड से धुक धुकी भर रही थी। हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, आस पास कोई गांव नहीं था। मेरा कोई परिचित आदमी या गांव भी आस पास दस बीस मील में नहीं था। किसी कदर उठ कर खड़ा हुआ, दस बीस दण्ड बैठक लगाने का प्रयत्न किया व किसी प्रकार सायकल से ही रवाना होना चाहा तो सायकल का एक्सेल

टूट गया। अब सायकल को कहीं घसीटता व कहीं सिर पर रखता हुआ किसी कदर मैं एक स्थान पर रात्रि के करीब ११ बजे पहुँचा। गांव की हथाई में मदार (गांव के हरिजन कोतवाल) बैठे थे। उनके घरों की छान पड़जाने से व अन्य कारणों से वे वहां थे। मुझे वहां भी जगह नहीं मिली। मन्दिर में तो पुजारी महाराज क्यों आश्रय देने लगे। अब मुझे तो एक एक मिनट भारी होरहा था। मुझे पता चला कि वहां कुछ मारवाड़ी बनियों की दूकानें हैं, मैं वहां उन लोगों के घर गया परन्तु कोई आश्रय देने को तैयार नहीं हुआ। अन्तमें मैं सेठ गौरीलाल अग्रवाल के मकान पर पहुँचा। वहां सेठजी उठे दरवाजा खोला लेकिन प्रवेश देने से इनकार कर गए। अब यदि मुझे आश्रय नहीं मिलता है तो मैं टण्ड से अकड़ कर बेहोश होजाता हूँ। अतः मैं सेठ से बिना पूछे ही घर में घुस गया। फौरन मैंने मेरे कपड़े उतार कर दूकान की गादी की खोल उतार कर धोती के स्थान पर लपेट ली तबतक सेठजी मुझे अरेरे कह कर मेरे ऊपर झपटे, मैंने भी डण्डा उठा लिया व कहा कि अगर मेरे पास आया तो मैंभी सिर फोड़ डालूंगा। सेठजी घर से बाहर भाग गए और बाहर जाकर जोर से डाका डाका चोर चोर चिल्लाने लगे। मैं सेठजी के बिछौने पर रजाई ओढ़कर सोगया। लोग लठ ले-ले कर के आपहुँचे। लेकिन कोई घर के अंन्दर आने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि अन्दर तो मैं था। आखिर कुछ लोग अन्दर आये तब मैंने उन से चिल्ला कर सारी बातें कही। बादमें वे सब लोग मेरे मित्र बन गए।

इस बार प्रथम दिन में २० मील चला। डंद्री नामके ग्राम में मुकाम

किया । दूसरे दिन मेहकर पहूँचा व तीसरे दिन कुल ६६ मील पैदल
चलकर अकोला (बरार) व निजाम सरहद पर लोणी में मुकाम किया ।
लोणी अंग्रेजी हद का अंतिम गांव है । यहां से निजाम राज्य की सरहद
आरंभ होती है । यहां एक सखाराम महाराज नामक साधू की समाधि
है । जिसपर प्रतिवर्ष मेला लगता है । एक लाख से अधिक जनता
लगातार एक सप्ताह तक यहां प्रतिदिन आती है । वैसेभी छोटासा मेला
प्रति सोमवार लगही जाता है । यहां पर तो मैं आही पहुँचा था । यहां
अविद्या का बोलबाला था । रेल्वे स्टेशन यहां से ५० मील से कम दूर नहीं
था । मोटर की सड़क भी पास नहीं थी और न कोई शहर ही पास था ।
कोई अंग्रेजी पढ़ा हुआ व्यक्ति आसपास के गांव में नहीं था । यहां कभी
कोई आंदोलन भी नहीं हुआ था व न यहां के लोग कांग्रेस आदि के
विषय में ही कुछ जानते थे । छूत अछूत के झगड़े अधिक थे । गांव के
बाहर एक धर्मशाला थी । इस धर्मशाला में न तो कमरा था और न
फरशी ही थी । केवल चारों ओर दिवार व टीन चद्दर की छाया थी । मेरे
पास के छः आनों में से ४ आने खर्च हो चुके थे व अब केवल दो
आने में मुझे विद्या प्रचार की मेरी योजना आरंभ करनी थी । पहिले
दिन एक आने में दोनों समय का भोजन करलिया । दूसरे दिन दूसरा
आना समाप्त होगया । कपड़े इतने मैले होचुके थे कि मुझे ही अपने
कपड़ों से घृणा होने लगी । ग्राम में घूम घूम कर लोगों से उनके लड़कों
को पढ़ाने के लिए कहता तो लोग मुझे पागल सा समझते । फिर मेरा
एकमात्र कोट—जो मैला होनेपर व साबून न मिलने के कारण एक दिन

नदी के पानी में जो लाल मिट्टी से मिला हुआ था, उसमें सोलियान परिणाम स्वरूप कपड़े आपसे ढंगकी निराली ही छटा बता रहे थे। किसी कदर मुझे तीन विद्यार्थी मिलगये। इनमें साहेबराम नामके विद्यार्थी को तो ढोर चराने का व खेती के काम करने का ऐसा छंद था के वह मेरे पास टिकता ही नहीं था, दूसरा विद्यार्थी कंपोडिया ऐसा पत्थर मिला कि वह बीड़ी आदि नशे में रंगा हुवा था व हजार प्रयत्न करने पर भी वह एक भी हरफ नहीं पढ़ सकता था। तीसरा विद्यार्थी कुछ अच्छा था। दो दिन तक यह विद्यालय मैंने भूखे रहकर भी चलाया, परन्तु तीसरे दिन तो मुझ में बैठे रहने की भी शक्ति नहीं रही। मुझे किसी ने खाने के लिये पूछा ही नहीं व मेरे पास की पूंजी तो कभी की समाप्त होचुकी थी। इन दिनों जङ्गलों में से यहां की चमार जाति की स्त्रियां कुछ जङ्गली फल इकठ्ठे करके लाकर बेचा करती थीं मैंने भी सोचा कि विद्यालय से मिलने वाला फुरसत का समय मैं इसी काम में खर्च करूं, जिस से दो चार आने कमा सकूंगा। उस दिन किसी कदर बच्चों को पढ़ाया नहीं पढ़ाया व दुपहर के बाद जङ्गल में कुछ भोजन प्राप्ति के लिये गया। नीले फल थैली में बांधकर ले आया, जिस से मेरी थैली नीले रङ्ग की बन गई। इस के दूसरे दिन प्रातः काल देखताहूं, तो गांव के कुछ पञ्च लोग मेरे पास आरहे हैं, इन लोगों ने आकर मेरा बड़ा आदर किया। अबतक, धूल में, एक दीवार के पास मैं पड़ा रहता था, आज मेरे पास पलंग भी आगया। कुछ बरतन भी आगये। मेरे तीसरे विद्यार्थी ने मेरी कांति का गांव में प्रचार कर दिया था। यह विद्यार्थी गांव में से आते जाते पञ्चों

सी डी जोर जोर से बकता चलता, लोग समझने लगे मैंने अंग्रेजी बहुत ही अल्प समय में पढ़ा दी। यहां कुछ मारवाड़ियों के भी घर थे। एक मारवाड़ी लड़का धन्ना नामक भी मेरे पास पढ़ने आया करता था। इसके पिताजी व घर के अन्य लोग प्रतिदिन मुझे भोजन के लिये बुलाने आते किसी किसी दिन मैं चला भी जाता था। आगे चलकर किसी ने इन गांव वालों को कह दिया कि मैं पढ़ाता हूँ वह अंग्रेजी विद्या नहीं है, फिर क्या था लोग मेरे विरुद्ध होगए, वे कहने लगे कि मैंने उन लड़कों को और ही कुछ पढ़ा दिया। आखिर में वहां के मारवाड़ी सेठ ने किसी कदर उनको समझा बुझाकर शान्त कर दिया, बादमें बरसात के दिन आगये खेतों में हल चलाने लगे। लडके सब खेती के काम में लागये। मेरा, विद्यालय समाप्त होगया।

मारवाडी सेठ का लडका धन्ना मुझे छोडकर रहना नहीं चाहता था। लोग कहते थे मैंने धन्ना के ऊपर जादू करदिया। वह मा बाप की भी नहीं मानता है। लोग मुझसे अपने अपने बच्चों को बचाने लगे। एकदिन गांव में सय्यद उमर नामका तहसीलदार आया वह मुझसे मिला, उसने मेरा बडा आदर किया। लोगोंने देखा कि तहसीलदार खडा है और मैं कुरसीपर बैठा हूं व तहसीलदार से अंग्रेजी में बात कर रहा हूं। इसका जनता पर अच्छा प्रभाव पडा। आस पास के गावों में यह बात फैलगई, उस जमाने में वहां तहसीलदार ईश्वर का निकट संबंधी समझा जाता था। इस घटना से कोपी गांव के कुछ लोगों पर उसका

ही परिणाम हुआ वे समझे मैंने तहशीलदार पर भी जादू करदिया व अब कहीं उनपर व उनके बचों पर न करदूं।

अब मेरे पास विद्यार्थी न रहने से मैंने आस पास के गावों में घूमना आरंभ कर दिया मेरा लोटा भी कोई उठा ले गया। मेरे पास केवल एक कोट, एक कुड़ता, २ धोती, एक सतरंजी व एक कंबल यही पूंजी थी। जहां भी जाता मेरा सारा सामान साथही लेजाता। एक दिन मोर नाम के गांव में आ पहुँचा यह व्यापारी बस्ती थी। परंतु बस्ती के लोगों में सनातनीपना व संप्रदायवाद खूब था। वहां मारवाडी बनियों के १० १२ व मारवाडी ब्राह्मणों के भी १०-१२ घर थे। एक मारवाडी जाट भी था। मैंने अपना विद्यालय यहां आरंभ करदिया शीघ्र ही मेरे पास पढने वाले लड़कों की संख्या २५ होगई। लोणी गांव से भी जो यहां से ३ मील है मेरे पहिले विद्यार्थी चि० धन्ना व साहेबराव भी प्रतिदिन मेरे पास यहां पढने आते थे। मैंने एक मास्टर भी रखलिया। शीघ्र ही विद्यालय का प्रचार करने के लिये मैंने पैदल भ्रमण आरंभ करदिया। मोर गांव से ७० मील दूर दूर तक में पैदल प्रचार करने जाता था। प्रतिदिन प्रातःकाल एक गांव से उठकर आठ दस मील चलकर दुपहरी में किसी गांव में प्रचार करता व वहां से दुपहरी में रवाना होकर शाम को अन्य गांव में प्रचार करता। रात्रि को किसी और गांव में (यदि पास में ही होता तो) चला जाता व सुबह उठकर वहां प्रचार करता। मेरे पास विद्यार्थियों के नाम भी काफी आरहे थे। कई लोगों ने भूमि एवम् मकान भी विद्यालय को दान में देने का वचन दिया था। विद्यार्थियों से मासिक गुरु दक्षिणा

भी काफी आती थी। जब विद्यादान का आधार द्रव्य नहीं रखना है तो विद्यार्थियों से फीस लेना चाहिये या नहीं? द्रव्य दान में लेना चाहिये या नहीं? इसपर मैंने पूरी तरह से सोचने का प्रयत्न किया और मैं इस परिणाम पर पहूँचा कि, फीस न दे सकने के कारण किसी विद्यार्थी का विद्यालय में अध्ययन बंद नहीं होना चाहिये। विद्यालय तो सभी विद्यार्थीयो के लिए खुला है वे फीस देवें या न देवें, परंतु यदि विद्यार्थी गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो उसे स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है। जो सात्विकता के साथ एवम् हमारे काम को समझकर देना चाहे तो अवश्य ही ले लेना चाहिये। लेकिन इसपर भी कुछ बंधन रखना अवश्य है। इस विषय में पूरा विवरण हम अपनी पुस्तक शिक्षा शास्त्र में करेंगे।

इस मोप गांव का थाना मोपसे ८ मील दूर था। यहां के थानेदार एक ब्राह्मण सज्जन थे। वे जब कभी मोप आते तो लोगों को मुझे मदद करने के लिए अप्रत्यक्ष कहजाते थे। वे मुझसे मिलते भी रहते थे। इनके सिवा छोटे मोटे पुलिस या अन्य अधिकारी हमें अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष सताया भी करते थे। मजिस्ट्रेट या डी. सी. या डी. सी. के समकक्ष दूसरे सरकारी अधिकारी मुझसे मिलने आते व सहानुभूति भी प्रगट करते। मैंने विद्यालय में मिलने वाली गुरुदक्षिणा से यहां एक छोटासा दवाखाना व पुस्तकालय एवम् वाचनालय भी खोल दिया था। अब मेरा विद्यालय आदि का काम तो बडे ही सुन्दर तरीके से चल रहा था। केवल मेरी कांग्रेस आदि राजनैतिक एवं हरिजनोद्धार आदि सेवा में लोग अधिक

सहयोग नहीं देते थे। मेरा अध्ययन भी मैं नियमित ढंग से कर रहा था। मुझे आशा थी कि मैं निकट भविष्य में ही मेरा उद्देश सफल कर सकूंगा। परन्तु ईश्वर तो अभी मेरी परीक्षा लेना चाहता था।

एक दिन गांव में एकाएक आन्दोलन छिड़गया। इस गांव में एक श्री शिवनाथ जाट नामका ५०–६० साल की आयु का सज्जन रहता था। इस जाट के पास कुछ पूंजी थी व इस पूंजी को इस गांव के मारवाड़ी बनियों में से एक दो बनिये हजम कर लेने का प्रयत्न कर रहे थे। श्री शिवनाथजी इनकी दाल नहीं गलने देते थे। एक दिन एक सेठजी ने गांव में प्रचार करदिया कि श्री शिवनाथ जाट का अनुचित सम्बन्ध किसी हरिजन महिला से है, इसके गवाह भी मिल गये। गांव के मारवाड़ी, मराठे, मुसलमान, हरिजन, ब्राह्मण आदि सब की पंचायत हुई व श्री शिवनाथ को जाति बाहर करार देदिया। सब कुछ सेठजी की माया थी। श्री शिवनाथ को अब किसी भी जाति का मोप गांव का या गांव बाहर का कुंआ पानी लाने के लिए खुला नहीं था। गांव के बाहर काफी दूर से एक नाले में से गन्दा पानी लाकर यह बिचारा जाट किसी कदर अपने दिन काट रहा था। कुछ दिनों बाद संयोगवश एक सेठ साहब व सारे मारवाड़ी ब्राह्मणों का मिलकर एक पाला बनगया व दूसरे पाला में सब सेठ लोग, एक मारवाड़ी ब्राह्मण, मुसलमान, हरिजन व मराठे लोग मिल गये। मैं पहिले तो किसी भी पाला में नहीं मिला। पहिले पालावालों ने श्री शिवनाथ जाट को जाति में लेना तय कर लिया। पहिले तो इस पाला मेंके एक मात्र सेठजी ने श्री शिवनाथ से कुछ रुपये लिये, बाद में

का मुंह व मूंछे मुंडाई उसे गोमूत्र आदि पिलाया। फिर वह लोणार नामक तीर्थ में स्नान कर आया उसके पश्चात् कई गौशालाओं को उससे दान के रुपये दिलाये व और कुछ रुपये उसके खरच करा दिये व अन्त में उससे सबकुछ करवा कर फिर जाति में लेने से इनकार करदिया। वह जाट रोता हुआ मेरे पास आकर पहुँचा, मैंने उसको गांवों के कुवों में से पानी सरकारी मदद से भरते रहने देने में सहायता देने का वचन दिया। अन्त में किसी कदर पहिले पाला वालों ने श्री शिवनाथ जाट को (संभवतः कुछ रुपये मुखिया लोगों को मिलने पर) जाति में लेकर कुवे पर पानी भरने देने का अधिकार प्रदान करने का निश्चय कर लिया गया।

श्री शिवनाथ जाट को जाति में लेने का मतलब था उसको स्पृश्य बना लेना व शुद्ध, ताजा व साफ पानी कुवोंमें से निकालकर पीने देना, अन्यथा वहां जाट जाति के लोगों के और घर ही नहीं थे, अतः रोटी बेटी व्यवहार की तो बात ही नहीं थी। एक दिन श्री शिवनाथ जाट के खरचे से हलवा पूरी की रसोई बनी। गांव के व पर गांव के ब्राह्मण तथा बनिए एवं कुछ मराठों को भोजन करने बुलाया गया। मुझे भी निमंत्रण था, पर मैंने गांव के लोगों के आपसी झगड़ों से दूर रहने के लिए इस भोजन में न जानेका सोचा तो श्री शीवनाथ जाट मेरे पास आकर रोने लगा कि जाति में लेने के बहाने से उसके पांच सात सौ रुपये गांव के गुंडे लागये थे पांच चार सो खरच करवा दिये थे और अब लोग उसके धन से बना हुवा भोजन भी नहीं करना चाहते थे, चोरी से छिपकर

के उसके हाथका भी लोग खा लिया करते थे। अन्त में सब ब्राह्मणों को साथ लेकर मैं ने भी शिवनाथ जाट के हाथ से हलवा पुड़ी परोसवा कर भोजन किया। ब्राह्मणों को दक्षिणा भी दी गई। यहां हम सब राजस्थान निवासी ब्राह्मण एक ही थाली में बैठकर भोजन कर लेते थे, इन में दायमा, त्रिकवाल, गौड, सनाढ्य, पारीक आदि थे, परन्तु हम सब खान पान में एक रहते थे, इसलिए हम सबों नें यहां भी इसी प्रकार मिल जुल कर भोजन किया, अबतो हम सब ब्राह्मण लोग श्री शिवनाथ जाट के साथी बनगये थे। भोजन व दक्षिणा के पश्चात् मैंनें तुरंत ही लेजा कर श्री शिवनाथ जाट को ब्राह्मणो के व सरकारी कुओं पर पानी भरवा दिया, गांव के लोगों में हल चल मच गई राजस्थान निवासी ब्राह्मणों के जितने भी घर थे वे सभी व हमारे पक्ष के शेठ जी को बहिष्कृत कर दिए गया। हम सबों के लिए कुओं पर पानी भरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हमारे ब्राह्मणों में कुछ तगड़े जवान थे सो लाठी के बल से हमनें एक दो कुओं पर तो हमारा अधिकार बनाये ही रखा। मोर गांव के बनिये भी कम कारस्थानी नहीं थे। उन्होनें किसी तरीके से सारे गांव को ब्राह्मणों के विरुद्ध पूरा पूरा भड़का दिया।

हम सब ब्राह्मण लोग अछूत ऐलान होगये। यदि हम किसी अछूत या मुसलमानों के कुवे को छू लेते थे तो वह कुवा भ्रष्ट समझा जाता था व उस कुवे को फिर से गोमूत्र व गंगाजल से शुद्ध न कर लिया जाता तब तक मुसलमान भी यदि उस कुवे का पानी पी लेता तो लोग उसे "ब्राह्मण" बना मान लेते व इस समय यहां ब्राह्मण शब्द बहिष्कृत था

हरिजन का अर्थ रखना था। एक समशेरखां नाम का मुसलमान इसी प्रकार से ब्राह्मण बनगया था। बाद में उसके यहां शादी हुई तो उस गांव का मुसलमान उसके यहां नहीं आया, अब हम लोगोंने कुवों को छूकर या शेठ लोगों के बच्चों को बुलावे से मिठाई खिलाकर ब्राह्मण बनाना आरंभ किया। गांव के लोग भी कुवों को और बच्चों को शुद्ध करते करते तंग आगये अब रोज सुबह व शाम ब्राह्मण व बनियों में आपस में पिटाई होने लगी, ऐसी जोरदार पिटाई तो किसी दिन नहीं हुई लेकिन किसी तरह लाठी लेकर शेठ लोग कुछ अपने नौकरों को लेकर व इधर से ब्राह्मणों के लड़के मैदान में आजाते, गाली गलौज होती कुछ धक्का मुक्की होती व मामला शांत होजाता यह प्रतिदिन का कार्यक्रम होगया था। मैंने इनको समझाने का प्रयत्न किया, परंतु सब व्यर्थ ही रहा। मेरे विद्यालय में मुख्यतः शेठ लोगों के ही लड़के थे वे उन्होंने निकाल लिये। मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं दीवाल को भी पढ़ाकर पूरा साल समाप्त करूँगा, पर मेरा विद्यालय बंद नहीं होने दूंगा। शेठ लोगों के व मराठों के लड़के विद्यालय से चले जाने पर विद्यालय में केवल ब्राह्मणों के चार पांच लड़के बाकी रह गये। मैंने बाद में किसी भी पक्ष से अपना संबंध न रखने का निश्चय किया। कुछ दिनों की अशांति के पश्चात् सरकार ने इन लोगों पर न्यायालय में मुकदमें दायर कर दिये, इन लोगों ने आपस में भी एक दूसरे के विरुद्ध कई फौजदारी मुकदमें न्यायालय में उपस्थित किये,। पुलिस अफसर, न्यायाधीश या डी. सी. (एस डी ओ) जो भी आते वे मुझ से मिलने अवश्य आते व कुछ समय तक मेरे पास ठहरते

व बातचीत भी करते, इसलिए ब्राह्मणों को आशा थी कि मैं उनके मुकद्दमे में उनका साथ दूंगा। लेकिन मैंने उनके झगड़ों में किसी भी प्रकार का भाग नहीं लिया। दोनों पक्षों के मुखिया लोगों को प्रतिदिन बाड़मेर (मोप से १६ मील थी) जाना ही पड़ता। वहां ही न्यायालय थी और वकील भी थे। कई वकीलों ने भी इसमें अपनी जेबें भरी। अन्त में दोनों पक्ष वाले मुखिया लोगों को अच्छी अच्छी रकम के जुर्माने हुए। ब्राह्मणों को गुस्सा आगया। उन्होंने भी अपने लड़के मेरे विद्यालय से निकाल लिये। चारों तरफ प्रचार होगया कि विद्यालय भंग होगई। नये आने वाले लडके न आने पावे इसलिए चारों तरफ प्रचार होने लगा। दंड पाकर दोनों पार्टी के लोगों का मनमुटाव तो कम होगया, लेकिन मैं वहांपर हरिजन सा समझा जाने लगा। क्योंकि भीखिवनाथ जाटको जाति में लेने के लिए प्रयत्न करवाने का अपराध मेरे ही शिरपर थोपा गया। अन्त में जब एक भी लड़का मेरे पास नहीं रहा, तब भी कोई दो महीने तक मैं विद्यालय में नियमित जाकर दीवालों को सभी विषय टाइम टेबिल के मुताबिक पढाता रहा और परीक्षा के प्रश्न भी दिवालों पर चिपका दिये इस प्रकार यह वर्ष बीतगया।

अब विद्यालय किसी अन्य गांव में स्थापित करने के लिए मैं उपयुक्त स्थान की खोज करने चल दिया। आस पास के गांवों के लोग मुझे जानते थे, कोई मुझे धर्म भ्रष्ट करते, कोई मुझे कांग्रेसी कहकर प्रचार करते कि यदि लड़के मेरे पास पढ़ने भेजे गये तो वे लडके बिगडकर राजद्रोही बन जायेंगे। पढे लिखे लोगों में यह अपवाद

फैल गई कि मैं पढा ही नहीं सकता नहीं तो किसी पास के नगर ही में विद्यालय नहीं स्थापित कर लेता दूर के गांवों में क्यों जाता ! मैंने लगातार चार महिने तक विद्यालय के स्थापित करने का गांव २ जाकर प्रचार किया तब कुछ विद्यार्थी प्राप्त हुए व पास का ही एक बड़ा गांव रिसोड था वहां विद्यालय स्थापित करने का निश्चय किया। विद्यालय के स्थापना का महूर्त निकाला गया, एक धर्मशाला के कुछ कमरे भी खुलवा लिए परंतु दुर्भाग्यवश मेरे विद्यालय के उद्घाटन के समय पर कोई नहीं आया केवल मैं एक मेरा विद्यार्थी व पूजा कराने वाले पंडित जी ऐसे हम तीन आदमी ही रहे। कुछ दिन और भी प्रयत्न हुआ परन्तु सब व्यर्थ गया, मैं वहां पर विद्यालय स्थापित नहीं कर सका। यहाँ के सेठ लोग व सरकारी स्कूल के मास्टर व अन्य सरकारी अधिकारियो ने मेरे पास विद्यार्थी न आने देने का आंदोलन चलाये रखा।

मैं ने कुछ दिनों के लिए एकांत सेवन करने का निश्चय किया। मेरे पास जो एक मात्र विद्यार्थी चि० रामनारायण था, उसने मेरा निश्चय उसके घर वालों से कह दिया। उसके घर में उसके पिताजी, काकाजी व माताजी काकी भाई आदि सभी बडे सज्जन गांवों सात्विक एवं उन में सबसे बड़े धनवान माहेश्वरी वनिये थे, उस तहसील में उनकी मान्यता भी अच्छी है। आप लोग रिसोड से तीन मील दूरी पर मांगवाडी नामक केवल ६०-७५ घरो की बस्ती के एक गांव में रहते हैं, वहां मुझे ले गये। मेरा पूरा प्रबंध कर

दिया। खर्च के लिए मुझे २५ रु० प्रतिमाह दिया करते थे। भोजन निवास, सवारी आदि का भी प्रबंध कर दिया गया। यहां पर चुन चुन कर कुछ विद्यार्थी लिए, उनको एवं चि० रामनारायण को पढ़ाना आरंभ किया। चि० रामनारायण आठवें क्लास तक पढ़ा हुवा था। उसको मेट्रिक का कोर्स पढ़ाना आरम्भ किया। कुछ लड़के अन्य गांवों से व खास गांव से भी आगये उनको भी विभिन्न कोर्स पढ़ाता था। एक मध्यमा पास लड़का कलकत्ते की व्याकरण तीर्थ की भी पढ़ाई करता था। कानून भी पढ़ाया करता था। रात्री पाठशाला, खादी प्रचार आदि भी करता रहता था हमारी अपनी वाचनालय भी स्थापित करली थी। शहरों से व गावों से कांग्रेस कार्यकर्ता विचार विनिमय के लिये सदा ही मेरे पास पहुँचा करते थे, यहां भी आते, कोई २ कार्यकर्ता दो चार दिन मेरे पास ठहरते भी थे। इस प्रकार मुझे कांग्रेस कार्य करने की एवं मेरी अपनी पढ़ाने की योग्यता बताने का अवसर मिल गया।

इन दिनों भांगवाड़ी में एक मराठा मारवाड़ी झगड़ा शुरू होगया। वास्तविक यह झगड़ा था किसान मजदूरों का व पूंजीपतियों का, परन्तु यहां लगभग सभी पूंजीपति मारवाड़ी ही थे, व बहुसंख्य किसान मजदूर मराठा थे। सो गलती से इसको मराठा मारवाड़ी झगड़े का स्वरूप आ गया। मैं भी इसमें फंस गया मैं पूंजीपतियों के गिरोह में आ फंसा जिनका साथ देना तो मैं चाहता नहीं था लेकिन राजस्थानी (मारवाड़ी) होने के नाते फंस हो गया। सरकारी अफसरों ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं

ने व पूंजीपतियों ने इस झगड़े में मेरा पूरा-पूरा साथ दिया, परन्तु मेरी आत्मा ने मेरा साथ न दिया। अन्त में एकदिन किसान व मजदूरों को गिरफ्तार करने पुलिस आ पहुँची। गांवों के गरीब किसान घबरा गए वे पूंजी पतियों की सारी बातें मानने को तैयार होगए, मेरी आत्मा ने विद्रोह करदिया, मैंने कहा सत्य का ही साथ दूंगा, विना कोई शर्त या बन्धन रक्खे मैंने पुलिस सुपरिंटेंडेंट से कह दिया कि यहां कोई सङ्घर्ष नहीं है, आप कुछ भी कार्यवाही न करें। पूंजीपतियों से कहदिया कि आपका मार्ग अन्याय का है। व आप लोग प्रबल हैं तो भी आप के मार्ग का अंन्तिम परिणाम अनिष्ट है व किसानों से कहा कि आप न्याय व सत्य पर हैं परन्तु आप निर्बल हैं, संभल कर कदम उठावें अन्त में विजय आप की ही होगी। भविष्यमें मैंने पूंजीपतियों के आन्दोलनों से बचकर दूर रहने का निश्चय कर लिया।

मांगवाड़ी में मैंने अपने विद्यार्थियों को पूरे परिश्रम से पढ़ाने में कोई कसर नहीं रक्खी। मैं प्रातःकाल ४ बजे उठता व अपने विद्यार्थियों को उठाता। मेरे साथ ही शौच मुखमार्जन करवा के व्यायाम करवाता। उचित समय पर, योग्य भोजन आवश्यक प्रमाण में करवाता व पूरे परिश्रम के साथ मन लगाकर पढाता। मैं स्वयम् अध्ययन कर के ऐसा तरीका ग्रहण करता कि मेरे विद्यार्थी थोडे से परिश्रम में बहुत पढ़सकें। चि० रामनारायण का केवल ८ महिने में सफलता के साथ मैंनें मैट्रिक का कोर्ष पूरा कर दिया, अन्य विद्यार्थियों की भी पढाई अच्छी हुई। शारीरिक व नैतिक उन्नति भी हुई। मेरे विद्यार्थियों को जो देख कर जाते

वे ही हमारी बड़ाई करते व इन विद्यार्थियों को देखकर सभी लोग अपने पक्षों को मेरे पास रखने की इच्छा दर्शाते। मेरे प्रचार करने से जो काम नहीं हुआ वह काम मेरे इन विद्यार्थियों को पढ़ाकर तैयार करने से होगया। मेरे पास मोप गांव के दोनों पक्षों के कुछ सज्जन कई बार आये व वापिस मोप चलकर वहां विद्यालय स्थापित करने का आग्रह करने लगे, अन्य भी कई स्थानों के लोग मेरे पास आग्रह करने पहुँचे।

इन दिनों इलेक्शन की धूम थी। एक दिन एक विद्यार्थी मेरे पास दौड़ते हुए आया कि कुछ मोटरें गांव के बाहर खड़ी हैं व मेरी पूछ तलाश कर रही है, मैं चंद मिनिटों में देखता हूं कि अकोला के श्री ब्रिजलालजी बियाणी एवम् श्री आइदानजी मोहोता तथा अन्य दो एक करोड़ पति सेठ मेरी झोंपड़ी के बाहर खड़े थे। श्री बियाणीजी मेरे पुराने मित्र थे। दौड़ कर हम लोग गले मिले। खूब बातचीत की। मैंने कांग्रेस की आज्ञा के अनुसार कांग्रेस उम्मीदवारों को असेंबली में चुन कर लाने का मेरी शक्ति भर पूरा प्रयत्न किया। रात बेरात, धूप छांह की कोई परवाह न करते हुए, काम किया व हम ने असेंबली में हमारा बड़ा बहुमत प्राप्त कर लिया। मैं स्वयम् मात्र, कई मित्रों के आग्रह रहते हुए भी असेंबली में नहीं गया, तो भी चुनाव में कांग्रेस की आज्ञा का मैंने पूरा पूरा पालन किया। मैंने तो मेरी पूरी शक्ति विद्या प्रचार व मेरी कनरवाति व कृषि की खोज में ही लगाने का निश्चय कर लिया था।

एक दिन मैं रिसोड़ अपने साथ सेठ शिवनारायण को लेकर बैल गाड़ी में घूमने के लिए चला गया। शाम के समय ओलों की भयंकर बरसात हुई,

रास्ते के नाले नदी ओलों से व पानी से खूब भरगये। सैंकड़ों पशु मरगये, कुछ मनुष्य हानि भी हुई। मैं भी प्रातःकाल होते ही आपत्ति में फंसे हुए लोगों की मदद करने चल दिया। लोग शाब्दिक सहानुभूति के सिवा अन्य क्रियात्मक नहीं देते थे। रिसोड–मांगरूड़ी रास्ते में एक जगह आध मील दूर तक ओले बिछे हुए थे। किसी किसी स्थान पर तो ओलों का थर कोई ६ फीट मोटा व गहरा था, मैं जब यहाँ पहुँचा तो ओलों के बीच एक हरिजन जो पोस्ट की थैली लेकर आरहा था, गड़ा हुआ पड़ा था, वह बोल भी नहीं सकता था, इशारा करने की भी उसमें शक्ति नहीं थी, मैंनें उसे बचाना चाहा, हम सब लोग उसे पहचानते थे। हमारे गाड़ीवान व अन्य सवर्ण लोगों नें वह हरिजन था इसलिए व कुछ लोगों नें उसके पास पचास गज तक ओलों के ऊपर चल कर पहुँचने में अपनी असमर्थता बताकर मेरी मदद करने से इनकार कर दिया अंत में मैंनें श्रीशिवनारायण से कहा परंतु वह भी ओलों पर होकर उसके पास पहुँचने में असमर्थ रहा व कोई अन्य उपाय करने के लिए आवश्यक समय नहीं था, एक एक मिनिट उसके जीवन का सवाल था। मैं आगे बढ़ा कोई १८–२० फीट आगे बढ़ा होगा कि पैरों ने जवाब दिया। किसी कदर हाथों के बल पर कुदकी मारकर वापिस आया। मेरा कोट फाड़कर मेरे बूटों के नीचे व तलवों में कपड़े बांधे। झाड़ों के पत्ते साथ में लिए जिससे पैरों के निचे डालकर उनपर खड़ा हुवा जा सके। बड़ी कठिनाई से मैं उस पोस्टमैन हरिजन को ... डाक के थैले को जिसको वह छाती के आसपास लपेटे हुए था।

बरफ से बाहर घसीट लाया व लाकर गाडी में डाल दिया वह जीवित था व संभवतया आज तक जीवित है। हरिजन गाड़ी में डाल दिया गया था इसलिये मेरे गाडी वान ने गाड़ी हांकने से इनकार कर दिया। हम लोगों ने उसको पोस्ट ऑफिस पहुंचाया। मैं वापिस मांगव जी आकर पहुँचते ही बीमार पड़ गया। बुखार प्रतिदिन १०५° डिग्री तक जाने लगा। मेरी कोई दवा नहीं हुई। आठ दस दिनों के पश्चात मुझे खामगांव पहुँचा दिया गया, यहां आते ही मैं अच्छा हो गया।

चंद दिनों तक मैंने घर विश्राम किया। घर में माता पिता वृद्ध हो चुके थे। पत्नी भी जवान हो चुकी थी। मैं भी अब २७ वर्ष का हो रहा था। घर में कोई कमाने वाला नहीं था। तो भी मैंने किसी कदर एक बार पूरी शक्ति लगाकर विद्यालय प्रस्थापित करने का निश्चय किया। एवं प्रयत्न आरम्भ कर दिया। वासम को मैं इसके लिए योग्य स्थान समझता था। वासम अकोला जिले का उपजिला है, मोटरों की कई सड़कों का यह एक केंद्र है।

एक दिन अचानक संयोग आगया। मैं हिंगोली से मेरे एक विद्यार्थी के विवाह से वापिस लौट रहा था। वासम में सांझ होगई आगे जाने को मोटर नहीं मिल सकी, मैं राममंदिर में ठहर गया। कुछ १०-१२ वर्ष की आयु के बच्चे एकत्रित करके ले आया। विवाह से साथ में कुछ मिठाई लाया ही था वह मैंने व बच्चों ने मिलकर खाई। लड़कों से मैं कुछ कहानियां कहने बैठ गया। लड़कों ने आग्रह किया

कि मैं वहां पर एक गुरूकुल स्थापित करदू, मैंने वहां के प्रमुख लोगों को बुलवा कर वहां गुरूकुल स्थापित करने का अपना मनोदय प्रकट किया परन्तु इन लोगों ने मेरा कार्य वहां सफल न हो सकेगा ऐसा अपना मत प्रकट किया। बच्चे मेरे पीछे लगे ही रहे, अन्त में मैंने बच्चों से हंसते हंसते कह दिया कि जाओ कल प्रातःकाल गुरूकुल में अध्ययन करने आजाना। प्रातःकाल उठ कर देखता हूं तो तीन बच्चे पढ़ने के लिए आचुके हैं, मैंने अपने पेटी बिस्तरे मंदिर के एक कमरे में उठाकर रखदिये व बच्चों को लेकर पढाने बैठ गया, एक पेड के नीचे मेरा गुरूकुल खुल गया। लोग हमारा तमाशा देखने लगे। मेरे पास एक रुपया ग्यारह आने बचे हुए थे, इतने पैसों में मुझे गुरूकुल खोलना था। रोज साडे तीन पैसे का आटा लाकर उसकी एक या दो रोटी बना कर उस पर मैं अपना निर्वाह करने लगा। एक महीने तक किसी के भी घर से कोई साग भाजी या कुछ भी न लेने की मेरी इच्छा थी। एक सप्ताह में मेरे पास काफी अर्थात् २० विद्यार्थी होगये। एक साहब ने मुझे एक बंगला देदिया, मैंने कुछ अध्यापक रखलिए व गुरूकुल आरंभ होगया, मिडिल व हाईस्कूल के सभी क्लासेस एक साथ ही आरंभ कर दिये गये। विद्यार्थियों पर अनुशासन काफी कडा रखा गया। १६ लड़के मैंने तीसरी व चौथी क्लास के लिए व उनसे वहां के सरकारी हाईस्कूल के ८ वीं के पेपरों द्वारा केवल ६ महिने बाद परीक्षा ली तो उनमें से ११ लडके उत्तीर्ण हुए व एक लडका एक दो मार्क से अनुत्तीर्ण रहा। विद्यार्थी सब पूरे २४ घंटे मेरी निगरानी में ही रहते थे। प्रातः काल

४ बजते ही उठते व दस मिनट तक प्रार्थना होती, फिर श्लोक व सुभाषित कहते हुए एक कुण्ड पर पहुँचते वहां शौच, मुखमार्जन व स्नान करते फिर उनको लेकर हम कुछ शुद्ध हवामें दौड फिर आते कभी कभी तीन चार मील दूर तक भी चले जाते, इस के बाद विश्रांति, अल्पाहार व लगातार तीन घण्टे तक अध्ययन होता। १० बजे से ११ तक भोजन व ११। बजे से ४। बजे तक विद्यालय का अध्यापन का कार्य होता। साडे चार से पांच बजे तक शौचादि कार्य व तत्पश्चात् कबड्डी या अन्य खेल कूद में ६ बज जाते। ६॥ से ७ तक भोजन व तत्पश्चात् विद्यार्थी अखबार पढ़ते व. स्वतन्त्रता पूर्वक वार्तालाप खेल कूद करते रहते, ८॥ बजे प्रार्थना करके शयन करते, इसके पश्चात् कोई भी विद्यार्थी जागते हुए नहीं रह सकता था।

इस विद्यालय में दिनचर्या व छात्रों का रहन सहन तो गुरुकुल या आश्रमों के ढंगका था। जैसे सब विद्यार्थियों को शुद्ध खादी का बंद बटनों का आधे बांहों का कुरता, नीले रंग की शुद्ध खादी की डबल सूती हाफ पेंट व खादी की केशरिया रंगकी टोपी सदा रात दिन पहने हुए रहना पड़ता था। परंतु पढ़ाई सरकारी विश्वविद्यालयों के कोर्स की थी व मेट्रिक आदि सरकारी परिक्षाओं में लड़के सम्मिलित किये जाते थे। यहां पर मेरे पास कई गांवों के व शहरों के लड़के पढ़ने आगये थे। प्रथम वर्ष में केवल ३५ लड़के ही ले सका था। बहुत से विद्यार्थी विलंब से आने के कारण वापिस करदिये गये थे। एक विद्यार्थी इंटर क्लास का भी लेलिया था।

मेरे इस गुरुकुल के प्रस्थापित होने के साथ ही प्रांतों में कांग्रेस सरकारें स्थापित होगई। हमारे प्रांत में भी कांग्रेस सरकार बनगई। अब मेरे मित्र मिनिस्टर बनचुके थे। कांग्रेस के नेता, सरकार के मिनिस्टर आदि वाशम आते तब मेरे यहां तो अवश्य आते व ठहरते। हमारे यहां के किसी व्यक्ति या समाज को सरकार से कुछ प्रार्थना करनी होती तो उसपर सरकार हमारा मत लिए बिना सुनवाई नहीं करती। कई बार तो कई बड़े प्रतिष्ठित लोगों को नागपुर से मिनिस्टरों ने इसलिये बातचीत किये बिना वापिस करदिया कि वे मुझसे या कांग्रेस कमेटी से बातचीत किये बिना सीधे मिनिस्टरों से जा मिले थे।

स्थानीय कार्य में सरकार हमसे अवश्य परामर्श करती। सरकारी अफसर भी हमसे सदा मिलते जुलते रहते थे। इस समय गुरुकुल की उन्नति का मार्ग बहुत सरल होगया था। मैंने गुरुकुल के भवन बनाने के लिए नगर के बाहर भूमि खरीदली. सी. पी. असेम्बली के स्पीकर श्री घनश्यामसिंहजी गुप्ता के हाथसे शिला न्यास समारोह हुआ। इस उत्सव के दिन जो जुलूस निकला उसकी लम्बाई दो मील से कम नहीं थी। गांव गांव से आई हुई ११६ गाड़ियां कोई दस हजार से अधिक विद्यार्थी व जनता थी। प्रांत के बहुत से कांग्रेस कार्यकर्ता एवम् कुछ प्रमुख लोग भी दूर दूर से आये थे। शिलान्यास समारोह के दिन एक पंडित श्री शिवनारायणजी ने मुझसे कहा था कि मैं इस मुहूर्त में शिला रखवाऊंगा तो कार्य में विघ्न आवेगा या बिजली पड़ेगी। उनका कहना पूरा पूरा सत्य ही निकला।

गुरुकुल की स्थापना के प्रथम वर्ष में तो मैंही गुरुकुल का सब कुछ रहा जैसे मैंही प्रिंसीपल, संचालक, छात्रालय निरीक्षक व प्रचारक था। इसके साथ कॉंग्रेस का काम, सामाजिक व धार्मिक सेवा भी कुछ रहती ही थी। लेकिन कॉंग्रेस सरकार स्थापित होने के पश्चात् कई ऐसे लोग जो कभी कॉंग्रेस से सहानुभूति रखनाही नहीं जानते थे वे अब पक्के कांग्रेस-भक्त बनगये थे, ऐसे लोगों ने अपनी काली टोपियां छिपाकर शिरपर सफेद टोपियां व खादी के कमीज धारण करलिये थे, व देशभक्ति की ढोंग हांकते फिरते थे। जब हम लोग जेलों में चक्की पीसते थे तब ये लोग घर में बैठकर गुलछर्रे उड़ाया करते थे वे आज देशभक्त बनगये थे। इस प्रकार नेताओं की फसल अच्छी आगई थी व संस्थाएं कम थी। मैंने दूसरा वर्ष लगने के पूर्व ही विद्यालय के विभिन्न काम अलग अलग कमेटियां स्थापित करके उनके हाथ में सौंप दिये थे। द्वितीय वर्ष के आरंभ से ही हम लोगों में कुछ ऐसी भावना जाग्रत होगई कि सारी नेतागीरी हम ही लेलें। इसके कारण विद्यालय को न तो मैं विद्यापीठ का स्वरूप ही दे सकता था व न मेरे उद्देश के अनुसार विद्या प्रचार ही हो सकता था। संस्था अबतक काफी बड़ी होती आरही थी, मैं समझ गया था कि विभिन्न कमेटियां स्थापित करके मैंने अपने गले में घंटा बांध ली है। जो व्यक्ति शिक्षा शास्त्र को नहीं समझता, उनके मत का यहां मूल्य ही क्या होसकता है? तो भी मैं अब जो भी काम करता उसमें कुछ संघर्ष सा आही जाता था। मैंने सोचना आरंभ करदिया था कि इस विद्यालय को जो चलाना चाहते हैं उन लोगों के हाथमें

छोड़दूं व मैं अन्यत्र कोई और विद्यालय स्थापित करलूं। जिसमें कमेटियां आदि बनाकर फिर गले में घंटा नहीं बांधूंगा। एक दिन अचानक नीचे लिखे अनुसार संयोग आ प्राप्त हुवा व मैं इस संस्था से दूर हटगया। आज यह संस्था खूब फल फूल रही है। इसमें एक हाईस्कूल, डिग्री कोलेज व छात्रालय हैं, लेकिन वे हैं वैसे ही जैसे अन्य विद्यालय व छात्रालय हैं, जो कुछ थोड़ीसी विशिष्टता मैं दे सका था उससे अधिक विशिष्टता फिर किसी ने देने का प्रयत्न नहीं किया।

एकदिन कुछ विद्यार्थियों को लेकर मैं बैठाहुआ था कि न्याड नाम के एक गांव के श्री कन्हैयालाल जी लड्ढा आ पहुँचे। इनका लड़का भी मेरे ही पास पढ़ता था। आप आते ही मुझ से न्याड में ऊख का रस पीने के लिये चलने का आग्रह करने लगे। साथमें ८-१० विद्यार्थियों को लेकर मैं न्याड गया, वहां दो दिन तक विश्राम लेने के पश्चात् वापिस यासीम लौटना ही चाहता था कि वासम की भांति कुछ बच्चोंने आकर मेरे चारोंतरफ घेरा डाल दिया व न्याडमें गुरुकुल स्थापित करने का आग्रह किया, अन्त में मैंने एक झाड़के नीचे गुरुकुल स्थापित कर-दिया। यहां ग्राम के कार्यकर्ताओं ने मुझे पूरा सहयोग दिया तो मैं: गांव में बंगले न होने के कारण एक पेड़ के नीचे ग्रामकी छान के अंदर मेरा निवास-स्थान बना अल्प समय के पश्चात् अच्छे सज्जनों के कई जिले के लड़के मेरे पास आगए। गांव के बाहर एक नारङ्गी के बगीचे में घास की कई झोपड़ियां बनाकर हम रहने लगे, उसी स्थानपर हमारा छात्रालय भी बना-लिया। जो झोपड़ियां दिन के समय विद्यालय रहती वे ही रात्रि के

समय विद्यार्थियों के शयनागार बन जाती थी। इसके सिवाय भोजनालय कार्यालय, रुग्णालय आदि के छप्पर अलग बांध रक्खे थे। अब मैं प्रसन्न था। विद्यालय में शिस्त अनुशासन तालीम के छात्रों में जैसे मैंने रक्खी थी उसी अनुसार ही रक्खी गई थी। यहां विद्यार्थी स्वावलम्बी बनकर इस वर्ष के अन्त तक घर से बिना खर्च मंगाये ही विद्या प्राप्त करसकें ऐसी मैं एक योजना सफल होने के रास्ते पर मैं प्रयत्न ले आया था। यहां कोई नगर पास में नही था। न मोटर की सड़क ही थी और न सिनेमा मेला आदि कोई झगड़ा ही था। मैंने कांग्रेस कार्यमें से हरिजन सेवा व ग्रामोद्योग से ही केवल अपना सम्बन्ध रखना चाहा व अन्य बातोंमें मैं पड़ना नहीं चाहता था। इनदिनों मेरे आस पास दस पांच कार्यकर्ता जहां भी मैं जाकर रहजाता सदाही मुझे मदद करते हुए रहते थे, सो सार्वजनिक सेवा अत्यन्त सरल सा काम होरहा था। कई ला ग्रेजुएट, ग्रेजुएट व अन्य अध्यापक मैंने वेतन देकर रखलिये थे, तो भी मेरा दुर्भाग्य तो मेरे साथ ही था।

गुरुकुल में स्वास्थ्य, विज्ञान पढ़ाने के लिये व औषधालय एवम् अस्पताल चलाने के लिये एक मेडिकल शिक्षा प्राप्त डाक्टर मैंने वेतन पर बुलालिया था। हम एक दिन इस डाक्टर महाशय को व कुछ विद्यार्थियों को लेकर तैरकर नहाने के लिये एक कुवे में जाकर कुदकियां लगाने लगे, डाक्टर बलवन्तराव भी न मालूम क्या समझे या मेरे अनुशासन में - आज्ञापालन में विलम्ब करना महान् अपराध समझा जाता था यह सोचकरके ही शायद कूद पड़े हों, मैं ने जब नहाने के

लिये कूदने को कहा तब कूद पड़े हम को पता ही नहीं था कि डाक्टर साहब को तैरना ही नही आता हमने उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। मजबूत कसाहुआ शरीर था, हमें क्या ज्ञान कि उनको तैरना नहीं आता। डाक्टर ज्यों पानीमें कूदे तो गिचकियां लेकर डूबगए जब हम लोगों ने उनको बाहर निकाला तो वे मरचुके थे। यह एक भैरेगर प्रहार था।

गुरुकुल में पहिले तो पांचवें क्लास से मैट्रिक तक के क्लास आरम्भ करही दिये व बाद में कालेज क्लासेज शुरू करने के प्रयत्न में लग गया। एक छोटासा दवाखाना व एक मेरी वनस्पति एवम कृषि की छोटी सी व्यवस्थित प्रयोगशाला भी बना ली। मेरे पास मेरा अपना एक प्राइवेट सेक्रेटरी व निजी स्टाफ रखकर सारे संसार के देशों की शिक्षण संस्थाओं से पत्र व्यवहार करके सम्बन्ध स्थापित करके मेरी शिक्षण संस्था अच्छी से अच्छी बनाने का मैं प्रयत्न करने लग गया। यहां पर संचालन, प्रिंसीपल, पद, छात्रालय की दिनचर्या व भोजन की देखरेख मैं स्वयं ही करता था। मैं अब विद्यालय का काम, हरिजन सेवा, कृषि आदि के वैज्ञानिक प्रयोग आदि में ही अपना सारा समय लगारहा था व इससे भिन्न मेरी कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं थी, हां अपने विद्यालय को मैं एक बड़ी युनिवर्सिटी में परिणत करने की बात अवश्य सोचा करता था। कुछ महिने तो यहां मेरे शान्ति के साथ अवश्य बीते। मैंने अपने विद्यालय, छात्रालय, दवाखाना व प्रयोगशाला को अच्छी प्रकार से जमालिया। मेरा एक अपना छोटा सा पुस्तकालय भी करलिया

में मेगनेटों आदि से मनुष्य, पशु व पौदों के आरोग्य की दृष्टि से व अन्य प्रकार से बिजली के भी प्रयोग करने में काफी समय लगाने लगा। अब मेरे ही पास मेरी पत्नी भी आकर रहने लगगई थी। मेरी माता जी भी कभी कभी मेरे पास आकर रह कर चली जाती थीं। मेरे एक लड़की भी होगई थी। सरकार ही कांग्रेस की थी, इसलिये मेरी दृष्टि से अब राजनैतिक संघर्ष की भी कोई बात नहीं बची थी। लेकिन संयोग कुछ और था। एक अनपेक्षित आन्दोलन मेरे शिर पर आही पड़ा।

व्याड यह गांव वासम से १६ मील दूर था। दोसौ घरों की आबादी होगी जिसमें ५० घर हरिजनों के १० घर मुसलमानों के एक घर मारवाड़ी का व अन्य मराठे, तेली आदि जाति के थे। गांव के लोग झगड़ेबाज तो थे ही अतः इनके आपसी मुकदमें सदा ही चलते रहते थे। परन्तु मेरा इनके आपसी झगड़ों से कभी कोई सम्बन्ध नहीं आया। यहां का मारवाड़ी बनियां पूंजीपति नहीं था। यहां लेन देन का व्यवहार यहां का एक दिवाण नाम का मुसलमान किया करता था। इसका लेन देन हरिजनों में अधिक रहा करता था। एक हरिजन को कभी २ रुपये की जवार इसने उधार दी थी, मुझसे कहा गया कि २ रुपये के जवार के कर्जे में उस हरिजन को इसके यहां २ वर्ष तक नोकरी करनी पड़ी तो भी वह कर्जा तिगुने रुपयों में उस हरिजन के ऊपर लेना बाकी ही था। व्याड गांव से कोई आध मील की दूरी पर निजाम हैदराबाद राज्य की सरहद थी। वहां के मुसलमान भी गरीबों पर व विशेष करके हरिजनों पर ऐसे ही अत्याचार किया करते थे। नैतिक दृष्टि से तो यहां के हरिजनों का कोई अस्तित्व

ही नहीं था। किसी भी हरिजन की लड़की को कोई भी मुसलमान पकड़ कर अपने घर में रख लेता था। उस हरिजन लड़की के पिता के या पति के घर में ही जाकर चाहे जितने समय तक रहता, व्यभिचार आदि मनमाना बरताव भी करता। यह अत्याचार लोग रात दिन अपनी आंखों से देखते और इसको साधारण दैनिक व्यवहार से बढ़कर कोई अधिक महत्व नहीं देते थे। मैंने भी यह सब अत्याचार सुने, जांचे व सत्य पाये। मैं ने हरिजनों में नैतिकबल निर्माण करने का प्रयत्न किया कुछ हरिजन लड़कों को विद्यालयों में भेजा, सफाई से रहना भी सिखाया, इसका परिणाम यह हुआ कि अत्याचारी व पूंजीपति मुसलमान मेरा द्वेष करने लगे। मैंने मुसलमानों के आर्थिक अत्याचार समाप्त करवाना चाहा। मुसलमानों को समझाया, वे कब समझने वाले थे, वे तो मेरे दुश्मन बन गये। मैंने हरिजनों से कहा कि वे कर्जा के रुपये व उसका मामूली व्याज मिला कर उन मुसलमानों का कर्ज वापिस कर दें, उससे अधिक न देवें परन्तु हरिजनों ने ऐसी बातें कभी सुनी नहीं थी। व्याड एक ऐसे कोने में था, जहां न तो कोई अखबार पढ़ने वाले लोग थे न इससे पूर्व कोई कांग्रेस या अन्य राजनैतिक या सामाजिक आन्दोलन देखा सुना ही गया था। वे बिचारे मेरी बातें कैसे मानते? फिर लोग हरिजनों को व गरीबों को सदा ही लूटा करते थे। इसलिए सफेद पोश आदमी पर उनका भरोसा भी कैसे बैठता? मैं ने सरकारी अफसरों से मदत चाही, परन्तु एक तो उनके पास कानून नहीं था व था तो उसके लिये पर्याप्त द्रव्य व पैसा चाहिये था। मैं ने हमारे प्रांत के प्रधान मंत्री

व मेरे मित्र पं० रविशंकरजी शुक्ला को लिखा, उनसे मिलकर बातचीत भी की परन्तु उन्होंने मुझसे ही प्रार्थना की कि मुझे मुस्लिम लीग की नीति को बदल देने की दृष्टि से सोचना चाहिये. किसी भी सांप्रदायिकता को पनपने नहीं देना चाहिये। मैं सांप्रदायिक दृष्टिकोण से तो सोच ही नहीं रहा था। मेरा तो गरीबों व हरिजनों को आर्थिक एवम् अन्य अत्याचारों से मुक्त करवाने का निश्चय सा था, अन्य मिनिस्टरों से भी मिला परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला, एक दस हजार दस्तखतों से दरख्वास्त भी प्राईममिनिस्टर को भेजी, अंत में मुझे सरकारी सहायता नहीं मिल सकी। अब मेरे सामने प्रश्न था। कि या तो मैं इन गरीबों की व हरिजनों की चिल्लाहट व अत्याचारों को निष्क्रिय बनकर देखता रहूं या इनकी सहायता बातों से करूं. या इनमें शिक्षा प्रचार करते हुए दीर्घ काल में इनमें नैतिक बल आने तक प्रतीक्षा करूं? मैंने सोच विचार कर गरीब किसान व हरिजनों के ऊपर होने वाले अत्याचार समाप्त करवाने का निश्चय कर लिया। गुरुकुल के छात्र व अध्यापकों को मेरे इस आन्दोलन से मैंने दूर रहने का आदेश देदिया।

मैं गुरुकुल का संचालक एवम् प्रिंसिपल भी था, अध्यापन भी करता था, प्रयोगशाला में तो केवल मैं अकेला ही प्रयोग करने वालाथा। मुझे प्रति दिन १८ घंटे काम करना पड़ता था अब यह आन्दोलन के संचालन का कार्यभार मेरे ऊपर आपडा। पास ही के निजाम राज्य के गांवों से ब्याड आकर या अन्य स्थानों पर मुसलमान लोग शस्त्रों का व शक्ति का प्रदर्शन बताकर जनता को भयभीत करते थे। मैं जानता था कि इन

मुसलमानों के शस्त्र केवल निर्बलों को भयभीत मात्र करने के लिए ही है। मैंने भी कुछ नौजवान लगभग २० साल की आयु के २४ लड़के लाठी सिखाकर लठधारी तैयार करवा लिये। स्वयंसेवकों को मिलिटरी ट्रैनिंग व लाठी भाला की ट्रैनिंग देने के लिए एक श्री गोपालराव ठाकुर को मैं वेतन पर ले आया, यहां पर पूंजीपति आदि सब मुसलमान ही थे। प्रथम प्रथम तो इन अत्याचारी मुसलमानों के खिलाफ आन्दोलन करने में कुछ मुसलमानों ने भी मेरा साथ दिया क्योंकि उन मुसलमानों को यह पैसे वाला मुसलमान अपने साथ नमाज भी नहीं पढ़ने देता था। यहां के एक सार्वजनिक बैठक को व धर्मशाला को मुसलमानों ने मस्जिद बनाली थी व उसके आसपास के रास्तों पर कोई धार्मिक या सामाजिक जुलूस बाजे बजाते हुए जा नहीं सकता था। रास्ता मस्जिद से दूर था। रास्ते से बाजों के साथ जाना यह प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, इस नागरिक अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। मैंने सर्व प्रथम तो पीडित जनता को अयोग्य व्याज व अयोग्य पूंजी वापिस न देने को कहा परन्तु जनता में नैतिक बल नहीं था सोऐसा तो नहीं होसका। तब थोड़े से साथियों को लेकर मैंने आक्रमणात्मक आन्दोलन खोल दिया और आन्दोलन का प्रथम दिन गणेश चतुर्थी का श्री गणेशजी का वाद्यों सहित जुलून मस्जिद के पास वाले रास्ते से लेजाना निश्चित किया। मेरे पास किसान लड़कों की लाठीधारी टोली मौजूद थी इसलिये मुसलमानों ने "नंगे से खुदा डरे" की नीति अपनाली श्री दिगरस मुसलमान मुस्लिम लीग वासम व अकोला के मार्फत सरकार के पास पहुँचा, सरकार ने

ब्याड पर पुलिस भेजदी। मैंने एकबार निश्चय करलिया था। अब पुलिस का भी सामना करने हम तैयार बैठे थे। सरकार का सामना शांति पूर्वक उपायों से अहिंसा के साथ और गुण्डों का व अत्याचारियों का सामना लाठी के बलपर करने हम तैयार थे। पुलिस मुझे जानती थी और डरती भी थी, जुलूस रोकने की चेष्टा तो केवल शब्दों से ही की, और मुझे जुलूस में देखकर पुलिस ने कुछ भी नहीं कहा। हमारा गणेश चतुर्थी का जुलूस मस्जिद के सामने से गाजते बाजते चलागया। पुलिस वाले बिचारे अपना सा मुंह लेकर आये थे वैसे ही चले गये। इस घटना की खबर मिनिस्टरी के पास पहुँची, पहिले तो इस घटना से या गणेशोत्सव से मेरा कोई विशेष सम्बन्ध ही नहीं है ऐसा सरकारी अफसर प्रचार करते रहे, लेकिन जब मैंने उनसे अपना सम्बन्ध घोषित किया तो सरकारी अफसर मेरे विरुद्ध जाने में आनाकानी करने लगे, अन्त में मैंने सरकार से फिर कहा कि गरीब किसान व हरिजनों की उनपर होने वाले अत्याचारों से रक्षा की जाए व अत्याचारी मुसलमानों को दंड दिया जाये। लेकिन सरकार मुसलमानों का दिल दुखाने के लिये किसी भी प्रकार तैयार नहीं थी, मैंने अत्याचारियों का मुकाबला करना निश्चित किया, व कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों का साथ देना निश्चित किया। मिनिस्ट्री से जिला अफसरों को सूचनाएं प्राप्त होगई, पुलिस व मेजिस्ट्रेट हमारे विरुद्ध पक्ष को मदद करने के लिए नियुक्त होगए, कानून अत्याचार की रक्षा कर रहा था, मेरे अबतक के स्वातंत्र्य संग्राम के साथी मेरे विरुद्ध थे, मेरे साथ केवल सत्य था और छोटे मोटे स्थानीय कांग्रेसी व अन्य

कार्यकर्ता थे। हमने भी सैनिक शिविर की स्थापना करदी व कांग्रेस
सरकार व मुसलमानों को सीधा चैलेंज देदिया।

हमारे सैनिक शिविर में सैनिक स्वाद्य-विगुल, श्रृङ्ग, नगारे बजने
लगे परेड होने लगी, युद्ध का निमन्त्रण गाव गांव में जाने लगा।
गांवों के पीड़ित लोगों में वीर श्री का सञ्चार होने लगा। प्रतिदिन कई
बार मस्जिद के आगे वाद्य बजाते हुए जुलूस निकाले जाते।
निजाम हैद्राबाद की सरहद में के गुण्डों की अब क्या मजाल थी जो अब
किसानों को व हरिजनों को भयभीत करने व शक्ति का प्रदर्शन करने आ
जाते। अब तो सैकड़ों हरिजन महिलाएं भी निडरता के साथ तिरङ्गा झंडा
लिये हुए बाजे बजाती मस्जिद के सामने से गुजरती थी। सरकार, सरकारी
अफसर, गुण्डे व अत्याचारी लोग हैरान थे। उन्होंने ऐसा तमाशा
कभी नहीं देखा था। जनता में इतनी एकता होगई कि यदि
सरकारी अफसर ग्गांव में आता तो उससे कोई बात ही नहीं करता,
सरकारी नौकरों को व उच्च अफसरों को कोई अपने मकानमें या पशु
बांधने की जगह पर भी बैठने या ठहरने को स्थान नहीं देता था।
वे विचारे पेड़ों के नीचे ही रात दिन पड़े रहते, एक दिन मैं रात को
घूमने गया तो एक पुलिस अफसर एक पेड़ के नीचे पड़ाहुआ था, शायद
ज्वालासिंह सर्किल इन्स्पेक्टर था, उसे १०३° डिग्री बुखार चढ़ा हुआ था
मैंने व मेरे कई विद्यार्थियों ने सुना कि वह वेहोशी में बड़बड़ा रहा था;
([illegible] अब हम ऐसा नहीं करेंगे; हमारे ऊपर दया करो, क्षमा करो

हम को चले जाने दो") इस गांव में कोई मन्दिर भी नहीं था जहां वे ठहर सकें फिर हरिजनों के व अन्य बच्चे भी इनके पीछे लग जाते थे।

जब मुसलमानों की शारीरिक शक्ति हमारा सामना नहीं कर सकी तो मुस्लिमलीग वालों ने उनके अपने अखबारों में हलचल मचाई मुहम्मदअली जिन्ना तक शिकायत पहुँचाई गई और कांग्रेस सरकार के पास प्रति दिन तार पहुँचने लगे। सरकार ने मेरे विरोध में कड़ी कार्यवाही करना आरम्भ कर दिया १४४ धारा लगा दी जिसको हम चैलेंज के साथ सविनय भंग करते और तिरंगे झंडे के साथ जुलूस निकालते थे। रोज प्रातः काल प्रभात फेरी निकलती, फिर सैनिक परेड होती। यह सब होते हुए भी विद्यालय व गुरुकुल का काम शांति के साथ चल रहा था। उस कार्य में तथा वहां के कार्यकर्ताओं में इस विषय की कोई हलचल हमने नहीं होने दी।

मैं कुए में उतर कर तैरने के लिए पानी में पैर रखना ही चाहता था कि मेरा एक विद्यार्थी चि० बालकृष्ण दौड़ते हुए मेरे पास आया और पुलिस इंस्पेक्टर कुछ पुलिस लेकर मुझे गिरफ्तार करने के लिए आया है ऐसी मुझे सूचना दी। मुझे अत्यंत आनंद हुवा। मैंने स्नान करके संध्या प्रार्थना की तो रिसोड थाने का पुलिस इंस्पेक्टर श्री गुलाम जिलानी पुलिसी ड्रेस में खड़ा था। मुझे देख कर अदब के साथ सलाम किया, और दूर खड़ा हो गया, वह घबरा रहा था।

श्री गुलाम जिलानी ने अफसोस जाहिर किया कि उसे ही मेरे पास यह सरकारी आज्ञा लेकर आना पड़ा। मुझे सरकारी वारंट सौंपा गया

जिसमें चंद इसनों के लिए एक सौ रुपये का मुचलका या जमानत शांतिभंग न करने की प्रतिज्ञा के साथ लिख देनी थी। मैं ने कहा भाई गुलाम जिलानी, मुझे गिरफ्तार करलो मैं तो शांति भंग करना तो नहीं चाहता था परंतु मेरी निश्चित की हुई योजना से जाते हुए यदि शांति भंग हो जाती हो तो भले ही हो जाए। विचारे पुलिस अफसर ने चाहा कि उसे मुझको गिरफ्तार न करना पड़े परन्तु मैं कब मानने वाला था अंत में मैं गिरफ्तार होगया, एक कुरसी लेकर एक तरफ बैठ गया, और भी छै प्रतिष्ठित स्थानीय सज्जनों पर भी वह वारंट बजाया जब मैंने हा मुचलका या जमानत नहीं दी तो दूसरे कैसे देने लगे, मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी व हैड मास्टर एवम् मिलिट्री ट्रेनिंग देने वाले सज्जन भी गिरफ्तार हो गये। अब दमन ने अपना मुंह खोला था और हमें उसमें आहुतियां डालनी थी, मैंने मेरे पीछे आन्दोलन चलाने का भार मुझसे मिलने के लिए आये हुए मेरे एक अतिथि व मित्र जो सन्यासी थे उनके आग्रह से उन पर डाल दिया इन सन्यासी का नाम था श्री प्रसादवन महाराज, इनके पश्चात् सिलसिला ऐसा रचने का प्रयत्न हुवा कि सरकार को हमारा दमन करने के लिए कई हजारों को गिरफ्तार करना पड़ता। इस बीच में गुरुकुल का कार्य बराबर चलता रहा, उसमें विशेष हानि नहीं हुई।

हमें गिरफ्तार होने के पश्चात् जनता में एक बिजली की सी लहर दौड़ गई। सारे किसान व हरिजन स्त्री पुरुष सत्याग्रही बन गये मुझसे आज्ञा लेकर कोई ३०० हरिजन बहिनें एक जुलूस लेकर निकली व

सरकारी आज्ञाओं का सविनय भंग किया, बाद में पुलिस अफसरों को चैलेंज देकर कई बार किसान व हरिजन बहनों ने सत्याग्रह करते हुए कानून भंग किया। हम वहां से रवाना हुए तो जनता ने हमें बादशाही विदा दी, हमारे ऊपर फूलों की वर्षा सी बरस रही थी, कदम कदम पर हम सब बंदी लोगों की आरतियां उतारी जाती, मालाएं पहनाई जाती, कुंवारी लड़कियां कुछ अपना स्वागत अलग करती, सुहागिन बहनों का फोर्स अलग था। कोई दो सौ गज रास्ता काटने में ठीक ४ घंटे चले गये, और आगे भी समय लगा। प्रातः काल ८ बजे गिरफ्तार हुए थे सो मोटर पर सवार होने में दुपहर के ३ बज गये। शाम को ४ बजे हम बासीम पहुँचे, अदालत पर लोगों की भीड़ लग रही थी। मोटर से उतरते ही वंदेमातरम् की गर्जना हुई। सबडिविजनल मेजिस्ट्रेट की कोर्ट में उपस्थित हुए. बिचारा मेजिस्ट्रेट भी हैरान था, वह चाहता था कि मैं उसे यह वचन दे दूं कि मैं अनंत चतुर्दशी तक अर्थात् ७२ घंटे ब्याड नहीं जाऊंगा तो वह हम सबों को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन मैं सरकार की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था, बरसों बंद पड़ा हुआ बासम जेल खोल कर हम लोग जेल पहुँचाये गये कुछ बासम के लोग व बासम के मेरे विद्यालय के विद्यार्थी व अध्यापक मुझसे आकर मिले व मुझसे आदेश चाहा "मैंने संदेश दिया कि एक भी तुममें से जिंदा रहे तब तक मेरे बताये मार्ग से गुंडों व अत्याचारियों का सामना करो, यदि सरकार भी अत्याचारियों की मदद करे तो उसको भी समाप्त करने का प्रयत्न करो।" अनंत चतुर्दशी के दिन सरकार का मुकाबला

करते हुए जुलूस निकाला जाए, बस मेरी यही आज्ञा है, मेरी आज्ञा का पालन होना ही चाहिये। मेरा संदेश ब्याड, वासम व अन्य गांवों में शीघ्र ही पहुंच गया व लोग अपनी जान पर खेलने को उतारू होगये

सरकार भी अपनी बात पर अड़गई, लारियां भर २ कर पुलिस भी ब्याड पहुँचने लगी जनता भी ब्याड के चारो तरफ छा गई। अत्याचारी मुसलमानों का तो कोई पता ही नहीं था। अब तो हम में और हमारी सरकार में सामना था। मित्रों में युद्ध प्रसंग छिड चुका था। ब्याड रवाना होने के पूर्व मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी मुझ से मिलने आये वे मुझसे ऐसा सदेशा चाहते थे जिससे वे जनता को समय पर शांति भंग करने से रोक सकें। अनंत चतुर्दशी को ब्याड में हजारों किसान पहुँच गये। सरकारी हुक्म कई दफाएं लगा लगा कर लिखे हुये कागज सरकार ने स्थान २ पर चिपका दिए, लोगों ने सब कागज फाड़ २ कर फैंक दिए। मेजिस्ट्रेट ने जुलूस बंदी की आज्ञा दी। जनता मेरे सिवा और किसी का भी हुक्म मानने को तैयार नहीं थी। जनता चिढ़ गई थी यदि पुलिस गोली चलाती तो उन गोलियों के आगे सैंकड़ों लाशें तो अवश्य बिछ जाती। मेजिस्ट्रेट और पुलिस की परवाह न करते हुए गणेशजी का जुलूस निकला सामने से पुलिस पाछे धक्के दे रही थी। और जनता पुलिस को पीछे ढकेल रही थी। मेजिस्ट्रेट कभी मराठी में कभी हिन्दी में अलग ही कानून की दफाएं पढ़ पढ़कर सुना रहा था। और जूलूस के साथ जा रहा था।

इस प्रकार जुलूस चलते २ मस्जिद तक आ पहुँचा। अब तो पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों ही सत्याग्रही जैसे प्रतीत होने लगे। दो २ तीन २ आदमी एक २ सरकारी कर्मचारी को उठाकर पांच सात कदम आगे रख आते और थंका सा गणेश जी का रथ आगे बढ़ता। इस प्रकार जुलूस तो सफलता के साथ निकल गया। हाँ रास्ते में पुलिस वाले गणपति की मूर्ति जरूर चोर ले गये थे तो भी लोगों ने उसके स्थान पर दूसरे एक पत्थर को गणेशजी बना दिया। अब पुलिस ने १४० लोग गिरफ्तार कर लिये। और उनके चारों तरफ तार खैंचकर बच्चों का सा तमाशा का जेलखाना बना दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल मेरे पास श्री प्रसादवन संन्यासी महाराज गिरफ्तार होकर अपने १० साथियों सहित आ पहुँचे। मेरी बात रह गई जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। दूसरे लोग बहुत बड़ी संख्या में जेल आना चाहते थे, परन्तु सरकार ने गिरफ्तार ही नहीं किया व गिरफ्तार किये हुओं को भी छोड़ दिया। शीघ्र ही हम लोग भी हमारे घर वापिस आगये। इसके पश्चात बाजे के साथ जुलूस निकलने में कभी सरकार ने या गुन्डों में से किसी ने भी कोई रोक टोक नहीं की। अब बाजा बजते हुए बेखटके जुलूस निकलते है, वैसे बीच में इसको रोकने की कुछ बारीक आवाज अवश्य उठी थी लेकिन वह शून्य में ही रह गई।

कुछ लोगों ने प्रांतीय कांग्रेस के पास भी मेरे विरुद्ध अनुशासन भंग की कार्यवाही करने की मांग की परन्तु कांग्रेस तो मौन थी, इसके उत्तर में मैंने कांग्रेस में एक महत्व के इलेक्शन के लिए खड़ा होकर

चैलेंज दिया कि मुझे कोई इस इलेक्शन में गिरा देवे और बरार प्रांत से रामगढ़ अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के लिए डेलीगेट (प्रतिनिधी) चुन लिया गया। वाशम तहसील कांग्रेस समिति, अकोला जिला कांग्रेस समिति आदि के कार्यकारिणी का भी मेम्बर चुन लिया गया, वरार प्रांतीय कांग्रेस का भी सदस्य चुनकर आगया, इसके सिवा अन्य कई प्रांतीय व स्थानीय एवं अखिल भारतीय संस्थाओं से संबंधित हो गया। यूनिवरसिटी में रिसर्च के लिए जाने तक अर्थात करीब २ भारत के स्वतंत्र होने तक मैं इन सब पदों पर जनता मेरा साथ दे रही थी, मेरे खिलाफ अनुशासन भंग की कार्यवाही करना मामूली बात नहीं थी।

कांग्रेस मिनिस्टरों ने अपने स्तीफे देदिये थे, वे कैसे भी थे किंतु मेरे सहयोगी व मित्र थे परन्तु अब आगे गवर्नर की सरकार थी। कोई कोई सरकारी अफसर तो मेरा बड़ा ही विरोध करते थे। अब जो खटके उडते थे व बोल चाल होती सो बराबरी के दुश्मनों की सी थी। मेरे लिए सरकार ने ब्याड में स्पेशल पुलिस रख दिया वह प्रत्येक २४ घंटे में एक बार मेरी हलचल के विषय में वहां से ८ मील दूर पुलिस स्टेशन पर खबर पहुँचाता। इस पुलिस के लिए एक खेत में झोपडी बनादी गई क्योंकि गांव में तो जनता आश्रय देने व रहने देने को तैयार नहीं थी। मेरी नजर बचाकर व हो सके वहां तक मुझे संशय न आसके इस प्रकार २४ घण्टे बराबर मेरे ऊपर निगरानी रखीजाती। हमें भी इससे बड़े लाभ होते, एकतो गुरुकुल के लिए पहरेदार रखने का खर्च बच गया और

प्रतिदिन इन पुलिस के जवानों के साथ ताजा शाक भाजी तथा अन्य सामान हम रिछोड से मंगवा सकते थे। यह भी खर्च बच गया। कभी कभी मैं अंधेरी रात में जंगल में घूमने जाता तब यह पुलिस का जवान भी दूर पर छिपता छिपाता मेरे पीछे पीछे चलता। कई बार विचारा गिर पड़ा होगा; एक बार तो एक कीचड़ के गड्ढे में युनीफार्म के साथ जा फँसा था। मेरे प्रयोग, केमिकल्स व बिजली के मेगनेटो आदि को यह लोग बड़े गौर से देखते, विचारे शक करते रहे होंगे के यह कोई युद्ध का सामान तो नहीं है ? सरकारी अफसरों को मैं हैरान कर रहा था और वे मेरे विरुद्ध सच्चे झूठे कई मुकद्दमें चला रहे थे। मैंनें सरकारी नौकरों को अछूत करार दे दिया था। लोग उनको छूने में नफरत करने लगे थे, कई रास्तो पर हैकर सरकारी नौकरों को चलने को मना थी क्योंकि सरकारी नौकरों जैसे पतित लोगों के चलने से वे रास्ते पतित हो जाते। इस गांव में मैं अपना राज्य बताया करता था। इस लिए मैंनें अपना सिक्का भी गुरूकुल में व आस पास के गांवों में चला दिया। सायक्लोस्टाईल मशीन पर सराफी अक्षरों में व हिंदी भाषा में रिजर्व बैंक आँफ ब्याड के १० रु०, ५ रु०, १ रु०, ½ रु० ¼ रु० के नोट छापे गये यह सिक्का हम ब्याड में रहे तब तक चलता रहा।

गुरुकुल स्थापित हुए एक वर्ष होरहा था, मैं गुरुकुल का वार्षिकोत्सव करता तो सरकार पाबंदी लगादेती। इसलिए मैंने एक बड़ासा मेला लगवाने का निश्चय करलिया। मेला बसन्तपंचमी को भरने वाला है ऐसी खबर गांव गांव में भेजदी लोगों ने पूछताछ की कि मेला किस

देवता का है, परंतु हमारे व्याड में कोई देवता तो था ही नहीं। मेले के लिए एक नया देवता निर्माण किया गया। कई वर्ष पूर्व एक खाती की स्त्री मरगयी थी। उसको देवी बनाकर उसका मेला बताया गया। मेला का प्रचार गांव गांव में होने लगा। पुलिस भी मेले के विरुद्ध प्रचार करने लगी। हमारे कार्यकर्ता गांव गांव में मेला का प्रचार करते थे। पुलिस जानती तो थी कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, परन्तु मैं न तो किसी सभा में ही इस विषय पर कुछ कहता और न कुछ प्रकट ही करता। जब मुझसे नहीं निपट सके तब डी० सी० श्री ब्रिजलालजी बियाणी जो उस समय हमारी प्रांतीय कांग्रेस के सभापति थे उनके पास गये व मुझे समझाने की प्रार्थना की, क्योंकि सरकार यदि अब मेला करने देती है तो सरकार की बात जाती है और बलपूर्वक रोकती है तो मुझसे सामना है। अन्त में सरकार ने कानून व शक्ति के सहारे से मेला भरना बंद करवाने का निश्चय करलिया। मैंने सोच ही लिया था कि सरकार क्या करने वाली है।

सी० पी० व बरार में ग्राम पंचायतियों की स्थापना सन् १९२० से हो चुकी है, व उनको अधिकार भी काफी रहते हैं, मुलकी व फौजदारी मेजिस्ट्रेटी अधिकार के साथ ही मेला भरवाना, रास्ते बनवाना, शिक्षा, सफाई, प्रकाश आदि की व्यवस्था व डी० सी० की अनुमति से कर लगाने का अधिकार भी इन ग्राम पंचायतियों को रहता है। ये संस्थाएं जनता के निर्वाचित पंचों की बनीहुई रहती हैं और इन संस्थाओं के फैसलों को सरकार बड़ा महत्व देती है। ये संस्थाएं सरकारी समझी

जाती है। मैंने इन संस्थाओं को आवश्यकतानुसार अपने काम में लाने का निश्चय किया। ग्याड के ग्राम पंचायत के सरपंच श्री कन्हैयालालजी सेठ थे मैंने इनसे स्तीफा दिला दिया। व मेरे एक १८ वर्ष की आयु के श्री नारायण कालवांडे नामक विद्यार्थी को ग्राम पंचायत के सदस्यों से सरपंच चुनवा लिया सरकारी कागजात कई दिनों तक टेबल पर निठल्ले से पड़े रहते हैं; ग्राम पंचायत के मेला संबंधी कागजात सरकार के पास अधिक विलंब से पहुँचे ऐसी ढीली व्यवस्था रखने को कह दिया। ग्राम पंचायत से प्रस्ताव करके मेला कमेटी स्थापित करदी वह कमेटी भी सरकारी कमेटी ही रही क्योंकि ग्राम पंचायत ने कायम की थी। बिचारे सरकारी कर्मचारी इस बातको जानते नहीं थे। अब गांव गांव में मेला कमेटी के छपेहुए परचे ग्रामपंचायत के सरकारी खरचे से बंटते और सरकारी नौकर उसका विरोध करते फिरते उन्हें क्या मालूम कि उन्हीं के घर में आग लगरही है। अब मेला कमेटी कौनसी है, यह भी उन्हें कैसे पता चलता?

मैं पूरा होशियार और चौकन्ना बैठा हुआ था। मुझे शक था कि सरकार कोई आकस्मिक कदम उठाना चाहती है। मुझे पता चला कि यात्रा के उद्घाटन के समय पर हमारे मेले का सब सामान सरकार अपने कब्जे में लेलेगी व मेले में आने वाले लोगों का रस्ता रोककर बलपूर्वक वापिस लौटा देगी। मैं हैद्राबाद जा पहुँचा, और वहां के कई सम्माननीय नेताओं का ग्याड में आना निश्चित कर आया, वहां से सेवाग्राम बापूजी महात्मा गांधीजी के पास होकर अकोला आया और आल इंडिया कांग्रेस

वर्किंग कमेटी के सेक्रेटरी श्री शंकरराव देव का व अन्य प्रांत के नेता व गण्यमान्य सज्जनों का ब्याड आना निश्चित कर आया। इधर सरकार ने तीन चार पुलिस अफसर और बडासा पुलिसदल, तीन चार मेजिस्ट्रेट तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों के डेरे ब्याड में आ डाले। ये लोग मेले में आने वाले व मेला भराने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने आये थे, लेकिन इनके पडाव का प्रचार कुछ ऐसा हुआ कि लोग समझने लगे कि ये लोग मेले का इन्तजाम करने आये हैं। क्योंकि वे लोग कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे व उच्च अधिकारियों की अन्तिम आज्ञा की राह देख रहे थे।

मेला में व्यवस्था करने के लिए स्वयं सेवकों के जत्थे तैयार हो गये थे व समय पड़ने पर वे ही स्वयंसेवक सरकार से लोहा लेकर गोलियां व लाठियां खाने व जेल जाने को भी तैयार थे। सरकारी अधिकारियों कोअंत में पता तो चल गया कि मेला ग्राम पंचायत की ओर से बुलाया गया है, ग्राम पंचायत को वे आज्ञा देना चाहते थे कि मेला बंद करे परन्तु ग्राम पंचायत का सरपंच तो मेरा एक १८ वर्ष की आयु का विद्यार्थी मेरे पास बैठा था वह सरकारी आज्ञा कब मानने लगा? दुकानदारों की जगह बांट दी गई कुछ दुकानदार आ भी गये मेला के उद्घाटन के दो दिन बाकी थे। सरकारी गुप्त आज्ञा मेला वे कानूनी करार देकर हम लोगों को मेला उद्घाटन करने वालों को गिरफ्तार करने की आ चुकी थी, इतने ही में हमारे छपवाकर इस समय के लिए तैयार रखे हुए परचे गांवों गांव में बंटते हुए सरकारी अफसरों तक आ पहुंचे, इनमें लिखा था मेला का उद्-

शाटन कॉंग्रेस वर्किन्ग कमेटी के सदस्य श्री शंकरराव देव करेंगे । कुछ समय बाद एक दूसरा परचा सरकारी अफसरों के हाथों में पडा कि, प्रांतीय कॉंग्रेस के सभापति व कार्यसमिति व प्रान्त के सम्माननीय जनसेवक इस मेले में भाग लेंगे । सरकारी अधिकारियों में भाग दौड हुई । इतने सब नेताओं को गिरफ्तार करना तो बडी भयंकर बात थी । नागपुर तक सरकारी लोगों की भाग दौड हुई व निश्चित हुआ कि इन सबके चले जाने के बाद मेला गैर कानूनी करार दे दिया जाये । दूसरे दिन फिर परचे बँटे कि इनके पश्चात् हैदराबाद के नेता आयेंगे । फिर नागपुर तक भाग दौड मची और मेला करने देने का सरकार को मन मारकर निश्चय करना पडा । रात्रि को पुलिस अफसर व मेजिस्ट्रेट मुझ से मिलने आये और उनसे मैं योग्य सहयोग ले सकता हूँ, ऐसा कहना आरंभ किया । मैंने उनमें से कई पुलिस कॉंस्टेबल को तो सफाई पर व लोगों को शौच के लिए दूर जगह बताने पर मुकर्रर करवाये । सरकारी अफसर व कर्मचारियों के मुंह फोटो लेने जैसे हो गये । लोग इनकी ऐसी गति देख कर लोग हंसते थे, बिचारे बडी बुरी आफत में आ फंसे थे, किसी कदर से यह बताना चाहते थे कि मेला बंद करने व हमें गिरफ्तार करने के लिए वे नहीं आये थे । दूसरे दिन मोटर व बैल गाडियों का तांता सा बंध गया जगह जगह मेले की दुकानें लग गई थी ।

स्थानीय कॉंग्रेस कार्यकर्ता, विद्यार्थी, वकील, डाक्टर आदि दूर दूर के लोग काम व व्यवस्था करने आ पहुँचे । नियत समय पर श्री शंकरराव देव को लेकर श्री० ब्रिजलालजी बियाणी सभापति बरार प्रांतीय कॉंग्रेस

व श्री० डा० काशीकर मंत्री प्रांतीय कॉंग्रेस व कुछ प्रांतीय कॉंग्रेस कार्यसमिती के सदस्य आ पहुँचे. कोई पचास साठ लखपति सेठ भी विभिन्न स्थानों से मदद करने आ पहुंचे। सारे प्रांत से व अन्य प्रांतों से प्रसिद्ध जननायक व गण्य मान्य सज्जन आने लगे। मेले का उद्घाटन हो गया। मेले के दूसरे दिन हैदराबाद (जो यहां से २५० मील दूर है) से स्वामी रामानन्द तीर्थ, अध्यक्ष हैदराबाद स्टेट कांग्रेस राजा लक्ष्मीनिवासजी, पं० विनायकरावजी कोरटकर सभापति दक्षन आर्य प्रतिनिधी सभा, श्री० रामाकिशनजी धूत, श्री० काशीनाथरावजी वैद्य आदि भी आ पहूंचे। आज सैंकड़ों बल्कि हजारों लखपती हमारे आस पास पड़े हुए थे। मेला इतना बड़ा भरा कि रात को पूड़ियों का भाव ॥) सेर से ऊपर चढते चढते २) रुपये सेर होगया। हलवाईयों की दुकानें बिलकुल खाली हो गईं। सब दुकानदार अपना सारा माल काफी अधिक लाभ से बेच बेचकर बैठ गये। जयपुर में गनगौर के मेला में बाहर से जितने लोग आते है उतने ही लोग इस मेला में आये थे इस दिन से अब यह मेला ब्याड में प्रतिवर्ष लगता है। बहुत से नेता तथा कार्यकर्ता तो विभिन्न दिशाओं में गुरुकुल से कोई १०० मील दूर पर हमारी भेजी हुई मोटरों में कार्यकर्ताओं के साथ रास्ते के आस पास के गांवों में पहुंचकर गुरुकुल का प्रचार करते सभा में भाषण देते हुए आये थे। हैदराबाद के सारे नेताओं से मैंने यह काम खूब करवाया था। इस मेला के समय में प्रचार भी तो अच्छा हुआ।

अब सरकारी अधिकारी मुझ से बचकर दूर ही रहना चाहते थे। मेरे ऊपर रखा हुआ स्पेशल पुलिस स्टेशन क्या था, हमारी शान थी। बिचारा पुलिस हमारा संदेशा दे आता, डाकखाने से डाक से आता, झाड़ बुहारी करता व अन्त में हमसे पूछता कि थाना को क्या लिखे। हम जो कुछ कहते लिख देता। हमारे यहां प्रतिदिन दस पांच मेहमान भी आते रहते थे। हमारे गुरुकुल से ३ मील दूरी पर मोटर की सडक थी वहां हमारे मेहमानों को वापिस पहुंचाने वाला कोई नहीं मिलता तो पुलिस को ही उस काम में जोत लेते। स्पेशल पुलिस जो बैठाया जाता है तो उसका खर्च भी सरकार उसी व्यक्ति से लेती है जिसके ऊपर पुलिस बैठाई जाती है, परन्तु मेरे ऊपर पुलिस बैठाकर सरकार को क्या मिलने वाला था। मुझसे तो बिचारों ने कभी कहा तक भी नहीं कि पुलिस का कर दूं, यहां तक हुआ कि रिसोड के थानादार को जब यह पता लगा कि उसने मुसलमानों को हमारे विरुद्ध भड़काया है व यह बात मुझे ज्ञात हो गई है तो वह वहां से ऐसा निकल भागा कि उसकी सूरत भी मैंने तो आज तक देखी ही नहीं परन्तु बरार प्रांत में भी कई महिनों तक वह नहीं आया।

मेरे ऊपर पुलिस रखना निरर्थक समझ कर सरकार ने न जाने क्याउं की थानों कब वापिस हटा लिया। पुलिस के लिये तैयार की गई झोपड़ियों में हमारे किसान रहने लग गए। अब मैं भी मेरा सारा समय रचनात्मक कार्यों में लगाने लग गया था। अधिकतर समय विद्यालय में ही व्यतीत होता था। मैं मेरे विद्यार्थियों को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझता था। कई उलझनों में रहते हुवे भी मैं भोजन करने के

समय उनके पास जाकर बैठजाता, सबों को प्यार करता। थोड़ा सा भी अनुशासन भंग मैं सहन नहीं करता। रात्रि को एक दो बार उठकर उनके बिस्तरों के पास जाता कोई उघाड़ा पड़ाहोता तो कपड़ा डाल आता यह विद्यार्थी मेरा सर्वस्व थे। मैं उनको जितना अच्छा बनाना चाहता था व जितने समय में बनाना चाहता था उसमें यदि कोई त्रुटि आती तो मैं सह नहीं सकता था। यदि किसी विद्यार्थी का अहित होता दिखता तो मैं रो पड़ता था। मेरा कोई छात्र प्रमाद करता तो उसके प्रायश्चित्त स्वरूप या तो मैं एक दिन का या कई दिनों का उपवास कर लेता, या मेरी हथेलियां सामने कर के मेरे अपने ही हाथ से बेंतों से पीटता। मेरे छात्र एवं मैले कुचैले गांवों के लड़कों को जब मैले देखता तो मैं उन्हें अपने हाथ से नल्हाता व उनके कपड़े धो देता। उद्दण्ड बच्चे बड़े ही होशियार निकलते हुए पाये गए हैं। फारसी व फ्रैंच भाषा का अध्यापन भी मैं करता था।

लड़के मेरे थे, वे मेरे सर्वस्व थे। कोई बच्चा किसी दूसरे का है यह तो मैंने कभी समझा ही नहीं, गरीब व श्रीमान का भेद मेरे छात्रों में कभी नहीं रहा, लड़का प्रमाद करता तो मैं उसे बुलाकर हँसाता खिलाता व अपनेआप को सजा देता। जिस लड़के को हलवा खिलाया जाता उसके रोने का कोई ठिकाना नहीं रहता, अन्य छात्रों की नजरों से वह अपने आप को छिपाता। इस का परिणाम यह हुआ कि मेरे छात्र व्यायाम व नियमित संयमी जीवन बिता कर हृष्ट-पुष्ट व होशियार निकले हैं।

ब्याड में कुछ शान्ति स्थापित होने पर मैंने विद्यालय को बढ़ाने का काम हाथ में लिया। वर्धा व वहां से रामगढ़ कांग्रेस (बिहार) में सम्मिलित होकर शिक्षाशास्त्रियों से इस विषय में विचार विमर्श किया। काशी विद्यापीठ व काशी हिन्दू विश्वविद्यालय एवम् पुनश्च शान्ति-निकेतन गया। वहां ने मेरे कृषि शिक्षा की व्यवस्था को एक निश्चित अच्छा सा स्वरूप देने की दृष्टि से कृषिविद्यालय देखते २ अलाहाबाद कां कृषि महाविद्यालय जो अमेरिकन चलाते हैं देखा। आचार्य नरेन्द्र देव जी व पं० जवाहरलाल जी आदि लोगों ने एक अखिल भारतीय औद्योगिक संघ स्थापित किया था उससे कुछ सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया व ऐसे फिरते फिरते वापिस ब्याड आगया। ब्याड आते ही इस जिले के अंग्रेज पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट को लहर आगई। इसने मेरे व गांव के कुछ लोगों के विरुद्ध कुछ पुराने मुकदमे चलाना आरंभ करदिया। पहिले ही हमारे ब्याड के प्रथम आन्दोलन को कुछ साम्प्रदायिक।। का स्वरूप सरकार ने व मुस्लिमलीग के लोगों ने देने का प्रयत्न किया था। अब लड़ने के लिये तो मैं तैयारथा व जेलखाना भी मेरे लिये कोई बड़ी बात नहीं थी, परन्तु साम्प्रदायिकता का प्रचार मैं होने देना नहीं चाहता था। अन्त में किसी कदर उन मुकदमों का गर्भ में ही पतन हुआ। वैसे तो कांग्रेस मिनिस्ट्री का काल छोड़दिया जाय तो गत २० वर्षों में ऐसा एकभी वर्ष नहीं गया होगा कि उस वर्ष में सरकार ने मेरे विरुद्ध मुकदमे न चलाये हों, (हां जनता में से किसीने कभी भी मेरे विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया) ऐसे केसेस कुछ तो गर्भ

में ही गिर जाते, कुछमें सरकार हार जाती व कुछ मुकदमे अभी तक लटक ही रहे है, व सत्याग्रह या आन्दोलनों में हमें जेल हो जाती थी।

इस प्रकार गुरुकुल को गरमियों की छुट्टियां होगई, छात्र अपने अपने घर चले गये, मैं गांव-गांव, घर-घर प्रचार करने जाने लगा, अब जहां भी जाता लोग भोजन समारोह करते, बड़ी बड़ी सभाएं होती। मुझे अब कोई पैदल नहीं चलने देते थे, जहां कार होती वहां कार नहीं तो तांगा, गाडी आदि सवारियां आगे से आगे तैयार रहती, लोग मुझ से प्रार्थना करते कि मैं उनसे आर्थिक सहायता लूं। परन्तु अभीतक मैंने किसी से व्याड गुरुकुल के लिए भी चंदा की याचना नहीं की थी। मेरी गरीबी बढ़ती ही जारही थी, यहाँ तक कि गुरुकुल के वार्षिकोत्सव के दिन रातको मेरी झोंपडी को आग लग कर जब मेरे बहुत से सामान के साथ मेरे दो कोट भी भस्मो-भूत होगये, तो इसके पश्चात् ६ वर्ष तक अर्थात् सन् १९४६ तक मैं बिना कोट पहने ही रहा, मेरे लिए नये कोट नहीं बनवा सका था। गुरुकुल का खर्च बडे अंशों में तो विद्यार्थियों से प्राप्त होने वाली गुरुदक्षिणा या मेरे परिश्रम व पैसे से चल जाता था। मैंने कभी किसी धनवान् का आसरा खोजने का प्रयत्न नहीं किया।

दूसरे वर्ष का गुरुकुल का कार्य आरंभ हुआ तो मेरे पास दूर दूर से विद्यार्थी आपहुचे थे, इन लडकों में आधे लडके तो लखपति सेटों के थे, मैंने एक विदेश विभाग भी स्थापित कर लिया था। इस वर्ष २ विद्यार्थी इस विभाग से हमारे खरचेसे शिक्षा प्राप्त करने जापान भेजने थे। विद्यार्थी चुनलिये गये थे व उनको जापानी भाषा आदि की ट्रेनिंग भी दी

जा रही थी। जापानी पढ़ाने वाला अध्यापक न मिलने से मैं स्वयम्
जापानी पढ़ाया करता था, सरकार को जापान युद्ध में पड़ने की शंका
होरही थी तो भी मुझे व मेरे विद्यार्थियों के लिये जापान जाने को पास-
पोर्ट देने का वचन सरकार दे चुकी थी। हमने पासपोर्ट का प्रयत्न
करना आरंभ कर दिया। जापान में रहने वाले हिन्दुस्थानियों से संबंध
स्थापित किया, मैं मेरे छात्रों के जापान में अध्ययन व निर्वाहकी व्यवस्था
उनके अपने ही परिश्रम से करवाना चाहता था, तमाम जोड़ तोड़ मैं
बैठा चुका था। जनता चंदा देने को उत्सुक थी, थोड़ा सा चंदा मैं
स्वीकार भी कर लेना चाहता था। परंतु कुछ दिनो बाद सरकार ने हमें
पासपोर्ट देने में अपनी असमर्थता प्रकट करदी। अब तक जितनी भी
संस्थाएं हमने स्थापित की उनमें एक-दो छोटे मोटे अपवाद छोड़कर
किसी से कभी चन्दा नहीं लिया केवल अपनी कमाई व उद्योग के बल पर
ही सब संस्थाएँ चलाईं।

ब्याड़ में तथा आस पास में हमारे विरुद्ध अब प्रत्यक्ष तो कोई नहीं
बोलता, था परंतु गुंडों का दमन होजाने से (व गुंडे मुसलमान ही थे
इसलिए) इस भाग में सांप्रदायिकता की भावना कुछ प्रबल होचुकी थी।
विद्यार्थियों पर भी इसका असर था, मैंने इस भावना को हटाने का प्रयत्न
भी किया, मैं इस साम्प्रदायिकता के वातावरण में से गुरुकुल हटाकर अधिक
एकांत में या अन्य सुभीताजनक स्थानपर लेजाना चाहता था, इसी बीच
बरसात के कारण हमारी झोंपड़ियों में पानी ही पानी भरगया। हम लोग
कीचड़पर घास बिछाकर उसपर बिस्तरे डालकर लेटते थे, हमारे पास न

तो खाटें ही थी और न झोंपडियों के ऊपर डालने के लिए टीन के चद्दर ही थे, लक्ष्मी की अब कृपा थी, लक्ष्मी भी कृपा क्यों करे? जब लक्ष्मी का हमारे पास कोई आदर सम्मान नहीं था, दो सप्ताह तक बरसात जोर से होती रही, काली मिट्टी की चिकनी जमीन थी, हम झोंपड़ियां छोडकर गांव में आगये, तो भी बाहर निकलते ही एक डेढ फीट पैर कीचड में धंस जाते थे। मेरे पास आने जाने वालों की और भी फजीहत होती थी, गुरुकुल गांव में आने से तो और भी गडबडी होगई, दिन चर्या, अध्ययन एवम् शुद्ध विचारों में बाधा पडने लगी, मैंने गुरुकुल ब्याड से हटाकर दूर, एकांत में फौरन ही लेजाना निश्चित किया, ब्याड के मेरे साथी गुरुकुल को अपने गांव का गौरव समझते थे, वे जैसे भी बने गुरुकुल को वहां रखने पर तुले हुए थे। हमारे आपस में फूट पड़गई। अब यदि मैं गुरुकुल वहां से हटाने का प्रयत्न करता हूँ तो गुरुकुल के दो भाग होजावेंगे, विद्यार्थियों के अध्ययन का नुकसान होगा, और फिर भी यहां का वातावरण शुद्ध बनाकर काम करने में समय लग जायेगा। इस विद्यालय की कीर्ति खूब फैलचुकी है, गुरुकुल जमा हुआ है, लखपतियों के लड़के थे, चाहे जितनी पूंजी इच्छा करते ही प्राप्त हो सकती थी। मैंने सोचा अच्छा हो मैं ही यहाँ से हटजाऊं। कई दिनों तक सोचते रहा। अपनी पत्नी को घर भेजदिया। मैंने सोचा चलो अब ऐसे एकांत में चलें जहां कोई अशुद्ध वातावरण नहीं होगा और हम हमारा अलग गांव बसा लेंगे। फिर भी छात्रों को साथ लेने का प्रयत्न करना चाहा परन्तु अन्त में मैं अकेला ही वहां से चलता बना।

मेरे पास एक कमीज, एक धोती व एक टोपी जो पहिने हुए था।
इसके अलावा कोई वस्त्र या पैसा साथ नहीं लिया। संध्या समय निजाम
राज्य के एक गांव में पहुँचा, नदी तैर कर मुझे जाना पड़ा था, कपड़े
गीले थे, गांवों के लोग मुझे जानते ही थे। उन्होंने मेरा स्वागत किया
मैं ने उनसे कुछ नहीं कहा वे मेरे लिये सवारी व नौकरों का
इंतजाम मेरे साथ ही करके भेजना चाहते थे। परन्तु किसी से बिना
कुछ कहे ही प्रातःकाल जल्दी उठकर वहां से चल दिया। सभी गांवों के
लोग मुझे जानते थे। खेतों में से मूंगफली उखाड़कर खाते हुए
व गांवों को टालते हुए, वनस्पति का वैज्ञानिक निरीक्षण बिना
साहित्य के जो कुछ कर सकता था करता हुआ, हिंगोली नामक
नगर में आगया। यहां के लोगों ने मेरा अच्छा स्वागत किया, इस
गांव में मेरे पास रहे हुए काफ़ी विद्यार्थी थे और वे सब लखपति
थे। मैं किसी विद्यार्थी के यहां नहीं गया। मेरे एक मित्र की दूकान
पर ठहर गया। मेरा स्वतंत्र रहने का बड़ा ही अच्छा इंतजाम किया
गया। नगर के बड़े २ लोग मुझ से आकर मिले। इस नगर में मारवाड़ी
अगरवालों की बहुत सी दुकानें थी। इनमें आपस में बड़ा ही द्वेष
था। इनके आपस में मुकद्दमे बाजी भी चलती थी व भाई २ को कटवाने
पिटवाने के लिए मुसलमान नौकर भी रखे हुये थे। इनके हजारों रुपये
गुंडे व सरकार खा रही थी। इनके आपसी झगड़ों को बड़ा अनीष्ट
स्वरूप प्राप्त होगया था। हैदराबाद के राजा बहादूर पित्तियों की
अगरवालों में बड़ी प्रतिष्ठा है, वे भी इनको समझाने का प्रयत्न

करके चले गये थे। और भी कई महानुभाव इन्हें समझा चुके थे। मैंने भी इनमें मेल जोल करवाने के लिए इनको समझाने का प्रयत्न किया परन्तु यह कब मानने वाले थे? मैंने इनके आपस का शत्रुत्व मिटाने का निश्चय कर लिया। जब ये लोग किसी कदर नही माने तो मैं दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर के गोपालजी के मदिर में जाकर बैठ गया व अनशन आरंभ कर दिया। मेरे इस उपवास की खबर गांव में फैल गई। मैंने कह दिया कि मैं अन्नग्रहण तभी करूंगा। जब यहां की तमाम अग्रवाल जाति में आपस में मेल जोल व प्रेमभाव स्थापित हो जायेगा। अग्रवाल लोग अधिक अकड गये। लेकिन ब्राम्हण व महेश्वरी व महाराष्ट्रीयन लोग मुझे मदत कर रहे थे। मेरे उपवास के दूसरे दिन विद्यार्थी विद्यालयों को छोडकर अग्रवालों एकी करो के नारे लगाते हुए जुलूस के रूप में फिरने लगे। उपवास का तीसरा दिन हुआ। गांव के कई जाति के पंचों ने अग्रवाल पंचों को समझाने का प्रयत्न किया, अग्रवाल नौजवान व लडके तो मान गये परन्तु बूढे सज्जनों ने इनकार कर दिया। अब नगर के लोग अग्रवालों से असहयोग करने लगे। सारा नगर अग्रवालों के विरूद्ध होगया। मेरे उपवास के चौथे दिन अग्रवालों का नगर में तिरस्कार होने लगा। उनके आपस में पंचायते होने लगी। रात व दिन विचारों में पंचायती व विचार में ही व्यतीत किया। मेरे उपवास का पांचवा दिन आया, दोनों पक्ष के अग्रवाल पंचों को लेकर शहर के प्रतिष्ठित लोग मेरे सामने आ उपस्थित हुए। अग्रवाल

लोगों ने मेरी सभी बातें मानली। एक दूसरे के खिलाफ न्यायालय में चलने वाले मुकद्दमे वापिस ले लिये। एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी के घर जैसे मैं ने कहा जाकर बिना बुलावे ही भोजन कर आये। बाद में मैंने उपवास छोड़ा। बाद में अग्रवालों का एक सहभोज हुआ। उसमें सब अग्रवाल लोग एक साथ मिलकर बैठे व भोजन किया। इस प्रकार इनका आपसी शत्रुत्व समाप्त हुआ। इन लोगों ने राजा लक्ष्मीनिवास को हैदराबाद से बुलवाकर एक बड़ा समारोह मेरे सम्मान में किया। मुझे मानपत्र भी भेंट किया गया। यहां के अग्रवाल लोग व अन्य नगरवासी मुझे खूब चाहते थे। इन लोगों ने मुझे थैली भेंट करना चाहा, इसके सिवा और इनके पास अधिक प्रिय था ही क्या? मैंने थैली लेने से इनकार कर दिया, और एक दिन मैं हिंगोली नगर छोड़कर आगे पैदल भ्रमण को निकल पड़ा। मेरे पास मेरे जूते काफी अच्छे थे। उनको मैं संभालकर रखता था। एक जगह एक विद्यार्थी को नंगे पैर कांटो में जाते देख वह जूते मैंने उसको वहां दे दिये और अब आगे नंगे पैर ही पैदल भ्रमण आरंभ कर दिया। इस प्रकार मेरे रहने के लिए व मेरे विद्या प्रचार व अन्य सेवा कार्य के लिए नवा नगर बसाने के लिए स्थान खोजते हुए फिरता रहा दो बार तो हैदराबाद रियासत को पूर्व से पश्चिम तक आर पार पैदल ही फिरकर देखी। इस भ्रमण में स्थान २ पर ठहर कर वनस्पतियों का रूट प्रेशर अर्थात पोधे भूमि से जड़ों के द्वारा कितना पानी लेते हैं व Transperation अर्थात् पौधे अपने पानों में तथा

अन्य विभागों में होकर कितना पानी व इर छोडते हैं, इसका परिक्षण करके एक अच्छा रेकार्ड भी तैयार किया, इस प्रकार के काम का वर्णन तो मैं यहा न करते हुए अन्यत्र ही करूगा परंतु आगे चलकर में गोआ, रत्नागिरी, सोलापूर, सारतारा, पूना, औंध लोंणावला व सह्याद्रि पर्वत का कुछ भाग, अहमदनगर, औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, नांदेड आदि कई जिले में भ्रमण करता रहा मेरे पास कुछ दिनों बाद तो पैदल यात्रा में भी काफी बोझ रहता था। एक सतरंजी, कंबल, वैज्ञानिक परीक्षण के समान की पेटी व रेकार्ड आदि सब मैं अपनी पीठ पर बांधे २ ही फिरता था। यहां मैं इतना कहदूं कि पूरे दस महिने मुझे इस प्रकार भ्रमण करना पडा। केवल दो बार १५ दिन के लिये घर आगया था, यही मेरा विश्राम था।

परभणी जिले में फिरते फिरते बम्हर नाम के ग्राम में रात्रि को करीब ८ बजे आकर पहुँचा। एक सेठ जी– जो की बड़ेही सज्जन व मिलनसार थे उन्होंने मेरी बड़ी आवभगत की, मैं रात्रि को ८॥ बजे कुछ तबियत बिगड़ जाने से पास ही पूर्णा नदी के तटपर घूमने चला गया। नदी का ढावा बडाही लंबा चौड़ा व गहरा था, उसमें पर्याप्त पानी भरा हुआ था। वहां मैं किनारे पर बैठ गया, मुझ से करीब १५–२० फीट की दूरी पर ढावे के पास किसी के गिरने की आवाज आई, कुछ मनुष्य का सा आभास हुआ मैं मनुष्य समझ कर उसे निकालने को कूद पड़ा व एक तो यों ही अमावस्य की रात्री थी, दूसरे बादल भी छा रहे थे। मैं अंधेरे में भंवर में जा फंसा।

तैरते तैरते थक गया और डुबकियां खाने लगा, नाक में पानी भी घुस गया इस समय में यह भी नहीं जान सका कि किनारा भी किधर है। इस समय मैं ने ईश्वर का स्मरण कर अपने आप को छोड़ दिया। भगवान शंकर का स्मरण कर रहा था मुझे पता नहीं कि कैसे हुआ और क्या हुआ लेकिन दूसरे ही क्षण मैं ने देखा मैं किनारे के पास ही कमर जितने गहरे पानी में खड़ा था।

निजाम राज्य के जिलों की माली हालत तो शेष पड़ोस के भारतीय विभाग से काफी अच्छी थी। लोगों में कुछ सनातनीपना जादा था। आदरातिथ्य भी अच्छा था। सरकारी अफसरों का बर्ताव मनुष्यता की दृष्टि से बड़ा ही अच्छा रहता था लेकिन वहां सांप्रदायिकता का बोल बाला था। इस्लाम की आड़ में धर्मान्ध होकर हिन्दुओं पर अत्याचार किया जाता था। बस्ती के बीच हिन्दू नेताओं की कत्ल होती थी, अनेकों झूंठे मुकद्दमें हिन्दुओं पर चलाये जाते थे। गांवों में अच्छे इज्जतदार हिन्दू घरों की बहू बेटियों को मुसलमान लोग रस्ते में से हाथ पकड़ कर लेजाते, एक दो दिन तक अपने घरों में रखते और छोड़ जाते और चाहते जब और ले जाते, यह तेलंगाने की तो साधारण परिस्थिती थी। पुलिस अफसर लगभग सब मुसलमान ही थे। वे ऐसे कामों में गुंडों की मदद करते थे। हिन्दुओं का बचाव केवल अपने भुज बल पर ही अवलंबित था। ऐसे अत्याचारों का एक नमूना मैं यहां रखता हूं।

बीड नगर से १४ मील दूर एक पिपलनेर नाम का गांव है, गांव काफी बड़ा और व्यापारमंडी भी है, यहां एकदिन अँक्टिंग पुलिस सुपरिन्टेडॅट का मुकाम हुआ पुलिस सुपरिन्टेंडॅट का नाम फरकुंदाअलीखान था। आप शायद निजाम के कुछ लगते भी थे, डाक बंगले के पास से एक रास्ते पर होकर एक मराठा पटेल की १५ साल की लड़की व पत्नी जंगल जाकर आरही थी। डाक बंगले में पो० सुप० ठहरा हुआ था, उसने इस लड़की को अपने बंगले पर बुला भेजा, वह जब रात को नहीं आई तब उसको लाने के लिए पुलिस भेजी। घर के आदमी किसी गांव गये हुए थे, बिचारी मा बेटी अकेली थी क्या करती अपने बाड़े का अन्दर से ताला लगा लिया। पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर पंद्रह सशस्त्र पुलिस और लवाजमा लेकर वहां जा पहुंचा, इन अबलाओं ने एक कमरे में बंद होकर अन्दर से ताला लगा लिया। रात के ६ बजे पुलिस बाड़े की और घर की पांच फीट चौंडी दिवाल फोडकर इन अबलाओं को बाहर निकाली अबलाओं ने सहायता के लिए आक्रोश किया, चिल्लाई परन्तु पुलिस की गोली के आगे कौन आ सकता था। डाक बंगले में लेजाकर दोनों मा वेटियों पर अत्याचार हुआ। लड़की पर सर्वप्रथम सुपरिन्टेंडॅट पुलिस ने, बाद अनुक्रम से सर्कल इंस्पेक्टर थानेदार व हैड कान्स्टेबलों ने अत्याचार किए, इस अत्याचार के विरुद्ध आर्यसमाज ने आवाज उठाई, दिल्ली तक आंदोलन हुआ। तब एक अंग्रेज डी० आई० जी० वहां पहुँचा व अंत में सब घटना सत्य पाकर के भी फरकुंदाअली खांन को एक ग्रेड प्रमोशन कम मिलने की

नाम मात्र की सजा हुई, और वह भी कौन अमल में लाता है? इस भ्रमण में मैं समाज सेवा का भी ध्यान रखता था। एक दिन मोमीनाबाद आंबा के पास एक गांव में एक मारवाड़ी माहेश्वरी सज्जन के यहां विवाह था, दोसौ लखपति सेठ एकत्रित होने वाले थे। बरात इस भाग में लड़की वाले के यहां ७ दिन तक ठहरती है, इन दिनों में लड़की वाले को बराती व सैंकड़ों ब्राह्मण व अन्य लोगों को जिमाने आदि में खूब खरच करना पड़ता था। मैं ने यह कुरीति बंद करवाकर बरात केवल ३ दिन ठहराने की रीति अपनाने के लिए इन लोगों से असफल प्रार्थना की थी; इस बरात में काफी सुशिक्षित लोग एकत्रित होने वाले थे। बरात में आने वाले लोगों में मेरे पहिले के विद्यार्थी व मित्र भी काफी थे, लड़की वाले के यहां आये हुए मेहमानों में भी ऐसे लोग थे जो मेरे अच्छे मित्र थे; वैसे तो सब मुझे जानते ही थे। मैं लड़की वाले के यहां पहुंच गया। उसको समझाया परंतु वह मानने के लिए तैयार नहीं था। अंत में मैंने वहां पर अनशन करके सत्याग्रह आरंभ कर दिया। बरात आई तब मेरे उपवास का दूसरा दिन था बरात के लोग मेरे पास आये। बरात वालों ने और मेहमानों ने मेरा साथ देकर उन्होंने भी उपवास आरम्भ कर दिये। वर (वींदराजा) भी उपवास में सम्मिलित हो गया। मेरे छात्र तो मेरा साथ देने वाले ही थे अंत में दो दिन के उपवास के बाद वह कुरीति उस भाग के माहेश्वरी लोगों ने सदा के लिए बंद करके बरात तीन दिन ही रोक कर विदा

बार्शी लाइट रेल्वे से जाते हुए कुछ मनोहर पहाड़ियां देख कर मैं वहां उतर पड़ा। पहाडियों से दो मील दूर पर पेड़सी नाम का गांव था। पहाडियों में कोई गांव नहीं था। पहाडियां बड़ी ही मनोहर थी। हजारों चंदन के पौधे और हजारों ही डिकामाली के पौदे व विभिन्न मनोहर वनस्पतियां, बहते हुए पानी के झरने आदि देख कर मैंने यह स्थान पसंद करके यहां पर मेरे रहने के लिए व विद्यालय आदि के लिये "विश्वभारती नगर" बसाना निश्चित कर लिया। मैं पहाडियों में घूमता हुआ एक दर्रे में पहुँचा तो वहां कुछ साधु रहते थे, तीन चार साधु, तीन चार पढ़नेवाले छात्र व दो तीन गायें उनके पास थी। उस दिन मैं उनका अतिथि रहा। दूसरे दिन शाम को येडसी आया। मेरा किसी से परिचय तो था नहीं, उस रात को येडसी में एक चबूतरे पर पड गया। रात को एक सेठजी ने आकर जगाया, मुझसे थोडी देर बातचीत करने के पश्चात् वे मेरे मित्र बनगये। अपने घर लेजाकर मुझे भोजन कराया व मुझे अपने घर ठहरा दिया। एक मराठा पटेल की माताजी की भूमि उन पहाडियों के बीच में थी, वह उस बुढ़िया ने मुझे दान में देदी। विद्यार्थी प्राप्त करके हाई स्कूल क्लासेज आरम्भ कर दिये। उस गांव में सरकारी मिडिल स्कूल तो थी ही सो हाईस्कूल के लिए विद्यार्थी मिल गये। कुछ एम. ए., बी. ए., अध्यापक भी बुलवा लिये। मेरा अपना एक प्राइवेट सेक्रेटरी भी एक एडवोकेट को सोलापुर से लाकर रख लिया। मैं पहाड़ी में पहूँच कर एक झाड के नीचे रहने लग गया। विद्यार्थी रात्रि को विना किसी आश्रय के कैसे रहते? वे येडसी गांव में

आजाते थे। शीघ्र ही वहां पर १५-२० झोंपड़ियां भी गांवों के लोगों ने आ आकर बनादी, इस प्रकार "विश्वभारती नगर" की स्थापना तो होगई। चंद दिनों के पश्चात् विद्यालय के भवन का शिलारोपण समारोह हो गया। और सन् १९४२ के वर्ष का आरम्भ शीघ्र ही होने वाला था। मेरे इस नगर में विद्यालय, महाविद्यालय, छात्रालय, अस्पताल, औषधालय, सैनिकशिक्षाशिविर संस्कृतिक विद्यालय, अतिथीशाला, व्यापार व उद्योगविभाग आदि नौ विभाग थे। विद्यालय, छात्रालय व गौशाला आदि तो आरम्भ किये जा चुके थे। वैज्ञानिक प्रयोगशाला भी साथ थी। विश्वभारती नगर की स्थापना श्रावण शुक्ला १५ को हुई तब से बराबर वसंत पंचमी तक तो हमारा कार्य शांतिपूर्वक चलता गया। मेरे यहां गांव के मुखिया तथा बाहर के कांग्रेस कार्यकर्त्ता सदा अतिथि रूप से आते व रहते थे। मैं गांव में बहुत ही कम जाता था। छात्र या अध्यापक भी गांव में बिना विशेष आज्ञा प्राप्त किये नहीं जा सकते थे।

हमने यहां कोई आन्दोलन नही किया न हम कुछ राजनैतिक या सामाजिक आन्दोलन में जाना ही चाहते थे। एक दिन सोलापुर के अंग्रेज डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट का मुझे पत्र आया कि मैं विद्यार्थियों को लेकर कुर्डुवाडी जाऊं वहांपर युद्ध प्रदर्शिनी लड़कों को बताकर अंग्रेजी सरकार की शक्ति कितनी अधिक है यह बताऊं। मैं कैसे जा सकता था। मैंने आज्ञापत्र फाड़कर फेंकदिया व एक भी छात्र को वहां नहीं जाने दिया। बाद में यह अंग्रेज डी० सी० मेरा मित्र बन गया और मुझसे मिलने भी

आया और मेरी बड़ी इज्जत करने लग गया । विश्वभारतीनगर व येडसी एवम् पहाडियों का टापू तो अंग्रेजी इलाका था परन्तु आसपास हैद्राबाद राज्य से घिराहुआ था । निजाम राज्य के मुसलमान हमारी संस्था को देखकर हैरान थे । मुस्लीमलीग के लोग विरुद्ध प्रचार भी करते थे । हमने शांति के साथ सब कुछ सहते रहने का निश्चय कर लिया था । परन्तु एकरोज एक घटना घटित होही गई । बसंत पंचमी के विद्यार्थियों के जुलूस से एक मुसलमान ने छेडछाड की तो उससे कुछ झगडा होगया मैं भी जुलूस के साथ था । कोई पचास मुसलमानों ने मुझपर अचानक हमला बोलदिया । इस हमले का कोई कारण नहीं था । हमारे साथ वाद्य भी नहीं थे, परन्तु हम सदा तैयारी में अवश्य रहते थे । मेरे छात्र बच्चे थे । लेकिन लाठी के कसे हुए चलाने वाले थे । मैं निःशस्त्र था । मेरे पास लाठी भी नहीं थी । सब बच्चे मेरी रक्षा कर रहे थे मैं खून में तर बतर होगया । खूब लडाई हुई । थोडी देर बाद बंदूक तलवारें लेकर उस्मानाबाद से कुछ अरब पठाण आगये । हम लोगोंने एक मंदिर का आश्रय लिया । सैंकडों हिन्दू लोग खडे थे, हमारी मदद करने कोई नहीं आया । इतने में पुलिस आ पहुँची व हम घायलों को व गुण्डों को वहां से ८ मील दूर थाने पर लेगई ।

हमको अस्पताल लेजाया गया तो मैंने जो देखा उससे मुझे आश्चर्य हुआ, मेरे छात्रों ने मेरे ऊपर होने वाले सारे प्रहार तो अपने ऊपर झेल ही लिए थे और दो विद्यार्थियों को अधिक मार भी लगी थी । परन्तु मुझे बचाते हुए उन पहलवानों को उन्होंने इतना मारा था के उनमें से कई

एक तो सख्त घायल थे और आगे कभी झगडा करनेकी उनमें ताकत नहीं रही थी। गुण्डों को मदत करने के लिए मुस्लिमलीग के कुछ नेता व एम. एल. ए. आ पहुँचे, और हमें मदद करने को कुछ गांवों के कांग्रेस व रचनात्मक कार्यकर्ता आपहुँचे, कई महीनों तक हमारे मुकदमे ही शुरु नहीं हुए और अन्त में तारीखें पडनी आरम्भ होगई एक तारीख पर तो मैं गया परन्तु और तारीखों पर हमलावार ही जाते, वे एक दिन वार्धा रहते प्रत्येक के दो चार रुपये खरच होते और वे वापिस आजाते। मैं कभी भी नहीं गया और नहीं मेरे छात्र ही गये। गरमी के अवकाश में मैने आस पास के ग्रामीणों को सैनिक शिक्षा के लिए कैंप खोलकर एकत्रित कर लिये कोई १०० तंबू डेरे गडवा कर रहने का इन्तजाम किया। इन दिनों आर्थिक-कठिनाइयां बुरी तरह से सामने आई। सैनिक शिक्षा के लिए कई ऐसे लोग आये जो अपना पूरा खर्च नहीं दे रहे थे, अन्य भी कई तरह के खर्च हमारे विश्वभारती नगर पर पडगये। रिसर्चकार्य में भी काफी खर्च होचुका था। किसी प्रकार काम चलाया। कुछ कर्ज भी होगया। विश्व भारती नगर उजाड में था। हैदाबाद राज्य के गुण्डों का समय बेसमय हमला होने का भय भी था, इसलिये विद्यार्थी भी बडी कठिनाई से मिलरहे थे। मैं किसी प्रकार सब काम जमाने का प्रयत्न कर रहा था। इसी बीच १९४२ का अगस्त आपहुँचा, आन्दोलन छिडने वाला था। मैं आन्दोलन में काम करूं या न करूं परन्तु सरकार ऐसे आन्दोलन के समय खुला रखना नहीं चाहती थी। तब विश्व भारती नगरकी ठीक व्यवस्था के लिए कुछ समय नियमित देकर काम करना

निश्चित किया और इसको धीरे धीरे एक साल में सुधार कर मजबूती से काम करने की योजना बनाई, और इस बीच सरकार मुझे ६ महिना जेल में रखेगी, ऐसा अन्दाजा लगाकर मैं अगस्त १९४२ के आन्दोलन में मैं कूद पडा।

मैं व्याड होते हुए बाथम पहुँचा, लोगों में कांग्रेस की आज्ञानुसार काम करते रहने की व्यवस्था करके, व कई तरह से सरकार से लडने की योजना बनाकर व कार्यकर्ताओं की जगह जगह नियुक्ति करने के इरादे से घूमता हुआ खामगांव पहुँचा। पुलिस की नजर बचाकर चलरहा था। परन्तु बरार का तो बच्चा बच्चा मुझे जानता था। मैं कैसे बचता। ता० १५ अगस्त १९४२ को आखिर मैं गिरफ्तार करलिया गया और बुलडाणा जेल में एक नजरबंद तरीके रक्खा गया। मेरी गिरफ्तारी के बाद न तो मैं मेरे माता पिता से या अन्य किसी से मिलने ही दिया गया और न किसी को मेरा पता ठिकाना ही ज्ञात होने दिया गया। मुझे बिस्तरा वा मेरे कपड़े भी साथ नहीं लेने दिये गये। केवल एक आधी बाहों का कमीज व पंचा, रबर के स्लीपर जूते जो पहना हुआ था वैसी की वैसी हालत में मुझे लेगये। ६ दिन बुलडाणा जेल में रखने के पश्चात् वहां से ४५० मील दूर जबलपुर सैंट्रल जेल में मुझे पहुँचा दिया गया। मेरे साथ इस जिले के मेरे चालीस साथी भी मेरे ही साथ जबलपुर जेल पहुँचाये गये।

सन् १९३७ से १९३९ के बीच में जब कांग्रेस सरकार थी, तब कई लोग सफेद टोपी पहन कर कांग्रेस भक्त बनगये थे, लेकिन सन् १९४२ में

उन सबकी परीक्षा होगई। इन अवसरवादी लोगोंने सफेद टोपियां फेंककर फिर काली टोपियां धारण करली थी। केवल सच्चे लोग ही हमारे साथ रह सके थे। हम जबलपुर जेलमें एक हजार से अधिक राजबन्दी थे। जिनमें कोई ८५० नजरबंद व बाकी के विचाराधीन या सजा पाये हुये राजबन्दी थे। पहिले २ जेल में बडी आजादी रही। हम सब बैरकों के राजबंदी खासकर नजरबन्दी आपसमें मिलते जुलते थे; सुबह शामको प्रार्थना करते, सभाएं होती और खेल भी होते, रात्रिको नाटक भी खेले जाते। हम चाहे तो अपने घर का खाना भी खा सकते थे, कपडे तो हम हमारे घरके ही पहनते थे। बाजार से भोजन की, धूम्रपान की या अन्य आवश्यक सामग्री भी मोल या घरसे मंगा सकते थे। परन्तु आगे चलकर सरकार का बरताव दिन प्रतिदिन कुछ कडा तथा अपमानजनक होने लगगया। हम लोगों से अपने प्रतिनिधि चुनकर उनके मार्फत जेल अधिकारियों से व्यवहार करने के लिये कहा गया। कुछ समय तक इस प्रकार चलता रहा। राजबन्दियों में आपस में अविश्वास व फूट निर्माण की जाने लगी। किसी राजबन्दी को अधिक या कम सुविधाएं या अधिक सन्मान या अपमान करके फूट का मार्ग बडा बनाया जाने लगा। मानो दमन व अत्याचार करने की सरकार की निश्चित योजना प्रतीत होने लगी। ऐसे दमन व अत्याचार टलने की संभावना नहीं देखकर वे सारे अत्याचार अपने ऊपर झेल लेने के लिए मैं तैयार हुआ। मुझे सातसौ नजरबन्दों ने अपना नेता प्रतिनिधि चुनलिया। राजबन्दियों का प्रतिनिधि और वह भी जेल में ऐसे समय चुनवा लेना, महान् संकटों में कदम

रखना था। सरकार को हमारे ऊपर आक्रमण करने का समय देने के बदले में मैंने ही सरकार के विरुद्ध प्रथम शांतिमय व अहिंसात्मक आक्रमण आरम्भ करदिया।

जेल में सरकारी नौकरो ने राजबंदियों का दमन करने की अपनी योजना बना ली थी, परंतु यह योजना अमल में आने के पूर्व ही मैंने सी. पी. सरकार का ध्यान भारी दमन की पूर्व तैयारी की ओर खैंचा था। जब सरकार ने इस ओर ध्यान नही दिया तब मैंने अपना कदम उठाया। सर्व प्रथम नजरबंदियों की ओर से एक पत्र प्रांतीय सरकार को लिखा उसमें नजरबंदों की ३ मांगें रखी (१) चूंके नजरबंद बिना किसी अपराध या आरोप के जेल में या स्थान-बद्ध कर दिये गये है और सरकार इनके विरूद्ध कोई इलजाम लगाकर मुकद्दमे चलाने को तैयार भी नहीं है; इस लिए जब तक सरकार हमें नजरबंद रखना चाहती है, तब तक हमारे परिवार के भरण पोषण आदि के लिए हमें मासिक तनख्वाह या भत्ता देती रहे। (२) नजरबंद विद्यार्थीयों के पढाई की व परीक्षा में सम्मिलित होने की व्यवस्था करे (३) हमें सरकार रसोई व अन्य काम करने के लिए सेवक (कैदी) व राशन तो देवे ही परन्तु भोजन में जो पदार्थ व जिस प्रकार के हम चाहें बनवा सके। पहिले तो सरकार ने मेरे पत्र का उत्तर ही नहीं दिया। तब मैंने मेरे साथी नजरबंदों से सलाह करके सरकार को दूसरा अल्टीमेटम दिया व जब मेरे अल्टीमेटम का समय भी निकल गया और सरकार का उत्तर नहीं आया। तब मैंने आमरण अनशन

करके मेरी बात मनवाने का सरकार को अंतिम नोटिस दे दिया। फिर भी सरकार ने जब कोई उत्तर नहीं दिया तब मैंने अपनी मांगें मनवाने के लिए उपवास आरंभ कर दिये। मेरे उपवास के दुसरे दिन मुझे सेल में लेजाया गया। मेरा सेल—गुन्हाखाना—फांसी चढाये जाने वाले बंदियों को रखने के लिए रखे गये गुन्हाखानों में से था। अब मैं नजरबंदियों से दूर अकेला सालिटरी सेल में रखागया। मेरे पास के कमरों में जो कैदी थे वे तमाम मौत की सजा पाये हुए लोग थे। इन लोगों की कोठडी के बाहर दिवालों की आड व उसको लकडी का ऐसा दरवाजा था जिसे बंद कर देने पर कैदी को फिर बाहर की दुनिया की कोई हल चल का पता ही नहीं चलता था। मेरा उपवास भंग कर देने के लिए सरकार नें अनेक उपाय किये, जब सरकार के किसी उपाय ने काम नहीं किया। तब मुझे सताना आरंभ किया गया। मेरे उपवास के चौथे दिन डाक्टर और जेलर ८ बलवान कैदी लेकर मेरे पास आ पहुँचे। मेरे कमरे का ताला खोलकर मेरे पास आये, मुझे सीधा लेटाया गया, मुझ में न तो प्रतिकार करने की शक्ति थी और न मैं शारीरिक बल के द्वारा कोई प्रतिकार करना ही चाहता था, तो भी मेरे दोनो पैरों पर दो कैदी बैठे, एक कैदी ने मेरा सिर दबाकर रखा, दो कैदी मेरे दोनो हाथों को पकडकर बैठ गये। एक कैदी ने मेरी छाती को हाथों से दाबकर रखा। डाक्टरों ने मेरे नाक में रबर की नली घुसाई, मेरे नाक में दर्द हुआ, नाक से खून बहने लगा। मेरे नाक में होकर पेट तक नली कई बार पोहोंचाई और

बाहर निकाली गई। मैं आंख मोचकर ईश्वर स्मरण करता रहा। अंत में रबर की इस नली में होकर नाक के द्वारा एक सेर दूध मेरे पेट में पहुँचाया गया। अब प्रतिदिन में दो बार मुझे लिटाकर सुबह शाम मेरे नाक में होकर रबर की नली पेट में डालकर डाक्टर मेरे पेट में दूध पोंहोचाया करता था। जेल डाक्टरों में से यह काम करने जब डा० मांडके आता तो वह अपना काम करके सीधे से चले जाता था। परन्तु जिस दिन डॉ० पांडे आता तो वह बडी बुरी तरह सताता। रबर की नली नाक में होकर एक बार पेट में डाल देने के बाद वैसे ही पडी रहे और उसमें होकर दुध डालते रहें तो उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ उसको नाक में बार २ डालने और निकालने में होती है, डा० पांडे रबर की नली बार २ डालता निकालता रहता और कभी तो ऐसी मोटी नली ले आता जो मेरे नाक में होकर पार नहीं होती, तब मेरी नाक अंदर से छुल जाती व बाद में बारीक नली के डालने पर भी बडी तकलीफ होती, इस प्रकार नाक में हुई जख्म प्रति दिन छुलती रहती और खून बहते रहा।

आज मेरे उपवास का सातवां दिन था। मैं फांशी वार्ड में एकांत कमरे में रखा गया था। मेरे विषय में किसी प्रकार की खबर राजबंदिओं तक न पहुंचने का खूब कडा इंतजाम जेल अधिकारीयों ने कर रखा था। परन्तु जेल में सब व्यवहार अपने ढंग पर चलते ही रहते हैं। जेल में कैदियों का अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पर खबर पहुँचाने का एक प्रकार रहता है। और इस प्रकार से हर कैदी पोस्ट आफिस का लेटर

बॉक्स बना रहता है इस प्रकार के तरीके को जेल में तिकड़म के नाम से पुकारा जाता है। पुराने गुनाहगार कैदियों ने हम नये राजबंदियों को तिकड़म के तरीके से परिचित कर दिया था। जब हम सब राजबंदियों का एक बैरक से दूसरे बैरक का संबंध रखना असंभव बना दिया तो हमने तिगड़म के जरिये हमारी डाक एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाने का इंतजाम किया जेल में तिकड़म की अथवा अन्य चीजों की क़ीमत बीड़ी के सिक्के में दी जाती है। मेरे नाक में दूधकी नली डालने के लिए डाक्टर साहब के साथ जो कैदी आते थे उनको जेल अस्पताल में बीमार रहने वाले राजबंदी एक बीड़ी देकर सारी बातें पूछ लिया करते थे और अस्पताल से कैदी वार्डरों के द्वारा राजबंदी के हर बैरक में यह खबरें पहुँच जाया करती थी। जेल में बीडी बहुत ही बड़े महत्व का सिक्का समझा जाता है। और सब चीज बीड़ी में मोल मिल सकती हैं। हमारे उस समय दुध दो बीड़ी में एक पाव चार गेहूं की रोटी एक बीडी में, मांस अंडे वगैरह एक या दो बीड़ी में निश्चित परिमाण में मिलते थे। दस बीड़ी देने पर एक कैदी महीना भर तक हमारी मालिश व बरतन आदि मांजने का खूब काम करता था। जेलखानों में बड़ी बड़ी दुकानदारियां और व्यापार भी चलते मैंने देखे हैं। जेल के नियमों के अनुसार तो जेल का कोई भी कैदी अपने पास पैसा अथवा कोई भी वैयक्तिक सामान पास नही रख सकता। और इसकी कड़ाई से जांच भी होती रहती है। और हर एक कैदी को चौबीस घंटे जेल कर्मचारियों की निगरानी में रहना पड़ता है। तो भी जेल में सब चीजों की दुकानदारी चलती है। सिगरेट,

दूध, मांस, मछली, अंडे, गांजा, चरस भांग, शराब, ताजा भजिये सेव आदि की दुकाने लगती हमने देखी है। जेल कर्मचारियों का यहां मिलने वाले लाभ में भाग रहता है। जब कभी कोई पहरेदार बाहर से दस रुपये दें तो उसमें से चार रुपये वह कमीशन के काट लिया करता था। फिर इन रुपयों का गांजा आदि चीजे मंगाते तो वही पहरेदार आधा नफ़ा आप पहिले ही काट लेता। कैदियों के पास १५०–२०० रुपये व ५०० की रेजगारी, तो मैंने देखी है। पुराने कैदी अपने गले में थैलीयां बनाकर रखते थे और उसमें ५०–६० रुपये तक रुपये या मोहरें में रख लेते थे। इन सब कामों को तिकड़म के नाम से पहचाना जाता है।

मेरी सब खबर सुनकर व उपवास का सातवां दिन देखकर राजबन्दियों में हलचल मच गई। मुझे सहानुभूति बताने के लिये सब राजबंदियों ने आजके दिन उपवास कर लिया। जेल में तैयार हुआ खाना सारा ज्यों का त्यों पड़ा रहा और शाम को गढे में ले जाकर डाला गया। अब मेरी मांग को महत्व देने के लिये सरकार मजबूर होगई। मेरे उपवास को जैसे जैसे अधिक दिन होने लगे वैसे वैसे राजबन्दियों में बेचैनी बढ़ गई। ता० २५ सितम्बर को मेरे उपवास का १६वां दिन था। जेल में काफी हलचल मची। सरकार ने जेल में Tear gas के सिलेण्डर मंगवा लिये और रिझर्व पुलिस आगई राजबन्दियों पर लाठी चार्ज हुवा और सब को पीट पीट कर उनको २४ घण्टे बैरक में बन्द कर दिया। इस प्रकार मेरे उपवास का १८वां दिन आया। जेलर मेरे पास आया और कहा कि सरकार आप की मांगों पर विचार करने के

लिये कुछ समय चाहती है और उपवास बंद करदें । इस पर मैंने १९वें दिन अपना उपवास समाप्त किया। मैंने यह जो सरकार को विचार करने का मौका दिया उसे सरकार ने मेरी कमजोरी समझी। और राजबन्दियों पर होनेवाला अत्याचार अपने दुगुने जोर से चलने लगा। हरएक बैरक में से मुखिया राजबंदी चुने गए और अलग २ एकान्तवासों में प्रत्येक को बन्द कर दिया गया जिससे कि वे आपस में मिल ही नहीं सकें उनके बीच के कमरोंमें गुनाहगार कैदी बंद थे। मेरे किवाड़ भी लकड़ी के तख्ते लगवाकर बंद करदिये गए ताकि जेल में होने वाली किसी घटना का मुझे पता नहीं चले। अब जेलर, डिप्टीजेलर और अन्य जेल कर्मचारियों का एक जत्था कमरे में बन्द मुखिया राजबन्दियों के पास पहुँचने और उनका कमरा खुलवाया जाना राजबंदी को दीवार से ढकेलाजाता और उसकी थोड़ी देर मरम्मत करने के पश्चात् उसको जमीन पर लेटाया जाता और कंबल ओढ़ाया जाता, इस प्रकार कंबल में बन्द करके उसे लातों घूंसों से खूब पीटाजाता। इस तरीके के पीटने को जेल की भाषा में कम्बल परेड कहते हैं। इस प्रकार एक राजबन्दी के साथ निपट लेने पर दूसरे की भी वही हालत की जाती। ऐसा तीन चार दिनों तक यह पीटना जारी रहा। इस पीटने में यह होशियारी रक्खी जाती थी कि किसी की हड्डी न टूटने पावे, व खून न निकलने पावे फिर भी कइयों की हड्डियां टूटीं और खून की उल्टियां हुई। एक दिन एक लड़का नजरबन्द मेरे कमरों की लाइन में बन्द था उसकी कम्बल परेड करने के पश्चात् सुनागया कि उसके साथ अमानुषिक बरताव भी

हुआ। इसकी खबर मुझे जेल पुलिस ने चुपके से दे दी। रात को हम लोगों ने हमारा वायरलैस से संदेश प्राप्त होने का तरीका खोज निकाला था। एक राजबन्दी चिल्लाकर अपने पास के कमरे के बंदी से कहता और दूसरा तीसरे से और इस प्रकार से सबको सूचना मिल जाती। जेल पुलिस भी बाद में हम से मिलगये थी। मैंने दूसरे दिन सुपरिंटेंडेंट से इस अमानुषिक बर्ताव को प्रगट किया और उसके विषय में जांच करने को कहा। जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट पहले तो तैयार होगया लेकिन फिर जेलर के कहने पर इनकार करन लगा। तब मैंने जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट के खिलाफ एवं उनकी जांच के लिये सी. पी. व बरार सरकार को लिखना चाहा। परन्तु मेरी दरख्वास्त भी सी. पी. व बरार सरकार के पास भेजने से सुपरिण्टेण्डेण्ट इन्कार कर गया। अतः मुझे इस बात पर अड़ना पड़ा। और सुपरिण्टेण्डेण्ट को मैंने चैलेंज देदिया कि अगर वह मेरी इन्क्वारी की मांग सी. पी. सरकार तक पहुँचाने को राजी न हुआ तो मुझे फिर आमरण अनशन करना पड़ेगा। मैंने अपना २६ दिन का उपवास समाप्त किया ही था और दूध भी हजम नहीं कर सकता था कि मेरी इस प्रार्थना से बिगड़ कर जेल वालों ने मुझे बासी व सूखी रोटी बिना शाक के मेरे पास भेजी और मेरा दूध, शाक इत्यादि सब बन्द कर दिया गया। मेरे चारों तरफ जेल पुलिस का स्पेशल पहरा बैठादिया गया और कड़ी हिदायत दी कि मेरा किसी से कोई सम्बन्ध न रहने पावे। मुझ से बोलने के लिये कैदी व जेलपुलिस को मना कर दिया और मुझ से बोलने पर कैदियों को सख्त सजा मिलने लगी। मेरे पास की कितावें

इत्यादि सब छीनली गई और मुझे सूर्य का प्रकाश नहीं मिलने दिया जाने लगा। मैंने अत्याचारों की इनक्वायरी की मांग के लिए आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। जेल अधिकारियों ने चिढ़ कर मेरे नाक में रबर की नली आठ आठ दस बार सुबह और शाम को पेट तक घुसाना शुरु कर दिया। पानी भी नाक से पिलाया जाता था। अक्टूबर की गर्मी थी। दिन भर शरीर से पसीना बहता था। इस गर्मी में नहाने या पीने को पानी भी देना बंद कर दिया। आगे चलकर टट्टी जाने के लिए भी पानी देना बंद कर दिया। आठ आठ रोज टट्टी से सना हुआ शरीर रहने लगा। पसीने से सारा शरीर पचपचा गया और बदन में एड़ी से चोटी तक खाज होगई। इस प्रकार डरवाते करते करते अक्टूबर का महीना समाप्त होगया। नवंबर में शरीर पर खाज की फुंसियां फूटने लगीं और कोढ़ का सा स्वरूप होगया। खुजलाने पर मवाद निकलती। इस प्रकार शरीर खून, मवाद और टट्टी से भरा हुआ रहता। बालों पर हाथ फेरते ही मोटी मोटी जुएँ हाथ में आ जाती उन जूओं को भी मारना मेरा एक धंदा था। इस प्रकार नवंबर का महीना भी समाप्त हुआ और दिसम्बर की ठंड आगई। मेरे आस पास में चिमूर और आष्टी के राजबंदी आ पहुँचे। अब हमारे प.स में फांसी वार्ड में सारे राजबंदी थे। मेरे से संबंधित सारी खबर तिकड़म द्वारा सब राजबंदियों में पहुँचाने लग गई थी।

मेरे नाक में होकर रबर की नली सुबह शाम दो बार प्रतिदिन पेट तक घुसाई जाकर उसमें होकर दूध मेरे पेट में डालना निरंतर चल

रहा था, परंतु अब इस रबर की नली के नाक से गले में होकर पेट तक जाने में कोई तकलीफ नहीं होती थी, यह तो रोज की आदत हो गई थी। घर से पहिन कर आया हुआ एक मात्र कुरता व पंचा भी फट गया था। अक्टूबर व नवंम्बर महीना तो बिना स्नान किये ही बीत गया था इन महिनोंमें मैंने पशु व वनस्पति तो क्या परन्तु भगवान सूर्य के प्रकाश के भी दर्शन नहीं किये थे। मैं मेरी बात पर अड़ा हुआ था। सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई थी, दिसम्बर का महीना भ ऐसे ही गुजरने लगा। अब मैं नंगा रहा कराता था, क्योंकि मेरे पास खादी के कपड़े नहीं थे व सरकार खादी के कपड़े देने के लिए तैयार नहीं थी।

मेरे ऊपर निगरानी के लिए जो जेल पुलिस रहती थी, वे मुझ से बड़ा ही आदर का बर्ताव करते, अब तो वे चोरी छुपे टट्टी जाने के बाद, जेल अधिकारियों को पता न चलने देते हुए पानी भी दे देते थे। मुझ से बोलने की मना थी, और ढाई महीनों में मैंने कुछ अपवाद छोड़कर ऐसा कोई संम्भाषण भी किसी मनुष्य से नहीं किया था। लेकिन अब ये जेल पुलिस मुझ से बातें करते, चोरकर अखबार लाते और जेल की खबरें भी सुनाया करते थे परन्तु इनमें एक ईसादास नाम का ईसाई जेल पुलिस, ऊपर से तो मीठी बातें करता, परंतु वह अंग्रेजी राज्य को हिंदुस्थान में कायम रखने का बड़ा पक्षपाती था। वह एक दिन मेरे साथी राजबंदी जो मौत की सजा पाकर मेरे पड़ोस के कमरे में रखे हुए थे, उनमें से कईयों को फुसलाता और उनसे कहता कि यदि वे ईसाई बनजाएं तो उनकी फांसी की सजा माफ हो सकती

है। वास्तव में राजबंदी ऐसी बातों को क्या महत्त्व देने लगे, तो भी हम इसे बेवकूफ बनाते, एक दिन मैंने एक प्लाट तैयार किया, जिसमें ईसादास के बेवकूफ बनने पर इस प्लॉट की सफलता अवलंबित थी। मेरे पडोस के आष्टी के श्री वामनरावजी ने ईसादास के पास ईसाई होना स्वीकार कर लिया, मेरे दूसरी तरफ के पड़ोसी चिमूर के श्री मिस्त्री जी ने हिंदू धर्म की महत्ता बताना आरंभ कर दिया, इस प्रकार रोज झगड़े होते और चिमूर, आष्टी के सब मौत की सजा पाए हुए राजबंदी कुछ इस व कुछ उस पक्ष में मिल जाते। ईसादास खूब बेवकूफ बनता और ईसाई धर्म की महत्ता इन को समझाता और श्री वामनरावजी की खूब मदद करता जिस चीज की हमें गरज होती हम लोग श्री वामनरावजी के मार्फत ईसादास के द्वारा मंगा लेते। अब प्लॉट पूरा रंग गया था, मेहतर मेरे टट्टी के बरतन व कमरा साफ करने आया, ईसादास ने मेरा कमरा खोल दिया, इतने ही में श्री वामनरावजी में और श्री बलीराम में ईसाई व हिन्दू धर्म को लेकर जोर जोर से वाद विवाद आरंभ होगया श्री वामनरावजी ने अपनी मदद के लिए ईसादास को बुला लिया, ईसादास मेरा कमरा खुला छोडकर जल्दी करके वहां जा पहुँचा, कमरे का मेहतर कैदी क्या, सभी कैदी राजबंदियों से सहानुभूति रखते थे। मैंने एक बंडल बिडी की रिश्वत देना कबूल करके इसको मेरे तरफ कर लिया, और मेरे टट्टी के दोनों बरतन बिस्तरे पर रख कर मेरी एक कम्बल उन पर इस तरह से डालदी कि जिससे मेरे लेटे हुए रहने का भास होता रहे। और मैं वहां से बाहर आकर बाग के एक पौधे की आड में जा छिपा, ईसादास ने

आकर पूछा "बाबूजी सोगये" और कमरे का ताला मज़बूती के साथ बंद कर दिया। एक तो जेल के कर्मचारी मुझसे डरते भी थे, और हर तरह मेरे पास आना व बोलना टालते ही रहते थे। अब तक जेल कर्मचारी तंग आ चुके थे व, कुछ मेरा आदर भी करते थे। और इस समय तो ईसाई धर्म की रक्षा के लिए श्री वामनरावजी ने ईसादासजी को ऐसा रोके रखा के उसको मेरी कारवाई देखने की फुरसत ही कहां थी। मैं आगे बढ़कर जेल की एक दिवार के पास के कुवे पर आ पहुँचा। आज इतवार देख कर ही हमने यह काम किया था। जेल अफसर और पहरेदार छुट्टी के दिन के कारण ढीले ढाले से हो थे। मैं एक सफाई करने वाले कैदी से बादली मांगने गया, उसने नहीं दी। आज न जाने मुझ में इतनी शक्ति कहां से आगई। मैंने खैंचकर एक जोरदार तमाचा उस कैदी के जड दिया और उससे बादली छीनकर कुवे के ओटे पर रखकर उसपर होकर जेल के अन्दर की उस दिवाल पर किसी प्रकार चढगया व बारा नम्बर बैराक में जा कूदा यहां १५० राजबन्दी थे, इनसे मिला और आगे का कुछ सोचा और कुछ राजबन्दियों का नशीनी का सा उपयोग करके उनके कन्धों पर होकर और दिवाल पर जा चढा वहां से १३ नम्बर में जा कूदा वहां कैदियों से विचार विनिमय किया, परिश्रम के कारण मुझे १०३° डिग्री से अधिक बुखार हो आया तीन महीने से अधिक का उपवास था, मैं रजाई ओढ़कर पडगया, चलने फिरने की शक्ति भी नहीं रही। इसीसमय एक डाक्टर मेरी तबीयत देखने के लिये मेरे कमरे में पहुँचा, मुझे सीकचों से

आवाज देने पर जब मैं नहीं बोला तो, डाक्टर को चिंता हुई, जेल अधिकारी आए, मेरा कमरा खोला गया जब हाथ लगाकर देखा तो मेरे स्थान पर टट्टी के बरतन पाये गये। भागदौड़ मच गई अन्त में मुझे खोज-निकाला। सब राजबन्दियों को एकदम ताले में जहां के वहां बंद करदेने के बाद मुझे उठाकर बाहर लाए व बाद में गोला लाठी की तरह झुलाते हुवे मेरा जुलूस निकाला जाकर मेरे निवास स्थान पर मुझे पहुँचाया गया व अब मेरे ऊपर का पहरा तिगुना मजबूत बना दिया गया।

दिसम्बर का महीना भी जारहा था, मेरे नाक में सुबह शाम नली डालना और जबरन दूध पिलाना चल ही रहा था, अब मुझे टेंपरेचर भी प्रतिदिन होने लगा। उठने फिरने में बड़ा कष्ट होता था। खून व पस में लथ पथ तो था ही इस महीने में भी स्नान नहीं कर सका था। सरकारी कर्मचारी हैरान थे। अहिंसा शस्त्र के वा उपवास के आगे उनकी शक्ति बेकार होरही थी अब भी मेरी कसौटी का दिन आना बाकी ही था। एक कड़ाके की ठंड के दिन मेरा कमरा धोने के नाम से मेरे कमरे में पानी भर दिया गया। कपड़े तो मैं पहिना ही नहीं करता था, हम तो दिगंबर थे, क्या भीजने वाला था। मेरेपास कम्बलें थीसो भी जेलर उठवाकर लेगया था। शाम का वक्त था, सब जेलखाना बन्द होचुका था, मेरे कोई १०२ डिग्री बुखार होगा। कमरे में पानी भराहुआ होने के कारण लेट या बैठ भी नहीं सकता था। फिर ठण्ड भी लग रही थी। मैंने "रघुपति राघव राजाराम" का व वेदमन्त्रों का घोष आरम्भ कर-दिया। मेरे ऊपर होने वाले अत्याचारों की आज की खबर चोरी से जेल

पुलिस ने व मेरे पड़ौसी राजबन्दियों ने चिल्लाकर सारे जेल में कर दी, रात को ८ बज गए थे, सारे जेल की बैरेकों में बन्द राजबंदी चिल्ला रहे थे, मैं बेसुध होकर भूमिपर गिरपड़ा, जेल में होहल्ला मचगया। जेल अफसरों को लेकर डाक्टर आपहुँचा। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरे कमरे में डाक्टर व एक असिस्टेंट जेलर व अन्य वार्डरों की आंखों से टप टप आंसू पड़ रहे थे। मेरा कमरा सूखा सा बनाकर सूखी अच्छी कम्बलों पर मैं लेटाया गया। दवा लेने से मैंने इनकार कर दिया। अब भी उपवास शुरू ही था। दिसंबर समाप्त होकर १९४३ का जनवरी महीना प्रारम्भ होनेवाला था। एक मजिस्ट्रेट श्री दवे नाम के सज्जन आये मेरी मांगें मंजूर कीं और मैंने सफलता के साथ उपवास समाप्त किया। मेरी खाज आदि की दवा तथा स्नान सफाई की व्यवस्था करते ही मेरी खाज बहुत जल्दी रफूचक्कर होगई।

जेलमें हम राजबंदी प्रातः व शाम को झण्डावन्दन व प्रार्थना किया करते थे। भोजन व शयन के समय भी हम प्रार्थना करते थे। जेलकर्मचारियों ने झण्डावन्दन बन्द करवा दिया व जिस राजबन्दी ने झण्डावंदन करना चाहा उसको सख्त सजा दी गई, बाद में ईश्वर प्रार्थना करना भी बन्द करादिया गया, मुझे जब इसका पता लगा तो मैंने सब प्रार्थना जोर जोर से करना आरम्भ करदिया। मुझे जो स्नान आदि के लिये काल कोठरी से बाहर आने की सुविधा थी छीन ली गई, मैं फिर उस कदर बन्द रक्खा जाने लगा। इतने दिनों के उपवास के पश्चात् दूध के सिवाय कुछ भी नहीं पचा सकता था, मेरा दूध बन्द कर दिया गया तब मैं दाल

के पानी पर रहने लगा, अन्त में प्रार्थना व भोजन के मामले को लेकर फिरसे मुझे उपवास आरम्भ करना पड़ा। जेल में उपवास करना अपराध समझा जाता है, इन अपराधों के बदले में जेल की सभी सजाएं जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट मुझे दे चुका था। अभी मेरी जेल हिस्टरीबुक में लिख चुका था, अन्त में अबकी बार न्यायालय में मेरा चालान किया गया या यों कहना अधिक उपयुक्त होगा कि न्यायालय का ही चालन मेरा मुकदमा चलाने के लिये जेल में किया गया। ऑडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मि० गौर के सामने मेरे मुकदमे की पेशी हुई। मेरे कमरे से निकाल कर जेल के अन्दर ही उस कमरे तक के जिसमें मेरे लिये न्यायालय बैठा था लेजाने की तैयारी की गई। जेल के अन्दर फांसी की सजा देने के लिये मौत की सजा पाने वाले कैदियों को फांसी चढाने के लिये ले जाया जाता है उसी रास्ते से मुझको ले जाया गया। कोई राजबंदी मुझ से न मिल सके इस प्रकार मुझे ले जाया गया। स्थान २ पर पुलिस का प्रबंध था। मेरे खिलाफ भोजन न करने का अपराध लगाया गया। कई दिन तो अनशन, उपवास व Hunger strike आदि शब्दों के अर्थ लगाने में ही लग गये। जेल कर्मचारी मुकदमा चलाकर और भी अधिक तंग आ गये। मुझे मेरे कमरे तक लाने व लेजाने के लिये जेलर और पुलिस आया करती थी। एक दिन जेलर को कुछ काम होने के कारण असिस्टंट जेलर को उसने मुझे इस प्रकार लेजाने के लियेकहा और हिदायत की कि मुझ से और कोई न मिल सके।

इस असिस्टंट जेलर का नाम हेडाउ (Shree Hedau) था। उसने जेलर के कहने का उलटा अर्थ समझकर मुझ से पूछा की कौन २ से राजबंदियों से मिलना चाहते हो? वह यह समझा था कि ये मैजिस्ट्रेट का हुकम था। मैंने एक बैरक में जाकर श्री हेडाऊ के जरिए सब राजबंदियों को एकत्र कर एक सभा की और अपने मुकदमे के गवाही बना लिये। बेचारे जेलर को जब मालूम हुवा तो वह दौड़ा २ आया और सभा करते देखकर चकित हो गया। दूसरे दिन मैंने न्यायालय से कह दिया कि मैं जबानी बयान न देकर लिखित रूप में दूंगा। इस प्रकार जेल की छोटी २ संबंधित व असम्बन्धित बातें खोल २ कर न्यायालय के रेकार्ड में रखने लगा। अब जेल अधिकारियों ने मेरी सभी मांगें स्वीकार करली। जिससे मैंने अनशन समाप्त कर दिया। जेल अफसर मेरा मुकदमा यहीं पर समाप्त करना चाहते थे। किन्तु मैं कब मानता क्योंकि मैं तो स्वयं मुकदमा चलाना चाहता था। जेलर तथा अन्य अधिकारी इस मुकदमे से इतने त्रस्त हो गये थे कि पागल से हो गये। एक दिन तो जेलर अपने बयान के शुरू में न्यायालय के सम्मुख बार २ बेहोश होकर बार २ कहने लगा कि भुंजे हुए केले और पकी हुई मूंगफली दी थी। बाद में साथ आठ राजबंजियों के बीच में मेरे लिये कहने लगा कि इसका सत्यानाश जाए। इस प्रकार जेल अधिकारियों गण रो २ कर श्राप देने लगे। इस प्रकार यह मुकदमा चार पांच महीने चलने के पश्चात जब मैजिस्ट्रेट ने जेल कर्मचारियों की

तरफदारी की तो मैंने जेल से ही एक मुकदमा मैजिस्ट्रेट के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर करदिया। अब तो जेल अधिकारी अन्य सरकारी अफसरों की मदद लेकर मेरा पूरा २ नाश करने पर तुल गये। यह महीना मई का था। डबल दरवाजे के अन्दर कालकोठरी में बन्द कर दिया गया। गुप्त भागों में मूत्रेन्द्रियों पर रात्री को एक प्रकार का पावडर लगाया गया शायद वह मिर्चियों से भी ज्यादा तेज था और जिससे खुजली और जलन पैदा हुई। यह पाउडर लगाकर चले जाने के पश्चात जेल पुलिस मेरे लकड़ी के दरवाजे को खोलकर मेरे पास आये और धोने के लिये पानी दिया। रातों रात अस्पताल की स्टोर रूम का ताला खोलकर मई लाये और मुझे लगाने दे दिया तब कहीं जलन कम हुई। राजबंदियों ने भी उनको पता चलते ही मेरे लिये गुप्त रूप से मेरी खबर रखके सहायता पहुँचाने लगे। रात भर मैंने काफी पानी पिया। फिर दूसरे दिन पसीने से नहाता रहा लेकिन पानी नहीं दिया गया लेकिन रात को चोरी से एक पुलिस ने मुझे पानी दिया। इस प्रकार तीन दिन बीत गये। जब इस प्रकार मैं बस में नहीं आया तब जेल सुपरिन्टेंडेन्ट ने एक विशेष अनुसंधान किया और मुझे पागल करार दे दिया। अब मुझे पागल कहने लगे और पागलों में रख दिया। मेरे कमरे में मेरे दो और पागल साथी बन्द कर दिये गये। इन पागलों में आपस में जब लड़ाई होती तो वे मुझे पीटा करते थे। फिर मैंने भी इन्हें पीटना आरम्भ किया। इस प्रकार हम तीनों नें

खूब उठा पटक होती। एक पागल कैदी को आदत थी के टट्टी जाकर उलटी करता व उससे दिवारों को पोतता तथा एक दूसरे के शरीर को लगाता। दूसरा हमारा पागल साथी जोर २ से चिल्लाया करता था। यह पागल जेल में बटूसन के नाम से प्रसिद्ध था। इस हालत में रहकर हमने समझा और जेल सुपरिन्टेंडेंट से कहा कि तुमने तो हमें परमहंस बना दिया इसलिये धन्यवाद। राजबन्दियों ने हा हल्ला मचाया मैंने भी चोरी से हाईकोर्ट में दरख्वास्त भेजी तब मैं पागल बनने से बाल २ बचा और उस कोठरी से निकाला गया।

सरकार को दमन करने की सारी शक्ति और दमन के सर्व क्रूर प्रकार मेरे ऊपर आजमाये जा चुके थे। अब मैं जो कुछ कहता उसको जेल अधिकारी गुपचुप मान लिया करते थे। इस प्रकार कुछ दिन निकले। मेरे मुकदमा नौ दस महिने चलने के पश्चात चार माह की सपरिश्रम कारावास की सजा मुझे मिली। अब मुझे ऐसे कैदियों में रखा गया जो चारपाँच बार सजा काट चुके थे। और जो जरायम पेशा कौम के लोग थे। ऐसे लोगों की भद्दी २ आदत देखकर मैं उनसे उकता गया था। मैंने जेल में काम न करने का निश्चय किया। जेल अधिकारियों ने फिर एकदफा मुझको सताने का बीडा उठाया। मुझे पहले चक्की पीसने का काम दिया गया, मैंने चक्की को छुआ ही नहीं। मैंने कह दिया कि सुपरिंटेण्डेन्ट चक्की पीस कर बताये। अन्त में एक रोज एक मजिस्ट्रेट जो जेल सुपरिंटेण्डेन्ट के छुट्टी जाने पर उनकी एवज आया था मेरी बातों में आगया और चक्की

पीसने बैठगया। कैदी दूर २ से देख रहे थे की मजिस्ट्रेट साहब चक्की पीसरहे हैं मजिस्ट्रेट साहब की बडी हंसी हुई। जेल कर्मचारी मुझे दफ्तर बुलाते तो मैं उनके पास न जाते हुए उनको अपने पास बुलाता एक रोज वे चिड गये पहले तो मुझको उठाकर कैदियों के सिरपर रखवा दिया और बच्चों जैसा तमाशा होने लगा। बादमें पानी के होद में लेजाकर डालदिया गया, फिर मिट्टी में सांध दिया गया, सैंकडों कैदियों केसामने कर्मचारी और हम जोर २ से लडा करते थे कभी २ गुत्थम गुत्था भी हो जाया करते थे।

अब मैं बीमार पड गया था अतः अब मैं जेल अस्पताल में लेजाया गया, वहाँ पर एक रोज जबलपुर के कमिश्नर आये और उनसे मैंने जेल अधिकारियों की शिकायत की इसपर क्रुध होकर जेल अधिकारियों ने फिर मुझको कालकोटरी की सजा दी बिमारी हालत में मुझको काल-कोटरी में बन्द करदिया गया, इस प्रकार चार महीने की सजा काल कोठरी में ही समाप्त हुई।

मैं नजरबन्दियों में लेजाकर रखदिया गया। इन दिनों राजबन्दी जेल अधिकारियों की आज्ञानुसार जेल के सारे कानूनों का पालन किया करते थे, लेकिन मैं परेड करने और अधिकारियों के सामने खडा होने के लिये कभी तैयार नहीं हुआ, अन्त में जेल अधिकारियों ने मुझसे बोलना बन्द करदिया इसके बाद कोई अधिकारी शायद ही मेरे पास आता था। जो मैं खाने को चाहता वो चाहे कानूनी हो या बे कानूनी मेरे पास जेल अधिकारी भेज दिया करते थे। कोई मेरे से लडने झगडने या

सामना करने को तैयार न था। इस प्रकार १५ महीने तक कालकोठरियों में और ६ महीने नजरबन्दियों में रहलेने पर इस प्रकार पौने दो साल के बाद हमारी जबलपुर सेन्ट्रल जेल से विदाई हुई। और नागपुर की सैर कराते हुए आकोला जेलमें पहुंचा दिये गये। आकोला जेल के अन्दर दोबार उपवास करने पडे, ऐसे ही छोटे मोटे झगड़े चलते रहे, और बादमें मैं अपेन्डिसाइटिस से बिमार होगया, इसी बीच पिताजी ज्यादा बिमार होगये सो मुझे १० रोज की छुट्टी घर जाने की मिली इसके पश्चात फिर आकोला जेल आया और वहाँ से नागपुर सेन्ट्रल जेल मेरा तबादला करदिया गया। नागपुर सेन्ट्रल जेल से नागपुर शहर में मुझे मेयो अस्पताल इलाज करवाने के लिये रख दिया गया। हमारे पलंग के आस पास पुलिस पहरा नाम मात्र के लिये रहता था मैं शाम को फुटबाल खेलने को चला जाता, रात्री को शहर में राममन्दिर में दर्शन करने को चला जाता. बेचारे पुलिस वाले या तो मेरे बिस्तरों के पास बैठे रहते या हमसे छुट्टी लेके घर चले जाते या हम हमारे काम के लिये, अखबार वगैरा खरीदने के लिए बाजार भेज देते। पुलिस से मैं यहां अरदली का काम लिया करता था। मुझे अस्पताल में आकर मालूम हुआ कि देश में अन्न और वस्त्र की समस्या उग्र रूप धारण कर चुकी है हम जब सन् ४२ में जेल गये तो देश में अन्न और वस्त्र की समस्या जटिल नहीं थी। मेरी अपेंडिसाइटीज की बीमारी तो भयंकर थी लेकिन उसका असर १५ दिन में एक दो दिन ही रहा करता था बाकी मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहा करता था, मेरी इस बीमारी के कारण सरकार ने मुझे जेल में २॥ साल

नजरबन्द रखलेने के पश्चात् २५ जनवरी सन् १९४५ को जेल से मुक्त करदिया ।

जेल के अन्दर रहते हुए मैंने जो जो लडाई लड़ी थी उनमें मुझे पूरी सफलता मिली । जेल में मेरी मांग के अनुसार मुझे माहवारी तनखाह भी मुझे बाद में मिलगई वह नाम मात्र की ही क्यों न हो लेकिन सरकार को देनी पड़ी थी । जेल में रहते हुए मैंने सरकार से मेरे वैज्ञानिक अनुसन्धान करते रहने देने की आज्ञा मांगी थी । परंतु सरकार ने तो आज्ञा नहीं दी थी लेकिन नागपुर यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर नें मुझे एक पत्र लिखकर आवश्यक सहयोग देने की विश्वविद्यालय की तरफ से इच्छा प्रगट की थी लेकिन सरकार ने यह पत्र मुझ तक नहीं पहुचाया दे बीचमें ही रोक लिया ।

जेल से मुक्त होकर आने के पश्चात् केवल दो सप्ताह घर रहकर मैं सेवाग्राम जाकर महात्मा गांधीजी से मिला । मैंने मेरी तरफ से श्रीकिशोरलाल भाई मश्रुवाला ने जेल में मेरे साथ हुए अत्याचारों की कहानी पूज्य बापूजी से कह सुनाई बापू का उन दिनों मौन था उन्होंने लिखकर सलाह दी कहा कि सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी फौजदारी कारवाई तो करनी ही चाहिये परन्तु दिवानी दावे भी किये जा सकते हैं । मुझे चाहिये कि जो कुछ मैं कर सकता हूँ करूं मैंने जेल अधिकारियों के खिलाफ मुकद्दमा दायर करने का निश्चय कर लिया, मेरे परिवार के निर्वाह लिये आवश्यक मासिक खर्च भी सेवाग्राम से ही मिलते रहने

को व्यवस्था करदी गई। मेरे मुकद्दमों के खर्च का इन्तजाम भी सेवा॰ ग्राम आश्रम के मारफत ही हुआ।

मैंने हाईकोर्ट में आई. जी. आफ प्रिजन्स, सी. पी. और बरार, नागपुर, सुपरिंटेंडेंट सेन्ट्रल जेल जबलपुर तथा अन्य जेलरों के खिलाफ नागपुर हाई॰ कोर्ट में मुकदमा दायर करदिया। बरार प्रांत महाकोशल प्रांत व मध्यप्रांत की एक संयुक्त जांच समिति स्थापित की इसका दफ्तर सुराणा चैम्बर नागपुर में रखकर मैं वहां रहने लगा और काम आरम्भ करदिया। जिन २ सरकारी अफसरों ने गत ३ वर्षों में जनता पर और कांग्रेसियों पर अत्याचार किये थे उन २ अत्याचारों की खबर पाकर और पुरावे लेकर मिसल बनाके कानून का रूप देकर जिले और प्रांत के बडे २ सरकारी अफसरों के विरुद्ध मुकदमें चलाने का इंतजाम किया जाने लगा जिले २ में मेरा दौरा हुआ और अत्याचारी पुलिस अफसर, मेजिस्ट्रेट जेल कर्मचारी आदि के काले कारनामे खोजकर और उनको कानूनी रूप देने का प्रयत्न जोर से आरम्भ कर दिया, महात्मा गांधी का पूरा २आशीर्वाद व मदद मेरे साथ थी। अत्याचार जांच समिति में जो लोग उस समय मैंने लिये थे उनमें से कुछ सज्जन तो अब केन्द्रिय असेम्बली में काम कर रहे हैं, कई अपने प्रान्तों के मिनिस्टर बनचुके हैं और कई सरकारी तथा कांग्रेस के जिम्मेवार पदोंपर सेवा कर रहे हैं।

सारे सरकारी अफसर घबरा रहे थे। मैं सी. पी. और बरार प्रांत के कोई बडे बडे ५० पुलिस, जेल तथा अन्य महकमों के उच्च अफसरों के विरुद्ध मुकदमें दायर करने के लिये कागजात गवाह एवम अन्य तैयारियां

कर चुका था, ठीक इसी समय सरकार झुकी, जमाना बदला और तमाम कांग्रेस कमेटियां कानूनी घोषित करदी गई। अब कांग्रेस गैर कानूनी न रहने से और नेताओं के कहने के अनुसार मुझे मेरा काम प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को सौंपने के लिये बाध्य होना पडा। फिर बापूजी की इच्छा भी यही थी कि अब मेरा समय वैज्ञानिक अनुसन्धान के कार्य में ही लगाने से देश की तथा मानव जाति की मैं अधिक सेवा कर सकता हूँ। मैंने भी निश्चय किया कि मैं मेरा समय वैज्ञानिक अनुसन्धानों में और हो सकेतो विद्या के प्रचार में ही लगाऊं। और राजनैतिक क्षेत्र छोड़कर अब अपना पूरा समय वैज्ञानिक अनुसन्धान में ही लगाने लग गया।

मैं कोई लगभग ६ वर्ष की आयु में था तब एक दिन जून महिने में शामको बरसात के बूर बूरेसे गिरे, और बादमें आकाश का रंग लालसा होगया, मुझे जंचगया कि पौंदे बिना पानी मिले ही बनच सकते हैं मैं नीमके पौनेकी तीन डालियां तोडलाया और सडक के बीच में गरम गरम मिट्टी में रोनदी उसदिन रातको वे कुम्हिलाई नहीं दूसरे दिन प्रातःकाल आकाश का रंग, अब मैं समझ पा रहा हूं कि, हाईड्रोजन वायु के ज्वलन के समय जैसी रंगछटा दिखती है वैसा बनगया, और कुछ कम जादा प्रमाण में आकाश का रंग वैसा ही सांझतक बनारहा कडी धूप के रहते हुए भी वे नीम की डालियां कुम्हलाई नहीं तीसरे दिन भी नीम की डालियां कुछ ताजीसी हो बनी रही। मुझे विश्वास होगया कि बिना पानी के ही वनस्पति जीवन संभव हो सकता है। और आज से मेरी बाल समझ के अनुसार जैसा व जो कुछ मैं कर सकता था प्रतिदिन संध्या

काल का घंटे दो घंटे का समय और छुट्टियों के दिनों में जितना भी समय मिलसका, विभिन्न वनस्पतियों के निरीक्षण, परीक्षण व प्रयोगों में व्यतीत करने लगा। मैं एक पक्का जिद्दी लडका था, मैंने सोचा कि एक दो दिन यदि नीमकी डालियां विना पानी के कडीधूप में ताजा रह सकती है, तो अधिक दिन और सभी प्रकार के पौधे क्यों नहीं पानी के अभाव में पनप नहीं सकते ?

मैं ऐसा जिद्दी और महत्त्वाकांक्षी था कि लोगों को अंग्रेजी में बातें करते और अखबार पढते देखता तो मैंभी सडक के बीचमें बैठकर अखबारकी रद्दी चाहे जिस भाषा की हो–कुछ अट्टम सट्टम पढकर बताता और यदि मेरी बातें कोई ध्यानपूर्वक नहीं सुनता तो मुझे बडा बुरा लगता और ऐसे न सुनने वालों का मुझसे जो कुछ बुरा किया जाता मैं अवश्य करता, मुझे जो कोई कम पढा हुआ समझते, उनके घरों में मैं पशु या कुत्ते घुसा देता। या उनके घरों की हांडियां मौका पाकर फोडकर चला आता, लोग मुझे सर्वज्ञ कहकर मेरी मजाक किया करते थे।

मैं वनस्पतियाँ देखने के लिये हमारे यहां से ३ मील दूरी पर तलाव का जंगल लगता है, उसमें घूमने चला जाता था, और जब जंगल में जाकर मैं संकट में फंस जाता और मुझे रास्ता नहीं मिलता तो मैं मारे प्रसन्नता के तालियां पीटता। मुझे संकट और लडाई झगडों से सदा ही प्रेम रहता था। इस प्रकार वनस्पतियों से परिचय करते कराते मेरी आयु का १६ वां वर्ष आगया। मैं तब जयपुर राज में गुढा कटला आया था। मैं गुढा से म्हूई नाम के गांव के २ मील फासले दूरपर

की बावड़ियों पर स्नान करने के लिये जाता था । मार्ग में कैर के पौदों के ऊपर धोतियां सुखा देता था जिन पौदोंपर मैं धोतियां सुखाता था, उन पौधों पर अन्य पौधों की अपेक्षा कैर अधिक प्रमाण में और अच्छे कैर आये । इसी साल कुछ दिन विंध्याद्रि व सातपुडा की पहाड़ियां भी देख आया । मुझे जो मार्ग सूझता था उसी मार्ग से मैं प्रयोग और निरीक्षण किया करता था । मुझे मार्ग प्रदर्शन करने वाला कोई नहीं था । मेरी १८ साल की आयु में ही मैं राजपुताना व शेखावाटी के रेगिस्तानों में वनस्पति देखने आया और मेरे निरीक्षणों का एक रेकार्ड तैयार किया ।

मैं जैसा कुछ उल्टे सीधे समझता वैसे ही कुछ वनस्पति के प्रयोग कर लिया करता था । मैंने अनेकों पौधे उखाड़ कर उनकी जड़ें देखी । कई पौधों की जड़ें पत्थर में देखकर और उनका मिट्टी से बहुत कम ताल्लुक पाकर मैंने यह जानने का प्रयत्न किया कि इन पौधों को पानी कहां से मिलता है इसी बीच मुझे किसी ने कहा कि मैं वनस्पतीशास्त्र यानी बोटानी पढ़ूं, तो वनस्पती शास्त्र की बाबत सब कुछ जान सकता हूं । मैंने समझा बोटेनी कोई एक दो किताब होगी चलो पढ ही लें । मैंने किसी प्रकार मैट्रिक के कोर्स की मराठी में लिखी हुई बोटेनी की किताब प्राप्त करली लेकिन उस पुस्तक को समझने में मुझे दो दिन भी नहीं लगे । इस किताब के पढने से मैं पौधे, जड़, पान, डालियां आदि के विषय में विचार करने का तरीका थोड़ा सा जान गया । आगे मैं बोटेनी की इन्टरमीजियट की किताबें भीडुन थोप की खरद लाया और उसने का मारफोलॉजी, हिस्टोलॉजी प्लेंटफिजिओलॉजी, इकोलॉज

आदि विषयों में थोड़ासा परिचय प्राप्त कर सका। पर बगैर फिजिक्स और केमेस्ट्री के पढे बिना बनस्पतिशास्त्र की किताबें समझ में नही आती थी। और मुझे विज्ञान विषय पढ़ाने के लिये ऐसा कोई अध्यापक भी मिला नहीं। मैंने फिजिक्स व केमेस्ट्री की मैट्रिक की किताबें पढ़ी तब बिना प्रयोग किये कैमिस्ट्री फिजिक्स समझ में नहीं आती थी। किसी तरह कुछ केमीकल इकट्ठे किये फिजिक्स का टूटा फूटा सामान भी कहीं से ले आया और मेरी छोटी सी प्रयोगशाला बना ली। अब मेरे यहां तक तो समझ में आगया था। कि मेरा विषय प्लाँटफिजीयालाजी कहलाता है। तब मैंने प्लान्टफिजियोलाजी की कुछ किताबें इकट्ठी की। चार पांच लेखकों की इस विषय की पुस्तकों का मैंने अध्ययन किया और पलादीन की प्लाँटफिजियोलाजी मुझे बहुत पसन्द आई। आगे चलकर पौवे का और पानी का आपसी सम्बन्ध समझ लेने में मैक्मीमूह की लिखी हुई दि प्लॅंटसइन रीलेसन टू वाटर की पुस्तक पढी और यह पुस्तक पौधों के आपसी सम्बन्ध समझ लेने में मुझे बड़ी सहायक हुई।

अब तक मैं दो दफा शेखावाटी, सिन्ध और भावलपुर के रेगिस्तान में फिर कर आ चुका था। अब तीसरी वार मैं कुछ कैमीकल और अन्य साहित्य साथ लेकर रेगिस्तान में बिना पानी के जीने वाले पौधों को देखने के लिये और पौधों का रुटप्रेशर और पानी का ट्रान्सपिरेशन का परिक्षण करते हुए पहले तो करांची से पैदल चलकर दरिया किनारे घुमता रहा फिर मगरतलाब पहुँचा। इन दिनों मेरे पास दो कम्बलों

की एक गटडी और पानी की एक तूम्बी और एक लाठी और कुछ प्रयोगों के लिये आवश्यक सामान अपने सिर और कंधे पर लिये हुए मैं घूमता फिरता था। एकरोज घूमते घूमते सिन्ध और जैसलमेर की सरहद पर किसी गांव में से कोई मेरा जूता उठा लेगया। अब मुझे बगैर जूते के नंगे पैरों से ही इस मई के महिने में रेगिस्तान को आरपार करना था। मैंने एक तरकीब खोज निकाली पैरों में पौधे के पत्ते लगाकर उनपर कपड़ा बांध दिया जिससे न तो मेरे पैर ही जलते थे और न मेरा काम ही रुकाहुआ रहता था मैं सिरपर प्याज बांधे रहता जिससे मुझको कभी भी धूप नहीं लगी। भर दोपहरी में मैं बिना किसी छत्री के रेगिस्तान में घूम आया करता था। दोपहरी के समय में रेगिस्तान के पौधों को देखता फिरता था कोई सातसौ मील मैं पैदल घूमा हूंगा परन्तु ऐसा मुझे कोई पौधा न मिलसका जो मुझे सन्तोष देसके। चौथी और पांचवींवार फिर मैं रेगिस्तान में आया और सैंकड़ों मीलों की पैदल मुसाफिरी की परन्तु असफल ही रहा। छटी बार की मुसाफिरी में और भ्रमण में मेरे यह समझ में आया कि नगर जिले के अन्दर कुछ पौधों में कोई विशिष्ट रंग की छटा है और नगर जिले में महाराष्ट्र में सबसे कम पानी गिरता है जब कि लोणावला की तरफ सह्याद्रि में १००" से भी ज्यादा वर्षा होती है। नगर जिले के पौधों की और लोणावाला के पौधों की छटा में काफी फरक है। तो मैंने कम ज्यादा बरसात होने वाले अलग अलग प्रान्तों के पौधों का समय निकाल निकाल कर वहां पहुंच २ कर परिक्षण करना आरम्भ किया। सिन्ध में तो मैंने देखा कि ऐसे सोल्यूसन में भी जिनमें

नाइट्रोजन नहीं है उसमें भी पौधे पनपते हैं लेकिन उसी सोल्यूसन में यू. पी. में पौधे नहीं पनपते। मैंने उनके लिये नाप का वाटर सोल्यूशन तैयार किया था इस सोल्यूशन में बिना भूमि के ही पौधे पनपते हैं।

मुझे मेरे इस रेगिस्तान के प्रवास में कईवार काफी विचित्र अनुभव हुए। आतिथ्यसत्कार में रेगिस्तान के रहने वाले अनपढ लोग बडे ही उच्च विचार के हैं। ये लोग अपने यहां अतिथी का आगमन ईश्वर की कृपा समझते हैं। किसी भी जाति का आदमी क्यों न हो और वह किसी भी जाति के गृहस्थी के यहां पहुँच गया है तो वह गृहस्थी उसका पूरा आदर सत्कार करता है। अतिथी जिस तरह और चाहे जिसके हाथ का खाना खा सकता है, उसकी व्यवस्था संभवनीय हो वहां तक रेगिस्तान का गृहस्थी अपने खर्चे से कर देता है। धीरासर की तरफ एक बार आंधी में भी जा फंसा। लोहावट व फलोदी के रास्ते में तो एकबार जो आंधी चलना शुरु हुई तो छोटी २ टीबड़ियाँ उड २ कर एक जगह से दूसरी जगह चली गई। मेरा सारा सामान किसी टीबडी के नीचे दबगया। मैं एक लंगोट लगाये हुये था और ऊपर एक कंबल ओढ रक्खा था। दो दिन और एक रात मैंने खडे २ बिताई। इन दो दिन में मुझे खाना व यादमें पानी भी न मिलसका। दूसरी रात को वहां से लोहावट से आने वाले एक रास्ते की तरफ रवाना हुवा तो सारी रात टीबों में घूमता रहा। अंधेरी रात थी कोई गांव न मिला, और मैं वहीं सोगया। सबेरे उठकर देखा तो मालूम हुवा की मैं स्मशान में पड़ाहुआ था।

यदि कोई विद्यार्थी मुझे कहता है कि परिस्थिती अनुकूल नहीं पास पैसा नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। जो लोग परिस्थिति के आधीन होकर चलते हैं वे पशु सेभी बदतर है। ऐसा मैं कहा करता था। अब मैं भी विकट परिस्थिती के चक्कर में फँस गया। मैं रिसर्च के लिये और पौधे देखने के लिये निकल पड़ा। अब मेरे पास पैसा भी नहीं था न यहां पहिचान का कोई आदमी ही था। एक स्टेशन पर मैं ठहरा दोदिन का भूखा था। मैं एक विद्यार्थी को देख कर उसके पास गया और उसका बोझा दूसरे कुली को न देने दिया, मैं ढोने को तैय्यार हुआ। लेकिन उसने मुझसे दो आने तय करके बाद एक आना ही दिया। इस एक आने के चने लेकर मैंने दो दिन निकाले। मैंने मेरे पास की एक कंबल बेचदी और एक ही कंबल से काम निकाला। इन दिनो में चाहे जिस जंगल में घूमता रहा और बनस्पतियों का प्रयोग करता रहा। रास्ते में लकडियां मिलतीं उन्हें बटोर कर बेच देता। जहां कहीं घास मिलती उसे लेजाकर बेचदेता। और इन पैसों को खोज करने तथा खाने में खर्च करता था। इस समय मेरे घर की आर्थिक परिस्थती अच्छी थी। लेकिन रिसर्च के लिये पैसा नहीं मिलता था। और रिसर्च के पीछे लगने में मुझे ऐसी ही आपत्तियों में से जाने के सिवाये कोई चारा नहीं था। इस कदर दिन बीते और आसाम से लेकर रेगिस्तान के कम या अधिक वर्षा के स्थानो को देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा के जहां जितनी कम वर्षा होती है वहां के पौधों में कैराटीन (C 40 H66 उसी प्रमाण मे अधिक मात्रा में होता है। कैराटीन का संबंध

जब हवा में के ऑक्सिजन से आता है तो कैरोटीन और ऑक्सिजन का मिल कर पानी बन जाता है, और कुछ भाग कारबनडाई ऑक्साईड बन जाता है। यह देख कर मुझे बड़ा आनन्द हुआ।

अब मेरा विश्वास होगया कि जिस पौधे में हम कैरोटीन की मात्रा बढ़ा देंगे उस पौधे को पानी की आवश्यकता उसी प्रमाण में कम होगी। अभीतक वैज्ञानिकों ने यह मान रक्खा है कि पौधे का Thick Cuticle मोटा बाहरी आवरण, पौधों की जड की लम्बाई और पत्तों में रूधे छिद्र Sunken stomatas और जड़ों की शोषण शक्ति पर पानी की जरूरत कम या अधिक है। मेरे विचार से इन सबों का अभाववाले पौधे भी हमें रेगिस्तान में मिलते हैं और बिना पानी के पनपते हैं अर्थात वे नान झेरोफाइट पौधे हैं। मैं यहाँ मेरे रिसर्च का वैज्ञानिक विवरण करने केलिए नहीं बैठा हूँ। मैं तो केवल चलते २ यहाँ उल्लेख कररहा हूँ, नहीं तो रिसर्च के तो केवल मेरे अनुभवों का एक मोटा पोथा बन सकता है।

मेरी कई लेबोरेटरीज बनी और बरबाद हुई। पौधों के रिकार्ड बरसों में बने और सरकार की कृपा से चन्द मिनटों में नष्ट हुए और जला दिये गये तीन हजार असफल प्रयोगों का एक पोथा तैय्यार हुवा जिसको देख कर मुझे गर्व था, यह पोथा भी नष्ट हुवा। कई किताबे जेलों में लिखी कुछ किसी कारण नष्ट होगई और कुछ हस्त लिखीत पड़ी हैं।

एक दिन रेवडों से काच के टुकडे हमने इकट्ठे किये चिपका २ कर बेलजार बनाया पेट्रोमेक्स से लाईट तैयार किया और कुछ पौधे

लगाये। वेलजार के अन्दर हाईड्रोजन भरकर उसमें रख दिये। बाहर से कुछ गर्मी पहुँचाई गई। इस काम के लिये धोत्तियां कोयले से रंग कर डार्करूम का स्वरूप दिया। जब पौवे वेलजार में रख दिये गये तो पौधों पर लाइट का प्रकाश छोड़ दिया गया। पानों पर प्रकाश का झोत छोड़ा गया। पागो में के स्टोमेटाज खुल गये। और हाइड्रोजन भर गया। बाद में कुछ समय पश्चात् लाईट बंद कर दिया गया। पौधे कुछ समय पश्चात कारबन डाई आक्साईड के भरे हुए वेलजारों में रक्खे गये और इसी प्रकार प्रकाश से स्टोमेटा खोल कर उसमें कारबनडाई अक्साईड भरा गया। इस प्रकार प्रति दिन कर लेने से करीब तीन सप्ताह में पौधों में केरोटीन अधिक मात्रा में दीखने लगे और आगे चलकर चन्द पौधे बिना पानी के ही पनपते नजर आये। —और भी इसमें कई प्रकार के वैज्ञानिक अनुभव प्राप्त हुए। इसके पश्चात् मैंने मेरे सारे प्रयोग नागपुर विश्वविद्यालय में करने का प्रयत्न किया। परन्तु उन दिनों तो मैं सरकारी उच्च अफसरों के खिलाफ अत्याचार जाँच समिति का कन्वीनर बन कर कार्य कर रहा था। सो मुझे सरकार कब पूरी सुविधाये देने लगी। एका एक एक दिन देखता हूँ तो बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी का निमत्रंण पत्र मेरे पास आया। पूज्य पाद पं० मालविया जी की असीम कृपा थी।

मेरे प्रयोग सफल हुए। संसार के वैज्ञानिकों से मैंने मेरी बात कहनी चाही किसी ने मेरी बात सुनी भी नहीं और मेरे पेपर फेंक दिये। अंत में एक दिन मैंनें महात्मा गांधी से कहा और उन्होंने मेरी बात समझ

ली। वह दिन मुझे याद है। वर्धा कालेज के प्रिन्सीपल श्री मन्नारायणजी अग्रवाल पूज्य बापू जी से मेरी बात पर विचार करने की प्रार्थना कर रहे थे। आज बापू तुम कहां हो? सुबह से शाम तक म० गांधी ने मेरे रिसर्च के विचार करने में दिन बिता दिया। श्री हरीभाऊजी उपाध्याय बापू से मिलने आये थे किन्तु उन्होंने उनसे बात चीत भी न की और मेरी तरफ ही उनका ध्यान रहा। शाम को घूमने तथा प्रार्थना में भी मेरे साथ रहे और लौटने पर पूंछा कि प्रयोग में कितना खर्च होगा? सेवाग्राम से भीख मांग लायेंगे।

डा० व्ही. के. बदामी कृषि अनुसंधान महाविद्यालय बनारस हिंदू युनिवरसिटी के प्रिंसीपल ने मुझे अपने प्रयोगों के लिए बनारस आने को आग्रह करते हुए सभी प्रकार की सुविधाएं सहकार्य और आवश्यक व्यवस्था कर देने का बचन दिया था। मैंने बनारस पहुँचकर स्वर्गीय पू० पं० मालवीय जी महाराज के दर्शन किये, वे बिस्तरे पर लेटे हुए थे, उनमें चलने फिरने या जोर से बोलने की शक्ति नहीं थी। मुझ से मेरे अनुसंधान के विषयकी सारी जानकारी कर लेने के पश्चात मुझे आशीर्वाद दिया और आवश्यक सहायता का वचन दिया। उस समय के विश्व विद्यालय के वाईस चाँसलर डा० सर राधाकृष्णनजी से मेरा निकट का परिचय होकर यह परिचय खूब बढ गया। विश्वविद्यालय ने मुझे सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं दे दी। प्रिंसीपल डा० बदामी के साथ मैंने अपने प्रयोग आरंभ किये, प्रत्यक्ष लेबोरेटरीज में तो अधिक कुछ नही कर सका,

क्योंकि डा० बदामी का आग्रह था कि मुझे मेरे अनुसंधान की पूर्ण जानकारी, जब तक वह संसार के सामने नहीं रख दिया जाता, तब तक किसी को नहीं देना चाहिये। मेरे किये हुए प्रयोग डा० बदामी साहब ने फिर से कुछ जांचे और तत्पश्चात एक रिपोर्ट उन्होंने डा० श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन् को लिखकर भेज दी और अब इस सफलता के पश्चात प्रथम राजपूताना के रेगिस्तान में जाकर अपने प्रयोग करना चाहिये, ऐसी मुझे सलाह दी गई। डा० बदामी साहब ने रेगिस्तान में मेरे साथ कुछ दिन तक रहने का वचन दिया। मैंने सर्व प्रथम कुछ वैज्ञानिक निरीक्षण के लिए सरहद प्रांत व पंजाब जाकर कुछ निरीक्षण व नोटस् तैयार किये। दुर्भाग्यवश डा० बदामी की एका एक बीमार पडकर लखनऊ अस्पताल में जाकर मृत्यु होगई, मेरे अनुसंधानों की इनके सिवाय अन्य किसी को जानकारी नहीं दी गई थी, और न अन्य किसी वैज्ञानिक ने उन्हें जांचे ही थे।

मैंने राजपूताने के रेगिस्तान में जाने की तैयारी करना आरंभ कर दिया। मुझे जयपुर के शेखावाटी प्रांत में भ्रमण करने की सलाह व आग्रह हुआ। मैं जयपुर राज्य में कैसे प्रवेश कर सकता था? मुझे तो जयपुर राज्य में प्रवेश करने पर पाबंदी लगी हुई थी। पू० पं० मदनमोहन मालवीय जी स्वयं बडी कृपा के साथ मेरे लिए जयपुर सरकार को लिखने को तैयार थे। डा० सर राधाकृष्णन् तो मेरी इच्छानुसार संबंधित सरकार से मेरे लिए सुविधाएं भी मांगने को तैयार थे।

पं० गोविंदजी मालवीय पू० पं० मालवीयजी के सुपुत्र व वर्तमान वाईस चांसलर ने श्री सर वी० टी० कृष्णमाचारी प्रधान मंत्री जयपुर सरकार को मेरे जयपुर आगमन व मेरे वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी पत्र लिखा। तुरंत ही श्री. वी. टी. कृष्णमाचारी साहब ने उत्तर दिया के श्री नन्दलाल शर्मा के विरूद्ध जयपुर राज्य में प्रवेशबंदी की आज्ञा थासो समाप्त करदी गई व अब जयपुर सरकार आवश्यक सहायता व सुविधाए देने को तैयार हैं।

मैंने अपनी तैयारी की। आवश्यक केमीकल्स (रसायन) व छोटे मोटे साधन (आपरेटस) कृषि अनुसंधान कालेज से साथ में लिए। युनिवर्सिटी के ग्रंथालय से केमिस्ट्री, फिजिक्स में प्रकाश और उस्णता (Ligst & Heat) के विषयों की पुस्तकें, भूमि विज्ञा य बनस्पति शास्त्र के विभिन्न अंगों पर लिखी हुई कुछ पुस्तकें लेकर एक बडी सी पेटी में भर कर साथ में ली। कई आवश्यक वस्तुएं मैं स्वयं कलकत्ता से जाकर ले आया।

बनारस से फीरोजपुर पहुँचकर रेगिस्तानी प्रदेश में होकर बीकानेर की तरफ बढा। पंजाब में तो मेरी सखों ने थोडी बहुत मदत की। परन्तु बीकानेर राज्य में सिवा भोजन अतिथ्य के मेरे अनुसंधान के कार्य में कोई विशेष मदत नही मिली। तब मैंने डा० राधाकृष्णन साहब को लिखा तब सर सर्वपल्ली डा० राधाकृष्णन् ने एक पत्र बीकानेर के प्राइम मिनिस्टर श्री० पनिक्कर को लिखकर मुझे भेजा और इस

पत्र के साथ प्राइम मिनिस्टर से मिल लेने को मुझे लिखा। मैं हनुमानगढ़ व लूणकरणसर के विभाग देखता हुआ बीकानेर पहुँचा मेरे साथ में कुछ पत्र मेरे कई प्रोफेसर मित्रोंने, प्रिंसपिल कृषिकालेज ने तथा युनिवरसिटी में के अन्य मित्रों नें दिये थे। मैंने यहां पर श्री मैत्रेय जी के पत्र का उपयोग करके प्रो० विद्याधरजी शास्त्री से परिचय करके उनके मार्फत कई उच्च अफसरों से परिचय प्राप्त कर लिया। मैं किसी प्रकार श्री पनिक्करजी के पास पहुँचा, यहां के तो कुछ ढङ्ग ही अलग थे। मैंने विश्वविद्यालय का प्रार्थनापत्र व डा० सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन् का व्यक्तिगत पत्र श्री पनिक्करजी के हाथ में सौंप दिये। मैंने देखा कि मेरे कहने का व इन पत्रों का श्री पनिक्कर जी पर कोई भी असर नहीं होरहा है। मुझे खेद हुआ मैं सोचरहा था कि संसार में ऐसा किस देश का प्रधानमन्त्री होगा कि जिसके ऊपर संसारमान्य भारतीय विद्वान डा. राधाकृष्णन् की प्रार्थना का असर नहीं होगा? क्या कृषि अनुसन्धान कालेज बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की प्रार्थना का भी परिणाम नहीं होगा? हुआ तो ऐसा ही। मेरा परिचय श्री जुगलकिशोर सिंहजी डायरेक्टर शिक्षाविभाग बीकानेर से होगया था। आपने मुझे आवश्यक सहयोग देने के लिये विद्यालयों को स्थान स्थान पर लिख दिया था। बीकानेर सरकार ने भी नाजिम और तहसीलदारों को मुझ से सहयोग करने को यों ही सा लिखदिया। रतनगढ़ के तहसीलदार श्री दलपतसिंह जी जो बनारस के छात्र रहचुके थे इनको अपवाद गिनलिया जाए– और छात्र तथा अध्यापक जो अपने ही उनमें से मेरा साथ दे

थे व शिक्षाधिकारी मेरे साथ सहानुभूति भी रखते थे और किसी सरकारी कर्मचारी ने मेरा साथ नहीं दिया । आर्थिक दृष्टि से कहा जाए तो एक भी पैसे की या किसी सवारी की या ठहराने की किसी प्रकार की मदद नहीं दी । मैं ही मारा २ मेरे अनुसन्धान में फिरता रहा । सरकारी सहयोग न मिलने का कोई दुःख नहीं था, दुःख तो इस बात का था कि सर राधाकृष्णन् आदि के पत्रों का अपमान होगया था । मैंने सारा भ्रमण व कार्य मेरे निजी खर्च से ही किया । आगे चलकर रतनगढ़ में मैं बीमार पड़गया । तीन दिन तक बिस्तरे पर पड़ा रहा । नगर के जनसेवक छात्र मेरे पास आते जाते थे; बादमें मेरा परिचय मिलने पर कुछ सेठ लोग और व्यक्तिगत हैसियत से सरकारी अफसर भी आते रहे । तहसीलदार श्री दलपतसिंहजी व डा. टिपसीस पूरी मदद करते रहे । एक दिन सर रघुनाथ हाईस्कूल रतनगढ़ में भाषण देने गया, मैं पूरा थका हुआ था । प्रतिदिन बीस बीस घण्टे काम करके थक गया था । सरकारी अधिकारी, प्रमुख सज्जन व विद्यालय के छात्र व अध्यापक भाषण सुनने के लिए उत्सुक थे, मैं कोई दस मिनट भी बोलने न पाया था कि आंखों के आगे अंधेरा आया व चक्कर आकर गिरपड़ा, उलटियां होगई और वहीं दस्त भी हुए, मेरे लिये विद्यालय के उसी कमरे में पलंग मंगवाकर वहीं मुझे लेआया गया । डाक्टर ने आकर देखा तो मुझे १०४° के लग भग बुखार था अब तो मुझ में बात करने की भी शक्ति नहीं थी । शाम को तहसीलदार श्री दलपतसिंह जी उठवाकर मुझे अपने घर लेगये तबीयत तो सुधरगई परन्तु कमजोरी अधिक थी । डाक्टरों का आग्रह था

कि मुझे विश्राम लेना चाहिये मैं स्वामगांव लौटा और २५ दिन तक पलंग पर पड़ा रहा।

शरीर में चलने फिरने की शक्ति आते ही मैं बनारस विश्वविद्यालय में आकर और कुछ नई तैयारियां कर के साईन्स कांग्रेस के लिये दिल्ली आगया। यहां मेरे अनुसन्धान के विषय में मैंने भारतीय व विदेशों के वैज्ञानिकों से बात चीत की। मेरे पास पूरे डेटा के कागजात न रहने के कारण व विलम्ब होजाने के कारण मेरा पेपर मैं सिलसिले के साथ सेक्शनल मीटिंग में तो नहीं रख सका परन्तु एग्रीकलचर व बोटानि के एक जाईंट मीटिंग के शायद् इकॉलॉजिकल सोसाइटी की तरफ से थी, उसमें मैंने मेरा रिसर्च रखा एवम् भाषण भी दिया। भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिक मेरे पास आकर देर तक मेरे अनुसन्धान के विषय में बात-चीत करते रहे।

बनारस से मेरे आने के विषय में जोधपुर सरकार को लिखा गया था। जोधपुर सरकार के उस समय के प्राइम मिनिस्टर व आज के महाराजस्थान के राजप्रमुख के परामर्शदाता-एडवाइजर श्री सी एस् वेंकटाचारी का एक पत्र कृषि कालेज के प्रिंसिपल को मिला था। श्री वेंकटाचारी मेरे प्रोग्राम की सूचना की राह देख रहे थे, वे सब प्रकार की सहायता व सहयोग देने के लिए उत्सुक थे। मैं जोधपुर आया। जोधपुर सरकार ने मेरा प्रेम के साथ स्वागत किया। मैंने श्री वेंकटाचारीजी से मिलकर बातचीत की। मैं यहां पर सरकारी अतिथी बनगया. जो भी आर्थिक सहायता मैंने चाही वह मुझे तुरन्त ही देदी गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी यहां पर पूरी पूरी

मदद मिली। इस प्रकार शेरगढ होते हुए थार के रेगिस्थान में फिरते
हुए पोकरण पहुँचा।

मैं पोकरण में प्रातःकाल बिस्तरे से उठकर देखता हूं तो श्री चतुर्भुजजी
गहलोत मुझ से कह रहे थे कि, जोधपुर महाराजा मुझसे मिलना चाहते
हैं और बाहर आकर खड़े हैं, इतने ही में पोकरण के कंवर साहब मेरे
पास आपहुँचे और कहने लगे, हिज़हाईनेस महाराजा श्री उम्मेदसिंहजी
आपके कमरे के बाहर आपसे मिलने खड़े हैं। मैं कपड़े भी नहीं पहन
सका। रात का ही कुडता और ऊपर कुछ पहिन कर बाहर आया तो
जोधपुर महाराज बड़े प्रेम से मिले और मेरे अनुसंधान की तथा अन्य
मेरी व्यवस्था के विषय में बातचीत करके मैं चाहूँ जब उनसे आवश्यक
सहायता ले सकता हूँ यह कहकर के वे पधार गये। मैं कई दिनों तक
जोधपुर राज्य में काम करने के पश्चात् जयपुर आया। लगातार १२-१४
वर्ष तक से चली आरही जयपुर राज्य में आने की प्रवेशबंदी उठने के
पश्चात् खुल्लमखुल्ला— आज मैंने जयपुर में प्रवेश किया। मेरे मित्र
पं० हीरालालजी शास्त्री का पत्र मुझे मिला था। आपने मेरे ठहरने की
व्यवस्था अपने ही यहां की थी। हम आपस में मिले। राजपूताना के
कार्यकर्ताओं की एक सभा भी यहां चलरही थी। सबों से मिलना हुआ।
पं० हीरालालजी शास्त्री ने मुझे अच्छा सहयोग दिया। जयपुर में दो
कई जगह मेरा प्रेमपूर्ण स्वागत भी किया गया। जिस जेल में मैं कैदी रहाथा,
आज वह जेल मुझे दिखाने की व्यवस्था जेल विभाग के मिनिस्टर व
आई. जी. जेल ने की थी। मैं श्री राजरूपजी टांक आदि को लेकर जेल

पहुँचा । मेरा एक भाषण महाराजा कालेज में भी हिन्दी में हुआ । मेरे मस्तिष्क में भावों की उथल पुथल हो हुई थी । रिसर्च की दृष्टि से मैं कुछ भी नहीं बोल सका । मैं तो केवल मेरी आँखों के सामने राजनैतिक घटनाएं जो जयपुर में मेरे साथ गुजरी थी वेही उन्हीं के आसपास फिरते हुए बोलता रहा । जब मैं महाराजा कालेज से वापिस आया और मैंने सोचा तब मुझे दुःख हुआ कि लोग मुझसे मेरी रिसर्च सम्बन्ध में सुनने आये थे और मैं वहां क्या कह आया ।

जयपुर राज्य प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं की भी जहां जहां मैं गया मुझे पूरी मदद मिलती रही, सभी जगह स्थानीय प्रजामण्डल के नेता मेरे साथ ही रहे और मुझे मदद भी करते रहे । मैं यहां श्री वी. टी. कृष्णमाचारी साहब से मिला आपको बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी ने मुझे योग्य सहयोग देने की प्रार्थना की थी । श्री ताराचन्दजी काला ने भी एक रिसर्च स्कोलर की सच्ची भावना के साथ पूरा सहयोग दिया । मुझे जयपुर सरकार ने आवश्यक आर्थिक सहायता भी दी । जयपुर रियासत में घूम फिरकर मैं दिल्ली व बनारस होकर कलकत्ता गया, आगे पू० महात्मा गांधीजी से मिला । उन्हें मेरे बनारस के व रेगीस्तान के काम की जानकारी दी । पू० बापू बड़े ही प्रसन्न हुए ।

मैंने जोधपुर, बीकानेर व जयपुर आदि रियासतों के रेगिस्तान तथा अन्य विभागों में फिरकर उद्योगिक एवम् व्यवसाय की दृष्टि से जो संभवनीय साधन देखे थे । तथा जो वैज्ञानिक निरीक्षण-परीक्षण किया था उस विषय पर अलग अलग रियासतों की एक एक अलग रिपोर्ट

लिखी, और सम्बन्धित रियासतों के प्राइममिनिस्टर को एक एक प्रतिलिपि भेजदी। इस प्रकार बीकानेर राज्य के सम्बन्ध की भी एक रिपोर्ट बीकानेर प्राइममिनिस्टर को भेजी। अब बीकानेर सरकार ने मुझसे लाभ उठाने का निश्चय किया और बीकानेर प्राइममिनिस्टर का एक पत्र मुझे मिला। जिसमें मुझे जो कुछ आर्थिक सहायता मुझे बीकानेर सरकार से चाहिये वह देने के लिए बीकानेर सरकार तैयार है ऐसा लिखा हुआ था। इन दिनों में खामगांव में ही था मैंने बीकानेर सरकार को अपना बजट बनाकर भेजदिया और बीकानेर सरकार ने मेरी मांग ज्योंकि त्यों स्वीकार करली इस तरह मेरी मांग के सिवा अलग मेरे और मेरे तमाम साथियों के रहने भोजन का और सवारी का भार सरकार के ऊपर था। उनको स्टेट गेस्ट तरीके रखकर सारा खर्च स्टेट का करने का निश्चय हुआ था। मेरे तो साथियों का रेल का किराया जिसमें मेरा फर्स्ट क्लास का और बाकी सैकिंड, इन्टर आदि का मिलाकर लगभग ७७५०) रु० आये मेरा निजी भत्ता रुपये १००००) इस तरह कुल मिलाकर १७७५०) रु० की मंजूरी बीकानेर सरकार ने देदी। और खामगांव मेरे पास एक चैक रु० ३०००) का भेज दिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि जो बीकानेर सरकार अभीतक मेरे लिये एक पैसा भी खर्च करने तैयार न थी वह कैसे इतनी बड़ी रकम एकदम मुझे देरही है। अर्थात इतनी बड़ी रकम जो करीब २००००) रु० होती है खर्च कर रही है। मैं देहली आया और वहां से बीकानेर पहुँचा।

अबके सरकार ने मेरे रहन सहन तथा खान पान की बड़े कदर के साथ व्यवस्था की; यहां आकर मुझे पता चला कि बीकानेर राज्य

के सम्बन्ध में मैंने जो रिपोर्ट लिखी थी, उस पर सरकार ने सरकारी विशेषज्ञों से खूब सोच विचार कर सलाह करके ही मुझ से सहयोग करने का निश्चय किया था। मैंने सरकार से २०००) रु० का एक चैक और मांगा और वह मेरे पीछे से मुझे खामगांव भेज दिया; मैंने हिन्दुस्तान के करीब ८ या १० युनिवर्सिटी को पत्र लिखे तथा मैं स्वयम् भी जाकर मिला।

बनारस युनिवर्सिटी के कुछ M. Sc. तथा कुछ B. Sc. के करीब १५ विद्यार्थियों को उस दौरेमें मैं लेना चाहता था। और वे जाने के लिये तैयार भी हो गये। बाद में मैं बम्बई पहुँच कर लगभग २५००) रु० का वैज्ञानिक परिक्षणों के लिये आवश्यक सामान भी खरीद दिया और उसे बीकानेर रेल से रवाना कर दिया। इन दिनों में बनारस में सम्प्रदायिक दंगे होने से परीक्षा की तारीखें आगे बढ़ादी गई। इस लिये मेरे साथ आने वाले विद्यार्थियों का आना असम्भव होगया। मैंने मेरी टूर की तारीखें आगे बढ़ादी। बनारस में और भी अशांति हुई और परिक्षाओं की तारीख और भी आगे बढ़ गई। मैं इन विद्यार्थियों को बाद में बीकानेर या अन्य किसी मेरे मुकाम पर पहुँच जाने की सूचना देकर रवाना होगया। और इसी समय मुझे रवाना होना आवश्यक भी था क्यों कि मैं मेरा सारा परीक्षण और निरीक्षण का सारा कार्य चतुर्मास आने के पहले और गर्मियों के दिनों में १५ मई से ३० जून तक रेगिस्तान में रह कर पूरा कर लेना चाहता था। मेरी राय में मेरे काम की दृष्टि से ये ही दिन उपयुक्त थे। इसलिये मुझे चाहे जितना

परिश्रम क्यों न करना पड़े मैं करने को तैयार था; जैसे भी सहायक और जहां से भी मुझे विद्यार्थी मिल सके मैं साथ लेकर ता० १० मई को बीकानेर में सुजानगढ़ मुकाम पर पहुँच गया। मेरे साथ में मुझे अधिक मदद करने वाले जोधपुर के वयोवृद्ध श्री चत्रभुजजी गहलोत को भी मैं साथ लेगया इनको वनस्पति का अच्छा अनुभव था; । देहली युनिवर्सिटी के तथा अन्य B. Sc. तथा M. Sc. के कुछ विद्यार्थी और चार पांच छोटे विद्यार्थियों को साथ में ले लिये थे। सुजानगढ स्टेशन पर पहुँचकर जब मैं रेल से उतरा तो देहली से आये हुए मेरे दो विद्यर्थियों ने आकर मेरे पास शिकायत की कि सरकारी अफसरों में उनके रहने की तथा भोजन की कोई व्यवस्था नहीं की थी। बाद में मैंने इस विषय में नाजिम को बुला कर उससे पूछा तो पता चला कि बीकानेर सरकार नें इस विषय में नाजिमों को लिख दिया था कि सारी व्यवस्था हमको हमारे खर्च से करनी चाहिये। इसी समय बीकानेर रियासत के कृषि तथा उद्योग विभाग के डाइरेक्टर मुझसे आकर मिले व कहा कि बीकानेर सरकारने मेरे स्वागत करने तथा और मेरे साथ रहने को उन्हें भेजा है।

वे और नाजिम आदि मुझे पूछने लगे कि आप धर्मशाला में ठहरना चाहते हैं? मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा और मैं समझ न सका कि सरकार ऐसा व्यवहार क्यों करती है। मैंने इनको डांटा और बताया कि बीकानेर सरकार ने हमारी व्यवस्था का भार अपने ऊपर पहले से ही ले लिया है। किसी कदर हम लोगों को गैस्ट हाउस लेजाया गया वहां पर Main Building में ठहराने का हुक्म

नाजिम ने नौकरों को हमारे साथ में लाकर के कर दिया; लेकिन नौकरों ने मेनबिल्डिंग का ताला ही नहीं खोला। हम लोग आस पास के क्वार्टर्स में ठहर गये। बीकानेर महाराजा इस समय मौन्ट आबू थे। मैंने उनको तार देकर सरकार के इस प्रकार के अपमानजनक बर्ताव का विरोध किया।

बीकानेर से एग्रीकलचर मिनिस्टर श्री चौधरी का तार मुझे मिला जिसमें मुझे बीकानेर पहुँच कर उनसे बातचीत करने की प्रार्थना की गई थी। मैं बीकानेर पहुँचा और मैंने मिनिस्टर से इस विषय में बातचीत की, प्राईममिनिस्टर से मिलना ही न होसका। लेकिन कृषि मंत्री श्री ख्यालीरामजी चौधरी ने बीकानेर सरकार की ओर से प्रार्थना की कि मैं अपना कार्य शुरु रक्खूं। किसी गैर समझ के कारण मेरे इन्तजाम में कुछ गड़बड़ी होगई है। यदि बीकानेर सरकार ने अपने वचनों का भंग करके मेरी व्यवस्था के खर्चे का भार वहन नहीं किया तो मैं मिनिस्ट्री से इस्तीफा देदूंगा।

मैं सुजानगढ आया मैंने अपना कार्य आरम्भ करदिया। एक दिन हमको सुजानगढ से लगभग १६ मील गोपालपुर की पहाड़ियां देखने जाना था इसके लिये एक लारी किराये से ठहराई गई, हमारा गोपालपुरा ६ बजे पहुँचना तय हुआ था। जिससे हम दस बजे के पहले ही पहाड़ियों में घूमन फिरने का काम समाप्त करलेते। लेकिन हमें काम करने देने के बजाय सरकारी अफसर तो एक प्रकार से तुला हुआ था।

पहले तो लारी ही साढे सात बजे हमारे पास आई। फिर जो हम रवाना हुये तो आध घंटे बाजार में खडी रहगई, फिर आगे बढ़ी तो कोई पुलिस अफसर और हमारी लारी का ड्राईवर आपस में झगडते रहे और पौन घंटा गाडी वहाँ खडी रही। इस प्रकार हम ११ बजे गोपालपुरा पहुँचे। इस दु हर में हम क्या घूम फिर सकते थे। जंगल के एक मकान में सारी दुपहरी भर लूओं में झुलसते रहे। व शाम को वापिस सुजानगढ आगये। और नतीजा यह निकला कि सारी लारी का किराया भी हमको ही देना पड़ा।

इस प्रकार सुजानगढ भी बहुत ही थोडा काम हुआ। बम्बई से भेजा हुआ साईन्स का सामान स्टेशन पर पहुँच गया था। रेलवे रसीद का पता ही नहीं चलरहा था। रेलवे रसीद लेकर जब पोष्टमन गैस्ट हाउस में पहुँचा तो वहां से हमारी डाक वापिस करदी गई, जब कि दूसरी डाक लेकर हमारे पास पहुँचा दी गई थी। हम सुजानगढ से रवाना होकर रतनगढ पहुँचे, यहाँपर हमारे ठहरने का इन्तजाम तो गैस्ट हाउस के मैन बिल्डिंग में ही किया गया लेकिन भोजन इत्यादि का खर्चा सुजानगढ की भांति हमको ही हमारे पास से देना पडा। यहां चौधरी ख्याली रामजी हमसे आकर मिले, हमारे पास ही गैस्टहाउस में ठहरे-और वही पहला वचन फिर दोहरा गये और प्रतिज्ञा कर गये कि बीकानेर सरकार ने हमारे भोजन का खर्च नहीं दिया तो वे फोरन इस्तिफा देदेगें। लेकिन मैंने देखा कि उनकी इसबात में कोई तथ्य नहीं था। यहाँ के सरकारी अफसर भी कुछ उदासीन से रहते थे। बल्कि सरकारी नोकर तो कुछ

छेड़छाड़ भी किया करते थे। हम रतनगढ़ से बीकानेर के लिये रवाना होगये। मेरे पास शिकायत आई की रेल के साथ जो मुसलमान पुलिस है वह किसी हिन्दू औरत को भगाकर लेजाने के प्रयत्न में मदद कर रहा था। मैंने उस तरफ ध्यान दिया तो इसने मेरा भी अपमान करने का प्रयत्न किया। मैंने स्टेशन पर देखा तो वहाँ पर नगर के कांग्रेसी प्रतिष्ठित सज्जन तथा अन्य प्रमुख लोग तो हमें पहुँचाने के लिये आये थे लेकिन उस समय तक सरकारी अधिकारी आये ही नही थे और बाद में आये तो दूर दूर ही रहे, यहाँ की सरकार की नीति के विषय में मुझे शक आगया था। तोभी मैं सबोंको साथ लेकर बीकानेर रवाना होगया। पुलिस एवम् सरकारी अफसरों का वर्ताव इस समय सम्मानजनक नहीं था। रास्ते में किसी स्टेशन पर हमारे साथ में से दो विद्यार्थी रेल से पानी पीने को उतरे थे। गाड़ी चलदी तो वे दूसरे डिब्बे में बैठगये। उस डब्बे मे पुलिस के जवान बैठे हुए थे, उक्त मुसलमान पुलिस ने उन विद्यार्थियो से गाली गलोज तथा हाथा पाई भी करली। डूंगरगढ स्टेशन पर मेरे पास रिपोर्ट आई मैंने मेरे साथी श्री मैत्रेयजी को झगड़ा निबटाने को भेजा। पुलिस की और अधिक उदंडता पाई, अन्त में पुलिस के जवानो का शारिरिक प्रदर्शन देखकर हमारे विद्यार्थी भी भिड़पड़े और डूंगरगढ़ स्टेशन पर खूब लाठी चली। उक्त मोहम्मद नामका कांस्टेबल घायल होकर अस्पताल में भेजा गया, और सबों को मामूली चोट आई मुझे मेरे विद्यार्थी यो को देखकर प्रसन्नता थी कि उन्होने जुल्म तथा अत्याचारी सत्ता के सामने सर नहीं झुकाया था। हिंसा का आश्रय लेना अच्छा नहीं

था लेकिन शासकों की शक्ति के आगे सर झुकाना बुरा तो थाही लेकिन नीच वर्ताव के समान भी था।

हम बीकानेर आकर पहुँचे तो रेवेन्यू तथा कृषि तथा उद्योग आदि विभागों के अफसर तो हमारा स्वागत करने को एक ट्रक लेकर आये थे। दूसरी तरफ से पुलिस के अफसर पिटाई का समाचार पाकर हमें गिरफ्तार करने आये थे। अन्त में पुलिस तो वापिस चलीगई, हम लोगों को सरकारी अफसरों ने एक हाईस्कूल के बिल्डिङ्ग में पहुँचा दिया। यहाँपर रहने में हमें काफी दिक्कतें होती थी। भोजन भी हमको बाजार से मोल मंगाना पड़ता था।

सरकार ने किसी कदर एक जीप का इन्तिजाम तो हमारे लिये यहां पहुँच जाने पर कर दिया था। गर्मी की लूएं दिन भर चलती रहती; हम हैरान होगये; हम चाहते थे कि कहीं ठंडी जगह में हमारे रहने का इंतिजाम हो। काम के लिये जंगल में घूमते हुए तकलीफ होती उसे सहन करना अच्छा भी लगता है; फिर भी मैं तो स्वयम् लूओं की परवा करने वाला नहीं था; लेकिन मेरे साथ के कुछ लोगों का स्वास्थ्य खराब होजाने से वे बीमार पड़ गये। मैं भी बीमार पड़ कर सरकारी अस्पताल में भरती कर दिया गया, फिर सरकार ने हमारे भोजन व्यवस्था का खर्चा हमें ही सहन करने के लिये अन्याय पूर्वक कहा था और वचन दिये अनुसार हमारे रहने का एवम् सवारी का प्रबन्ध भी सरकार ने नहीं किया था। और हमारे साथ वर्ताव भी असम्मान जनक भी था। इस लिये मैंने

सरकार से यह इंतजाम कराना चाहा और स्वाभिमान से न्याय की अपेक्षा की; इसके उत्तर में मेरे और मेरे एक विद्यार्थी की जब मैं रेवेन्यू अफिसर तथा आई. जी. पुलिस से बातें कर रहा था गिरफ्तारी होगई, व फौरन ही हमें हमारे गांव पर छोड़ दिया गया; मेरे सब साथी बीमार होकर चले गये; बाद में किसी कदर बीकानेर से दिल्ली आकर सरदार वल्लभभाई पटेल से मिलकर उनसे बीकानेर सरकार की शिकायत की और सारा हाल बताया। सरदार बल्लभभाई पटेल ने जवाब दिया कि आप क्या बीकानेर सरकार से न्याय की आशा करते थे ? वहां न्याय और सत्य कहां रहा है। उस समय आज की सी हालत नहीं थी और केंद्रीय भारत सरकार का अधिक नियंत्रण भी नहीं था। अस्तु मैं अपने घर लाखगांव चला गया।

मेरे बिना पानी के दो पौधों के पनपने की बात सुनकर के सरकार तथा जनता मेरी तरफ आकर्षित हुई थी। जिस समय मैंने बिकानेर सरकार का निमंत्रण स्वीकार किया था ठीक उसी दिन मुझे जयपुर के प्राईममिनिस्टर सर वी. टी कृष्णामाचारी का तथा जयपुर सरकार का पत्र मिला था वे मुझ से कुछ योजनायें चाहते थे। इसके पश्चात जयपुर सरकार की तरफ से मुझे कई रिमाईन्डर भी मिले। इसी समय भारत सरकार का भी पत्र मुझे आया था। पंजाब सरकार ने भी मेरी मांग की थी। विदेशों में भी मेरे बारे में काफी आकर्षण हुआ व पत्र आए। परन्तु दुर्भाग्यवश दूसरे सब सरकारों की एवम् भारत सरकार की भी सहायता स्वीकार करके वैज्ञानिक अनुसंधान करने से मैं इनकार कर दिया क्योंकि मैं

अपना समय एवम् वचन बीकानेर सरकार को पहले ही दे चुका था ।
अब बीकानेर सरकार ने मेरे साथ यह वर्ताव किया; जनता सोच रही
होगी कि अखबारों में कई बार मेरी खोज के बारे में खबरें आईं और
प्रत्यक्ष में कोई कार्य नहीं हुआ केवल इसीलिये बीकानेर की बात जनता
के सामने स्पष्ट रखदी है । बीकानेर सरकार ने मेरे साथ ऐसा वर्ताव करने
का कारण जहां तक मैं समझ पाया हूँ; मेरा कांग्रेसी होना ही है । क्यों
कि बीकानेर सरकार को बाद में यह पता चल गया था कि मैं कांग्रेसी
हूँ; और यहां के कांग्रेसजनों को मेरे इस राज्य में बार २ आने जाने
से काफी सहायता मिलेगी । एवम् कांग्रेसजनों के और किसानों के विरुद्ध
चलने वाले दमन के कारण बीकानेर राज्य को अधिक बदनाम होना
पड़ेगा ।

इस लिये बीकानेर सरकार चाहती थी कि मेरा बीकानेर राज्य से
सम्बन्ध ही न रहे तो अच्छा है; और इस लिये किये हुए सारे करार और
दिये हुए वचनों पर पानी फेर कर भी बीकानेर राज्य से मुझे दूर रखने
का प्रयत्न किया जारहा था । बीकानेर से जब मैं वापिस आने लगा तो
मैं ने अपना १२ महीने का भत्ता सरकार से मांगा । तथा अन्य हरजाना
भी अदा करने के लिये मैंने बीकानेर सरकार से कहा था । जिसके
उत्तर में मुझे श्री पनिकर साहब (प्राईम मिनिस्टर) ने १०००) रु०
और दिये । हमारे बच्चों के रेल के किराये का खर्चा भी मेरे पास से ही
करना पड़ा था । हम बीकानेर राज्य से वापिस आये; और कई महिने
तक बीकानेर राज्य के नाम से न्याय की मांग करते रहे जो अभीतक तो

न्याय नहीं मिला है। बीकानेर सरकार ने जितना हमारा समय बर्बाद किया तथा जो बदनामी की उसे अधिक रूप में भर कर देना चाहिये, लेकिन देशी राज्यों को तो अपनी मन मानी करने की आदत ही थी। मैंने यह सारी बातें गांधी जी से आकर कहदीं उन्होंने मुझे फिर मिलने के लिये कहा मैं फिर मिला और फिर मिला, परंतु देशकी राजनैतिक परिस्थिती ऐसी बदली कि पाकिस्तान बन गया, देश में सांप्रदायिक दंगे का वातावरण फैल गया, पाकिस्तान से लाखों की संख्या में शरणार्थी आने लगे। रियासतों को बरगलाकर और जूनागढ़, हैदराबाद आदि रियासतों का उदाहरण सामने रखकर अंग्रेज अनुदार नेता, पाकिस्तान व पाकिस्तान के मित्र भारत को कई विभागों में टुकड़े २ करके निर्बल बनाने का षड्यंत्र धूम धामसे रचने लगे। ऐसी हालत में मेरे मामले को लेकर बीकानेर रियासत के विरुद्ध कार्यवाही करने का दबाव भारत सरकार पर डलवाना मैंने उचित नहीं समझा। बीकानेर वैसे तो पाकिस्तान के सरहद पर रहने से वहां पहिले ही कई कठिनाईयां थी। ऐसी परिस्थिती में योग्य समय की राह देखता हुआ, मेरा शांत बैठा रहना ही देश की भलाई की दृष्टि से ठीक समझा। हां, मैंने यथा समय बिकानेर सरकार को पाट पढ़ाने का निश्चय करलिया था। मुझे दुख है कि अब बीकानेर सरकार नहीं रही और बीकानेर को न्यायका मार्ग बताने का मेरा काम अधूरा ही रह गया।

मुझे प्रसन्न करने के लिए बीकानेर सरकार ने बीकानेर से रवाना

होते समय १००० रु० मेरे हाथ खर्चे के नाम से मुझे दिये थे। वास्तविक बात यह थी कि मैंने मेरी नुकसान भरपाई बीकानेर सरकार से मांगी थी। इसके पूर्व बीकानेर सरकार ने कुल मुझे ५,०००) रु० दिये थे जिनमें से कोई ३६०० रु० का खरच का हिसाब मैंने देदिया था। अब मेरे १००००) दस हजार रुपये सरकार की तरफ से सरकारी लेखीनामा के अनुसार सरकार से लेने थे, वह हिसाब सरकार ने अभीतक भी नहीं किया और सरकार अपना दिया हुआ वचन भी निभाने को तैयार नहीं थी और न नुकसान भरपाई ही करने को तैयार हुई। सरकार तो केवल शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी।

सन् १९४५ में जब से कि मैं जेल से बाहर आया था, किसी ना किसी प्रकार का परिश्रम करके मुझे कुछ द्रव्य कमा करके अपने घर का खरच चलाना पड़ता था। घर खरच की पूरी २ जिम्मेवारी मेरे अपने ही उपर थी। कुछ दिन तो मैं सेवाग्राम आश्रम की मदद से गांधी सेवा संघ से अपना खर्च लेता रहा। बाद में मैं बडोदा के एग्रीकल्चर व केमिकल कंपनी का अडव्हाइजर रहकर मेरा निर्वाह चलाता रहा। मैं जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रिसर्च करता था तब इस कंपनी का अडव्हाईजर भी बना रहा। मैंने मद्रासप्रांत की सांडूर स्टेट की कृषि व औद्योगिक सर्व्हे करके अपनी रिपोर्ट तैयार की, उत्तर गुजरात के विजय नगर स्टेट व अन्य विभागों की वैज्ञानिक सर्व्हे भी समय निकाल कर कर आया था। ऐसी परिस्थिती में जब कि मैं मेरा वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए अपने निर्वाह की

तरफ भी देखना मुझे जरूरी था। बिकानेर सरकार का मेरे रिसर्च को हानि पहुँचाते हुए मुझे आर्थिक संकट में डालना मेरी व मेरी सेवा की दृष्टि से बड़ा ही अनिष्ट कारक रहा।

भारत सरकार ने एवं चोटी के नेताओं ने मुझे मदद एवं सहयोग देने की सदा ही चेष्टा की, एक दिन दूसरी बातों के साथ मेरे वैज्ञानिक अनुसंधान का जिक्र मैंने मौलाना अब्दूलकलाम आजाद से नई दिल्ली के असेम्बली हाल में किया तो मौलाना साहब आनंद के मारे उछल पड़े और मुझे डा० राजेन्द्रप्रसाद जी के पास लेजाकर मेरी भविष्य की सारी व्यवस्था करवाने के हेतु चलने के लिए उठ खड़े हुए मौलाना साहब तो बाबू राजेन्द्र प्रसादजी से टेलिफोन पर बात करने में भी समय नहीं लगाना चाहते थे। लेकिन भारत सरकार व डा० राजेन्द्रप्रसादजी तो पहिले ही मुझे आवश्यक आर्थिक व अन्य सहायता देने के लिए वचन बद्ध हो चुके थे।

कई स्टेटों व स्टेट सरकारों ने तो जब मैं रिसर्च के लिए वहां गया तो मुझे अपना स्टेट गैस्ट बनालिया था और मेरा सवारी व घूमने फिरने का तथा उस स्टेट में रहते हुए पौधों के निरीक्षण अथवा वैज्ञानिक खर्च में जो खर्च लगा वह उक्त स्टेट्स अथवा सरकारों ने उस समय तो देने का प्रयत्न किया, यह अपवाद छोड़दिया जाय तो इससे पूर्व के २० वर्षों में और अबतक उसके बाद भी रिसर्च में लगनेवाला सब खर्च हमारे पास से ही लगता आया है। भारत सरकार ने भी मेरे रिस-

आर्थिक व अन्य मदद देना निश्चित किया है लेकिन मैंने अबतक उस मदद को भी नहीं लिया है। और भविष्य में ले भी सकूंगा या नहीं इसकी भी शङ्का है।

अभी मेरे एक मिनिस्टर मित्र से वार्तालाप करते हुए डा. राजेन्द्रबाबू ने कहा बताया कि उन्होंने तथा भारत सरकार ने मुझे बहुत अधिक मदद करने का पूरा पूरा प्रयत्न किया है। यहां पर मैं यह साफ २ कह दूं कि भारत सरकार की या कांग्रेस हाईकमाण्ड में से किसी के द्वारा आर्थिक अथवा अन्य प्रकार की मदद जो भी उन्होंने भेजी हो उसके लिये मैं कृतज्ञ हूँ; किन्तु वह मदद मुझ तक कभी नहीं पहुँच पाई है। चोटी के नेताओं ने मुझे सहयोग देने का प्रयत्न किया परंतु दुर्भाग्य है हमारे देशका व मनुष्य जाति का जो अनपेक्षित महत्त्वाकांक्षाएं बीच में रोड़े अटकाती हैं।

बंगाल के अकाल ने हमारी आंखें खोल दी थी। सारे देश में अकाल की छाया छा रही थी। ऐसे समय में मैं कुछ समय प्रत्यक्ष कृषि की उपज बढाने में व्यतीत करूं तो अच्छा रहेगा, ऐसी सलाह मुझे कुछ देश के नेताओं ने मुझे दी, आग्रह भी किया। मैं ने कृषि विकास योजना बनाई व मध्यप्रांत में सरकार की तरफ से उस योजना को अमल में लाने का प्रयत्न किया। इस योजना का मुख्य सरकारी अधिकारी भी मैं बना और बुलडाणा जिला इसका कार्यक्षेत्र चुना गया। यहां पर जो कुछ कार्य हुआ उस पर ले

मुझे विश्वास हो गया कि कृषि की उपज केवल एक ही वर्ष में पचास फी सदी अर्थात ड्योढी तक बढ़ाई जा सकती है।

मध्यप्रांत व बरार मेरा अपना प्रांत है, वहां मेरा काम करना राजनैतिक पार्टी बंदी के दृष्टि से मिनिस्टर तथा अन्य कार्यकर्ताओं के लिए एक विचार करने का विषय बनगया। एक पार्टी व उसके अखबार मेरा साथ देते तब दुसरी पार्टी व उस पार्टी के अखबार मेरा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विरोध करते थे, मेरा कोई राजनैतिक चुनावों से संबंध आसके ऐसा ध्येय ही नहीं था, तोभी लोग तो मुझमें राजनैतिक महत्वाकांक्षा देखने लगे, मैं ऐसी पार्टी बंदियों की और आपत्तियों की परवा करने वाला नहीं था, मैं मेरा काम सी. पी. व बरार सरकार से एवम् जनता से सी. पी. व बरार में पूरा करवा के छोडता। लेकिन एक तो देशकी दशा ऐसी थी कि देशमें जहां भी व जिस भी प्रांत में होसके मेरा काम फौरन ही मुझे पूरा करना चाहिये था, मेरी सफलता पर देशकी अन्नकी व एक सीमातक आर्थिक एवम् अन्य समस्याओं का हल होना मुझे निश्चित सा लग रहा था, इसलिए राजनैतिक दलबंदीयों में अपना समय व्यर्थ न गमाते हुए, जिस प्रांत में मुझे सरकार का व जनता का अधिक से अधिक सहयोग मिलता हो उसी प्रांत में मुझे काम करना चाहिये, ऐसी मुझे सलाह दी गई और मैंने भी ऐसाही निश्चय किया।

एक दिन खबर आई कि मेरे मित्र श्री हीरालालजी शास्त्री, जयपुर राज्य के मुख्य सचिव होगये हैं, इस समाचार के पढते ही मैं मारे आनंद

के उछल पडा, श्री शास्त्री के प्राइम मिनिस्टर बन जाने से उनको या उनकी धर्मपत्नि को जितनी प्रसन्नता हुई होगी, उससे कहीं अधिक प्रसन्नता मुझे हुई थी।

आजतक मेरा और श्री हीरालालजी शास्त्री का जो सम्बन्ध रहता आया था उसके अनुभव से मैं श्री शास्त्रीजी का जहां पसीना गिरे उसके स्थान पर रक्त गिराने वाले मित्रों में से मैं अपने आपको उनका एकमित्र समझता था। इसके पूर्व मैं अपने एक पत्र का प्रत्युत्तर देने में विलम्ब करदेने के कारण श्री शास्त्री को अभिमानी समझ बैठा था, मैंने उन्हें इसके लिए पत्र लिखा इसपर श्री शास्त्री ने प्रत्युत्तर देने में विलम्ब होने के लिए क्षमा मांगी और लिखा कि जहाँ तक मुझे याद है आपने मुझे दो एक कामों के लिए लिखा था, कृपाकरके मुझे दुबारा लिखदेंगे तो ठीक होगा, कि मुझे क्या क्या करना है। फिर मैं सम्बंधित मिनिस्टरों से आवश्यक बात चीत कर लूंगा......लगातार सफर में रहने के कारण मैं कुछ ध्यान न देसका इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।

दूसरे पत्र में श्री हीरालालजी शास्त्री लिखते हैं......नये मंत्रि मंडल में यह देखना होगा कि कौनसा काम किस मंत्री के जिम्मे जाता है यानी सम्बन्धित महकमे अपने साथियों को मिल जायेंगे तो आपके बताये हुए काम ज्यादा आसानी के साथ होजायेंगे, नहीं तोभी हमलोग कोशीश करके कई एक कामों को तो करवाही सकते हैं............

यह तथा अन्य पत्र देखकर और स्वयं अपने मित्र श्री हीरालाल-जी को प्रधान सचिव देखकर तथा जयपुर में ही कांग्रेस अधिवेशन : वाला है सुनकर मुझे प्रसन्नता क्यों न होती।

मैंने निश्चय किया कि कमसे कम कृषि के बारेमें तो जयपुर राज्य को प्रति कई बावत में तो संसार के किसी भी राष्ट्र की बराबरी में मैं केवल र ही मास में कर दूंगा मैंने वैज्ञानिक के नाते सोचा व एक समाज वक व राजनीति में काम करने वाले के नाते अपने अनुभव के आधार र सोचा, मैं उठ खड़ा हुआ और एक दम जयपुर आ पहुँचा मैं अपने मेत्र श्री हीरालालजी शास्त्री से मिला मैंने उन्हें बताया कि गांवों में जो ाधन उपलब्ध हैं, उन्हीं के बलपर गांवों के कूड़ा करकट को फैला कर जो मनुष्य पशु या पौधों के स्वास्थ्य को भी हानि पहुँचाता है यदि उसे काम में ठीक वैज्ञानिक तरीके से लाया जाय तो देश की खेती को आज से कोई बीस गुणा अधिक खाद मिलेगा। व मनुष्य पशु और फसल के पौधों को लाभ पहुँचेगा। फसल काट लाने के बाद यदि खेतों में शीघ्र ही हल चला दिया जाय और पौधों की जड़ें तथा अन्य भाग जोकि भूमि में रह जाते हैं तथा जिन पर हानिकारक प्रोटोझोआ (Protozoa) जीव पैदा होते हैं और बढ़ते हैं वे नहीं बढ़ेंगे। और भूमि पोली करके वहां ठंड और गर्मी पहुँचती रही तो ये कीटाणु भूमि में पनप भी नहीं पायेंगे। कुछ प्राकृतिक बैक्टेरिया भूमि में पैदा होकर स्वतन्त्र वायु से नाइट्रोजन लेकर नाइट्रेट नामक खाद्य पौधों के लिए तैयार किया करते हैं और पौधों को बड़ा लाभ पहुँचाते

है। ऐसे लाभ कारक जीवों का नाश प्रोटोफोआ कर देते हैं और पौधों का आवश्यक खाद्य भूमि में तैयार नहीं होने देते, इससे फसल को बडी हानि पहुँचती है इसके निवारण का उपाय केवल योग्य समय में योग्य तरह से काश्तकारी करना ही है। और कई छोटी मोटी बातें अपनी योजना में हमने श्री शास्त्रीजी के समक्ष रखी, मैं चाहता था कि कृषि की दृष्टि से जयपुर राज्य को कांग्रेस अधिवेशन के पहले ही तैयार करलें। एक आदर्श एवम् उन्नत रूप में देश के सामने व अधिवेशन के समय अधिवेशन के सामने रख दूं। मैं चाहता था कि संसार को हम लोग बतादें कि स्वतन्त्र भारत गुलामी से छूटने पर कितनी जल्दी उन्नति कर सकता है। लेकिन यहां पर भी मेरा राजनैतिक जीवन आड़े आया जयपुर आने में उस समय मेरा कोई राजनैतिक उद्देश्य नहीं था मैं कोई जयपुर का प्राइममिनिस्टर अथवा नेता बनना नहीं चाहता था। मैं तो कृषि सम्बन्धी उन्नति का मार्ग देश के सामने कृतिरूप से रखकर सरकार और सरकारी अफसरों को एवं जनता को बतलाना चाहता था कि आर्थिक एवम् अन्य सत्य खाद्य जैसी समस्याएं कितनी जल्दी हल हो सकती हैं, केवल सच्ची सेवावृत्ति चाहिये मुझे उन सरकारी नौकरों को देख कर सदा निराशा रहती है जिनको अंग्रेजी सरकार व उसकी पिट्ठू सरकारों ने भारत को दास रखने में मदद देने के लिए रक्खा था। इनकी अपनी खास मनोवृत्ति होती है। यह लोग पहले अपनी कमाई की ओर देखते हैं देश सेवा, कर्तव्य या नीति इनके लिए कोई चीज नहीं है ऐसे अफसरों की अधिकता अभी हमारी सरकार में काफी है। ऐसे सरकारी

करों को भी मैं उनकी मनोवृत्ति बदल कर काम में लगाना चाहता
I, जयपुर राज्य में जो कि अभी तक हिन्दुस्तान में रिश्वतखोरी
भ्रष्टाचार तथा किसानों को लूटने में अबतक सर्वप्रथम रहा है उसे भी मैं
सुधारना चाहता था, मैं तो आज भी चुनौती देकर कह सकता हूँ कि
केवल एक साल के अन्दर ही रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार को इस प्रांत
में अच्छे प्रमाण में बन्द किया जा सकता है व बगैर किसी विशेष खर्चे
के ही मौजूदा सरकारी कर्मचारियों से ही काम लेकर केवल दो या तीन
वर्ष में ही कृषि की उपज ड्योढ़ी ५०% अधिक बढ़ाई जा सकती है
व कृषकों को मालामाल किया जा सकता है। और चुनौती के साथ
इस काम की जिम्मेवारी कई योग्य व्यक्ति अपने ऊपर ले
भी सकते हैं।

श्रीयुत हीरालालजी शास्त्री अब तक और आगे भी मेरे रिसर्च
आदि कार्यों में तो सहयोग देने को तैयार थे, किन्तु राजनैतिक क्षेत्र में
मेरा प्रवेश होने देने के विरुद्ध वे प्रयत्नशील थे। मेरी भी इच्छा अपना
समय वैज्ञानिक अनुसंधान व विद्या प्रचार के ही काम में लाने की भी और
है। परन्तु अल्प समय के लिए सरकारी अधिकारी रहते हुए भी मैं राज-
नैतिक शस्त्रों द्वारा शीघ्र फल प्राप्ति की अपेक्षा से सेवा करना चाहता
था। मेरे मित्र श्री शास्त्रीजी भी मुझे कई दिनों तक टालते रहे, बाते चलती
रहीं, मेरा काफी समय नष्ट किया गया और मैं तंग आकर चला जाऊं
ऐसा प्रयत्न भी किया गया और अंत में मुझे जो उत्तर मिला व

अजीब था श्री शास्त्रीजी ने कहा आपका स्वभाव तेज है आपकी किसी से बनती नहीं तो भी आप और हम तो साथ रह कर सेवा कर सकते हैं पर श्री दौलतरामजी भण्डारी जो कि विकास सचिव हैं इनका यह विभाग है, वे आपसे प्रसन्न नहीं हैं, इसलिए आपकी योजना अमल में लाना यहां बड़ा मुश्किल होगा। यह सुनकर मैं दंग रह गया और यहां से पिलानी बा० राजेन्द्रप्रसादजी स्वास्थ्य के लिए आये हुए थे उनके पास वहां चला गया उनको सारी बातें बता दी वे मुझे अच्छी तरह से जानते ही थे भारत सरकार में वे जब कृषि मंत्री थे तब कृषि को लेकर मेरा उनका काफी सम्बन्ध भी रहा करता था उन्होंने एक पत्र शास्त्रीजी के नाम लिख कर मुझे दिया और मेरी सभी बातें दोहराते हुए व मेरी योजना में विश्वास प्रकट करते हुए कांग्रेस अधिवेशन के पूर्व ही जयपुर राज्य को कृषि की दृष्टि से आदर्श रूप में तैयार करने के लिए मेरा साथ पूरा पूरा देने को लिखा मैं उनका पत्र लेकर उनकी इच्छानुसार फिर जयपुर आया यहां के कई कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं से और जयपुर जिला कांग्रेस के सभापति सरदार श्री हरलालसिंहजी से विचार विनिमय किया। श्री शिवबिहारीजी तिवाड़ी तथा सरदार श्री हरलालसिंहजी मेरी ओर से डा० राजेन्द्र बाबू का पत्र लेकर मेरे मित्र श्री हीरालालजी शास्त्री से मिले नतीजा कुछ न हुआ, हम सब को दुख हुआ डा० राजेन्द्र बाबू का आग्रह भी तुच्छ राजनैतिक महत्वकांक्षाओं पर असर करके हम लोगों को देश की भलाई की ओर न सोच सका। सादी ने ठीक ही कहा है कि 'एक कम्बल में दस फकीर सो सकते हैं, किन्तु एक मुल्क में दो

राजा अथवा दो नेता नहीं रह सकते" । डाक्टर राजेन्द्रबाबू को जब इन सब बातों का पता चला होगा तब कितना दुःख हुआ होगा।

जब मैं दिल्ली गया तो मुझे पता चला कि संयुक्त राजस्थान सरकार ने मुझसे सलाह दिलवाने के लिए भारत सरकार को लिखा था। मैंने प्रथम तो किसी भी सरकार से कोई भी संबंध न आने देने का विचार किया और सोचा कि जयपुर राज्य में ही किसी स्थान पर रह कर विद्याप्रचार व मेरे वैज्ञानिक प्रयोग व अन्य प्रकार से जनता का नैतिक स्तर ऊंचा हो सके ऐसी कुछ सेवाएं करता रहूँ। परन्तु फिर संयुक्त राजस्थान सरकार में रह कर मैं अधिक सेवा कर सकूंगा, ऐसा मुझे जंचा, और कृषि विकास योजना के साथ शिक्षा प्रचार, भ्रष्टाचार विरोध आदि की ओर ध्यान देकर संयुक्त राजस्थान सरकार को एक आदर्श एवम् सफल सरकार बनाने में कुछ भी उठा न रखने की इच्छा से मैं राजस्थान सरकार का अडवाइजर बना और सर्वप्रथम मैंने अपनी कृषि विकास की योजना अपने हाथ में लेकर काम करना आरंभ करदिया।

मुझे भारत सरकार से केवल मेरा मासिक पुरस्कार लेना था और और मेरे रहने, भोजन, मोटरकार व नौकरों आदि का सब खर्च करने का उत्तरदायित्व राजस्थान सरकार ने अपने ऊपर ले लिया था। राजस्थान सरकार लगभग २५ से ३० रु० प्रतिदिन मेरे व्यक्तिगत रहन सहन व सवारी का खर्च करती थी। मेरे आफिस का व दौरे का खर्च एवम् मेरे स्टाफ का पी. ए., क्लर्क व चपरासियों का खर्च भी राजस्थान

सरकार ही करती थी। कृषि विकास का काम मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ले रहा था। अन्य विभाग जैसे कृषि, शिक्षा, जंगलात, स्वास्थ्य और किसी किसी स्थान पर तो न्यायाधीश (सेशन जजोंको भी) मैंने इस काम में लेलिया अर्थात् कई सेशनजजों ने मेरे पास आकर अपना फुरसत का समय मेरा कृषि योजना का कार्य करने में लगाने की अपनी इच्छा प्रकट की थी।

उदयपुर में रहते हुए व मेवाड़ का भ्रमण करते समय तो मुझे बड़ा हर्ष होता था। मेवाड़ का एक एक कण हमारे गौरव की एक निशानी है। मेवाड़ के बलिदानों के आगे संसार अपना सिर आदर के साथ झुकाता है। केवल वीर पुरुष ही नहीं, वीर नारियां ही नहीं इस भूमि के दुधमुहे बच्चों व पहाडी जनताने भी जो त्याग किया है वह आर्य संस्कृति के लिए एक गौरव की बात है। मैं जहां भी मेवाड में जाता मेरे लिए ऐसी ऐतिहासिक सामग्री मिल जाती थी जिसे पाकर मैं पुलकित होता। मेवाड पवित्रता के तारे मेवाड, तुझे शतशः प्रणाम है, सभ्यता व मनुष्यता की सच्ची शिक्षा मेवाड का इतिहास देता है।

मैंने सर्वप्रथम घोषणा की कि राजस्थान का जो जिला कृषि विकास योजना के कामों को लेकर कांग्रेस अधिवेशन के पूर्व सर्वप्रथम आजायेगा, उस जिले के कलेक्टर का सरकार सम्मान करेगी, जो तहसीलें अच्छा काम करेगी उन उन तहसीलों के तहसीलदारों को सरकार योग्य इज्जत करेगी, मैंने तो यहां तक भी कहा था और उस मुआफिक करने

का व करवाने का मेरा निश्चय भी था जिससे कि जन सेवा की लगन, उत्साह आदि गुणों पर ही सरकारी अफसरों की भावी उन्नति का विचार होने वाला था। यदि सरकारी नौकर अपनी तरक्की चाहते हैं, तो वे जनता की सच्ची सेवा करने का अधिक से अधिक अच्छा उदाहरण हमारे सामने रखें। यही घोषणा मैंने गिरदावल, पटेल व पटवारियों के विषय में भी की थी। जिस गिरदावल, का हल्का तहसील में सर्वप्रथम आयेगा, उसकी तनख्वाह में बढ़ती दी जायेगी और उसकी ग्रेड ऊंची की जाने के लिए सरकार से कहा जायेगा। जिन पटेल पटवारियों के गांव कृषि विकास के काम में अधिक उन्नति करेंगे, उन पटेल पटवारियों का सम्मान उनके जिल्ले का कलेक्टर उनके गांवों में जाकर करेगा। दस बीस गांवों की जनता के सामने अच्छे काम करने वाले पटेल पटवारियों को पगड़ी बंधाई जायेगी और उनके काम के अनुसार तहसील में या डी. सी. की अदालत में उनको कुर्सी दी जाया करेगी। गांवों के स्कूल मास्टरों व स्वास्थ्याधिकारियों को भी इस काम में उनके अफसरों सहित ले लिया था, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरों के अनुसार ही इन सबों के बारे में भी मैंने उक्त घोषणा की थी। प्रति १५ दिन में गांवों में होने वाले कृषि कार्य की रिपोर्ट तहसीलों में सभी गांवों से पहुंच जाने की व्यवस्था करने का सख्त हुक्म मैंने सभी जिल्ले के कलेक्टरों को दे दिया था। सभी ८० तहसीलों से हर १५ दिन में होने वाले कार्य की सीधी रिपोर्ट मेरे पास आनी चाहिये थी। इस विषय की एक घोषणा मैंने संयुक्त राजस्थान सरकार के ता० २०

सितंबर १९४६ के गजट में भी करा दी थी। प्रथम काम सब गांवों में एक साथ सारे कूड़ा, कचरा आदि गंदगी फैलाने वाली चीजों को कंपोस्टिंग के तरीके से फसल के लिए खाद बनाने के काम में लेना था, सीदा सादा व्यवहारिक काम था। उस समय की इस विषय की भी सूचना सरकारी गजट व परचे आदि बंटवाकर देदी गई थी। जिन जिन जिल्लों में मैं दौरा करने जाता वहां मेरे कैंप के आस पास के १००-५० गांवों से किसानों को बुलवा कर खेती के बारे में उनसे बातें करता और वे कैसे एक ही वर्ष में व अपने गांवों में उनके पास जो साधन है उन्हीं से अपनी खेती की पैदा यश ३०% तीस फी सदी से अधिक बढा सकते हैं, यह बताता। जिले के सभी तहसीलदारों को व जिले के सभी विभागों के मुख्य अफसरों को बुलाकर सूचनाएं देता और उनके जिम्मे काम देने का प्रयत्न भी करता। अफसरों के सामने यह काम करने में यदि कोई आपत्तियां परिणाम कारक काम होने बीचमें रोड़े अटकाती होती तो मैं पूरे सहानुभूति के साथ उनकी बातें सुनकर उस के अनुसार व्यवस्था भी करने का प्रयत्न करता रहता था। प्रत्येक जिल्ले के प्रमुख लोगों से व कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी विचार विनिमय करके, सरकारी अफसर व कांग्रेस कार्यकर्ता मिलकर के काम कर सके या एक दूसरे को सहयोग देते रहें ऐसी व्यवस्था भी करने का प्रयत्न करता रहता था। गांवों की जो रिपोर्ट आती उनमें यदि किसी तहसील में कम काम होता है तो तहसीलदार को कम होने के कारण बताने पडते थे। गांव की किसी रिपोर्ट में यदि कोई किसान अपनी कृषि के सुधार करने में दिखाई करता

है तो उस बारे में गांव के पटेल पटवारी को उसकी जवाबदेही करनी पड़ती। और बतलाना पड़ता कि क्यों काम में ढिलाई हुई, जैसे किसान के घर आया कोई शादी थी या कोई बीमार था या कोई अन्य कारण था? इसका परिणाम बहुत ही सुन्दर प्रतीत होने लगा। मैं दौरेपर रवाना हुआ, दिन रात एक करके घूमता रहा, रात दिन अधिक से अधिक परिश्रम करने लगा। इसका केवल एक ही नमूना बतादूं कि मैंने कोटा आदि विभागों का जो एक २६ दिन का लगातार दौरा किया था, उन २६ दिनों में मुझे प्रति दिन दो समय भोजन करने के लिए भी समय केवल तीन ही दिन मिल सका था। १३ दिन तो मैं एकाद समय भोजन ही किसी कदर करने पाया था। जनता व किसानों की शिकायतें सुनने के लिए मेरे दरवाजे रात दिन खुले थे। कोई भी मेरे यहां किसी भी समय मेरे पास पहुँच सकता था। मैं चाहता था कि संयुक्त राजस्थान सरकार एक आदर्श सरकार हो। मैं मेरे प्राइम मिनिस्टर व मिनिस्टरों को जनता की नजरों में ऊंचा कैसे रखा जा सके, इसके लिए प्रयत्नशील था। मैं उनसे जनता की वह सेवा करवाना चाहता था कि जिससे यह सरकार भारत की अन्य सरकारों के लिए एक आदर्श की चीज होती। मैंने सरकार का विरोध करने वाली पार्टियों को व कार्यकर्ताओं को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ललकारा। जनता को सरकार का पूरा पूरा साथ देने के लिए समझाने में भी कई जिल्लों में मैं सफल हुआ। शाहपुरा, भीलवाड़ा व प्रतापगढ़ के मेरे भाषणों के पश्चात् जनता में के कई प्रमुख लोग जो सरकार विरोधी विचार रखते थे वे मेरे पास आये

और उन्होंने मुझे वचन दिया कि अब उनका पूरा समाधान होगया है व अब आगे चलकर सदाही मेरे कहे अनुसार सरकार की मदद करते रहेंगे। मैं जहां जहां भी गया मैंनें काम किया। केवल एक महिने में गांवों के किसानों ने हजारों स्थान पर हमारे बताये अनुसार वैज्ञानिक तरीके के खाद बनाने के गड्ढे बनाकर कंपोस्टिंग आरम्भ कर दिया। पौदों को भविष्य में रोग से बचाकर इस साल के अनुसार भविष्य में फसल नष्ट न होने पावे इस विषय की कार्यवाही भी शुरू करदी गई व प्रचार आरंभ हुआ। साथ ही जंगलात के धंदों की रिपोर्ट तैयार करवा-कर ग्रामोद्धार साइंटिफिक छोटे मोटे धंदे व विद्या प्रचार की दृष्टि से भी आवश्यक योजनाएं बनाने में भी प्रतिदिन कुछ समय व्यतीत करने लगा कि जिससे हाईस्कूल व कालेज के छात्र थोड़ा सा परिश्रम करने पर स्वावलंबी बनजाएं व आर्थिक दृष्टि से अपने अभिभावकों पर पूर्ण-तया अवलंबित न रहें, एवम् सरकार पर भी अधिक भार न पड़े।

मैंने अपनी योजना की दृष्टि से कई स्थानों की हाईस्कूलों को व कालेजों को भेंट देकर कुछ विचार विमर्श भी किया. मैं कोई भी कार्य हाथमें लेनेके पूर्व वैज्ञानिक एवम व्यवहारिक दृष्टिसे खूब सोच लिया करता हूं। मेरे व अन्य कार्यकर्ताओं के अनुभवों के आधार पर किसी हद्दतक सोच लेता हूँ, और उसके पश्चात् जिन अफसरों के द्वारा या जन सेवकों के द्वारा वह काम करना होता है, उनसे बातचीत व विचार विमर्श करता हूं, उनकी कठिनाईयों की भी जानकारी कर लेता हूं। इन सब पर विचार करलेने के पश्चात् मैं जो कुछ निर्णय करना

आवश्यक समझता हूं करलिया करता हूं, और फिर अपना कार्य हर तरह से पूरा करने की फिक्र करता हूं, या महत्त्व का काम हुआ तो अपने सर्वस्व की बाजी भी लगादेने की मेरी सदाकी आदत रही है। कोई यह न समझे कि, मैंने विना विचारे ही मेरी योजना अमलमें लानेका प्रयत्न किया होगा। मैंनेतो वैज्ञानिक व एडमिनिस्ट्रेशन व व्यवहार के आधार परही काम आरंभ किया था, कार्य के आरंभ में मैंने सभी जिलों से कलेक्टरों को बुलाकर उनको योजना व काम करने का तरीका बताकर उनसे उसपर विचार विमर्श भी किया था, अन्य संबंधित अफसरों सेभी विचार विमर्श हुआ था। मेरा काम आरंभ होगया था। व यदि नये रोडे न अटकते तो केवल ३॥ महिने में ही संयुक्त राजस्थान का प्रदेश कृषिकी कई बावतों में तो भारत का सबसे पहिला प्रांत बनजाता! परंतु यहां तो भेदनीति हमारे आपस में ही काम कर रही थी, तो भी कई तहसीलों में तो इतना सुन्दर काम हुआ कि वे आज भी कंपोस्टिंग की दृष्टिसे सारे भारत में की किसी भी तहसील से अधिक अच्छी होने तक पहूंची हुई है, और यह तो केवल ६ सप्ताह का काम है। यदि मेरा किया हुआ काम व मेरा रेकार्ड एवम् गांवोंका काम नष्ट न किया गया हो तो वह देखने की एकचीज है, जो आजभी देखी जा सकती है, हर किसान के झोंपड़ी तक पहुँचने के लिए और परिणाम कारक काम होनेके लिये इतना अच्छा संगठन हुआ कि सारे भारत में किसी भी जिले में अभीतक कृषि विकास आदि कार्य के लिए कोई भी सरकार इतना अच्छा संगठन नहीं करसकी है। कई अफसर उत्साहित होकर देश सेवा की

लगन से अपना जिला एक आदर्श रूपमें बदल देनेका प्रयत्न कररहे थे, कई अफसर आलसी भी थे, परंतु वे रास्ते पर आरहे थे, उदयपुर के कलेक्टर (जिनका मैं नाम भूलगया वे टोंक के एक नवाबजादा साहबों में से हैं) रातदिन एक करके अपने काम में लगे हुए थे, श्री मोहनलालजी अग्रवाल कलेक्टर प्रतापगढ़ जिला ने एक आदर्श संगठन निर्माण किया था, उदयपुर के डिप्टी कलेक्टर श्री सोहनलालजी, शाहपुरा के कलेक्टर श्री सत्यप्रसन्नसिंहजी, भीलवाडा के कलेक्टर श्री डूंगरसिंहजी और इनके मातहत अफसर ईमानदारी के साथ व पूरे परिश्रम के साथ काम कर रहे थे, उदयपुर जिले की तमाम ६ तहसील व डिपटी कलेक्टरियों में काम आरंभ होगया था। मैं मेरी बातको पूरी होते देखकर प्रसन्न था। मेरा स्वप्न सत्य होने जारहा था। मैं जयपुर कांग्रेस में संसार को कहने वाला था कि अंग्रेजों ने कृषि में जो काम गत २५ वर्ष में नहीं किया वह हमारा देश स्वतंत्र होनेपर हमारी राजस्थान सरकार ने केवल कुछ महिनों में कर दिखाया है, मेरा काम देखने के लिए भारत के चोटीके नेताओं को लाने का प्रयत्न भी मैं कर रहा था।

संयुक्त राजस्थान सरकार के मिनिस्टरों की अंदर की हालत कुछ और थी, एक दिन मैं महकमा खास में एक मेरे मिनिस्टर मित्र के कमरे में जाकर बैठा तो, वहांकी परिस्थिती देखकर तो मैं हैरान होगया। एक व्हेटरनरी डॉक्टर—मिनिस्टर व सेक्रेटरी दोनों को बुरी तरह से डांट रहे थे, पहिले तो मैं समझही नहीं सका कि मिनिस्टर व सेक्रेटरी को इस कदर डांटने वाले सज्जन कौन हैं; जब मुझे पता चला कि वे अमुक हैं तो, मैंने

उन्हें डांटकर खामोश किया व बादमें मिनिस्टर को भी कुछ हिदायतें दी, थोडी बार पीछे इस मिनिस्टर ने जब मुझसे कहा कि उस व्यक्ति को बादमें आपने खूब डांटा तो मुझे ऐसे मिनिस्टर पर दया आगई। एक दिन इन्हीं मिनिस्टर साहब को साथ लेकर हम घूमने गये तो वापिस आते समय हम मोटर गैरेज पहुँच गये। वहां पर मिनिस्टरों के लिए जो पोनटेक मोटरें मंगाई गई थी वे मोटरें जिन मिनिस्टरों को मिलने वाली थी उनमें अपना नाम न पाकर मोटर गैरेज के कंडक्टरों, ड्राईव्हरों व सुप० मोटर गैरेज के सामने इन मिनिस्टर साहब ने जो तमाशा किया और बकवाद की वह देखकर तो मेरा शिर लज्जाके मारे नीचा झुकगया। एकदिन इन्हीं मिनिस्टर साहब की इच्छा अपनी विद्वताका प्रदर्शन करनेकी हुई और हिंदुस्तान टाईम्स-पढकर Intern शब्द का अर्थ निर्वासन करके मुझे कहने लगे कि हैद्राबाद से भी कन्हैयालालजी मुंशी को निर्वासित करदिया है, बादमें मैंने पढकर के उसका अर्थ करके इनको समझा दिया व अंग्रेजी अखबार व्यर्थ में न खरीदने की इनको सूचना देदी, ऐसीही कुछ बातों के कारण आप मेरा विरोध करने लगगये।

महकमा खास व मिनिस्टरों का खर्चा देखकर मैं दुखी था। मैं सरकार के तरफ किसी को अंगुली निर्देश भी करने देना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि मिनिस्टरों को मैं घरमें बैठकर समझाऊं, परंतु समझने, सुनने व विचार करने के लिए तो योग्यता की आवश्यकता रहती है। वहां के मिनिस्टरों की भलाई की भी यदि कोई उनसे कहता तो वे उसे अपना शत्रु समझ लेते थे। मैं उनकी ऐसी वृत्ति से हैरान था। मैं जिस प्रकार

सरकार का विरोध करने वालों को व कांग्रेस कार्यकर्ताओं को स्पष्ट भाषा में कहता या अफसरों को डांटता व फटकारता ठीक वैसे ही मैं पूरी निस्पृहता के व बेपरवाही के साथ मिनिस्टरों को भी फटकारता था। मेरे कार्यालय के लिए एक मकान मुझे मिला था। उसका मुझे उद्घाटन करना था। यह मकान मेरे दफ्तर, लेबोरेटरी व अन्य विभागों के लिए एवम् कृषि सुधार के संपादन विभाग के लिए काफी था व शानदार भी था। मेवाड़ स्टेट रेलवे का व सर सुखदेवप्रशाद प्राइम मिनिस्टर का भी दफ्तर इसी मकान में रह चुका था। मैंने इसका उद्घाटन कराया तब श्री माणिकलालजी प्राइम मिनिस्टर व कुछ अन्य मिनिस्टर भी आये थे। तब मैंने मेरे भाषण में मिनिस्टरों को डांट देते हुए कह दिया था कि न्याय व सत्य को जिस दिन सरकार छोड़ देगी, उसदिन हम सरकार को छोड़ देंगे। मिनिस्टर व प्राइम मिनिस्टर याद रखें कि जनता की सेवा की दृष्टि से ही मैं राजस्थान सरकार की मदद कर रहा हूँ, यदि कोई मिनिस्टर व प्राइम मिनिस्टर जनता के विश्वास का दुरुपयोग करेगा तो मैं जनता को विश्वास के साथ वचन देता हूँ कि उसदिन उस मिनिस्टरी का या उस सरकार का मुकाबला करने के लिए जनता की ओर से सर्व प्रथम खड़ा होने का मैं प्रयत्न करूंगा। "इस मेरे भाषण से किस मिनिस्टर ने तो मेरे पास प्रसन्नता प्रकट की जब कि अन्य मिनिस्टर कुछ अप्रसन्न हुए। मुझे अधिक कष्ट तो तब हुआ जब श्री माणिक्यलालजी वर्मा ने उस सभा में भाषण करते हुए सब किसानों से प्रार्थना की कि वे मेरी सलाह के अनुसार भी थोड़ी थोड़ी खेती बोने का प्रयत्न करें।

वास्तविक थोड़ी सी खेती बोआने की मेरी कोई योजना नहीं थी। मैंने देखा कि प्राइम मिनिस्टर व अन्य कुछ मिनिस्टर मेरी योजना से कितने अनभिज्ञ हैं! क्या कौंसिल में ये बिना जाने ही मेरी तथा अन्य योजनाएँ पास कर देते हैं। जनता का पैसा ये लोग किस काममें खरच कर रहे हैं, इसका भी इनको पता नहीं है? क्या हमारी स्वराज्य सरकार का यही चित्र है?

अपनी और अपने परिवार की याद भूल कर मैं मेरे काम लगा हुवा था, कई बार मेरे काम से फुरसत न मिलने पर भोजन टाल देना तो मेरे लिए सदा की बात थी, मैंने एक दिन घर जाकर देखा तो मेरे लड़का हुए कई सप्ताह हो चुके थे और मुझे पता ही नहीं था। मैं मेरी धुन के आगे कुछ भी ध्यान किसी और नहीं दे सका, मेरे पिताजी बीमार पड़े और उनकी मृत्यु होगई। मैं उनके अन्त समय में हाजिर भी नहीं रह सका मेरी पत्नी बीमार पड़ी और उसका इलाज कराने के लिए मैं समय नहीं निकाल सका और उनकी बीमारी टी० बी० में परिणत होगई। मेरे सामने देश का स्तर ऊपर उठाकर जनता को प्रसन्न देखना था मैं अपने मार्ग पर चलता रहा।

मैं जनता में अधिक - अधिक लोकप्रिय होता जारहा था, जबकि मिनिस्टर्स अप्रिय होते जारहे थे। भीलवाड़ा में मैंने देखा कि मुझे पहोंचाने के लिए जो भीड़ इकट्ठी हुईथी उसके धक्कों से मेरे साथके बिचारे डिवीजनल कमिश्नर कहांके कहां टक्करें खाते जारहे थे। दो तीन स्टेशनों तक जनता व

विद्यार्थियों से फर्स्ट क्लास के डब्बे भरगये, जिनमें तिल रखने को जगह
नहीं थी। इसी प्रकार अन्य स्थानों पर जनता की भीड लगने लगी थी।
लोगों में आदर व प्रेम अधिक होता था करने इसलिए कुछ भेद नीति द्वारा
कुछ राजस्थान के नेता कहलाने वाले लोगों द्वारा हमारे मिनिस्टर उल्लू
बनाये जाने से या किसी राजनैतिक उद्देश के भय से मेरा विरोध
आरम्भ होगया लोगों में बताया तो यहां तक जाता था कि मेरे विरुद्ध इस
प्रकार राजस्थान के मिनिस्टरों को बेवकूफ बनाने में मेरे जयपुर के मित्रों
का भी हाथ था।

मैंने देखा कि ऐसे जिलों में जहां विशिष्ट मिनिस्टर जाकर आते हैं, वहां मेरा काम रुकजाता है और सरकारी अफसर वहांपर मेरे काम को पूरी दिलचस्पी से करना बंद कर देते हैं। मैंने यह भी देखा कि विशिष्ट मिनिस्टर का सम्बन्ध जिन जिले में जितना विशेष है उन जिलों में उसी प्रमाण में मेरी योजना में सरकारी अफसर लापरवाही कररहे हैं। मैंने दंड नीतिका अवलंबन करने के उद्देश से उक्त अफसरों की अनुशासन हीनता की फाइल बनाना अरम्भ किया। और ऐसे कलक्टरों की मेरे काम के सम्बन्ध की निगरानी रखने का इन्तजाम करने लगा। आगे मुझे पता चला कि मेरी डाक चोरी से फोड ली जाती है मेरी निजी डाक भी सरकार चोरी से उडाने लगी मेरा प्रभाव कम करने का प्रयत्न किया जाने लगा। महामान्य श्री चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी भारत के ग० ज० उदयपुर को पधारने वाले थे। कृषि की दृष्टि से उदयपुर शहर के आसपास के कुछ गांव एक आदर्श रूप में तैयार हो चुके थे। वहां उन्हें लेजाना था,

और उस विषय में उनके द्वारा देश को कुछ बताना था, उन के हाथ से देश के सामने मेरी योजना का कार्य प्रेस द्वारा भी प्रकट करवाना था।

संयुक्त राजस्थान सरकार ने उनका जो कार्यक्रम बनाया था। उसमें मेरा उक्त कार्यक्रम नहीं रखा था। परन्तु राजाजी ने स्वयम् राजस्थान सरकार को लिखकर मेरे वाले कार्यक्रम में भाग लेने की इच्छा प्रकट की थी, और इस विषय की सूचना का पत्र मुझे डाक से भेज दिया था। मेरी और डाक तो मुझे मिलगई परन्तु गवर्नर जनरल का पत्र डाकखाने से न मालूम कैसे "मैं आबू गया हूँ यह बताकर किसने आबू को वापिस भिजवा दिया" यह पत्र मुझे राजाजी आकर चले जाने के बाद आबू व उदयपुर घूमाघम कर खामगांव पहुँच कर वहां से वापिस उदयपुर आकर मिला। राजाजी उदयपुर पधारने के २ दिन पूर्व मेरे पिताजी के स्वर्गलोक होजाने की खबर मुझे मिली और मैं मेरे कार्यक्रम को और उन आदर्श गांवों को लेजाने का भार श्री अभिन्नाहरिजी कृषि मंत्री पर सोंपकर मैं घर चलागया। कृषि मंत्री को मैंने वे गांव प्रत्यक्ष मेरे साथ लेजाकर बता भी दिये थे जिसपर उन्होंने आश्चर्य एवं प्रसन्नता प्रकट की थी। मेरी उपस्थिति में ही जहां गडबड करने का प्रयत्न हो रहा था वहां मेरी अनुपस्थिती में कैसे गडबड नहीं होती, अन्त में राजाजी की व मेरी ऐसे दोनों की इच्छा रहते हुए भी यह कार्यक्रम नहीं होसका।

मैंने राजस्थान में इतना काम केवल डेढ महीने में ही कर लिया था। पिताजी की मृत्यु के कारण मुझे मेरे घर खामगांव जाकर दो सप्ताह से

अधिक रहना पडा। मेरी अनुपस्थिती में मेरे दफ्तर के कुछ कमरे उदयपुर के कमिश्नर को देदिये गये। मेरे पी. ए. को सूचना दे दी कि "संयुक्त राजस्थान सरकार पं० नन्दलाल शर्मा की सेवा लेना नहीं चाहती" मुझे जब इस बात का पता चला तो मैंने कृषि विभाग के मिनिस्टर को ऐसी नालिश बातें करने का कारण पूछा तो राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेट्री का तार मिला कि मैं उदयपुर ही न आऊं। मैं उदयपुर आ पहुँचा और कुछ दिन तो शांति से काम करता रहा। न तो मैंने ही कुछ कहा और न मिनिस्टरों ने ही कुछ कहा। सारी सरकारी सुविधाएं ज्यों की त्यों चलती रही।

एक दिन मैं और कुछ मित्र मिले तो पता चला कि सरकार मेरे कुछ झुक जाने की अपेक्षा के साथ चाहती है कि मैं अपने स्वाभिमान को छोड़ कर सरकार की हां में हां मिलाता रहूँ। मैंने मिनिस्टरों से साफ कहदिया है कि मैं सरकार को मार्गदर्शन करनें के लिये हूँ, स्पष्टता व निर्भीकता के साथ, लाखों लोगों की भलाई का योग्य मार्ग दर्शन कराना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य मैं विनय व कड़ाई के साथ पालनक रूंगा। यदि सरकार अयोग्य मार्ग से जाए तो मैं नहीं जानेदूंगा। सलाम करवाना हो तो कई पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट व अन्य पुलिस अफसर मौजूद हैं, जी हुजूर भी बहुत हैं। मैं कोई उनके हाथ के नीचे का अफसर नहीं हूँ, मेरे काममें कोई गलती नहीं मेरा चारित्र्य ठीक है तबतक मैं अपने पद से नहीं हट सकता। सरकार को मैं चुनौती देता हूँ कि वे मेरे खिलाफ कोई इल्जाम लगावे।

और आज तक भी संयुक्त राजस्थान सरकार न मेरे पास से चार्ज ही ले सकी है और न मुझे हटाने में समर्थ नहीं हो सकी है।

मेरा केस मैंने आबू आकर हमारे रीजिनल कमिश्नर के सामने रक्खा और दिल्ली जाकर भारत सरकार के सामने रखदिया। राजस्थान सरकार से इस विषय में जवाब तलब किया गया। संयुक्त राजस्थान सरकार के प्राईम मिनिस्टर श्री माणिक्यलालजी ने अपनी गलती कबूल की और कई मिनिस्टरों ने भी जो वहां उपस्थित थे, सरकार की ही गलती बतलाई, यह तो केवल बिना किसी वैधानिक (Legal) और नैतिक आधार के ही मुझे उपर्युक्त पत्र लिखने का शौक सरकार ने कर लिया था। इस समय मुझे भास हुआकि भारत सरकार भी संयुक्त राजस्थान सरकार को किसी कदर चलाना चाहती थी, यद्यपि भारत सरकार का निर्णय भी मेरी ही तरफ में हुआ था। हमको भी यह पोल की हांडी जनता के मध्य में फोड़नी नहीं थी। लेकिन जनता को तो सब बातों का पता पहिले ही लग चुका था और हमारे फटे हुवे मन भी कैसे मिल सकते थे? तो भी मैं उदयपुर बना ही रहा और संयुक्त राजस्थान सरकार अपने अंतिम सरकारी कागजातों में उक्त घटना के कई महिनों बादमें भी मुझे लिखे गये अंतिम कागजात तक में बराबर रीति अनुसार मुझे ऐडवाइजर संयुक्त राजस्थान सरकार मजबूर होकर लिखती रही। सरकार को लिखना ही पड़। याने मैं आज भी चुनौती के साथ भूतपूर्व संयुक्त राजस्थान सरकार को कहता हूं कि मेरी कोई गलती तो बताये और मैदानमें आकर मेरी योजना, नीति या अन्य काम में कोई ऐसा बात बतादे जिससे उक्त सरकार

की कार्यवाही योग्य कही जा सके। क्या महान् राजस्थान सरकार यह केस योग्य ट्रिब्यूनल को सौंपकर उक्त घटना संयुक्त राजस्थान सरकार से कैसे बनी और उसे राजस्थान की जनता को कितनी हानि हुई, यह जानने को तैयार है? सत्य व न्याय मार्ग से जानेवाले कभी किसी से डरते नहीं मैं चुनौती के साथ अपने आप को बांध लेता हूँ और कहता हूँ कि यदि इस घटना के बारे में किसी छोटे से अपराध के लिये भी मैं अपराधी पाया गया तो मैं आजन्म कारावास की सजा भोगने को तैयार हूँ व जो उक्त मिनिस्टर्स अपराधी पाए जाएं तो सरकार उनका केस केवल राजस्थान की जनता के सामने रख दे व कांग्रेस हाईकमाण्ड चाहे तो उसपर विचार करे।

इस गडबड में मेरी पत्नी की बेमारी की तरफ मैं ध्यान नहीं दे सका था जब डॉक्टरों ने मेरा ध्यान इस ओर खैंचा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी की बीमारी टी. बी. में परिणत होकर दूसरे स्टेज पर जा पहुँची है, इस समय मैं अपनी पत्नी के इलाज के लिए उनके पास ही अधिक रहने के लिए मजबूर हुआ।

पं० हीरालालजी शास्त्री मेरे मित्र थे और आजभी मैं उनको अपना मित्र मानता हूँ। श्री शास्त्रीजी से मेरा सम्बन्ध रहा और मुझे जो कटु अनुभव हुआ वह जनता के सामने रखना मैंने अपना कर्तव्य समझा और रखदिया। श्री शास्त्री जी उक्त घटनाओं के बाद एकदिन दिल्ली के अशोकहाल में मुझे मिले भी थे और अपनी सफाई देनेका

प्रयत्न भी करते थे। परन्तु मुझे दुःख है कि वे मुझे संतोष नहीं करा सके। यदि श्री शास्त्री जी के विषय में जो मेरा मत बन गया है वह गलत निकला या मेरी गैरसमझ हुई पाई गई तो मुझे अत्यन्त आनन्द होगा, और मैं तो उस सुवर्ण दिन की आतुरता से प्रतीक्षा कररहा हूँ जब मेरा यह मत मुझे गल्त पायाजाय।

भूत काल की त्रुटियों को भूलकर भविष्य में मनुष्य जाति की हम मिल कर सेवा करें। हम सब मित्र बनें, शुद्ध हृदय लेकर न्याय व समता के आधार पर आगे बढ़ें। श्री माणिकलालजी वर्मा से मेरा कभी निकट का संबंध नहीं आया। वे स्वयम् तो सज्जन प्रतीत होते थे परन्तु दुर्भाग्य वश किसी गलत समझ या अनुचित दबाव के कारण स्वयम् विचार करके कदम उठाने की शक्ति उनमें न होने के कारण शायद घटनाएं घटती रही हों व कुछ मनुष्य स्वभाव के विषय में संयुक्त राजस्थान सरकार को अनुभव भी कम था। कहीं से संभवतया राजनीति की किताबें उठा लाये हो और किताबी राजनीति के आधार पर राज्य करने का प्रयत्न करते हों ऐसा प्रतीत होता था। राजस्थान सरकार के कुछ मिनिस्टर्स तो वास्तविक बुद्धिमान व योग्य थे, इस लिए सबों के विषय में तो ऐसा नहीं कहा जा सकता परन्तु बहुमत कुछ ऐसा ही बेबस था। मेरी राय में ऐसे लोगों के हाथ में राजस्थान की बागडोर सौंपने के पूर्व भारत सरकार को अधिक विचार करना चाहिये था। हमारे आपस में कुछ भी हुआ हो, व इस बातको लेकर एक बड़ा पोथा लिख कर इनके विरुद्ध लोकमत बनाने का विशेष कार्य में नहीं करना चाहता क्यों कि

मेरे पास इतनी अधिक सामग्री मौजूद है तो भी मैं आदर के साथ यहां यह बतला दूं कि मेरे मित्र श्री हीरालालजी शास्त्री व श्री माणिकलालजी वर्मा ने देश की अबतक कुछ सेवा की है, वे महान हैं, वे भूतकाल से पाठ पढ़ कर आगे योग्य सेवा कर सकेंगे ऐसी हमनें आशा करना चाहिये। त्रुटियां तो होती रहती है, और मुझे आशा है कि भविष्य में ऐसी त्रुटिया नहीं होने देगें व बड़ी सेवा करेंगे।

मैं ने कभी निर्बलों पर प्रहार नहीं किया, जिसने मेरे सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसने मेरी हानि करने के पश्चात् मेरे पास कबूल कर लिया व गलती मानली तो ऐसे लोगों ने मेरी चाहे जितनी हानि की हो, मैं उस हानि को भूल जाऊंगा, और मुझसे शत्रुता का वर्ताव करने वाले को मुझसे प्रेम मिलेगा। परन्तु यदि कोई अन्यायी शासक कितना ही बड़ा सत्ताधारी हो या धनवान हो या चाहे जैसा शक्तिशाली हो वह यदि सत्ता, धन या शक्ति के अभिमान को लेकर अन्याय करेगा तो मैं उसका सामना करने के लिए सदा ही तैयार मिलूंगा। अन्यायी शासकों के अभिमान को ठुकराने का एक व्यसन ही मुझे लग गया है, ऐसा मेरा अब तक का अनुभव है, परन्तु यदि मेरी किसी त्रुटि को कोई बता देगा तो सामने वाला चाहे जितना निर्बल क्यों न हो मैं उसके सामनें मेरी त्रुटी स्वीकार कर लूंगा मेरे सामने नम्र होने वालों के आगे मैं उनसे अधिक नम्र रहूँगा। मैं शुद्ध अंतःकरण के साथ छाती को हाथ लगा कर कह सकता हूं कि मेरी अब तक की

आयु में मुझे कोई ऐसा अपवाद अभी तक नहीं मिला जब कि मैं उक्त मनोवृत्ति से दूर रहा हूँ।

पाश्चात्य संस्कृति की छाया के नीचे संसार सो रहा है, इस संस्कृति का आधार भौतिकता के ऊपर है, मनुष्य मनुष्य में स्पर्धा के द्वारा संघर्ष को जन्म देना ही इस संस्कृति का अंतिम परिणाम है, अर्थात् इस संस्कृति को जो फल लगते हैं वे बड़े ही अरुचिकर अर्थात् ईर्ष्या, द्वेष भोग की इच्छा आदि हैं, मनुष्य जाति इनसे ऊब उठी है, वह इस संस्कृति से छुटकारा पाने के लिए तिलमिला रही है।

मनुष्य जाति ने इस से उद्धार पाने की चेष्टा की है, यूरोप व अमेरिका के विद्वान अंधेरे में अंधा जैसे कोई वस्तु खोजता फिरे और ठोकर खाकर गिरपड़े उसी अनुसार छटपटा रहे हैं, समाजसत्तावाद व कम्युनिजम का जन्म भी इसीका परिणाम है, मेरी राय में इनका आधार त्रुटिपूर्ण है, भौतिकता के आधार पर या कानूनों से अधिक काल के लिए समाजवाद नहीं स्थापित किया जा सकता, यदि भौतिक आधारों के बल पर समाज रचना बल पूर्वक बदलने की चेष्टा की तो हमें स्मरण रखना चाहिये कि मनुष्य जातिका नैतिक स्तर गिर जाएगा, जिसका परिणाम समाज को शासन, व्यापार आदि सभी क्षेत्रों में भोगना पड़ेगा; इस विषय पर मनोविज्ञान तथा अन्य वैज्ञानिक बातों के आधार पर योग्य साहित्य लिखने की आवश्यकता है, पता नहीं इस बारे में मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं।

भारतीय संस्कृति का आधार त्याग व संयम है, आत्मिक बल व इंद्रिय दमन इस संस्कृतिका अंतिम परिणाम है। इस संस्कृति का फल सभ्यता, बलि दान व न्याय है। पूज्य महात्मा गांधी ने हमको राजनीति के साथ भी यही सिखाया है। हमें अहिंसा का पाठ पढाया है, अहिंसा व सत्याग्रह को अपनाने पर मनुष्य निर्भय व निरूपद्रवी बनजाता है, ईर्षा का स्थान प्रेम ले लेता है, अहिंसा का अर्थ कायरता नहीं है, जब आपस में प्रेम के साथ प्रहार करने वाले की भलाई की इच्छा रखते हुए प्रहार सहन करने की और अपने मार्ग पर दृढ रहने की शक्ति न हो तो, कायरता के साथ प्रहार सहने को निर्बलता, नीचता एवम् हिंसा कहना चाहिये, मनुष्य को ऐसे समय लाठी का बदला लाठी से देना चाहिये व मेरी राय में यह दुसरे दरजे की अहिंसा ही है।

भारत से स्वामी विवेकानंदजी, स्वामी रामतीर्थ व गुरुवर्य टागोर आदिने भी यही-पाठ संसार को पढाने का प्रयत्न किया। रूस में महात्मा टॉलस्टॉय ने भी यही पाठ दुनिया को पढाया और हम लोगों को भी भारतीय संस्कृति के आधार पर संसार की समाज रचना एवम् मनोवृत्ति बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। यही आज की आवश्यकता है और यही सच्ची मनुष्य सेवा है। देशोंकी राजनैतिक सरहद मनुष्य जाति के लिए लज्जा की बात है। यह मनुष्य जाति के पतन व संस्कृति हीनता की निशानी है। यह शिक्षा का अभाव है। सच्ची शिक्षा का अभाव तो यूरोप और अमेरिका में अधिक है। भारत में भी शिक्षा का अभाव होता जा रहा था, परंतु महात्मा गांधी की शिक्षा से अब कुछ रूकने

जारहा है। पाश्चात्य लोगों का संसर्ग इस देशमें जहां अधिक आया है, वहां अशिक्षा व संस्कृति हीनता बढगई है जैसे बंबई, कलकत्ता व मद्रास या थोड़े अधिक प्रयामें बडे शहरों में यह रोग फैल गया है। रेल व मोटर मार्ग से दूरके गांव एवम् कोर्ट कचेरीयों से जिनका संसर्ग नहीं आया है, वे आज भी शिक्षित हैं। शिक्षा का प्रत्यक्ष स्वरूप नैतिकस्तर है, गांवो के लोगों का नैतिकस्तर ऊँचा है और उनमें संयम व बलिदान की भावना भी वर्तमान है। बड़े शहरोंमें तो संयम हीनता व आचार का पतन बढता ही जा रहा है, कोई किसी का भाई नहीं कोई किसी का अतिथि नहीं, दगाबाजी, झूंठ व चाल बाजी फैल रही है, अब गांवों पर भी इसका असर होता जारहा है। हमारे विश्वविद्यालय व कालेज एवम् हाईस्कूल दुर्भाग्य से इस प्रचार के केंद्र बन गये थे, अब इस बात का अनुभव हुआ है और इस ओर ध्यान दिया जा रहा है।

अब तक हमने देश के कई प्रांतों में काम किया और करते जा रहे हैं, परंतु अब हम हमारी सारी शक्ति महान राजस्थान में ही हमारे सेवा कार्य का केंद्र बनाकर सेवा में खर्च चाहते हैं। राजस्थान की कृषि में उन्नति करके हमारे प्रांत की आर्थिक परिस्थिती हम ठीक करना चाहते हैं, साथ में ही यहां जो अंधा धुंध सरकारी लूट अर्थात अफसरों द्वारा रिश्वतखोरी चल रही है उसको मिटाकर जनता का नैतिक स्तर व बल बढाना है। बिना किसी मशीनरी लाए या अधिक खर्च किये ही कृषि की पैदायश हमारे किसान लगभग ३० फी सदी से अधिक बढा सकते है, उनको केवल योग्य मार्ग दर्शकों का अभाव है, अब तक

जिन लोगों ने किसानों पर अत्याचार किए हैं, उनके सेवक तरीके अपने आपको न मानते हुए जिन्होंने उनसे कटु व्यवहार किया है या जिन सरकारी नौकरों ने देश को गुलाम रखने में और दमन करने में भूतपूर्व सरकार को मदत दी है वे अब सेवा करके देश की उपज बढा सकेंगे ऐसा मानना गलत है, किसान भी ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं कर सकते। हमें किसानों का स्वयं विश्वास पात्र बनाना होगा। व हमको खड़े होकर किसानों को मार्ग दर्शन कराना चाहिये। सरकारी कर्मचारियों की कुछ तो मनोवृत्ति बदलनी पड़ेगी और कुछ उनसे केवल पोष्ट की पेटी के जैसा ही काम लेना होगा। यह बात तो वैज्ञानिक एवम् व्यवहारिक दृष्टि से सिद्ध होगई है कि हमारे गांवों के वर्तमान साधनों से ही हम हमारी कृषि की उपज उपयुक्त प्रमाण में बढा भी सकते हैं और निरोगी उपज भी प्राप्त कर सकते हैं। रिश्वतखोरी बन्द करना आसान बात है। राजस्थान सरकार ने एवं जयपुर सरकार ने अबतक रिश्वतखोरी बंद करने का केवल तमाशा किया है, जनता की आंखों में धूल झोंकी है। केवल एक वर्ष में ही रिश्वतखोरी बंद की जासकती है, और चुनौती के साथ केवल दो वर्ष में रिश्वतखोरी का नामोनिशान मिटाया जासकता है, केवल सरकार की इच्छा व प्रयत्न करने की लगन चाहिये। जहांतक मैंने देखा है, जयपुर सारे देश में रिश्वतखोरी में सर्व प्रथम नम्बर है, यहां तो रिश्वतखोरी का ही राज्य है। यहां तो जनता सदा ही लूटी जाती रही है। तीसरी व सदा की बात शिक्षा विभाग में रद्दोबदल करना है, हमारे विद्यालयों से विद्यार्थी संसार को अपने आचरण से ही भारतीय संस्कृति का संदेश

देने वाले बनते रहना चाहिये। विद्यालयों के व छात्रालयों के दरवाजे निर्धनों के लिए खुले हों, विद्याविक्री बंद कीजाए और विद्यार्थी स्वावलंबी बनकर विद्याध्ययन करे। इन विद्यार्थियों के बल पर मैं राजस्थान द्वारा संसार को उपदेश दिलवाकर सारे मनुष्य जाति को भारतीय संस्कृति की दीक्षा दिलवाने की महत्वाकांक्षा रखता हूं। शिक्षा को उपयुक्त स्तर पर बिना किसी खास खर्चे के केवल पांच वर्ष में लाया जा सकता है।

हमतो हमारा काम आरंभ कर चुके हैं, यदि सरकार का सहयोग रह सका तो कार्य शीघ्र होगा अन्यथा जो साधन मिलेंगे या जनता का स्वयम् स्फूर्ति से जो सहयोग मिलेगा वह ही लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे, हमें कठिनाइयों का कोई विचार नहीं करना है।

* यही है मेरी बात *